खण्ड-299, अंक-5
मंगलवार, 10 श्रावण, शक संवत् 1894
(1 अगस्त, 1972 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 299 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 1 अगस्त, 1972

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—369

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दुबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदयप्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री

ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कृपादयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेंद्र सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री

गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल सरदार, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह जूदेव, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री

बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह बिशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री,
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री

मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजित राम पांडेय, श्री
राजेंद्र किशोरी, श्रीमती
राजेंद्र कुमार शर्मा, श्री
राजेंद्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेंद्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री
राम करन सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
राम चरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
रामदुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री

रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बिलास पांडेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हृष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
बासुदेव, श्री
बासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयशंकर सिंह, श्री
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिंडारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्री रामसिंह, श्री
सन्तोषकुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री

सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीब उल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—सामुदायिक विकास मन्त्री, श्री बलदेव सिंह आर्य एवं राज्य सूचना मन्त्री श्री पी० डी० टन्डन भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 1 अगस्त, 1972

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मेरठ जिले से सुरक्षा कोष को दिये गये अस्वीकृत चेक

** 1—चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि भारत पाक संघर्ष के दौरान मेरठ जिला की ओर से कितनी धनराशि के चेक सुरक्षाकोष के लिये दिये गये तथा उनमें से कितने चेक और कितनी धनराशि के बैंक द्वारा डिसआनर कर दिये गये? क्या अन्य जिलों में भी दिये जाने वाले और चेक भी इसी तरह से डिसआनर हुए हैं? यदि हां, तो और कितनी धनराशि के?

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

दिनांक 30 जून, 1972 तक मेरठ जिला की ओर से 2,71,236.38 रुपये की धनराशि के चेक मुख्य मन्त्री जी के प्रतिरक्षा कोष के लिये दिये गये। उनमें से रुपये 36,970.40 की धनराशि के 47 चेक बैंक द्वारा अस्वीकृत किये गये। अस्वीकृत चेकों में से रु० 15,907.40 की धनराशि के 17 चेकों के बदले में बैंक ड्राफ्ट प्राप्त हो गये हैं। शेष रु० 21,063.00 के 30 अस्वीकृत चेकों के बदले में बैंक ड्राफ्ट प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

अन्य जिलों के रु० 80,119.50 की धनराशि के चैक अस्वीकृत हुये जिनमें से रु० 7,877.23 के चेकों के बदले में बैंक ड्राफ्ट पुनः प्राप्त हो गये हैं। शेष रु० 72,242.34 की धनराशि के चेकों के आपत्ति निराकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही हो रही है।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

जो चेक डिसआनर हुए क्या ये इस कारण से हुये कि दान दाताओं के खाते में बैंक में रुपया नहीं था या अन्य कारण थे ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

इसके कई कारण थे जिनमें से एक यह था कि निर्धारित अवधि से पुराने हो गये थे, कुछ में हस्ताक्षरों में भिन्नता थी, कहीं कटिंग थी आदि ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

यह जितने चेक डिसआनर हुये क्या यह उद्योगपतियों के ही थे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

किसके थे, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहराडून)—

क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि किन लोगों ने जान बूझ कर गलत चेक दिये और जिन्होंने ऐसा किया उनके खिलाफ क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

अगर किसी के विरुद्ध आपके पास कोई अभियोग हो तो आप पेश करें, जांच करा ली जायेगी ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

जिन उद्योगपतियों ने सुरक्षा कोष के लिये चेक दिये और जानबूझ कर ऐसे टेढ़ेमेढ़े हस्ताक्षर किये कि चेक कैश न हो सकें, क्या सरकार उनके विरुद्ध धोखाधड़ी की कार्यवाही करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कोई कारण नहीं है कि सबको बदनीयत समझा जाय ।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

जिनके चेक डिसआनर हुये उनमें क्या ऐसे लोग भी थे जिनके कोटे परमिट आदि से लाइसेन्स सरकार के पास फंसे हुये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, इसकी जांच करना बहुत मुश्किल है, 5 करोड़ 15 लाख रुपया हम दे चुके है उसमें से अगर एक आधा लाख की रकम ऐसी है जो डिसआनर हो गयी और उसे भी वसूल करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसमें चिन्ता की कोई बात नहीं है। इसमें न बहुत अधिक प्रश्न करने की ही आवश्यकता है।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

जो चेक डिसआनर हो गई हैं,क्या उनका रुपया फिर लिखकर सम्बन्धित लोगों से प्राप्त हो गया है ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो जवाब में लिखा है और बाकी की कोशिश हो रही है।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह आदेश देने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों का भुगतान रह गया है, उनसे वह पर्सनली मिलकर उन चेकों का भुगतान करायें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैंने कह दिया, उसका प्रयास हो रहा है और बराबर भुगतान हो रहा है।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो चेक डिसआनर हुए, उसमें वे अधिक तर ऐसे लोगों के हैं, जिनको कोटा या परमिट सरकार से लेना बाकी था ? क्या इसकी जांच मुख्य मन्त्री जी करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह नया सवाल पैदा हो गया है।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

मेरठ जिले से कुल कितना रुपया सुरक्षा कोष में प्राप्त हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो वह बता चुके हैं।

श्री प्यारे लाल—

उन्होंने सिर्फ चेक से प्राप्त धनराशि बताई है ? लेकिन अब चेक और कैश दोनों की सम्मिलित धनराशि बता दें ?

(उत्तर के लिए नहीं पुकारा गया)

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि यह धन डिसआनर वाली चेकों का ही नहीं है, ऐसा भी बहुत सा धन है जिसको प्राप्त करने पर उसकी रसीदें नहीं दी गई हैं और न उसे जमा किया गया ? क्या वह इस धन की भी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न उठता नहीं है। इसमें यही है कि कौन सी डिसआनर हुई।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो वह कहते हैं कि डिसआनर होने के बाद अब रुपया वसूल हो गया है, तो बाद में चेक द्वारा या नकद यह प्राप्त हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

इसमें साफ दिया है कि ड्राफ्ट के जरिये हुआ है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मुजफ्फरनगर से कुल कितना धन प्राप्त हुआ है ? और कितने धनराशि की चेकें ऐसी हैं जो डिसआनर हुई हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो हो चुका है।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

अभी तो मेरठ का हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

उसमें उन्होंने कहा है 80 हजार।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या अन्य जिलों से भी किये जाने वाले और चेक भी इसी तरह से डिसआनर हुये हैं ? यदि हां, तो और कितनी धनराशि के ?

श्री अध्यक्ष—

अन्य जिलों के 80,119 रुपये 50 पैसे की धनराशि के चेक अस्वीकृत हुए।

अध्यापक तथा कर्मचारियों का वेतन वितरण संबंधी अधिनियम

**2—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़), श्री नेतरामसिंह (जिला एटा) तथा श्री मोहन लाल कपूर—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उनको ज्ञात है कि अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतन वितरण संबंधी अधिनियम, 1972 के बावजूद भी प्रदेश के मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों को प्रत्येक माह को 20 तारीख को नियमित रूप से वेतन वितरित न किये जाने के विरोध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने दिनांक 21-8-72 से हड़ताल करने का निर्णय किया है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रही है ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राज बिहारी सिंह)—

ऐसी हड़ताल की कोई औपचारिक सूचना शासन को नहीं प्राप्त हुई है। 1972 में ऐसा कोई अधिनियम नहीं बनाया गया, हां, एक अधिनियम इस संबंध का 1971 में बना है।

श्री कल्याण सिंह—

1971 में अध्यापकों और कर्मचारियों को वेतन वितरण संबंधी अधिनियम पास हो गया लेकिन 95 प्रतिशत विद्यालयों में अगले महीने की बीस तारीख तक वेतन नहीं दिया जा रहा है। क्या सरकार पूरे प्रदेश के ऐसे मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों की जांच करायेगी जहां की प्रबन्ध समितियां नियमित रूप से 20 तारीख तक वेतन वितरित नहीं कर रही हैं और क्या कार्यवाही करने का आश्वासन देगी ?

श्री राज बिहारी सिंह—

मान्यवर, यह नया प्रश्न हो गया। मूल प्रश्न यह है कि क्या कोई हड़ताल करने की सूचना मिली है, यह नहीं पूछा गया है कि किन-किन स्कूलों में वेतन नहीं दिया जा रहा है। यह नयी सूचना है कि इसकी जानकारी प्राप्त कर ली जायगी।

श्री मोह लाल कपूर—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह अधिनियम 1971 में जब से पारित हुआ है 80 प्रतिशत विद्यालयों को जमा करना चाहिये, बाकी आप अपना धन मिला देते हैं। ये दोनों मिल जाने के बाद भी अनेक विद्यालयों में तनख्वाहें नहीं बटती हैं इसके लिये क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं, 80 प्रतिशत निश्चित रूप से जमा हो जाय बाकी ट्रेजरी से एकदम वेतन वितरण कराने की व्यवस्था आप अपने दिमाग में रक्खें।

श्री राजबिहारी सिंह—

यह बात सही है कि वेतन कहीं-कहीं 20 तारीख को नहीं बटता। इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि नियम है कि प्रत्येक स्कूल की मैनेजिंग कमेटी 25 तारीख तक अपना बिल बना कर जिला विद्यालय निरीक्षक के पास भेज दें। दूसरे फीस का 80 प्रतिशत पैसा खजाने में जमा कर दें। लेकिन इन दोनों बातों में देर होती है। शासन ने अपनी तरफ से प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक और मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन को लिख दिया है कि इस काम का कड़ाई से पालन किया जाय। एक देर और हुआ करती थी। शासन हर तीसरे महीने अपना कोटा संयुक्त खाते में जमा करता था जिससे देर होती थी। अब शासन ने निर्णय कर लिया है कि अपने को कोटे का हिस्सा हर महीने में संयुक्त खाते में जमा किया जाय जिससे अध्यापकों को वेतन में देर न होने पाये।

श्री मोहनलाल कपूर—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि राज्य सरकार का कोटा कौन सी तारीख तक जमा करेंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह—

यह शासन ने निर्णय ले लिया है कि 20 तारीख को वेतन देने के पहले जमा करेंगे ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मैं मंत्री जी को सूचनार्थ बताना चाहता हूं कि कल इलाहाबाद के अन्दर जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में दो लाख वहां के अध्यापकों ने धरना दिया और नोटिस दी और यह भी जानना चाहता हूं कि इस बात में क्या कठिनाई है कि सरकारी ट्रेजरी में रुपया जमा कराये और सरकार चेक द्वारा इन अध्यापकों को पहली तारीख को वेतन दे ?

श्री राजबिहारी सिंह—

अधिनियम में यह है कि 20 तारीख तक दे दी जाय । कोई ऐसी व्यवस्था हो सके कि 1 तारीख की वेतन मिल जाय तो सरकार को एतराज नहीं है लेकिन पैसा फीस का जो होता है वह 15 तारीख तक वसूल होता है और उसके बाद प्रबन्ध समिति को कह दिया गया है कि 25 तारीख तक जमा कर दे । उनके जमा करने में देर होती है इसलिये वेतन मिलने में विलम्ब होता है । सरकार की मंशा नहीं है कि वेतन देर से मिले ।

श्री रामचरण त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)—

विलम्ब इसलिये होता है कि प्रत्येक माह में सरकार इंस्पेक्टर आफ स्कूल के यहां पैसा भेज देती है अगर सरकार एक साल का एस्टिमेंट लगा कर पूरा पैसा विद्यालय को देने की कृपा करे तो फिर देरी नहीं होगी । क्या मंत्री जी मेरे इस सुझाव को कार्यान्वित करेंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह—

सरकार ने निर्णय लिया कि प्रत्येक महीने खाते में जमा कर दिया जाय और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये लेकिन अगर कोई दिक्कत होगी तो आगे देखा जायेगा और इस सुझाव पर विचार किया जायगा ।

श्री कल्याण सिंह—

मंत्री जी ने बताया कि सरकार की ओर से त्रिमासिक धनराशि यथासमय भेज दी जाती है लेकिन प्रबन्ध समिति समय से नहीं भेज पाती है । सरकार ने 71 में यह अधिनियम पारित किया था । तब से अब तक क्या मंत्री महोदय कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिसमें समय से जमा नहीं किया प्रबन्ध समिति ने और सरकार ने कोई कार्यवाही उसके विरुद्ध की ?

श्री राजबिहारी सिंह—

अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है ।

श्री नेतराम सिंह—

क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि 21–6–72 की हड़ताल की उसे कोई सूचना नहीं मिली लेकिन इस संबंध में अखबारों में सूचना छपी हैं ? यदि हां, तो सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

दो माध्यमिक शिक्षक संघ हैं, एक के चेयरमैन ओम प्रकाश शर्मा हैं और दूसरे के चेयरमैन माहेश्वर प्रसाद पांडेय है । अखबार में मैंने यह पढ़ा है कि जिस संघ के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश शर्मा है, वह हड़ताल करना चाहता है लेकिन दूसरे माध्यमिक शिक्षक संघ के चेयरमैन श्री माहेश्वर प्रसाद पाडेय हैं उनकी ओर से कोई सूचना नहीं है ।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

अगर प्रबन्धक समिति से 15 दिन पहले पैसा जमा करा लिया जाय तो शायद मास्टरों का वेतन समय से मिल जाय, इसके लिये क्या सरकार कोई व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री राजबिहारी सिंह—

यह संभव नहीं है क्योंकि 15 तारीख तक तो फीस वसूल होती है और उसके बाद ही पैसा जमा होगा ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

देवरिया जिले के मुबारकपुर तथा अगमा खुर्द ग्रामों में हैजे का प्रकोप

*1—श्री सूरज लाल गुप्त (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री इस बात को सही मानकर कि जनपद गोंडा के परगना उतरौला के लगभग सभी ग्रामों में चेचक का प्रकोप है तथा देवरिया मुबारकपुर के आसपास के ग्रामों में हैजे का भी प्रकोप है जिससे कुछ लोग मरे भी हैं ? विभागीय अधिकारियों द्वारा उदासीनता बरती जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त प्रकोप के निवारण हेतु उचित कार्यवाही करेगी तथा क्या यह भी मंत्री बतायेंगे कि किन-किन ग्रामों में कितने कितने लोगों की मृत्यु हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

परगना उतरौला, जनपद गोंडा के किसी भी ग्राम में चेचक का न तो प्रकोप हुआ है और न उससे कोई मृत्यु हुई है । देवरिया मुबारकपुर तथा अगमा खुर्द ग्रामों में हैजा के प्रकोप की सूचना मिली । विभागीय अधिकारियों द्वारा अविलम्ब जांच पर केवल दो व्यक्तियों को देवरिया मुबारकपुर में रोगग्रस्त पाया गया, जिसमें एक की मृत्यु हो गई । सूचना प्राप्त होते ही तुरन्त उक्त पूरे क्षेत्र में चेक तथा हैजा निरोधक कार्यवाही कर दी गई ।

उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण फैजाबाद के सहायक लेखाकार का प्रत्यावर्तन

*2—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—

विधान सभा कार्य सूची दिनांक 4 अप्रैल, 1972, नत्थी (ग) अतारांकित प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री जी उपनिदेशक, भूमि संरक्षण, फैजाबाद मंडल को सहायक लेखाकारों, ज्येष्ठ लिपिकों एवं कनिष्ठ लिपिकों से संबंधित वर्तमान संशोधित स्थायी सूची को सदन के पटल पर रखते हुये यह बताने को कृपा करेंगे कि माह अगस्त, 1971 से लेकर माह दिसम्बर, 1971 तक कितने सहायक लेखाकारों को वरीयता आदि नियमों के प्रतिकूल ज्येष्ठ लिपिकों के पदों पर प्रत्यावर्तन किया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री रामलखन)—

उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण फैजाबाद के अधीन कोई भी कर्मचारी सहायक लेखाकार ज्येष्ठ लिपिक या कनिष्ठ लिपिक के पद पर स्थायी नहीं है । अतः स्थायी कर्मचारियों की सूची उपलब्ध नहीं है । इन तीनों श्रेणियों के अस्थायी कर्मचारियों की सूचियां मंडल में कार्यभार ग्रहण करने की शीघ्र तिथि के आधार पर बनाई गई हैं । एक अस्थायी सहायक लेखाकार, सामान्य कृषि अनुभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर स्थायी है और एक अस्थायी ज्येष्ठ लिपिक, सामान्य कृषि अनुभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर स्थायी है।

माह अगस्त से दिसम्बर, 1971 की अवधि में एक सहायक लेखाकार को उसका कार्य संतोषजनक न होने के कारण प्रत्यावर्तित किया गया था । यह प्रत्यावर्तन किसी भी नियम के प्रतिकूल नहीं था ।

ग्रामीण रोजगार की योजनान्तर्गत बलिया जिले में कार्य

श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)—

*3—क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण रोजगार संबंधी त्वरित योजना के अन्तर्गत बलिया जनपद में वर्ष 1971–72 में कौन-कौन से काय स्वीकृत हुये थे, उन योजनाओं पर कब कार्य प्रारम्भ हुआ और प्रत्येक कार्य का मजदूरों को भुगतान कब-कब किया गया ?

सामुदायिक विकास उपमंत्री (श्री कृष्णचन्द्र शर्मा)—

ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत बलिया जिले में 61 कि० मी० लम्बी सड़कों तथा 36 कि० मी० लम्बे आठ बांधों की परियोजनाएं 36,43,200 रु० लागत की स्वीकृति की गयी थी। किन्तु जिलाधिकारी ने सूचित किया है कि ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना समिति के निश्चयानुसार 73.75 कि० मी० लम्बी 18 सड़को 24.50 कि० मी० लम्बी सात बांधों के निर्माण का निश्चय हुआ और इस निश्चय को कार्यान्वित किया जा रहा है। योजनाओं पर काय विभिन्न तिथियों को प्रारम्भ किया गया है। त्वरित योजना के अन्तर्गत जिन-जिन परियोजनाओं पर कार्य किया गया है उनके नाम तथा कार्य प्रारम्भ करने की तिथि को संलग्नक में दर्शाया गया है।

सामान्यता मजदूरों को मजदूरी का भुगतान एक अवधि के कार्य समाप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर उनके द्वारा किये गये कार्यों का मूल्यांकन करते हुये किया गया है। भुगतान विभिन्न तिथियों को हुआ है और उनका उल्लेख अनेक अभिलेखों पर है जो बहुत विस्तृत है। इसके बनाने में अधिक समय लगेगा और जो परिश्रम इसमें किया जायगा वह फल के अनुरूप नहीं होगा।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 764 पर)

श्री निर्भयनारायण सिंह—

मान्यवर, मेरे प्रश्न पूछने का मुख्य आशय यही था कि मजदूरों की मजदूरी का भुगतान समय से नहीं होता है। जो उत्तर मंत्री जी ने दिया है वह गोल मटोल करके दे दिया है। इसलिये जो रिपोर्ट उन्होंने दी है वह गलत है। मैं अपनी जानकारी से कहता हूं कि किसी भी मजदूर की मजदूरी का भुगतान चार-चार और छः-छः हफ्ते बाद किया जाता है जब कि शासनादेश एक हफ्ते में पेमेंट करने का है। तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे उनको पेमेन्ट तुरन्त मिल जाया करे?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, सामान्य रूप से मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नियमित रूप से हो रहा है। किन्तु विशेष परिस्थितियों में किन्हीं जगहों पर यह भी संभव हो सकता है कि बिलम्ब हो रहा हो। यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये किसी विशेष स्थान का नाम बतायेंगे तो उसकी जांच करवा ली जायेगी।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिलों में ग्रामीण रोजगार संबंधी त्वरित योजना के अन्तर्गत जो कमेटियां बनी हुई हैं उनका रूप क्या है और कौन-कौन से उनके सदस्य ह ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, इन त्वरित योजनाओं को सलाह मशविरा देने हेतु प्रत्येक जिले में एक एक परामर्शदात्री समिति गठित की गयी है जिसके सदस्य विधायक और एम० एल० सीज० वगैरह हैं।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि मजदूरों के न मिलने का एक मुख्य कारण यह भी है कि उनको समय से भुगतान नहीं हो पाता है? यदि 3 दिन के अन्दर इन लोगों को पेमेन्ट हो जाया करे तो यह समस्या हल हो जायेगी। तो क्या माननीय मंत्री जी कोई इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि मजदूरों की मजदूरी का भुगतान तीन दिन के अन्दर हो जाया करे?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

मान्यवर, तीन दिन के अन्दर पेमेन्ट होना व्याबहारिक नहीं है क्योंकि काम होता है, सड़कें बनती हैं, मिट्टी की नपाई वगैरह होती है उसमें समय लग जाता है। जो व्यवस्था है वह एक हफ्ते में पेमेंट होने की है। इस सम्बन्ध में मैं आदरणीय सदन को यह भी बता देना चाहता हूं कि चूंकि पेमेंट करने में कोई बिलम्ब न हो इसलिये अग्रिम रूप से हमने बी० डी० ओज को 5-5 हजार रुपये दे रखे हैं और जिला स्तर के अन्य अधिकारियों के पास भी पांच-पांच हजार रुपये रखे हैं जिससे भुगतान में कोई बिलम्ब न हो। फिर जो कोई शिकायतें विशिष्ट हों तो माननीय सदस्य हमको लिखकर दे दें।

श्री धर्मबीर--

मान्यवर, हमारी इन योजनाओं को चलाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो मजदूर हैं जिनके पास रोजी-रोटी का कोई अन्य जरिया नहीं है उनको कुछ रोजगार मिल जाय। मंत्री जी कहते है कि 3 दिन के अन्दर पेमेंट होना व्यावहारिक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि 3 दिन की बात छोड़ दीजिये, 1 दिन में पेमेंट हो सकता है यदि वे चाहें तो। तो क्या माननीय मंत्री जी तीन दिन के अन्दर भुगतान करने की व्यवस्था करेंगे ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री निर्भय नारायण सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी हमारी शिकायत को आधार मान कर कि किसी भी प्रयोजना में गवर्नमेंट एक हफ्ते में पेमेंट नहीं करती है और वह पेमेंट 8-8 हफ्ते तक में होता है, इसकी शिकायत हमारे यहां के राज्य मंत्री श्री नगीना सिंह ने भी किया है, तो इसको आधार मान कर क्या वे जिलाधीश के खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

मान्यवर, इस शिकायत की जांच करा लेंगे।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी--

मैं जानना चाहता हूं कि जो दिन भर काम करते हैं उनको काम करने के हिसाब से मजदूरी देते हैं या जितना काम करते हैं उसके अनुसार मजदूरी देते हैं ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

काम के अनुसार मजदूरी देते हैं। जितना वे काम करते हैं उसी के अनुसार मजदूरी देते हैं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

क्या माननीय मंत्री जी को यह खबर है कि यह जो प्रयोजना में आप मजदूरी देते हैं वह मजदूरी दैनिक है और उसके लिये कोई न्यूनतम काम की सीमा है कि इतने घनफीट मिट्टी काटनी है और इसी तरह से प्रत्येक मजदूर को मजदूरी देते है। जब मिट्टी काटने का एक नियम बना हुआ है और मजदूरी दैनिक है तो दैनिक भुगतान में एक हफ्ते की एक अवधि जो आपने रखी है उससे इसका क्या संबंध है ? जब दैनिक मजदूरी देने का खुद नियम है तो आप इसकी जांच करायेंगे कि दैनिक मजदूरी न देकर मजदूरों के साथ सारे प्रदेश में यह मजाक क्यों किया जा रहा है ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

माननीय, मेरा निवेदन है जैसा माननीय मैनेजर सिंह ने खुद कहा है कि इसका न्यूनतम है तो जब न्यूनतम है तो उसकी भी नापतौल होगी और जब हम नापतौल करेंगे तो उसी के अनुसार उसकी मजदूरी निर्धारित करते हैं और जब निर्धारित करते हैं तो फिर उसका पेमेंट होता है।

श्री बंशीधर पांडेय---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने कहा कि निर्धारित काम के लिये एक रेट बंधा हुआ है और उसी के अनुसार रुपया दे देते हैं। हर बार खनाई के लिये थोड़े तय करना पड़ता है? तो आप इसका पता लगायेंगे कि आपके द्वारा निर्धारित रेट के अनुसार भी पूरा पैसा सीधे किसानों को नहीं मिलता और आपके आदेश के बावजूद भी बीच के ठेकेदार किस्म के लोग ले लेते हैं। ठेकेदारी का नाम नहीं है लेकिन कुछ रुपया वे ले लेते हैं ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा---

यह त्वरित योजना है और बीच के आदमी का कोई प्रश्न इसमें पैदा नहीं होता। सीधे मजदूर और शासन के बीच में कोई नहीं है। ऐसी कोई शिकायत भी मेरे पास नहीं है कि निर्धारित रेट के अनुसार मजदूरों को पैसा नहीं मिलता है और बीच के आदमी खा जाते हैं। लेकिन पांडेय जी स्पेशली यह बतलायेंगे कि यहां यह चीज हुई तो उसकी जांच करा लेंगे।

श्री मैनेजर सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि त्वरित योजना सलाहकार के सुझाव के अनुसार सिंचाई विभाग ने 7 बंधों का निर्माण-कार्य अपने सुपुर्द कर लिया है और उन बांधों का कार्य सिंचाई विभाग को स्थानान्तरित कर दिया है, तो आप कैसे उत्तर देते हैं कि बंधों का निर्माण त्वरित योजना में पूरा किया जा रहा है?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा---

माननीय, यह त्वरित योजना का ही भाग है इसलिये उत्तर दे रहे हैं कि उस भाग को पूरा किया जा रहा है।

बेसिक हेल्थ वर्करों की सर्विस बुक

*4---श्री शिव प्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य विभाग, फैजाबाद जनपद के अन्तर्गत 10 वर्ष से काम कर रहे बेसिक हेल्थ वर्करों की सर्विस बुक अभी तक नहीं बनाई गई है और उनमें से प्रत्येक का लगभग 3 हजार रु० आडिट आब्जेक्शन के बावजूद भी भुगतान नहीं किया गया है तथा वार्षिक बढ़ोत्तरी रुकी हुई है ? यदि हां, तो कब तक सरकार इनके कार्यान्वित किये जाने का विचार कर रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

जी नहीं। कोई भी बेसिक हेल्थ वर्कर ऐसा नहीं है जो 10 वर्ष से कार्य कर रहा हो। मलेरिया संगठन के कर्मचारीगण जो उक्त पदों पर नियुक्त किये गये हैं, की सर्विस बुक पहले से ही बनी है। शेष बेसिक हेल्थ वर्कर जो सन् 1965 अथवा उसके बाद से नियुक्त है, की भी सर्विस बुक बनी है। किसी भी हेल्थ वर्कर का लगभग 3,000 रु० बकाया देय नहीं है। किसी वर्कर की वार्षिक बढ़ोतरी रुकी है या नहीं, इसकी छानबीन की जा रही है।

नगरपालिका कैराना जिला मुजफ्फर नगर के चुंगी चौकियों पर मुहर्रिरों व चपरासियों की ड्यूटी

*5—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया), श्री चन्द्रभाम शर्मा (जिला मुजफ्फर नगर) तथा श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार को मालूम है कि जनपद मुजफ्फरनगर की नगरपालिका कैराना में टेक्स वसूल करने की चौकियों पर मुंशी और चपरासी की 24 घंटे की डियुटी है ? यदि हां तो नगरपालिका के अधिकारियों के कर्मचारियें के इस प्रकार शोषण करने के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी और उनको ओवरटाइम कार्य करने के एवज में मुआवजा दिलायेगी ?

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (श्री काजी जलील अब्बासी)—

नगरपालिका कैराना के चुंगी चौकियों पर मुहर्रिरों एवं चपरासियों की 24 घंटे की ड्यूटी नहीं है, इसलिये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के शोषण के संबंध में कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता । उक्त नगरपालिका की दस चुंगी चौकियों में से चार चुंगी चौकियों पर अधिक कार्य न होने के कारण नगरपालिका द्वारा कम कर्मचारी रखे गये है । इन कर्मचारियों को अलग-अलग समय में पांच पांच घंटे ड्यूटी से मुक्त रखा जाता है । उक्त चार चौकियों पर अतिरिक्त समय में कार्य करने वाले कर्मचारियों को नगर पालिका द्वारा अतिरिक्त भत्ता दिलाये जाने के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया जायेगा ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

माननीय मंत्री जी के उत्तर में है कि नगरपालिका कैराना की चुंगी चौकियों पर मुहर्रिर एवं चपरासियों को 24 घंटों की ड्यूटी नहीं है इसलिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता । उक्त नगरपालिका की दस चुंगी चौकियों में से 4 पर कार्य अधिक न होने के कारण नगरपालिका द्वारा कम कर्मचारियों को रखा गया है । इसका मतलब यह है कि 24 घंटे कर्मचारी चौकियों पर रहते हैं । मेरी बात को सही मानकर कि तीन चौकियां ऐसी हैं शामली, कांवला और तीतलवाड़ी, जिन पर तीन शिफ्ट में काम होता है वरना एक-एक शिफ्ट में बाकी चौकियों पर काम होता है जिनको 8/8 घंटे की ड्यूटी मिलती है । क्या वे लेबर इंस्पेक्टर मुजफ्फरनगर द्वारा जांच करायेंगे कि इन चौकियों के ऊपर 17 घंटे काम करना पड़ता है, इनको कितने अरसे से इतना काम करना पड़ रहा है और कब से इनको एक्स्ट्रा वेजेज दिलायेंगे ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

मान्यवर, सवाल 24 घंटे का था । माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि 24 घंटे काम नहीं करना पड़ता और 5 घंटे उन्होंने स्वयं कम कर दिये हैं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि 4 चौकियों पर अतिरिक्त समय में काम करना पड़ता है, वह कितने घंटे हैं और कब से करना पड़ रहा है?

श्री बेनी सिंह—

वहां पर कुछ लोगों को 19 घंटे काम करना पड़ता है । बहुत दिनों से यह चल रहा है । उनकी हालत खराब है। उनसे कहा गया लेकिन वे ज्यादा आदमी नहीं रख सके । अब वे बढ़ा रहे है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या मंत्री जी इसकी भी जांच करायेंगे कि जो लोग 19 घंटे काम करते हैं उनको हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलती है या नहीं ?

श्री बेनीसिंह—

इसकी मैं जांच करा लूंगा ।

श्री बंशीधर पांडेय—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि लेबर कानून के अनुसार किसी कर्मचारी को 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करने देना चाहिये अगर करते हैं तो उसके अनुसार ओवर टाइम मिलना चाहिये ? आपके विभाग में काम होता है तो जो लोग 19 घंटे काम कर रहे हैं उसका उनको वेतन दिलायेंगे और आगे के लिए वैसी कार्यवाही करेंगे ।

श्री बेनी सिंह—

महापालिकाओं में 12–12 घंटे के 2 शिफ्टों में ड्यूटी चलती है और वहां पर ओवर-टाइम देने का कोई नियम नहीं है । वह अपना इस प्रकार का कोई नियम यदि बनायेंगे तो हम स्वीकृति दे देंगे ।

श्री बंशीधर पांडेय—

फैक्टरी रूल्स में है कि 8 घंटे से अधिक कोई काम न ले लेकिन नगरपालिकायें 12 घंटे से ज्यादा काम ले रही है इसको वह देखें .....

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

हमारी जानकारी को सही मानकर कि किसी भी कर्मचारी से या मजदूर से 8 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता चाहे वह नगरपालिका हो, महापालिका हो या और कोई महापालिका से भी बड़ी महापालिका हो या कोई भी बाडी हो, तो क्या मंत्री जी इस की जांच करायेंगे कि जहां पर ऐसी गल्ती हो रही है वहां पर उसको दुरुस्त करायेंगे?

श्री बेनी सिंह—

इसकी जानकारी करा लेंगे अगर नियम बिरुद्ध होगा तो जरूर कार्यवाही होगी ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि नगरपालिकायें जो सामान्य अवधि 8 घंटे काम कराने की होती है उस से अधिक काम करा रही हैं तो क्या मंत्री जी सरकार की ओर से कोई निर्देश जारी करायेंगे कि इन नगरपालिकाओं के कर्मचारियों से 8 घंटे से अधिक काम न कराया जाय ?

श्री बेनी सिंह—

कोई विशिष्ट चीज सामने आयेगी, जहां शिकायत हो वह बता दें तो हम जांच करा लेंगे ....।

श्री बंशीधर पांडेय—

एक झगड़ा यहां पैदा हो गया, मुख्य मंत्री जी बैठे हैं उनके ही एक स्वायत्त शासन मंत्री हैं और दूसरे लेबर के मंत्री हैं । लेबर मिनिस्टर का कहना है कि 8 घंटे से अधिक जो काम किसी कर्मचारी से लेगा वह दंड का भागी होगा और यह 12 घंटे काम ले रहे हैं । यह लेबर मिनिस्टर और स्वायत्त शासन मंत्री के बीच का झगड़ा है । तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वह अपने इन दोनों मंत्रियों को बिठाकर इस 8 घंटे वाले कानून का कड़ाई से पालन करायेंगे और इस प्रकार के आदेश दें ।

श्री बेनी सिंह—

ऐसा है कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अनुसार किसी स्थानीय या लोकल अथारिटी के अन्तर्गत आने वाले किसी चुंगी मोहर्रिर, चपरासी या ऐसे छोटे कर्मचारियों से एक दिन में 12 घंटे से अधिक काम नहीं ले सकते ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी एक बड़े महत्व की बात माननीय पांडेय जी ने कही है कि नियम के अनुसार किसी भी कर्मचारी से 8 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता।

[श्री नित्यानन्द स्वामी]—
यदि लिया जायगा उसके लिये उसे ओवरटाइम दिया जायगा। लेकिन अब यह विवादग्रस्त बातें हो गई जबकि स्वायत्त शासन मंत्री जी कह रहे हैं कि 12 घंटे काम ले सकते हैं । यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि ऐसे कर्मचारियों से 8 घंटे से अधिक काम न लिया जाय । इस महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिये । ऐसा नहीं होना चाहिये कि श्रम विभाग के मंत्री का दूसरा भाषण हो और स्वायत्त शासन मंत्री यहां दूसरा भाषण दें । इसलिये अच्छा हो कि सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण इस संबंध में हो जाय । यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—
एक नियम वहां है और एक नियम यहां है, नियमों का झगड़ा है उसको हम देख लेंगे ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—
क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि लेबर इन्सपेक्टर, मुजफ्फरनगर ने कभी इन चौकियों का मुआइना करके कोई रिपोर्ट दी है, और अगर नहीं दी है तो आप जांच करवायेंगे कि इन 10 चौकियों में कितनी चौकियों पर 8 घंटे से ज्यादा और कितनी चौकियों पर 19 घंटे ड्यूटी लगायी जाती है ताकि आप उन कर्मचारियों को कम्पेंसेट कर सकें ।

श्री बेनी सिंह—
श्रीमन्, मैंने निवेदन कर दिया कि 4 चौकियों पर 19 घंटे और शेष पर 12 घंटे की ड्यूटी है लेकिन जो चीज ये कह रहे हैं, वह श्रम विभाग की है । यू०पी० मिनिमम वेजेज ऐक्ट 1948 की धारा 26 (2) में श्रम विभाग ने एक विज्ञप्ति संख्या 1693 (टी० डी०)/36-1002-टी 0डी 0-54 दिनांक 23 नवम्बर, 1966 की थी जिसके अनुसार किसी लोकल अथारिटी के अन्तर्गत नियुक्त बालिग से 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता है ।

श्री राम गोपाल संड—
श्रीमन्, यहां पर 8 घंटे का सवाल उठा है लेकिन यहां के कर्मचारियों से तो 9 घंटे से भी ज्यादा काम लिया जाता है । तो क्या इन कर्मचारियों को भी ओवर टाइम दिलाया जायगा ताकि इनके साथ भी आप न्याय कर सकें ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

नगरपालिका फ्लैट्स चौक (लखनऊ) के नीचे स्थित कोल्डस्टोरेज तथा बर्फखाना हटाने पर विचार

*6—श्री लाल बहादुर सिंह (जिला वाराणसी)—
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में चौक सब्जी मंडी के सामने लखनऊ नगर महापालिका द्वारा निर्मित मार्केट तथा आवासीय भवनों के नीचे स्थित कोल्ड स्टोरेज एवं बर्फखाना की क्षमता बढ़ाने की अनुमति शासन द्वारा वर्ष 1971 में दी गई है । यदि नहीं, तो क्या शासन आवासीय क्षेत्र से कोल्ड स्टोरेज एवं बर्फखाने हटाने के आदेश देगी क्योंकि इसकी भारी मशीनें चलने तथा गैस पाइप फटने से इस पुराने भवन को क्षति पहुंचने के साथ-साथ वहां के लगभग 1,000 निवासियों की जान माल का खतरा है ?

श्री बेनी सिंह—
16 मार्च, 1972 के पूर्व कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने की अनुमति केंद्रीय सरकार द्वारा दी जाती थी, अतः नगर महापालिका फ्लैट्स, चौक लखनऊ के नीचे स्थित कोल्ड स्टोरेज एवं बर्फखाने की क्षमता बढ़ाने की कोई अनुमति वर्ष 1971 में दी गयी या नहीं, इसकी

जानकारी राज्य सरकार को नहीं है । बर्फखाने का लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव महापालिका के विचाराधीन है । कोल्ड स्टोरेज एवं बर्फखाना को हटाने के प्रश्न पर शासन द्वारा विचार प्राविधिक परामर्श प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जा सकता है।

[1 अगस्त, 1972 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बस्ती जिला परिषद् की तहसीलों में जमीन सम्बंधी मुकदमें

*1—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी बस्ती जिला परिषद् में 1 जनवरी, 1967 से जनवरी, 1972 तक कुल कितने मुकदमें किस-किस तहसील में जमीन संबंधी चले, उनमें से कितने मुकदमें परिषद् के पक्षमें निर्णय हुए ? कितने परिषद् के विपक्ष में फैसले हुए और कितना-कितना रुपया परिषद का व्यय हुआ क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कृष्णचन्द शर्मा—

1 जनवरी, 1967 से जनवरी, 1972 तक खलीलाबाद तहसील के दो तथा बस्ती तहसील में 3 मुकदमें दाखिल हुए । सभी मुकदमे अभी न्यायालय के विचाराधीन हैं । इन मुकदमों पर अब तक कुल 579.22 रु० व्यय हुआ है।

हरैया तहसील के 10 मुकदमें दाखिल हुये परन्तु सभी प्रमाणों के अभाव में निरस्त हो गये हैं । पुनः धारा 133 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है । अब तक कुल व्यय 595.35 रु० हुआ है ।

श्री सुखपाल पांडेय—

जिन 10 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमें चले थे और खारिज हो गये हैं, वे कितनी जमीन के मुकदमें थे और कब खारिज हुये ? और क्या वह जमीन बीच बाजार में है ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

ये मुकदमें जुलाई, 1962 में चले लेकिन मान्यवर कितनी जमीन के थे, इसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है, सूचना की आवश्यकता होगी ?

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला परिषद् के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने वहां के सेठों से सांठ गांठ करके लाखों रुपये की जमीन के प्रमाण के अभाव में, मुकदमें खारिज करा दिये हैं ? क्या मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, हम खुद इस मामले में जांच करा रहे हैं इन दस मामलों में, क्योंकि हम को पूर्ण संतोष नहीं है । दस मुकदमें हम हार गये इस वजह से हम इसकी जांच करा रहे हैं ।

श्री सुखपाल पांडेय—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि जांच करायेंगे । क्या यह सही है कि वहां के लोगों ने लाखों रुपये की जमीन सेठों को दे दी है और उन्होंने वहां बिल्डिग बना ली है और वे आज भी बिल्डिंग्स बनाते चले जा रहे हैं और कोई कार्यवाही नहीं हो रही है ? क्या माननीय मंत्री जी जांच कराके संबंधित दोषी अधिकारियों को दंड देने की कृपा करेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा---

माननीय, इसकी जांच करा रहे हैं । अगर वे अधिकारी दोषी पाये गये तो निश्चित रूप से उनको दंड दिया जायेगा इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय

*2---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कहां ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)---

पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव पर शासन द्वारा गंभीरता से विचार किया जा रहा है । अभी यह निश्चित नहीं किया गया है कि इस विश्वविद्यालय को कहां स्थापित किया जावेगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

माननीय, जो शासन विचार कर रहा है उसमें कुछ जनपदों के विषय में प्रस्ताव आये हैं ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

प्रस्ताव तो कोई पास नहीं हुआ है ।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)---

यह देखते हुए कि सुल्तानपुर जनपद ऐसा है जहां न कोई विश्वविद्यालय है और न ही कोई उद्योग धंधा है । सुल्तानपुर जनपद में क्या इस कृषि विश्वविद्यालय के स्थान पर सरकार विचार करेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

माननीय, पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है । अब वह कहां स्थापित होगा इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री रामकरन सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के निकट जो मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज है उसके पास लगभग 150 एकड़ जमीन पड़ी हुयी है ? इस आशय का गोरखपुर या उधर से सरकार के पास कोई सिफारिश गई है ? क्या इस प्रकार का ज्ञापन सरकार को मिला है या नहीं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

माननीय, इस प्रकार का कोई ज्ञापन गोरखपुर से नहीं प्राप्त हुआ है । लेकिन स्थान का चयन करते समय इस संबंध में भी विचार किया जायेगा ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

फैजाबाद जिले में मसौधा स्थान को देखने के लिये यहां से माननीय कोई डिप्टी सेक्रेटरी या अन्य कोई अधिकारी जुलाई में गये थे । क्या उन्होंने फैजाबाद में कृषि विश्वविद्यालय खोलने हेतु अपनी संस्तुति दी है । यदि हां, तो वह क्या है और सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मैं समझता हूं कि माननीय कपूर जी की संस्तुति काफी है किसी डिप्टी सेक्रेटरी से । यह सवाल सोचा जा रहा है कि किस जगह यह विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय खास करके पूर्व के इलाके में । फैजाबाद भी एक स्थान है उस स्थान का भी निरीक्षण किया गया है और उसके अतिरिक्त भी स्थानों का निरीक्षण किया गया है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि जहां विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन है विश्वविद्यालय तो बनारस में भी है, इलाहाबाद में भी है, गोरखपुर में भी और इस उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला और पिछड़ा जिला बस्ती क्यों महरूम है ? वहां अगर विश्वविद्यालय की स्थापना पढ़ाने लिखाने की ही नहीं तो कृषि की ही हो । तो क्या इस प्रश्न पर भी सरकार विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, विचार तो कर ही रहे हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को पता है कि बस्ती के लोग हमेशा फैजाबाद ही पढ़ने आये हैं। इसलिये बस्ती में नहीं बल्कि फैजाबाद में ही विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

फैजाबाद के प्रति मेरी श्रद्धा है क्योंकि वह तो राम की जन्मभूमि है ।

श्री बलबीर सिंह---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे क्या कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की कोई योजना सरकार के बिचाराधीन है, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा कृषि विश्वविद्यालय नहीं है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

अभी कई डिवीजन हैं जहां विश्वविद्यालय नहीं हैं । फैजाबाद डिवीजन में नहीं है और बुन्देलखंड डिवीजन में नहीं है । मेरठ डिवीजन में है, आगरा डिवीजन में है, लखनऊ डिवीजन में है, बनारस डिवीजन में है, गोरखपुर डिवीजन में है, उत्तराखंड डिवीजन में हो गया है। सब जगहों पर विश्वविद्यालय मौजूद हैं ।

श्री बलबीर सिंह---

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं....।

श्री सुरेंद्र विक्रम---

मान्यवर, एक प्रश्न करने दें....।

(व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

मुख्य मंत्री जी ने कहा कि भगवान राम की जन्म भूमि में वह कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहते हैं तो क्या श्रीकृष्ण की जन्म भूमि में बनायेंगे कि नहीं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

श्रीकृष्ण की जन्म भूमि से भी प्रेम है, इसीलिये 200 करोड़ रुपये का रिफायनरी प्रोजेक्ट वहां ले गया ।

श्री राम विलास पांडेय (जिला आजमगढ़)---

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद में खोलने जा रहे हैं, क्या उसका नाम 'साकेत विश्वविद्यालय' रखेंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

*3---श्री कल्याण सिंह---

[11वें सोमवार में तारा० प्र० 22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद, जौनपुर में राजकीय कृषि वर्कशाप के लिए भवन निर्माण कार्य का स्थगन

*4—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि कृषि यंत्रों के निर्माण हेतु जनपद जौनपुर के वर्कशाप के लिये भवन निर्माण का कार्य मार्च, 1966 में प्रारम्भ किया गया था किन्तु 36,000 रु० व्यय करने के उपरान्त उसे उसी मास में बन्द कर दिया गया ? यदि हां तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद जौनपुर में राजकीय कृषि वर्कशाप के लिये भवन निर्माण की स्वीकृत योजना के अनुसार, कार्य फरवरी, 1966 में शुरू किया गया था । इस प्रारम्भिक चरण में कुल रु० 36652.56 पैसे व्यय किया गया था । इसके बाद शीघ्र ही निर्माण कार्य स्थगित करना पड़ा, क्योंकि आसपास की ग्रामीण जनता, तथा भूमि के मालिक कृषकों ने आपत्ति की थी और उस पर पहले निर्णय लेना जरूरी समझा गया।

*5—श्री कल्याण सिंह—

क्या यह भी सच है कि उपरोक्त वर्कशाप के लिये भूमि अर्जन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी थी किन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व ही तत्कालीन कृषि मंत्री के आदेशानुसार आगे की कार्यवाही रोक दी गई थी । यदि हां, तो किन कारणों से ? क्या यह सच है कि उपरोक्त अर्जित भूमि को उसके स्वामियों (किसानों) को वापस कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

उक्त वर्कशाप के लिये भवन निर्माण हेतु भूमि अर्जन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी थी । फिर भी तत्समय स्थानीय कृषकों ने तत्कालीन कृषि मंत्री जी से आग्रह किया, जिसके फलस्वरूप उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्यवाही रोक दी गयी ।

(ख) अर्जित भूमि वापस करने के कोई आदेश नहीं गये । आगे की कार्यवाही रोके जाने के फलस्वरूप किसान स्वतः ही इस भूमि पर पुनः धीरे-धीरे काबिज हो गये ।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, पहली चीज यह है कि जो प्रति मुझे मिली है मैंने उसे कई बार पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे पढ़ नहीं पाया । इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट रूप से साइक्लोस्टाइल्ड कराकर भेजा जाय । जो कुछ मैंने सुना है उसी के आधार पर प्रश्न कर रहा हूं ।

मान्यवर, जो उत्तर दिया गया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन कृषि मंत्री और इस सरकार के कर्मचारी किस तरह से फेवर करते हैं और रूल्स का उल्लंघन करते हैं इस पर प्रकाश पड़ता है । मान्यवर मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो भूमि अर्जित की गई थी और शुरू शुरू में रु० 26,652-56 पैसे व्यय किये गये थे उनके बाद माननीय मंत्री जी ने आरबीट्रेरिली यह आदेश पारित कर दिये कि उसके आगे कार्यवाही न की जाय, तो यह आदेश निर्गत करने से पूर्व क्या उन्होंने न्याय सचिव, अथवा अपने विभाग के सचिव या अन्य किसी विभागीय अधिकारी से कोई आख्या मांगी थी, यदि हां, तो यह आख्या क्या है ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जो भूमि अर्जित की गई थी उस सिलसिले में किसानों का एक डेपूटेशन आया कि उनकी जमीन ली जा रही है और वे गरीब आदमी हैं तथा उनको नुकसान होगा। इसके बाद शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इन्डस्ट्रियल एस्टेट के वर्कशाप बने हुये हैं उसमें एक वर्कशाप लेकर वहीं पर कृषि का वर्कशाप खोल दिया जाय । लिहाजा वह कार्यवाही स्थगित कर दी गई ।

श्री कल्याण सिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब उन कृषकों की भूमि वापस करने के आदेश सरकार की ओर से नहीं गये और जबकि उस भूमि को सरकार अर्जित कर चुकी थी और वह सरकार की सम्पत्ति हो चुकी थी तो उस भूमि पर किसानों को फिर से अधिकार न दिये जाने के बावजूद किसानों ने कैसे अधिकार कर लिया?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

किसानों के हित में, जो जमीन एक्वायर की गयी थी उस पर, काम करना बन्द कर दिया गया । जब भूमि परती पड़ी रही तो किसानों ने अपनी अपनी जमीन पर कब्जा कर लिया।

श्री रामगोपाल संड—

मंत्री जी ने कहा कि पहले जिलाधिकारी ने कहा कि इस उपजाऊ जमीन पर वर्कशाप बनाया जाय और इंडस्ट्रियल स्टेट की उपेक्षा कर दी। तो क्या पहले अधिकारी के खिलाफ जिसने कि गरीब किसानों की जमीन जबरदस्ती लेने की संस्तुति की थी, जिसको सरकार ने लिया और दो फस्लें नहीं बोयी जा सकीं, सरकार कोई कार्यवाही करेगी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

इसमें अधिकारियों का क्या दोष है जिससे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय ?

श्री कल्याण सिंह—

भूमि अर्जित करने के बाद किसानों का शिष्ट मंडल मिला और अपनी कठिनाई रखी और तत्कालीन कृषि मंत्री ने आगे कार्यवाही रोकने के लिये आदेश दिये । तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन कृषकों ने भूमि अर्जन के समय कोई आपत्ति की थी ? यदि हां, तो उसी समय क्यों नहीं इस भूमि को छोड़ा गया और क्यों भूमि अर्जन के बाद निर्णय लिया गया जबकि इतने रुपये का व्यय हो चुका ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

यह जानकारी तो नहीं है कि किस समय उन्होंने आपत्ति की थी । लेकिन जब किसानों की आपत्ति आयी तो शासन ने निर्णय लिया कि इनकी जमीन एक्वायर न की जाय और यहां वर्कशाप न बनाया जाय ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अर्जित जमीन का मुआवजा किसानों को मिला श या नहीं ?

श्री राम लखन—

किसानों को मुआवजा दिया जा रहा था । उन्होंने नहीं उठाया और वह रेवेन्यू डिपाजिट में जमा कर दिया गया ।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मंत्री जी ने अभी कहा कि अधिकारियों का क्या दोष है। उपजाऊ जमीन के लिये उन्होंने संस्तुति की कि यहां कारखाना लगाया जाय, तो इसमें अधिकारी नहीं तो कौन दोषी था ?

श्री राम लखन—

इस तरह का कोई काम करने के लिए यह ध्यान नहीं दिया जाता कि जमीन उपजाऊ है या नहीं बल्कि कहां उसको बनाना उचित होगा इस बात का ध्यान रखा जाता है। उसी के अनुसार, जब यह निर्णय हो गया कि जौनपुर में बनना है तो अधिकारियों ने उसकी संस्तुति कर दी।

श्री मैनेजर सिंह—

मंत्री जी ने कहा कि किसानों के प्रतिवेदन पर यह निर्णय लिया गया कि इंडस्ट्रियल स्टेट में ही वर्कशाप को स्थापित किया जाय। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस योजना के अनुसार वहां वर्कशाप कायम हो गया है और कार्य कर रहा है?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

जी हां, इंडस्ट्रियल स्टेट में कृषि का वर्कशाप चल रहा है। इसके अलावा पालीटेक्निक की बिल्डिंग मिल गयी है। वहां बहुत बड़ा वर्कशाप कायम होने जा रहा है।

श्री जयराम वर्मा—

क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि जो खेती की जमीन वर्कशाप के लिए ली गयी थी उसी के पास ही परती जमीन भी पड़ी हुई थी ?

श्री राम लखन—

इसकी जानकारी तो नहीं है।

*6—श्री कल्याण सिंह—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

तोड़े गये विकास खंडों की पुनः संस्थापित करने पर विचार

*7—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1966–67 के लगभग तोड़े गये विकास खन्डों को पुनः नये सिरे से संस्थापित करके चालू करने जा रही है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

मामला विचाराधीन है।

पेयजल की सुविधा की जिलेवार सूची

*8—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया ऐसे गांवों की जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखेंगे जहां 31 मार्च, 1971 तक पेयजल की सुविधा सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है ?

श्री बेनी सिंह—

ऐसे गांवों की जिलेवार सूची† जहां 31 मार्च, 1971 तक पेय जल की सुविधा सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है, सदन के पटल पर रख दी गयी है जिसे माननीय सदस्य देख सकते हैं।

*9–10—श्री बीरेन्द्र वर्मा—

[निरस्त]

गौरा बीज भंडार जिला प्रतापगढ़ में गबन

*11—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत बीज भंडार गौरा में 1962 ई० से लेकर आज तक एक लाख रुपयों का गबन है ? यदि हां, तो गबन और गड़बड़ घोटाला करने वाले कर्मचारी कौन हैं उनके विरुद्ध सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही किया है ?

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

†छापी नहीं गयी।

श्री राम लखन—

गौरा बीज भंडार जिला प्रतापगढ़ में वर्ष 1962 से आज तक केवल रु० 39,703.79 का दुर्विनियोग प्रकाश में आया है। गबन करने वाले कर्मचारी श्री गजाधर पांडेय हैं। इन्हें निलम्बित कर दिया गया है और अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है। मामला पुलिस को भी जांच के लिये दे दिया गया है। और उनकी जांच जारी हैं।

गौरा बीज भंडार, प्रतापगढ़ में गबन के आरोप में निलम्बित सहायक कृषि निरीक्षक

*12—श्री रामदेव—

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत गौरा बीज भंडार से संबंधित कितने सहायक कृषि निरीक्षकों को 1962 से लेकर आज तक गबन के आरोप में निलंबित किया गया है? निलंबित कृषि निरीक्षकों के विरुद्ध क्या-क्या मुख्य आरोप हैं? क्या गबन की तफ्तीश पुलिस ने भी किया है? यदि हां, तो पुलिस की आख्या क्या है?

श्री राम लखन—

प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत गौरा बीज भंडार पर गबन के आरोप में केवल एक सहायक कृषि निरीक्षक वर्ष 1968 से निलंबित है। उसके विरुद्ध उधार उर्वरक देना, खाद का अपहरण एवं हानियों का आरोप है। मामले की रिपोर्ट पुलिस में कर दी गयी है किन्तु उनकी आख्या अभी प्राप्त नहीं हुयी है।

सरोजनी नायडू अस्पताल, आगरा में औषधियों के अभाव में मरीज की मृत्यु

*13—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा—फतेहाबाद)—

क्या सरकार को पता है कि सरोजनी नाइडू अस्पताल आगरा में 12-5-72 को एक किशोरी नामक मरीज की मृत्यु औषधियों के अभाव के कारण हो गई थी? यदि हां, तो क्या वास्तव में अस्पताल में दवाओं का अभाव था। क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत मिली है? अगर हां, तो उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

इस सम्बन्ध में वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

हुसैनगंज, लखनऊ स्थित नजूल भूमि हेतु पट्टे के लिए दरख्वास्तें

*14—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार यह बतायेगी कि आराजी नजूल स्थित लखनऊ मुहल्ला हुसैनगंज (क्ले स्क्वायर पुराना बरफखाना) खसरा नं० 127, 210 पर कुछ गरीब लोगों के चालिस साल से मकानात बने हुए हैं और वह लोग बराबर 99 वर्ष के लिये इन जमीनों को पट्टे पर दिये जाने की दरख्वास्तें दे रहे हैं? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और इनको पट्टे पर जमीनें क्यों नहीं दे रही है?

श्री बेनी सिंह—

नजूल भूमि स्थित लखनऊ मुहल्ला हुसेनगंज बरफखाना के खसरा संख्या 127 की भूमि क्षेत्रफल बीघा 0-0-16-8 श्री तुलसी को अस्थायी रूप से रु० 5.00 वार्षिक किराये पर सन् 1944 में दी गई थी। इस समय श्री तुलसी का परिवार खपरैल का घर बना-

कर वहां रहता है। इसी खपरैल के थोड़े भाग में कई लोग उनके किरायेदार की हैसियत से रहते हैं। इस भूमि के 99 वर्ष के पट्टे देने हेतु कोई प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं है। नजूल भूमि खसरा संख्या 210 क्षेत्रफल बीघा ०—5—5—16 सन् 1925 में सर्व श्री लक्ष्मण प्रसाद बिहारी लाल आदि को 90 वर्ष के पट्टे पर दी जा चुकी है।

जनपद, इलाहाबाद के विकास खण्डों में पेयजल योजनायें

*15—श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी) तथा श्री शिव प्रसाद पान्डिया —

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतायगे कि जनपद इलाहाबाद के बहादुरपुर, फूलपुर तथा हन्डिया विकास खंडों में कौन-कौन पेयजल योजनाएं और कब स्वीकृत की गयीं तथा इनके लिए कितना-कितना धन कब दिया गया है, इनकी सूची क्या सरकार सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री बेनी सिंह—

जनपद इलाहाबाद के विकास खंड बहादुरपुर, फूलपुर व हन्डिया में निम्नलिखित जल सम्पूर्ति योजनायें मार्च, 1971 में स्वीकृत की गयी थीं :—

(1) विकास क्षेत्र, बहादुरपुर में बहादुर ग्राम समूह, हनुमानगंज एवं चन्दोहा ग्राम समूह पेयजल योजनायें।

(2) विकास क्षेत्र, फूलपुर में मेलहान ग्राम समूह, कमलानगर सिकन्दरा ग्राम समूह पेयजल योजनायें।

(3) विकास क्षेत्र हन्डिया में हन्डिया ग्राम समूह पेयजल योजना। इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नानुसार धन अवमुक्त किया गया।

योजना का नाम	वर्ष 1970—71 में स्वीकृत धनराशि (लाख रु० में)	वर्ष 1971—72 में स्वीकृत धनराशि (लाख रु० में)	योग
1—बहादुरपुर ग्राम समूह	2.00	2.00	4.00
2—हनुमानगंज ग्राम समूह	2.40	3.00	5.40
3—चन्दोहा ग्राम समूह	2.00	3.00	5.00
4—मेलहान ग्राम समूह	3.00	2.00	5.00
5—सिकन्दरा ग्राम समूह कमलानगर	0.90	4.00	4.90
6—हन्डिया ग्राम समूह	3.00	9.00	12.00

*16—श्री शिव कैलाश तथा श्री शिव प्रसाद पांडिया—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन पेयजल योजनाओं के पूरा होने में अभी और कितने वर्ष लगेंगे तथा इससे ग्रामीणों को शुद्ध जल पीने को मिल सकेगा ?

श्री बेनीसिंह—

इन योजनाओं को पूरा करने में लगभग 2 वर्ष का समय लगने की सम्भावना है। इन योजनाओं के पूर्ण होने पर 238 ग्रामों के 1,66,140 ग्राम वासियों को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सकेगा।

जिला अल्मोड़ा के ग्राम, पनेर गांव की पेयजल योजना हेतु स्वीकृत धनराशि

*17--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 28 मार्च, 1972 के दूसरे मंगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न सं0 7 के उत्तर के सन्दर्भ में जो जिला अल्मोड़ा के ग्राम पनेर गांव आदि की पेयजल योजना के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है तथा कार्य कब से प्रारम्भ हो रहा है?

श्री बेनीसिंह--

जिला अल्मोड़ा के ग्राम पनेरगांव आदि की पेयजल योजना के लिये शासन द्वारा अभी तक कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है क्योंकि इस सम्बन्ध में जिला परिषद् अल्मोड़ा से अपेक्षित संकल्प प्राप्त नहीं हुआ। धनराशि स्वीकृत होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

श्री दलसिंगार यादव--

[13वें मंगलवार के लिये स्थगित]

गंगा नदी जिला मिर्जापुर से निकाली गई लिफ्ट कैनाल

*19--श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले में गंगा नदी से जो लिफ्ट कैनाल भवानीपुर से निकाली जा रही है वह कहां तक जायेगी और उससे कितने एकड़ की सिंचाई होगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*20--श्री शिवदास--

क्या मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वह नहर कब से बन रही है और कब तक बनकर तैयार हो जायेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

फार्म अधीक्षक, कुक्कुट फार्म विण, जिला पिथौरागढ़ का रिक्त स्थान

*21--श्री हीरा सिंह बोरा (जिला पिथौरागढ़)--

क्या सरकार बतलान की कृपा करेगी कि पशुपालन विभाग के राजकीय कुक्कुट फार्म विण, जिला पिथौरागढ़ में फार्म अधीक्षक का स्थान रिक्त है? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है?

श्री रामलखन--

जी हां। इसका मुख्य कारण केवल यह है कि इस पद का वेतनमान रु0 200-450 है जबकि पशुपालन विभाग में फार्म अधीक्षक के पद का वेतनमान रु0 225-500 का है। सोमान्त विकास विभाग में फार्म अधीक्षक कुक्कुट फार्म पिथौरागढ़ के पद के वेतनमान को रु0 225-500 में संशोधित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि इस पद को पशु-चिकित्सा विज्ञान के स्नातक से भरा जा सके।

*22--श्री शेर सिंह दानू--

[13वें मंगलवार के लिए स्थगित]

*23—श्री राजेंद्र प्रताप सिंह—
[16वें मंगलवार के लिए प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*24-25—श्री कल्पनाथ सिंह—
[13वें मंगलवार के लिये स्थगित]

जनपद बदायूं व उन्नाव में पशुपालन चिकित्सालय व स्टाकमैंन केन्द्र

*26—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) तथा श्री शिव पाल सिंह (जिला उन्नाव)—
क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बदायूं व उन्नाव में किस-किस दर्जे के पशुपालन चिकित्सालय व स्टाकमैन केन्द्र तथा इनको कहां-कहां सुव्यवस्थित करने तथा क्या इसकी संख्या और बढ़ाने का सरकार प्रयत्न कर रही है?

श्री राम लखन—
जनपद बदायूं में 'ए' तथा 'सी' दर्जे के पशु चिकित्सालय तथा 'डी' श्रेणी की डिस्पेंसरी और स्टाकमैन केन्द्र हैं।

जनपद उन्नाव में 'ए' 'बी' और 'सी' दर्जे के पशु चिकित्सालय तथा 'डी' श्रेणी की डिस्पेंसरी और स्टाकमैंन केन्द्र हैं।

स्टाकमैन केन्द्रों का कोई श्रेणीकरण नहीं है।
इनको जहां-जहां स्थापित किया गया है उसकी सूची संलग्न है। इनकी संख्या और बढ़ाने के लिये पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में साधनों की उपलब्धता के अनुसार विचार किया जावेगा।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 765–769 पर)

नगरपालिका, सहारनपुर के बजट में घाटा

*27—श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)—
क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 1965-66 से वर्ष 1971-72 तक प्रति वर्ष नगरपालिका सहारनपुर के बजट में कितना-कितना घाटा होता रहा है और उसके मुख्य कारण क्या-क्या हैं?

श्री बेनी सिंह—
नगरपालिका सहारनपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार उसके वर्ष 1965-66 से वर्ष 1971-72 तक आय-व्यय के आंकड़े संलग्न तालिका में दिये हुये हैं जिनके अन्तिम अवशेषों को देखने से कोई घाटा नहीं प्रतीत होता है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 770 पर)

*28—श्री सूरज लाल गुप्ता—
[10वें बुधवार में प्रश्न संख्या 48 पर स्थानान्तरित]

सुपरसीडेड नगरपालिकाएं नोटिफाइड एरिया एवं टाउन एरिया

*29—श्री मोहम्मद असरार अहमद—
क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय सुपरसीडेड नगरपालिका, नोटीफाइड एवं टाउन एरिया कितने ह? और कब से हैं? और कब तक इनके चुनाव करा दिये जायेंगे?

श्री बेनी सिंह—

इस समय 15 नगरपालिकायें और चार टाउन एरियायें सुपरसीडेड हैं। नोटीफाइड एरिया कोई भी सुपरसीडेड नहीं है। नगरपालिकायें और टाउन एरियायें जिस तिथि से सुपरसीडेड हैं, उसकी तालिका संलग्न है। नगरपालिकाओं में, यथा नगरपालिका अलीगढ़, सिकन्दराराव, एटा, कासगंज, चन्दौसी, मुरादाबाद, बिजनौर, हरदोई, तथा मेरठ व चार सुपरसीडेड टाउन एरियाओं में यथा, डनकौर (बुलन्दशहर), बांगरमऊ (उन्नाव), एरिच (झांसी) तथा बहादुरगंज (गाजीपुर) में, चुनाव कराने के निर्णय लिये जा चुके हैं। इन सब में चुनाव शीघ्र ही कराने का निर्णय लिया जा चुका है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 771 पर)

कृषि डिप्लोमा स्कूल, धौलाना (मेरठ) से संबंधित शिकायतों की जांच

*30—श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि मन्त्री एवं मुख्य मन्त्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का 3-7-1970 का कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है जिस में कृषि डिप्लोमा स्कूल, धौलाना (मेरठ) के प्रधानाचार्य तथा सेक्रेटरी आदि के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं का उल्लेख था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री राम लखन—

जी हां।

उस शिकायती पत्र में जो आरोप है इसी प्रकार के आरोपों के सम्बन्ध में इससे पूर्व प्राप्त अनेक शिकायती पत्रों पर विभागीय जांच कराई गई थी। आरोपों की पुष्टि में निश्चायक साक्ष्य नहीं मिल सका। जिस प्रकार के आरोप लगाये गये हैं उनके सम्बन्ध में खुली जांच में साक्ष्य मिलना कठिन है। अतएव सरकार ने कृषि डिप्लोमा स्कूल, धौलाना (मेरठ) से सम्बन्धित सभी शिकायतों की जांच सी० आई० डी० द्वारा कराने हेतु गृह पुलिस (ख-1) विभाग को लिखा था। उन्होंने सूचित किया कि उक्त शिकायतों की जांच सतर्कता विभाग द्वारा करायी जाये। अतः सतर्कता विभाग को इस सम्बन्ध में लिखा गया। उन्होंने उक्त जांच से सम्बन्धित कुछ सूचना मांगी है जो उनको उपलब्ध कराई जा रही है।

गाजियाबाद में अवैधानिक निर्माणों पर जुर्माने की अपीलें

*31—श्री मन्जूर अहमद—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार ने 1972 के जनवरी—फरवरी मास में गाजियाबाद में हुए अवैधानिक निर्माणों पर किये गये जुर्मानों की अपीलों पर कुछ फैसले किये हैं? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उन व्यक्तियों या फर्मों के नाम तथा उन पर प्रारम्भ में हुए जुर्मानों तथा अन्त में सरकार द्वारा तय किये गये जुर्मानों की धनराशि का एवं अवैधानिक निर्माण का विवरण कारणों सहित सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे।

श्री बेनी सिंह—

जी हां। उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15-क के अन्तर्गत शासन ने नियन्त्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, गाजियाबाद के आदेशों के विरुद्ध जनवरी, फरवरी, 1972 मास में दो पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्रों पर निर्णय लिया है। विवरण† सदन के पटल पर रखा है।

---

†छापा नहीं गया।

हसनपुर के ग्राम पथुरा (मुरादाबाद) में आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी तथा ग्राम चमरुआ की आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में डाक्टर न होना

*32—श्री जितेन्द्र पाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद की तहसील हसनपुर के ग्राम पथुरा में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी की स्वीकृति हो गई है ? यदि हां, तो कब तक आरम्भ हो जायेगी यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

*33—श्री जितेन्द्र पाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सम्भल तहसील जिला मुरादाबाद के ग्राम चमरौआ में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में अभी तक डाक्टर नहीं नियुक्त किया गया ? यदि हां, तो कब तक नियुक्त कर दिया जायगा तथा इस डिस्पेंसरी का भवन निर्माण कब तक कर दिया जायगा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

चिकित्सा अधिकारी की तैनाती का आदेश हो चुका है और वह शीघ्र ही अपना कार्य-भार ग्रहण कर लेंगे ।

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

ग्राम सेवक संघ के ज्ञापन-पत्र

*34—श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़) तथा श्री राम गोपाल संड—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सेवक संघ ने 1972 ई० में कितनी बार शासन को ज्ञापन पत्र दिया है ? यदि हां तो उन ज्ञापन-पत्रों में मुख्य-मुख्य क्या मागें और सुझाव थे और अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

वर्ष 1972 में ग्राम सेवक संघ की ओर से शासन को 2 ज्ञापन फरवरी व मार्च, 1972 में प्राप्त हुये। मुख्य-मुख्य मांगें और सुझावों का विवरण तथा कृत कार्यवाही की सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 5– आगे पृष्ठ 772–773 पर)

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के पद के चयन हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा की गई संस्तुति

*35—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के मुख्य नगर नियोजक के पद के लिये लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा सन् 1968 में कोई साक्षात्कार हुआ था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आयोग की क्या संस्तुतियां थीं और उन पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बेनी सिंह—

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के पद के चयन हेतु लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा जुलाई, 1968 में साक्षात्कार किया गया था आयोग ने किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु योग्य नहीं पाया। अतः उन्होंने कोई संस्तुति नहीं की ।

*36—श्री हुकुम सिंह परिहार—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

आधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, देहरादून के विरुद्ध गबन का आरोप

*37—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या स्वायत्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें सर्वश्री ज्ञानी करतार सिंह, पी० पी० सलूजा, वैद्य सीताराम, रामकुमार, राजेंद्र अग्रवाल तथा एम० के० गुप्ता निवासीगण देहरादून के पत्र की प्रतिलिपि जो उन्होंने अप्रैल, 1972 के तीसरे अथवा चौथे सप्ताह में माननीय मुख्य मन्त्री जी से नगरपालिका देहरादून के अधिशासी अधिकारी पर दो लाख रुपये के गबन का आरोप लगाते हुये भेजा है, मिली है? यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय में उच्चस्तरीय जांच करायेगी ?

श्री बेनी सिंहः—

जी हां ।

उक्त शिकायत में उल्लिखित नगरपालिका देहरादून के अधिशासी अधिकारी श्री सन्तराम गुप्त के विरुद्ध लगभग दो लाख रुपये के गबन के आरोप के सम्बन्ध में आवश्यक जांच अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की जा चुकी है।

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के पद की नियुक्ति में कथित अनियमितता

*38—श्री अनन्तराम जायसवाल तथा चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि इलाहाबाद के एक माननीय विधायक ने दिनांक 22-1-1972 को मुख्य मन्त्री को एक पत्र लिखकर अवगत कराया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के पद पर नियुक्ति करने में अनियमितता हुई? यदि हां, तो विधायक द्वारा लिखा गया पत्र क्या है और उसके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन भी शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कबसे और शासन द्वारा 25 अप्रैल, 1972 तक उसका निस्तारण न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बेनी सिंह—

जी हां। श्री रूपनाथ सिंह यादव, सदस्य विधान सभा के पत्र† दिनांक 22-1-73 में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के पद पर की गई नियुक्ति में कथित अनियमितता की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया था। इस पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। इस पर श्री एल० एन० तिवारी, सीनियर आर्कीटेक्ट, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्रत्यावेदन दिनांक 28-8-71 के साथ विचार किया गया। उक्त प्रत्यावेदन दिनांक 23-5-72 को अस्वीकृत कर दिया गया है और अब इस सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन विचाराधीन नहीं है। प्रत्यावेदन पर निर्णय दिनांक 25-4-72 तक इसलिये नहीं लिया जा सका कि सम्बन्धित अभिलेखों तथा कथित तथ्यों का परीक्षण किया जा रहा था।

---

†देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 774 पर

*39—श्री रूपनार्थासिह यादव—

(12वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत उत्तरित)।

कृषि सेवा ग्रूप ३ में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन

*40—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

वर्तमान सत्र के छठे मंगलवार वे लिये निर्धारित प्रश्न सं० 22 के उत्तर के तारतम्य में क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि 194 स्थानों में कितने हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन हुआ और क्या उसकी एक सूची सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री रामलखन—

194 स्थानों में 29 स्थानों के लिए हरिजन अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। इनकी सूची संलग्न है। चूंकि पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए स्थान आरक्षित नहीं थे, अतः आरक्षित स्थानों के लिये किसी भी पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी का चयन नहीं हुआ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 775 पर)

खंड विकास अधिकारी, खलीलाबाद, बस्ती का स्थानान्तरण तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायतें

*41—श्री सन्तराम (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि खंड विकास अधिकारी खलीलाबाद बस्ती का स्थानान्तरण 11 साल होने पर भी बस्ती से नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*42—श्री सन्तूराम—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त खंड विकास अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं का अनेक शिकायतें 1970 व 1971 में की गई हैं ? यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

एलोपैथिक विभाग के अधिकारी व कर्मचारी के बराबर आयुर्वेदिक विभाग के कर्मचारी व वेतन-मान

*43—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा-फतेहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐलोपैथिक विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों के बराबर आयुर्वेद विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी वेतनमान देने पर सरकार विचार कर रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ? अगर हां, तो यह वेतन क्रम कब से लागू किया जायेगा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

सभस्त राज्य कर्मचारियों के वेतनमान निर्धारण के प्रश्न पर वेतन आयोग विचार कर रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर शासन के निर्णय के अनुसार ही यह दिनांक निश्चित होगा ।

*44—श्री रघुनाथ सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

*45—श्री तेज बहादुर गंगवार—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

46—श्री राम रतन प्रसाद—

[13 वें मंगलवार के लिए प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*47—श्री सियाराम, श्री राम बचन यादव, तथा श्री नेतराम सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

मान्यता प्राप्त पत्रकारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा

*48—श्री कल्याणसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा प्रदान किये जाने के आदेश कब से लागू कर दिये जायेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

आदेश 2 फरवरी, 1972 से लागू कर दिये गये है ।

*49—श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री शिवदास—

[14 वे गुरुवार में तारांकित प्रश्न 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

स्वास्थ्य विभाग, मैनपुरी का लैप्स अनुदान

*50—श्री शिववक्ष सिंह राठौर (जिला मैनपुरी)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला स्वास्थ्य विभाग मैनपुरी ने 31 मार्च, 1972 ई० को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कितने राजकीय अनुदान कोषागार से नहीं निकाला ? जो अनुदान लैप्स हुआ उसका दायित्व किस अधिकारी पर है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

विनियमित मंडियों में क्रेताओं द्वारा देय ट्रेड चार्जेज

*51—श्री शिवराम सिंह (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधेयक, 1973 की धारा 10 (क) के अनुसार मण्डी के समस्त ट्रेड चार्जेज क्रेताओं पर देय

हैं परन्तु जिला बदायूं के सरकारी गल्ला क्रय केन्द्र बिरौली पर यह ट्रेड चार्जेज आठ आने से प्रति क्विन्वल की दर के विक्रेता कृषकों से वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम लखन—

यह सही है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 10 (2) के अनुसार विनियमित मण्डियों में "ट्रेड चार्जेज" क्रेताओं द्वारा उन दरों पर देय हैं जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनी नियमावली, 1965 के नियम 79 के अनुसार मण्डी समितियां अपने बाईलाज में कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन के पश्चात निर्धारित करती हैं। परन्तु यह सही नहीं है कि जिला बदायूं के सरकारी गल्ला क्रय केन्द्र, बिसौली पर विक्रेताओं से आठ आने प्रति क्विन्टल की दर से 'ट्रेड चार्जेज' के रूप में वसूल किया जा रहा है। वास्तव में यह मण्डी शुल्क विक्रेताओं से वसूल किया जाता है।

आर्थोपैडिक की पोस्ट ग्रेजुयेट डिप्लोमा हेतु प्रशिक्षण के लिए पोस्ट ग्रेजुएट एलाउन्स

*52—श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि सरकारी डाक्टरों का आर्थोपैडिक की पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की ट्रेनिंग के लिये लखनऊ मेडिकल कालेज में पोस्ट ग्रेजुएट एलाउन्स शासन द्वारा दिया जाता है किन्तु जो डाक्टर अपने खर्चे से उक्त डिप्लोमा की ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं उन्हें यह एलाउन्स नहीं दिया जाता ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी नहीं। सरकारी डाक्टरों को आर्थोपैडिक की पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिये लखनऊ मेडिकल कालेज में प्रशिक्षण प्राप्त करने के संबंध में कोई पोस्ट ग्रेजुएट एलाउन्स नहीं दिया जाता है। जो डाक्टर सरकारी सेवा के पूर्व या सेवा के दौरान अपने खर्चे पर उक्त डिप्लोमा प्राप्त करते हैं उन्हें 50 रु० प्रतिमाह की दर से पोस्ट ग्रेजुएट वेतन दिया जाता है।

जनपद चमोली के त्वरित योजनान्तर्गत नारायण व गड़ कण्डारा मोटर मार्ग में मृत मजदूर के आश्रितों को सहायता

*53—श्री शेरसिंह दानू (जिला चमोली)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में त्वरित योजना के अन्तर्गत बनने वाली नारायण व गड़ कण्डारा मोटर मार्ग में काम करते वक्त किसी मजदूर की दबकर मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो सरकार ने उसके आश्रितों को कोई आर्थिक सहायता या मुवाबजा देने की व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। मृतक के आश्रितों को प्रतिकर देन का प्रश्न विचाराधीन है।

कृषि अधिकारी (बहराइच) के विरुद्ध उर्वरक खाद के गबन का कथित आरोप

*54—श्री बासुदेव सिंह वैद्य (जिला बहराइच)—

क्या कृषि मंत्री प्रश्नकर्ता की सूचना को सत्य मानकर बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले के जिला कृषि अधिकारी पर लगभग सात लाख रुपये उर्वक (रासायनिक) खाद का गबन का आरोप है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम लखन—
जी नहीं ।
कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

कृषि रक्षा अनुभाग में पैथोलाजी के विशेषज्ञों की नियुक्ति

*55—श्री उदयनाथ (जिला वाराणसी)—
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि रक्षा अनुभाग में एन्टोमोलाजी तथा पंथोलाजी के विशेषज्ञों की नियुक्ति 2 (1) के अनुपात के स्थान जर 1 (1) के अनुपात में करने का सरकार ने निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम लखन—
जी हां

अधिक उपज देने वाली फसलों की कृषि के प्रारम्भ होने से बीमारियों की समस्यायें अपेक्षाकृत अधिक जटिल हो गयी हैं । उनके समाधान के लिये इस संगठन में पैथालाजी के विशषज्ञों की संख्या-बढ़ाना आवश्यक हो गया था । केन्द्रीय संगठन में भी 1:1 का ही अनुपात है ।

रुहेलखण्ड एवं मेरठ डिवीजन के जिलों में मत्स्य पालन केन्द्र

*56—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—
क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रुहेलखंड एवं मेरठ डिवीजन के प्रत्येक जिले में मत्स्य पालन केन्द्र कहां-कहां है और वित्तीय वर्ष 1971–72 में प्रत्येक केन्द्र कितने-कितने लाभ एवं हानि में रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक को वित्तीय वर्ष 1971–72 में प्रत्येक को कितनी-कितनी धनराशि अनुदान तथा अन्य मदों में दी गई ?

श्री राम लखन—
रुहेलखंड एवं मेरठ डिवीजनों के जिलों में स्थापित मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों, जिनमें मत्स्य बीज विकसित किये जाते हैं, एवं जलाशयों, जिनमें मत्स्य अंगुलिकायें बन जाने के पश्चात्, मत्स्य रूप में प्राप्त करने के लिये छोड़ दिये जाते हैं, की जिलेवार सूची संलग्न है ।

ये प्रक्षेत्र एवं जलाशय उस स्टाक द्वारा जो इन डिवीजनों में मत्स्य कार्य के लिए नियुक्त हैं संकलित रूप से देखे जाते हैं और वह स्टाफ इस कार्य के अतिरिक्त दूसरे कार्य भी करता है । अतः प्रत्येक केन्द्र से सम्बन्धित व्यय अलग-अलग देना संभव नही है ।

केन्द्रों में मत्स्य पालन का कार्य विकास की वृष्टि से किया जाता है और इस कारण वाणिज्य आधार पर उनके लाभ और हानि के लेखे तैयार नहीं किये जाते ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 776–777 पर)

*57—श्री विजय पाल सिंह—
[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

शाहजहांपुर जिले के निलम्बित पंचायत मंत्री

*58—श्री शिव कुमार (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री रूपराम (जिला शाहजहांपुर)—
क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिले में जनवरी से अप्रैल, 1972 में कितने पंचायत मंत्री निलम्बित किये हैं और इनमें से कितने ऐसे हैं जिन्हें दिनांक 1–5–72 तक चार्ज शीट तक नहीं दी गई है और इसका क्या कारण है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

इस अवधि में शाहजहांपुर जिले में 7 पंचायत सेवकों को निलम्बित किया गया था जिनमें से 2 को मई, 1972 में ही पदारूढ़ भी किया जा चुका है।

शेष पांच में से 3 को आरोप-पत्र मई, 1972 में दिये जा चुके हैं तथा 2 को अभी तक आरोप पत्र इसलिये नहीं दिये गये हैं कि इनके मामले भारतीय दण्ड विधान की धारा 409 के अन्तर्गत पुलिस में विचाराधीन है।

जनपद बदायूं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बिजली व टेलीफोन की व्यवस्था

*59---श्री चिरंजी लाल (जिला एटा), श्री मोहम्मद असरार अहमद तथा श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में ऐसे कितने सरकारी अस्पताल और प्राइमरी हेल्थ सेन्टर हैं जिनमें अभी तक न टेलीफोन की व्यवस्था है और न ही बिजली की तथा इसका क्या कारण है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

आठ अस्पताल तथा आठ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं जिनमें बिजली तथा टेलीफोन दोनों की व्यवस्था नहीं है। धनाभाव के कारण ऐसी व्यवस्था किया जाना सम्भव नहीं है।

परिवार नियोजन केन्द्र, कैराना जिला मुजफ्फरनगर, में नसबन्दी

*60---श्री नैपाल सिंह (जिला मेरठ)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परिवार नियोजन केन्द्र, कैराना, जिला मुजफ्फरनगर में 12 अक्तूबर 1970 से 23 फरवरी, 1972 तक कितने व्यक्तियों की नसबन्दी की गई और इनमें कितने व्यक्ति अविवाहित थे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

दिनांक 12 अक्तूबर, 72 से 23 फरवरी, 72 तक परिवार नियोजन केन्द्र, कैराना, जिला मुजफ्फरनगर में 378 व्यक्तियों की नसबन्दी की गई जिसमें कोई व्यक्ति अविवाहित नहीं था।

*61---श्री नैपाल सिंह ---

क्या यह सही है कि श्री भरतू पुत्र भगवाना, निवासी ग्राम रामड़ा (कैराना), जिला मुजफ्फरनगर की नसबन्दी दिनांक 29 अगस्त, 68 की हुई और फिर दूसरी बार 21 फरवरी, 197 की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

जिला परिवार नियोजन ब्यूरो, मुजफ्फरनगर पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार श्री भरतू पुत्र भगवाना, निवासी रामड़ा (कैराना) की नसबन्दी दो बार 29-8-68 और 14-2-72 को हुई। किन परिस्थितियों में यह नसबन्दी दो बार हुई इसकी विस्तृत जांच कराई जा रही है। जांच पूरी होने पर दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

कृषि उत्पादन आयुक्त के कार्यालय अधीक्षक को सरकार द्वारा अनियमित रूप से किराया

*62---श्री निहाला सिंह (जिला वाराणसी)---

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि कृषि उत्पादन आयुक्त के कार्यालय के वर्तमान अधीक्षक (बजट) को दारुलशफा में रहत हुए भी श्री रामबिहारी शर्मा, 177/3, राजेन्द्र नगर, लखनऊ के भवन की 85-00 रु0 प्रतिमाह किराये की रसीद जमा करने पर भवन का किराया अनियमित रूप से सरकार दे रही है ? यदि हां तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मामले की विस्तृत जांच की जा रही है ।

नगरपालिका, कानपुर द्वारा अल्प व मध्यम आय वर्ग के लिये आवासीय योजना

*63—श्री राम दुलारे (जिला कानपुर), श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (जिला कानपुर) तथा श्री शिव लाल (जिला कानपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि कानपुर शहर के निम्न और मध्यम आय वालों के आवास के लिये पौने तीन करोड़ रुपये की लागत योजना नगरमहापालिका ने स्वीकृत कर सरकार के पास भेजी है ? अगर हां, तो इसके अमल में लाने में क्या कठिनाई है ?

श्री बेनी सिंह—

जी हां, नगरमहापालिका, कानपुर से अल्प और मध्यम आय वर्ग की 356 लाख रु० की योजना सरकार को प्राप्त हुई थी । सरकार ने इस योजना का अनुमोदन करके हाउसिंग ऐण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, नई दिल्ली को भेज दिया था और उक्त कारपोरेशन ने योजना के कार्यान्वयन हेतु 356 लाख रुपये का ऋण नगरमहापालिका कानपुर को स्वीकृत कर दिया है ।

स्वीकृत वेतन-क्रम का न दिया जाना

*64—श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र संख्या 194 क—33—1—28—बी-31—65, दिनांक 14 मई, 1970 द्वारा मुख्य अधिकारी जिला परिषद्, मिर्जापुर को सर्वश्री दया सिन्धु, हरि शंकर उपाध्याय एवं केदारनाथ वैद्य का वेतन-क्रम 8 सितम्बर, सन् 1951 से 60—120 रुपये तथा अप्रैल, 1968 से 75—150 रुपये के वेतन-क्रम दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो अभी तक उसका पालन न करने का क्या कारण है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां ।

इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (द्वितीय) के अधिकारियों की पदोन्नति

*65—श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1964 से 1966 तक की अवधि में उत्तर प्रदेश कृषि सेवा द्वितीय श्रेणी के कितने अधिकारियों की उत्तर प्रदेश कृषि सेवा प्रथम में कनिष्ठ होते हुये भी पदोन्नति किया गया ? यदि हां, तो ज्येष्ठ अधिकारियों को किस आधार पर पदोन्नति नहीं किया तथा सरकार अब इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राम लखन—

वर्ष 1964 से 1966 तक की अवधि में उत्तर प्रदेश कृषि सेवा द्वितीय श्रेणी सक्शन 'बी' के कुल 10 अधिकारियों को प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति किया गया । सेवा नियमों के अनुसार प्रथम श्रेणी के पदों पर प्रोन्नति तुलनात्मक योग्यता के आधार पर की जाती है । उपरोक्त 10 अधिकारियों को प्रोन्नत करते समय द्वितीय श्रेणी की ज्येष्ठता सूची में जो अधिकारी इस आधार पर प्रोन्नति के लिये उपयुक्त नहीं समझे गये उन्हें छोड़ दिया गया ।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के विभागाध्यक्ष का वेतन-क्रम

*66—श्री शिव कैलाश—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फरवरी, 1969 में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के विभागाध्यक्ष का वेतन-क्रम क्या था और इसी पद का वर्तमान वेतन-क्रम क्या है ? क्या यह भी सत्य है कि इस वेतन-क्रम को बढ़ाते समय शासन ने इस पद के पदाधिकारी के सन्दर्भ में कुछ प्रतिबन्ध लगाये थे ? यदि हां, तो क्या वर्तमान पदाधिकारी इस प्रतिबन्ध को पूरा करते हैं ?

श्री बेनी सिंह—

फरवरी, 1969 में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के विभागाध्यक्ष का वेतन-क्रम रु० 1,500–50–1,700 था परन्तु शासकीय आदेश दिनांक 24–2–69 द्वारा इस पद के लिये रु० 1,800–50–1,850–75–2000 का वेतन-क्रम भी स्वीकृत कर दिया गया और यही इस पद का वर्तमान वेतन-क्रम है। जी हां, यह सत्य है कि वेतन-क्रम को बढ़ाते समय शासन ने यह प्रतिबन्ध लगाया था कि पुनरीक्षित वेतन-क्रम उस तिथि से लागू होगा जब से उक्त पद पर लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर किसी उपयुक्त व्यक्ति की नियमित नियुक्ति की जायगी। इसके अतिरिक्त, पद के लिये पुनरीक्षित अर्हतायें भी निर्धारित की गयी थीं। बाद में शासन ने यह निर्णय लिया कि रु० 1,800–2,000 का वेतन-क्रम इस पद पर अस्थाई रूप से कार्यरत अधिकारी को भी देय होगा यदि वह उक्त पद के लिए निर्धारित अर्हतायें रखता हो। उक्त पद के वर्तमान पदाधिकारी पद के लिए निर्धारित योग्यताएं रखते हैं।

जनपद, मिर्जापुर के अन्तर्गत ड्राई फार्मिंग योजना

*67—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर) तथा श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत ड्राई फार्मिंग की योजना लागू है ? यदि हां, तो कब से एवं किस क्षेत्र में तथा पूरी स्कीम क्या है ?

श्री राम लखन—

जी हां। केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित शुष्क खेती की एकीकृत परियोजना मिर्जापुर जनपद के राबर्ट्सगंज विकास खण्ड के 103 ग्रामों में जनवरी, 1972 से चल रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों में कृषकों को सुविधायें देकर उपज बढ़ाना तथा उनका सामान्य जीवनस्तर ऊंचा करना है, जहां वर्षा कम होती है और सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं। योजना के अन्तर्गत कृषकों को उन्नतिशील बीज, उर्वरक, कीट एवं रोगनाशक दवाओं के प्रयोग पर तथा यूरिया के पर्णीय छिड़काव, भूमि के समतलीकरण एवं विकास पर, दुधारू, पशुओं, मुर्गी, सुअर, भेड़, बकरी आदि के वितरण पर, तथा बौछारी एवं लघु सिंचाई कार्यों पर अनुदान देने तथा विभिन्न कार्यों के लिये ऋण देने की व्यवस्था है। सामुदायिक जल संरक्षण बन्धियों के निर्माण पर शत-प्रतिशत अनुदान की भी व्यवस्था है।

अध्यक्ष, नगरपालिका दुगड्डा के विरुद्ध फर्जी यात्रा भत्ता लेने का आरोप

*68—श्री कल्पनाथ सिंह, श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती) तथा श्री विश्राम दास (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को ज्ञात है कि अध्यक्ष नगर पालिका दुगड्डा, पौड़ी-गढ़वाल के विरुद्ध फर्जी यात्रा भत्ता लेने तथा पद के दुरुपयोग के आरोप हैं ? क्या यह भी सही है कि दुगड्डा नगर के ही किसी सम्मानित नागरिक ने एक शिकायती पत्र उपरोक्त अध्यक्ष को आरोपित करते हुये मन्त्री जी को जनवरी, 1972 में दिया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में किन-किन आरोपों का उल्लेख है तथा शासन ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री बेनी सिंह—

यह सही है कि अध्यक्ष , नगरपालिका दुगड्डा के विरुद्ध फर्जी यात्रा भत्ता लेने तथा पद के दुरुपयोग के आरोप हैं। यह भी सही है कि दुगड्डा के एक नागरिक श्री शिव कुंवर सिंह ने उपरोक्त अध्यक्ष के विरुद्ध एक शिकायती पत्र जनवरी, 1972 में दिया है जिसमें श्री श्याम लाल मधवाल, अध्यक्ष, नगरपालिका दुगड्डा तथा बोर्ड के तीन सदस्य सर्वश्री हरि प्रसाद गर्ग, जगदीश प्रसाद पसबोला व त्रिलोचन प्रसाद नैथानी के विरुद्ध झूठे व जाली यात्रा भत्ता लेने के आरोपों का उल्लेख है। इस सम्बन्ध में जांच करा ली गई है और अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रान्तीय रक्षक दल के मुख्यालय के भवन और साज–सज्जा का बटवारा

*69—श्री जयराम वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्रान्तीय रक्षक दल औरहोम गार्ड का प्रशासन अलग-अलग कर देने के पश्चात् प्रान्तीय रक्षक दल के मुख्यालय के भवन और साज-सज्जा आदि का बटवारा किस प्रकार किया गया है ? क्या यह बात सही है कि उक्त मुख्यालय का बहुत सा सामान गायब हो गया है और उसके अतिथि गृह पर जो चन्दे से निर्मित हुआ था होमगार्ड के अधिकारियों ने अपने निजी निवास के लिये कब्जा कर रखा है ? और कमान्डेण्ट जनरल के पास गबन की शिकायत होने पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्रान्तीय रक्षक दल तथा होमगार्ड के अक्टूबर, 1971 में प्रथक होने के पश्चात होमगार्ड तथा प्रान्तीय रक्षक दल के संयुक्त मुख्यालय के भवनों तथा साज-सज्जा के बटवारे की प्रक्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है। इस संबंध में दोनों विभागों के अध्यक्षों की दिनांक 25 जुलाई, 1972 को एक बैठक हुई थी जिसके पुनरीक्षित प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है।

होमगार्ड मुख्यालय के सामान के गायब होने से संबंधित कोई सूचना शासन की जानकारी में नहीं है ।

होमगार्ड के मुख्यालय पर अधिकारियों का मेस (जिसका तात्पर्य इस प्रश्न में शायद अतिथि गृह स है) की बिल्डिंग का निर्माण चन्दे से नहीं हुआ था। इस मेस के एक भाग को अस्थाई रूप से उप महासमादेष्टा होमगार्ड के आवास हेतु दिनांक 2 फरवरी, 1972 से दिया गया है जिसका तदर्थ आधार पर 45 रु० प्रतिमाह किराया वह भुगतान करते हैं और इस संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग से उचित किराया निर्धारित करने हेतु पत्र व्यवहार हो रहा है। आफिसर मेस के किसी अन्य भाग पर किसी अधिकारी का निजी निवास के लिये कब्जा नहीं है ।

गबन का ऐसा कोई मामला कमान्डेन्ट जनरल की जानकारी में नहीं आया है जिस पर कोई आवश्यक कार्यवाही न की गई हो ।

मुहल्ला बाबूगंज तथा बड़ा चांदगंज क्षेत्र लखनऊ में पेयजल की कठिनाई

*70—श्रीमती सियावुलारी (जिला बांदा)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ शहर के ट्रांस गोमती एरिया के मोहल्ला बाबूगंज के कुछ हिस्से में तथा बड़ा चांदगंज क्षेत्र में जनता को पानी उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था भी नहीं है जिससे इस भीषण गर्मी में जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

श्री बेनी सिंह—

जी हां। लखनऊ नगर के मुहल्ला बाबूगंज के कुछ हिस्से में तथा बड़ा चांदगंज क्षेत्र में जनता को पेयजल की कठिनाई है ।

*71--श्रीमती सियादुलारी--

यदि हां, तो क्या सरकार अभियन्ता, स्वायत्त शासन को उक्त क्षेत्रों में पाइप लाइन डालने की व्यवस्था करने के आदेश प्रसारित करेगी ?

श्री बेनी सिंह--

उक्त क्षेत्रों में पाइप लाइन डालने और पेयजल की व्यवस्था करने का दायित्व नगर महापालिका, लखनऊ का है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में यह कार्य करने का प्रश्न नगर महापालिका के विचाराधीन है। अतः इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग को कोई आदेश देने का प्रश्न नहीं उठता है।

सीतापुर जनपद में संक्रामक रोगों से पशुओं की मृत्यु

*72--श्री कृष्णकान्त अवस्थी (जिला सीतापुर)--

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में इस वर्ष बीमारी से हजारों पशु मर गये परन्तु जिले के पशुपालन विभाग द्वारा उसकी रोक थाम की व्यवस्था न हो सकी ? इसका क्या कारण है ? क्या सरकार जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री राम लखन--

जी नहीं। वित्तीय वर्ष 1971-72 तथा अप्रैल, 1972 के अन्त तक सीतापुर जनपद में विभिन्न पारजीवी एवं संक्रामक रोगों से केवल 259 पशुओं की मृत्यु की सूचना है। जिले के पशुपालन विभाग द्वारा बीमारी की रोकथाम की भरसक व्यवस्था की गई। लिवर फलूक से 109 प्रभावित गांवों में 2585 पशुओं में पारजीवी रोगों की चिकित्सा के लिये दवाई पिलायी गयी। इसके अतिरिक्त जनपद के 555 गांवों में 1,50,794 पशुओं को गलघोंटू के संक्रामक रोग से बचाव के लिये सुरक्षात्मक टीके लगाये गये। उपरोक्त कारणों से जांच का प्रश्न नहीं उठता।

*73--श्री शिव कैलाश--

[14 वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या 38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कृषि वैज्ञानिकों को वेतन रेशनलाइजेशन समिति की संस्तुति पर पोस्ट-ग्रेजुएट वेतन

*74--श्री उमा शंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर), श्री राम निहोर राय--

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के कृषि वैज्ञानिकों को भी वेतन रेशनलाइजेशन समिति 1965 का संस्तुति के आधार पर पोस्ट ग्रेजुएट वेतन देने का निर्णय सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसके निर्णय में कितना समय और लगेगा ?

श्री राम लखन--

जी हां। निर्णय में कुछ समय लगेगा।

बनखण्डी रामनगर, जिला नैनीताल के क्रैश प्रोग्राम के लिये स्वीकृत धन

*75--श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)--

विधान सभा की दिनांक 2 मई, 1972 को अतारांकित प्रश्न संख्या 10 के उत्तर के क्रम पर क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उत्तर के अन्तिम पैरा में जो आठ हजार रुपया व्यय होने की सूचना दी गई, यह व्यय किस प्रकार के थे और किस कार्य में लगाये गये और कितने मजदूरों को किस दर से मजदूरी दी गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है।

*76—श्री इन्द्रलाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उत्तर के क्रम में संख्या 1 से 6 तक जिन कार्यों की सूची दी गई है इसका स्टीमेट (नाप-जोख) किस टेक्निकल अधिकारी द्वारा बनाया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

टाउन एरिया बहादुरगंज, जिला गाजीपुर का चुनाव

*77—श्री सत्तार अहमद अंसारी (जिला बिजनौर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया बहादुरगंज, जिला गाजीपुर के सदस्यों एवं अध्यक्ष का चुनाव सरकार कराने जा रही है ?

श्री बेनी सिंह—

इस टाउन एरिया का चुनाव 1971 की जनगणना के अनुसार जन-संख्या के आंकड़ों के आधार पर कक्ष परिसीमन कराने के पश्चात् कराया जायेगा।

*78—श्री शेरसिंह दानू—

[10वें गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 61 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ नगरमहापालिका के स्वास्थ्य अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध सफाई कर्मचारी संघ का आरोप-पत्र

*79—श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका में स्वास्थ्य अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार और सफाई कर्मचारियों पर उनके द्वारा किये गये अत्याचारों के संबंध में दिनांक 5 अक्टूबर, 1971, 11 दिसम्बर, 1971 व 16 फरवरी, 1972 को उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ द्वारा प्रेषित गम्भीर आरोपपूर्ण पत्र मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाहियां अब तक की गई हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोण्डा नगरपालिका के कर्मचारियों का वेतन

*80—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोंडा नगरपालिका के कर्मचारियों को गत दो मास से वेतन नहीं दिया गया है? यदि हां, तो वेतन न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बेनी सिंह—

नगरपालिका, गोंडा के समस्त कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 1972 तक का वेतन दिया जा चुका है परन्तु माह मई, 1972 का वेतन शिक्षा विभाग के 48 कर्मचारियों को देना शेष है । माह जून, 1972 का वेतन केवल सफाई कर्मचारियों को दिया गया है और अन्य सभी कर्मचारियों को देना शेष है । वेतन न दिये जाने का कारण बोर्ड की वित्तीय स्थिति ठीक न होना है ।

*81—श्री त्रिवेणी सहाय—

[9वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या 47 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*82—श्री सूबेदार सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

उत्तर प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का निदेशक, आयुर्वेद द्वारा वार्षिक निरीक्षण

*83—श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी कितने आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं और क्या सभी आयर्वेदिक अस्पतालों का वार्षिक निरीक्षण, निदेशक, आयुर्वेदिक करते हैं? क्या राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लखनऊ का भी इधर गत 5 वर्षों से कोई निरीक्षण किया है और शासन को कोई आख्या प्राप्त हुई है। यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

उत्तर प्रदेश में इस समय 692 सरकारी तथा 574 गैर सरकारी आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं।

निदेशक, आयुर्वेद के लिये सभी आयुर्वेदिक अस्पतालों का वार्षिक निरीक्षण करना भौतिक रूप से सम्भव नहीं है।

पिछले पांच वर्षों में निदेशक, आयुर्वेद द्वारा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लखनऊ का कई बार निरीक्षण किया गया किन्तु कोई विशेष बात न होने के कारण शासन को कोई आख्या प्राप्त नहीं हुई। प्रश्न का अन्य भाग नहीं उठता।

श्री अब्दुल कय्यूम वारसी, कम्पोस्ट इन्सपेक्टर का धनराशि भुगतान हेतु प्रार्थना-पत्र

*84—श्री शमीम आलम (जिला बुलन्दशहर)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक पत्र सितम्बर, 1971 में श्री अब्दुल कय्यूम वारसी, कम्पोस्ट इन्सपेक्टर ग्रुप 2 की सरकार पर वाजिब धनराशि की बाबत लिखा था जिसके साथ उनके प्रार्थना-पत्र दिनांक 13 नवम्बर, 1969 निदेशक, कृषि विभाग को सम्बोधित और भूतपूर्व कृषि मंत्री के पास उनके प्रार्थना-पत्र दिनांक 9, मार्च, 1970 की प्रतिलिपियां भी संलग्न की थीं? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई और क्या श्री वारसी को उनकी वाजिब रकम भुगतान किया गया है?

श्री रामलखन—

जी हां। वाजिब धनराशि के भुगतान करने की व्यवस्था कृषि निदेशक द्वारा की जा रही है।

*85—श्री उमानाथ सिंह, श्री जगन्नाथ राव तथा श्री राम सागर—

[9 वें सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत उत्तरित।]

चन्द्रा प्रिंटिंग प्रेस, झांसी से खरीदे गये चार्ट

*86—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या पंचायत राज्य मंत्री दिनांक 9 मई, को तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि चन्द्रा प्रिंटिंग प्रेस, झांसी से 23,472 रुपये के जो चार्ट खरीदे गये हैं, उनकी प्रति चार्ट की कीमत क्या है और 24,000 रुपये के 500 सेट चार्ट कहां से किस फर्म से खरीदे गये तथा प्रति सेट कीमत क्या है और एक सेट में कितने चार्ट हैं? क्या जिला विद्यालय निरीक्षक और पाठ्य पुस्तक अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्रों (जिनके आधार पर चार्ट खरीदे गये हैं) की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त

चार्ट खरीदने के विषय को परिषद् की परामर्शदात्री समिति के सामने लाया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

चन्द्रा प्रिंटिंग प्रेस झांसी से जो चार्ट क्रय किये गये उनका प्रति चार्ट 4.50 रु० मूल्य है।

24,000 रु० के 500 सेट चार्ट तुलसी प्रकाशन संस्थान, लखनऊ से क्रय किये गये तथा प्रति सेट का मूल्य 48 रु० है। एक सेट में आठ चार्ट हैं।

जिला विद्यालय निरीक्षक, झांसी तथा पाठ्य पुस्तक अधिकारी के पत्रों की प्रतिलिपियां प्रस्तुत हैं। जी हां, चार्ट के क्रय करने का विषय परिषद् की परामर्शदात्री समिति के समक्ष नहीं लाया गया क्योंकि उक्त चार्ट शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा उप शिक्षा निदेशक, झांसी मंडल, झांसी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक, झांसी द्वारा शिक्षा के हित में स्वीकृत है।

देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 778–779 पर

लेखपाल क्षेत्र दुवाई, जिला उन्नाव में बीज वितरण

*87—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या कृषि मंत्री दिनांक 9 मई, 1972 के प्रश्न संख्या 36 (नत्थी घ) के सन्दर्भ में प्रश्न गत शिकायत का जिलाधिकारी उन्नाव द्वारा कराये गये निरीक्षण का संक्षिप्त विवरण सदन की पटल पर रखते हुए बतायेंगे कि लेखपाल क्षेत्र दुवाई (तहसील पुरवा जिला उन्नाव) में किन-किन ग्रामों के कितने-कितने किसानों को बीज वितरित किया गया है ?

श्री राम लखन—

शिकायती पत्र प्राप्त होते ही जिलाधिकारी, उन्नाव ने उस क्षेत्र में तुरन्त बीज वितरण करने के लिए निर्देश प्रसारित किए थे जिस पर संबंधित खंड विकास अधिकारी को तद्नुसार बीज वितरण के लिये लिखा गया था लेकिन खंड विकास अधिकारी के प्रयास के बावजूद भी उस क्षेत्र के कृषकों की सूचियां समय से राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं हुई। जांच के बाद एक जानकारी प्राप्त हुयी कि यह सूचियां सम्बंधित लेखपाल द्वारा त्रुटिपूर्ण एवं विलम्ब से तैयार की गयी थीं जिससे दुवाई क्षेत्र के, दुवाई, आटमन्न खेड़ा, चांदपुर, ककरारी, गड़रिया खेड़ा, मुरार खेड़ा, तथा शुक्ला खेड़ा के अन्तर्गत आने वाले उन सातों ग्रामों में किसी किसान को मुफ्त बीज वितरित न किया जा सका। इस मामले की जांच परगनाधीश द्वारा की गयी और लेखपाल को इसमें दोषी पाया गया तथा उसे निलम्बित कर दिया गया है।

*88—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या कृषि मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि लेखपाल क्षेत्र दुवाई (तहसील पुरवा जिला उन्नाव) के किन-किन ग्रामों के कितने-कितने किसान बीज पाने से वंचित रह गये हैं ?

श्री राम लखन—

दुवाई लेखपाल क्षेत्र के सातों ग्रामों के मुफ्त बीज न पाने वाले कृषकों की ग्रामवार संख्या निम्न प्रकार है—

1—ककरारी	84	कृषक
2—आटमन्न खेड़ा	36	,,
3—शुक्ला खेड़ा	75	,,
4—मुरार खेड़ा	14	,,
5—चांद पुर	17	,,
6—गड़रिया खेड़ा ..	47	,,
7—दुवाई	51	,,
योग ..	324	कृषक

अध्यक्ष नगरपालिका, धनौरा का त्याग-पत्र

*89—श्री मोतीलाल यादव (जिला जौनपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को यह पता है कि मुरादाबाद जिले के अन्तर्गत धनौरा नगरपालिका के अध्यक्ष ने अपना त्याग-पत्र जिलाधिकारी, धनौरा के पास स्वीकृति हेतु प्रेषित किया है? यदि हां, तो क्या उक्त त्याग-पत्र को जिलाधिकारी मुरादाबाद ने स्वीकृत कर लिया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी सिंह—

यह सही है कि अध्यक्ष, नगरपालिका, धनौरा ने अपना त्याग-पत्र जिलाधिकारी, मुरादाबाद को प्रेषित किया था जिसे आयुक्त, रुहेलखंड मंडल, बरेली ने स्वीकार कर लिया है।

*कृष्ण औषधालय, कौड़ीराम, गोरखपुर को फुटकर औषधि बेचने का लाइसेन्स

*90—श्री शान्तिचरण पिडारा (जिला मथुरा)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राम उग्रह सिंह ग्राम गगहा, जिला गोरखपुर द्वारा कोई शिकायती-पत्र श्री कृष्ण औषधालय, कौड़ीराम, गोरखपुर के सम्बन्ध में दिनांक 12 अप्रैल, 1972 के इस आशय का प्राप्त हुआ है कि बिना क्वालीफाइड फारमेसिस्ट के थोक लाइसेन्स लेकर फुटकर दवायें बेचते तथा इन्हीं के दवा से सर्वोदय किसान कालेज के चपरासी की मृत्यु हो गई थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी नहीं। राम उग्रह सिंह, ग्राम गगहा, जिला गोरखपुर से दिनांक 12-4-1972 को कोई शिकायती पत्र श्री कृष्ण औषधालय, कौड़ीराम, गोरखपुर के सम्बन्ध में नहीं प्राप्त हुआ है।

श्री कृष्ण औषधालय को फुटकर औषधि बेचने का लाइसेन्स प्राप्त है। इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया कि इनकी दवा से सर्वोदय किसान कालेज के चपरासी की मृत्यु हुई।

सामुदायिक विकास विभाग के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता न देना

*91—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपाकर बतलायेंगे कि ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने कमजोर राज्यों के पिछड़े जिलों के विकास के लिये विशेष आर्थिक सहायता देना निश्चय किया है क्या उत्तर प्रदेश सरकार को भी उक्त सहायता मिलने की सम्भावना है? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री इसकी मुख्य बातों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सामुदायिक विकास विभाग के अन्तर्गत इस प्रकार की किसी योजना के लिये भारत सरकार ने आर्थिक सहायता देना स्वीकार नहीं किया है। किन्तु सूखा ग्रस्त क्षेत्रीय परियोजनायें प्रदेश के 6 जिलों में बांदा, हमीरपुर, जालौन, इलाहाबाद, वाराणसी और मिर्जापुर में कार्यान्वित की जा रही है।

*92—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[5वें शुक्रवार के प्रश्न संख्या 86 के अन्तर्गत उत्तरित।]

आजमगढ़ के स्वास्थ्य अधिकारी, श्री आर० एन० अग्निहोत्री के स्थानान्तरण आदेश का निरस्तीकरण

*93—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जनपद स्वास्थ्य अधिकारी श्री आर० एन० अग्निहोत्री का तबादला विधायकों के एक शिकायती पत्र पर वर्ष 1971 में किया गया था?

यदि हां, तो वह शिकायती-पत्र क्या है और उसकी जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा उक्त स्थानान्तरण आदेश को सरकार ने बाद में किस कारण से निरस्त कर दिया है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी नहीं। डा० अग्निहोत्री का स्थानान्तरण विधायकों के किसी शिकायती पत्र पर नहीं किया गया था।

डा० अग्निहोत्री की इस प्रार्थना पर कि बच्चों की पढ़ाई के कारण सत्र के मध्य में उनका स्थानान्तरण न किया जाय, शासन ने विचार करके उसे निरस्त कर दिया।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*94—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[14वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या 17 के अस्तर्गत स्थानान्तरित]

मिर्जापुर के राजकीय चिकित्सालय, कोन में डाक्टर की नियुक्ति

*95—श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर राजकीय चिकित्सालय, कोन में डाक्टर की नियुक्ति की गई है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य —

जी हां।

मिर्जापुर के पिछड़े वर्ग क्षेत्र, कोन में पशु चिकित्सालय

*96—श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर के पिछड़ा क्षेत्र कोन (ब्लाक चोपन) में पशु चिकित्सालय खोलने जा रहे हैं? यदि हां, तो कब से ?

श्री राम लखन—

मिर्जापुर के पिछड़े क्षेत्र 'कोन' (ब्लाक चोपन) में एक पशु सेवा केन्द्र कार्यरत है जिससे वहां पशु चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

महामंत्री, शाहाबाद (हरदोई) व्यापार मण्डल की ओर से नगरपालिका को प्राप्त प्रार्थना-पत्र

*97—श्री हरिनाथ तिवारी—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को विदित है कि हरदोई जिले के शाहाबाद व्यापार मंडल की ओर से जिलाधिकारी, हरदोई को कोई प्रार्थना-पत्र चार महीने से दिया गया था जिससे इस बात की शिकायत की गई थी कि शाहाबाद नगरपालिका चुंगी घर महुआ टोला का एक भाग जो व्यापारियों के बाहर के आये हुये माल को रखने के काम आता था किराये पर उठा दिया गया है ? यदि हां, तो कथित भाग किस व्यक्ति को, कब से, किस दर पर उठाया गया है और तत्सम्बन्धी आदेश किस अधिकारी ने दिया था तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री बेनी सिंह—

अध्यक्ष, नगरपालिका, शाहाबाद को श्री पद्मलाल अरोड़ा, महामंत्री शाहाबाद व्यापार मण्डल से प्रश्नगत गोदाम को खाली कराने के सम्बन्ध में दिनांक 20-12-1971 को एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसका प्रतिलिपि जिलाधिकारी हरदोई को पृष्ठांकित था। नगरपालिका

[श्री बेनी सिंह]

शाहाबाद ने बोर्ड के आदेशानुसार गोदाम को श्री इसरार हुसेन को माह अक्टूबर/नवम्बर, 1971 में 12 रु० मासिक किराये की दर पर दिया है। नगरपालिका के अध्यक्ष ने पालिका के आर्थिक हित को दृष्टिगत रखते हुये कथित गोदाम को खाली कराने विषयक शाहाबाद व्यापार मण्डल की प्रार्थना स्वीकार नहीं की।

इटावा नगरपालिका भवन का कुछ हिस्सा शासकीय कांग्रेस दल को किराये पर देना

*98—श्री हरिनाथ तिवारी—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि इटावा नगरपालिका भवन को कराये पर किसी दल को दे दिया गया है और यह कार्य बोर्ड की अनुमति के बिना ही किया गया है? यदि हां, तो उक्त भवन किस दल को कितने महीने से कितने किराये की दर पर किस अधिकारी की आज्ञा पर दिया गया है ?

श्री बेनीसिंह—

नगरपालिका इटावा के भवन का ऊपरी मंजिल का कुछ हिस्सा खाली था और उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था जिसे अध्यक्ष, नगरपालिका इटावा ने बोर्ड की स्वीकृति की प्रत्याशा में अपने आदेश द्वारा दिनांक 1-2-1972 से 75 रुपया माहवार किराये की दर पर जिला शासकीय कांग्रेस दल को दिया है।

मुरादाबाद, आगरा, जौनपुर तथा गोरखपुर के लिये मास्टर प्लान

*99—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में चार कस्बों (मुरादाबाद-आगरा, जौनपुर, गोरखपुर) के लिये कोई मास्टर प्लान बनाया जा रहा है? यदि हां, तो वह क्या है और कब से लागू होगा?

श्री बेनीसिंह—

जी हां।

मास्टर प्लान का तात्पर्य उस महायोजना से है जो किसी क्षेत्र के भावी भौतिक विकास को सुनियोजित ढंग से करने के लिये बनाई जाती है।

चारों मास्टर प्लान बनाने का कार्य अभी चल रहा है। यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इनको कब से लागू किया जायगा।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव

*100—श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में एक कृषि विश्वविद्यालय और खोलने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को शासन द्वारा भेजा है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई?

श्री राम लखन—

जी हां। कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर एवं चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महा-विद्यालय मथुरा को मिलाकर कानपुर में एक तथा पूर्वोत्तर प्रदेश में एक अन्य कृषि विश्वविद्या-लय स्थापित करने का प्रस्ताव डाक्टर वी० पी० पाल, महा-निदेशक, इन्डियन काउन्सिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च को 23 दिसम्बर, 1971 को भेजा गया था। प्रस्ताव यह था कि प्रदेश के मध्यवर्ती क्षेत्रों और बुन्देलखण्ड के लिए कानपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय खोला जावे और प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के लिये जो कृषि पर आधारित हो एक अन्य कृषि विश्वविद्यालय

पूर्वी क्षेत्र में किसी उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाये। 16 मई, 1972 को श्री त्रिभुवन प्रसाद सिंह सचिव (भारत सरकार) कृषि एवं सहकारिता को फिर इसी सम्बन्ध में लिखा गया था और पूर्वी क्षेत्र में स्थापित होने वाले विश्वविद्यालय के लिए शत प्रतिशत अनुदान की मांग की थी। भारत सरकार की ओर से कहा गया कि उत्तर प्रदेश के विस्तृत क्षेत्रफ ल को देखते हुए कदाचित् प्रदेश में एक और कृषि विश्वविद्यालय अन्ततोगत्वा स्थापित करना होगा। लेकिन इसके पहले इसके लिए नियोजित ढंग से विचार कर लिया जाये और साधनों का प्रबन्ध कर लिया जावे। उन्होंने प्रदेशीय स्तर पर एक कमेटी का सुझाव दिया था जिस पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

आयुर्वेदिक कालेजों के उत्तीर्ण छात्रों को सिविल अस्पताल में हाउस जाब देना

*101—श्री रामगोपाल संड—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि शासन के आयुर्वेदिक कालेजों से उत्तीर्ण छात्रों को सिविल अस्पताल में हाउस जाव देने का जो निर्णय लिया गया था वह अब तक लागू हुआ या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ से उत्तीर्ण छात्रों के विषय में यह निर्णय लागू हो चुका है। अन्य कालेजों से उत्तीर्ण छात्रों के लिये भी आवश्यक स्वीकृति दी जा चुकी है।

मथुरा और बृन्दावन में पानी को गन्दगी से बचाने की योजना

*102—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आगरा, मथुरा और वृन्दावन में जमुना के पानी को गन्दगी से बचाने के लिये सरकार ने कोई योजना तैयार करायी है? यदि हां, तो यह योजना क्या है और उस पर कितना व्यय होगा?

श्री बेनी सिंह—

जी हां। मथुरा और वृन्दावन में जमुना के पानी को गन्दगी से बचाने के लिये एक योजना स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा तैयार की गई है जिसकी अनुमानित लागत 69.00 लाख रु० है। इस योजना के अन्तर्गत मथुरा और वृन्दावन के घाटों पर गिरने वाले नालों के गन्दे जल को घाटों के किनारे सीवर बिछाकर एकत्र कर लिया जायेगा और सीवेज पम्पिंग स्टेशन से पम्प करके सीवेज फार्मों पर कृषि हेतु उपयोग किया जावेगा।

मथुरा और फिरोजाबाद में एल० एस० जी० ई० डी० का सृजित डिवीजन

*103—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा, आगरा में एल० एस० जी० ई० डी० के सर्किल और कुछ डिवीजन ग्रामीण क्षेत्र में वाटर सप्लाई ड्रेनेज आदि के लिये खोले गये हैं? यदि हां, तो कब से और क्या कार्य शुरू किया गया है।

श्री बेनी सिंह—

मथुरा तथा आगरा के ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर सप्लाई, ड्रेनेज आदि योजनाओं के प्रकल्प बनाने के लिये मथुरा और फिरोजाबाद (जिला आगरा) में एल०एस०जी०ई०डी० का एक-एक डिवीजन सृजित किये जाने के आदेश 15-7-72 को जारी किये गये हैं। ये डिवीजन अपना कार्य निकट भविष्य में शुरू करेंगे।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में ग्रामीण एलोपैथिक अस्पतालों की स्थापना के अन्तर्गत महिला अस्पताल

1—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर, बस्ती, देवरिया व आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में महिला चिकित्सालय की स्थापना हेतु 1972-73 के वित्तीय वर्ष में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कहां ? उन गांवों के नाम क्या हैं और वह किन जिलों में स्थित हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

प्रदेश में ग्रामीण एलोपैथिक अस्पतालों की स्थापना के अन्तर्गत महिला अस्पताल भी खोले जायेंगे । इस संबंध में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जा रहा है । स्थानों के बारे में अंतिम निर्णय हो जाने के उपरान्त ही यह निश्चित रूप से ज्ञात हो सकेगा कि किस-किस जिले के किस-किस गांव में महिला अस्पताल स्थापित किये जायेंगे ।

2—श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

मण्डी कमेटी, जिला पीलीभीत का चुनाव

3—श्री तेजबहादुर गंगवार (जिला पीलीभीत)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि पीलीभीत जिले में इस वर्ष फरवरी, मार्च, 1972 में मंडी कमेटी पीलीभीत जिले के लिये कर्मचारियों तथा अधिकारियों का चुनाव किया गया ? इसमें पीलीभीत जिले के कितने व्यक्ति हैं और दूसरे जिलों के कितने हैं ? क्या इन चुने हुए व्यक्तियों के नाम सेवा योजना कार्यालय से मांगे गये थे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रामलखन—

जी हां ।

चुनाव में 33 व्यक्ति चुने गये जिसमें से 16 व्यक्ति पीलीभीत जिले के हैं और शेष 17 व्यक्ति अन्य जिलों के हैं । चुने हुए व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का नाम सेवायोजन कार्यालय से प्राप्त हुआ था । अन्य 32 व्यक्तियों का चुनाव सूचनापट तथा स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा किया गया ।

निधौली कलां ब्लाक, जिला एटा में प्रदर्शन हेतु खाद एवं दवाइयां

4—श्री गंगा सिंह यादव (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निधौली कलां, ब्लाक जिला एटा में वर्ष 1970-71, 1971-72 में प्रदर्शन के लिये कितनी खाद व दवा काश्तकारों के लिये आई ? क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि उक्त क्षेत्र में कहां व कितने प्रदर्शन हुए और इनका क्या परिणाम निकला ?

श्री रामलखन ---

प्रदर्शन के लिये निम्नलिखित दवाइयां कृषकों के लिये आयीं:--

दवाइयों के नाम	वर्ष 1970-71	वर्ष 1971-72
1---बी०एच०सी० 10 प्रतिशत	15-5 कुंतल	20-00 कुंतल
2---जिंक फासफेट	1-0 किलो	..
3---डाइथिन जेड 78	15-5 किलो	41-00 किलो
4---ई०डी०बी० एम्पुल 3 सी०सी०	..	336 लीटर
5---एड्रीन 20 ई०सी०	..	27-5 लीटर
6---डाइजिन	..	7-0 लीटर

उक्त दोनों वर्षों में कोई भी खाद नहीं खरीदी गई ।

2---उपरोक्त क्षेत्र में वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 में क्रमशः 121 तथा 113 प्रदर्शन किये गये जिसमें 121 तथा 113 कृषक लाभान्वित हुए । दवाइयों से रोगों की रोकथाम शत प्रतिशत रही ।

अन्तरिम जिला परिषद्, चमोली के अन्तर्गत पुल व सड़कों की मरम्मत हेतु धनराशि

5---श्री शेरसिंह दानू---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली के अन्तरिम जिला परिषद् के अधीन कौन-कौन सड़कें तथा पुल हैं उन सड़कों और पुलों की मरम्मत हेतु पिछले वित्तीय वर्ष 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 के अन्दर शासन से कुल कितना रुपया मांगा था और कुल कितना स्वीकृत हुआ तथा यह रुपया किन-किन सड़कों एवं पुलों पर खर्च हुआ और वित्तीय वर्ष 1972-73 के अन्तर्गत किन-किन मार्गों तथा पुलों के नव-निर्माण की व्यवस्था है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

अन्तरिम जिला परिषद्, चमोली के अधीन सड़कों तथा पुलों की सूची परिशिष्ट (अ)† में प्रस्तुत है।

वर्ष 1969-70, 1970-71 व 1971-72 के अन्दर अन्तरिम जिला परिषद् चमोली द्वारा कुल 31,27,050.00 रुपये के अनुदान की मांग शासन से की गयी थी और शासन द्वारा इन वर्षों 45,23,031.00 रु० का अनुदान स्वीकृत किया गया । वर्ष 1971-72 में बाढ़ एवं भीषण वर्षा के प्रकोप को देखते हुए बिना परिषद् की मांग के 2,50,000.00 रु० का अनुदान परिषद् की सड़कों एवं पुलों की मरम्मत इत्यादि के लिये स्वीकृत किया गया है और ग्रामीण सड़कों को पक्का एवं सुदृढ़ कराने हेतु 1,48,481.00 रु० का अनुदान स्वीकृत किया गया है । जिन मार्गों का निर्माण इत्यादि इस अनुदान की धनराशि से किया जाना है वे अभी जिला परामर्शदात्री समिति के विचाराधीन हैं।

वर्ष 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 में परिषद् को दिया गया अनुदान जिन सड़कों एवं पुलों पर खर्च हुआ उनका विवरण क्रमशः परिशिष्ट (ब)† में प्रस्तुत है।

†छापी नहीं गई ।

[श्री बलदेवसिंह आर्य]

वर्ष 1972–73 के अन्तर्गत जिन मांगों तथा पुलों का निर्माण प्रस्तावित है उनकी† सूची परिशिष्ट 'ख' में दी गई है।

6—श्री भगौती प्रसाद—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

प्रदेश के ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

7—श्री रामगोपाल संड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के कितने ग्रामों में पेय जल व्यवस्था पूर्ण हो गई है और सारे प्रदेश के सभी ग्रामों में पानी की व्यवस्था कब तक सरकार द्वारा करा दी जायेगी ? वर्ष 1972–73 में प्रदेश के कितने ग्रामों में पानी पीने का पहुंचाया जायेगा ?

श्री बेनी सिंह—

स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा मार्च, 1972 तक प्रदेश के 2,315 ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है । वर्ष 1972–73 में 438 ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है ।

जहां तक प्रदेश के सभी ग्रामों में पेयजल व्यवस्था करने का प्रश्न है यह बताना सम्भव नहीं है कि ऐसा कब तक हो सकेगा । शासन अपने सीमित संसाधनों से जहां तक सम्भव होता है, अधिक से अधिक ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था कराने के लिये प्रयत्नशील है ।

इलाहाबाद में मध्यम श्रेणी व अल्प आय वर्ग के हेतु मकान बनवाने की योजना

8—श्री राम गोपाल संड—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद नगर तथा जिले के मध्यम श्रेणी अल्प वेतन भोगी श्रेणी के लिये वर्ष 1972–73 में कितने मकान बनवाने की योजना है ? इनमें से कितने बनने आरम्भ हो गये हैं ?

श्री बेनी सिंह—

वर्ष 1972–73 में इलाहाबाद में मध्यम श्रेणी के 40 तथा अल्प आय वर्ग के 109 मकान बनवाने की योजना है । इन मकानों का निर्माण शीघ्र ही शुरू होने की आशा है ।

9—श्री राम गोपाल संड—

[13वें मंगलवार के लिये स्थगित]

10—श्री त्रिवेणी सहाय—

[11वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोरखपुर के विकास खण्डों में त्वरित योजना

11— श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के किन-किन विकास खंडों में त्वरित योजना लागू है तथा प्रत्येक वर्ष 1971–72 में कितनी दूरी एवं कितनी धनराशि का कार्य सम्पन्न हुआ और वर्ष 1972–73 में कितनी-कितनी दूरी तक सड़क बनवाने का विचार प्रत्येक विकास खंड के लिये किया गया है ?

---

† छापी नहीं गई ।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

गोरखपुर जनपद में 15 विकास खंडों में त्वरित योजना लागू है। इनमें से प्रत्येक में कितनी दूरी एवं धनराशि का कार्य सम्पन्न हुआ वह सम्बद्ध तालिका में प्रदर्शित किया गया है।

वर्ष 72-73 इन्हीं सड़कों की अवशेष कार्य अर्थात् 13 किलोमीटर-सड़क तथा 3-50 किलोमीटर बांध पर मिट्टी का कार्य एवं सभी सड़कों पर पुलिया निर्माण सोलिंग तथा गिट्टी की कुटाई का कार्य पूरा किया जायेगा।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ 780 पर)

त्वरित योजनान्तर्गत जिला उन्नाव के लिये स्वीकृत धनराशि तथा सड़क निर्माण

12--श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि त्वरित योजना के अधीन वर्ष 1972-73 के लिये उन्नाव जिले के लिये कितना धन स्वीकृत किया गया है और उस धन से कौन-कौन से निर्माण कार्य किये जावेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत जिला उन्नाव के लिये तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष 12/50 लाख रुपये के हिसाब से कुल 37.50 लाख रुपये लागत की परियोजनायें स्वीकृत की गई जिनमें 14 सड़कों और 26 ड्रेनों का निर्माण सम्मिलित था। बाद में ड्रेनों को परियोजनाओं में संशोधित कर दिया गया। वर्ष 1972-73 में उक्त 14 सड़कों पर 170 पुलियों का निर्माण 27 किलोमीटर पर मिट्टी का कार्य, लगभग 15 किलोमीटर पर कंकड़ कुटाई, लगभग 20 किलोमीटर पर कंकड़ इकट्ठा करने तथा सड़क के दोनों ओर मील के पत्थर लगाने का कार्य किया जायगा। इसके अतिरिक्त लोनी तथा बोफे ड्रेन का कार्य पूरा किया जायगा।

13--श्री सजीवन लाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष 1971-72 में उन्नाव जिले में त्वरित योजना के अधीन कितने किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य था और उसमें से कितना लक्ष्य पूरा हुआ और योजना के अधीन स्वीकृत सम्पूर्ण धन व्यय हुआ अथवा नहीं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

वर्ष 1971-72 में उन्नाव जिले के लिये त्वरित योजना के अधीन 35 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य था जिसके बिरुद्ध लगभग 78 किलोमीटर पर मिट्टी का कार्य पूरा हो गया है और स्वीकृत की गई सम्पूर्ण धनराशि व्यय हो गयी है।

14-15 श्री जगबीर सिंह--

[12वें मंगलवार के लिये स्थगित]

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र बड़ागांव, वाराणसी का भवन निर्माण-कार्य

16--श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र बड़ागांव का भवन अब तक निर्मित नहीं हुआ जब कि सन् 1962 से अनुदान स्वीकृत है?

17—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार उपरोक्त प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र बड़ागांव, वाराणसी का भवन शीघ्र निर्माण करायेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

गोण्डा जिले मे हैजे से मृत्यु

18—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोण्डा जिले में मई, 1972 में हैजे से कितनी मौतें हुईं तथा किन-किन तहसीलों को हैजा ग्रस्त क्षेत्र स्वास्थ्य विभाग द्वारा घोषित किया गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

मई, 1972 में गोण्डा जिले में हैजे से दो मृत्यु हुई तथा गोण्डा तहसील के केवल रुपईडीह विकास क्षेत्र को हैजाग्रस्त घोषित किया गया था ।

इलाहाबाद जिला परिषद् के अन्तर्गत निवृत कर्मचारी तथा उनके प्राविडेण्ट फण्ड

19—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिला परिषद् के अन्तर्गत कितने कर्मचारी सन् 1965 से रिटायर हुए हैं एवं उनमें से कितनों को प्राविडेन्ट फण्ड एवं ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया एवं जिनको भुगतान नहीं किया गया, तो क्यों ? क्या सरकार उसका भुगतान 6 माह के अन्दर करायेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सन् 1965 से कुल 42 परिषदीय कर्म ारी सेवा निवृत्त हुए हैं।

8 व्यक्तियों को प्रोविडेन्ट फण्ड का भुगतान आडिट आपत्तियों के कारण किया न जा सका है ।

उक्त जिला परिषद् में सेवा निवृत्ति उपादान (ग्रेच्युटी) नियम 1970–71 में लागू हुए हैं और उस वर्ष के बाद सेवा निवृत्त कर्मचारियों को उपादान दिया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त अवधि में 361 अध्यापक भी सेवा निवृत्त हुए हैं । जिनमें 37 शिक्षकों को प्रोविडेन्ट फंड का भुगतान नहीं हुआ है, उसके भुगतान की कार्यवाही चल रही है । अध्यापकों को कोई ग्रेच्युटी देय नहीं है ।

(ख) कोई निश्चित तिथि निर्धारित करना संभव नहीं है, परन्तु शीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा ।

जनपद गोरखपुर के सिविल अस्पताल में टिटेनस, डिप्थीरिया तथा सर्जिकल वार्डों में मरीजों की मृत्यु की संख्या

20—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर सिविल हास्पिटल में मार्च, 1972 से 19 जून, 1972 तक टिटेनस वार्ड, डिप्थीरिया वार्ड एवं सर्जिकल वार्ड में अलग-अलग कितने मरीज भर्ती हुए हैं इनमें से प्रत्येक में कितने की मृत्यु हुई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जनपद गोरखपुर के सिविल हास्पिटल में मार्च, 1972 से 19 जून, 1972 तक डिठेनस वार्ड, डिप्थीरिया वार्ड एवं सर्जिकल वार्ड में रोगियों की भर्ती तथा मृत्यु की संख्या निम्न प्रकार है:—

टिटेनस		डिप्थीरिया		सर्जिकल	
भर्ती	मृत्यु	भर्ती	मृत्यु	भर्ती	मृत्यु
164	70	21	8	604	62

विविध विषय

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कल जो भूमि संबंधी विधेयक आया था उसमें आपने कहा कि आपको अधिकार नहीं है। मान्यवर, इसी सदन में जब यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट आया था तो तत्कालीन अध्यक्ष माननीय टण्डन जी ने उस बिल को इन्ट्रोड्यूस करने की इजाजत नहीं दी थी क्योंकि वह अल्ट्रा-वायरस था। लेकिन मान्यवर, आपने कल कहा कि आपको अधिकार नहीं है। तो मान्यवर, मैं इसी सदन के अध्यक्ष की रूलिंग का हवाला देता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं अधिकार की बात नहीं करता हूं। आप जबर्दस्ती मेरे ऊपर डाल रहे हैं मैंने कहा था कि मेरे लिये उचित नहीं है कि मैं इस पर निर्णय दूं।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, अगर इस तरह से कानून बनने लगेंगे तो किस तरह सोसाइटी रहेगी, किस तरह से कानून रहेंगे और कैसे काम चलेगा? मान्यवर, आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष—

पुनर्विचार कई दफा हो चुका है।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मेरा भी प्रश्न नहीं आ सका है। उसमें जवाब दे दिया गया कि विचाराधीन है। इसमें आप इजाजत दे दें कि इसमें चर्चा करा दी जाय। मान्यवर, यह सारे उत्तर प्रदेश की जनता से संबंधित मामला है।

श्री अध्यक्ष—

किस प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं आप ?

श्री बलबीर सिंह—

प्रश्न संख्या 7 के बारे में।

श्री अध्यक्ष—

वह तो आया नहीं।

श्री बलबीर सिंह—

एक मिनट पहले समय खतम हो गया इसलिये नहीं आ सका।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर भेज दें।

प्रतिनिहित विधायन समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन†

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रतिनिहित विधायन समिति, उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। मान्यवर, इस प्रस्तुत प्रतिवेदन में दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है और कुछ संशोधन रखे गये हैं। मान्यवर, इस आदरणीय सदन से मूल अधिनियम की ताईद हो जाने के पश्चात् यह भी आवश्यक है कि अधीनस्थ विधान समय के अन्दर बन जाय जिससे अधिनियम प्रदेश में शीघ्र ही व समुचित रूप से प्रभावी हो जाय और अधिनियम की जो योजनायें हैं, उनका कार्यान्वयन हो जाय। मान्यवर मैं तो इस संबंध में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि शासन अपने इस उत्तरदायित्व के निर्वहन में उदासीन रहा है और जागरूक भी नहीं है। मिसाल के लिये उत्तर प्रदेश प्रेस ऐण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक्ट, 1867 में पारित हुआ लेकिन आज 105 वर्ष के बाद भी यानी पूरी एक सेंच्युरी के बाद भी—उसके अधीन विधान का निर्माण नहीं हो पाया। मान्यवर, इसी तरह से यू० पी० बोर्स्टल ऐक्ट, 1938 में पारित हुआ लेकिन श्रीमन्, 34 वर्ष बीत गये और आज तक वह न लागू हुआ, न उसके अधीन नियम ही बन सके। इसी प्रकार श्रीमन्, यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी (टम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) ऐक्ट, 1947 को 25 वर्ष बीत गये हैं लेकिन उसके अधीन विधान का निर्माण नहीं हुआ है। मान्यवर, यू० पी० बेयर हाउसिंग ऐक्ट, 1958 में निर्मित हुआ। 14 वर्ष बीत गये लेकिन श्रीमन्, संबंधित विधान का निर्माण हुए, किन्तु नियम नहीं बने जिसके फलस्वरूप यह अधिनियम प्रभावी नहीं हो सका है और इसके अन्तर्गत जो योजनायें अन्तर्निहित है, उनका कार्यान्वयन नहीं हो सका। मान्यवर, इतना ही नहीं, शासन इस उत्तरदायित्व के निर्वहन के संबंध में उदासीन ही नहीं मान्यवर, जागरूक भी नहीं हैं। सेक्रेटेरिएट मैन्युअल के 487 में उत्तरदायित्व है कि शासन के हर विभाग में यह सूची तैयार रहे कि उसने कितने विधान तैयार कर लिये हैं और कितने रह गये हैं। समिति को यह कहते हुए दुख है कि इस उत्तरदायित्व को 1956 के बाद निर्वहन करना बन्द कर दिया गया है। न्याय विभाग के पास भी सन् 1956 के बाद इस प्रकार की कोई सूची नहीं है। न्याय विभाग ने इस प्रकार के विधानों का कोई संकलन भी नहीं किया है। शासन से जब समिति ने इस तथ्य को जानने की चेष्टा की कि अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक कितने विधान बने हैं तो उस पर सचिव महोदय ने असमर्थता प्रकट की कि वे पूर्ण सूची नहीं दे सकते हैं। अभी तक कितने विधान बन चुके हैं इसका कोई संकलन उपलब्ध नहीं है इससे ज्यादा चिन्ता की बात और कोई नहीं हो सकती है।

मान्यवर, यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कानून की अज्ञानता के आधार पर कोई छूट नहीं दी जा सकती है और जब कोई विधान का उल्लंघन करता है तो उसको दंड दिया जाता है परन्तु जब शासन के पास पूरे अधीनस्थ विधानों की सूची ही नहीं है तो हम नागरिकों से इस बात की अपेक्षा करें कि वे पूर्णरूप से उन विधानों का पालन करेंगे कहां तक न्याय संगत होगा? समिति को इसमें दुख है। समिति ने शिफारिश की है कि शासन इसका उत्तरदायित्व ओढ़े और हर प्रशासनिक विभाग के अन्तर्गत जितने विधानों का निर्माण हुगा है उसका संकलन करे। केंद्र के अन्दर यह व्यवस्था है कि केंद्र के विभागों में जितने विधानों का निर्माण होता है उन सभी का संकलन मौजूद है। उत्तर प्रदेश राज्य के अन्दर यह नितांत आवश्यक है कि नागरिकों की सुविधा के लिये शासन ठीक से अपने अधीनस्थ विधान का पालन करवाने के लिये इस प्रकार का सही संकलन करवाये।

---

†छापा नहीं गया।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, सभापति, प्रतिनिहित विधायन समिति को मैं धन्यबाद देता हूं कि उन्होंने जितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं वे तो अच्छे हैं ही, साथ ही जब वे अपना संक्षिप्त भाषण दे देते हैं तो स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है । यह कहा गया कि विधानों का संकलन नहीं हुआ न उसकी अनुपस्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि यह सरकार बिल्कुल ही अंधकार में खड़ी है जितने आक्षेप हैं, कितनी गलतियां निकाली गयी हैं सरकार का ध्यान उस पर नहीं है ।

मान्यवर, इसका कोई अन्त नहीं होगा । प्रतिनिहित विधायन समिति की रिपोर्ट आती है और रख दी जाती है । पर सदन को मालूम नहीं है कि कौन-कौन सी गलतियों पर ध्यान आकर्षित किया गया है । इसलिये सरकार से और पार्लियामेंटरी अफेयर्स के मिनिस्टर साहब से यह कहना है कि कृपया वह इसको पढ़े और सरकार की गलतियों की ओर जो ध्यान आकर्षित किया है और कौन-कौन से नियमों और उपनियमों में और ऐक्ट में परिवर्तन करने की बात उन्होंने कही है उसको नोट करें, सदन के सामने लायें और उन चीजों को दुरुस्त करें । वरना यह कमेटी की रिपोर्ट लाना न लाना बेकार है । जितनी मेहनत और धन-जन की शक्ति इसमें नष्ट होती है अगर उस पर सदन में चर्चा का भी अवसर न मिले तो फिर यह सब किसलिये होता है । हम लोग मूक दर्शक की तरह से बैठे रहते हैं । हमारा काम क्या है । आप पढ़ देते हैं और आपकी इस मेहनत से तैयार की गयी रिपोर्ट का हम कुछ लाभ नहीं उठा पाते । इसलिये संसदीय कार्य मंत्री से कहूंगा कि ये जो प्राक्कलन समिति की, लोक लेखा समिति की, आश्वासन समिति, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी की रिपोर्ट है और बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है अगर ये सदन में चर्चा का विषय नहीं बनेंगी तब तक सरकार की गलतियां वैसी ही रहेंगी और ये रद्दी की टोकरियों में डाल दी जायंगी । इसलिये आप आदेश करें कि कब टाइम देते हैं इन रिपोर्टों पर डिस्कशन के लिये हाउस में ।

श्री अध्यक्ष—

पहले इनको छप जाना चाहिये और सरकार के पास छपी हुई होनी चाहिये ।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह तो 15 वां प्रतिवेदन है इसके पहले के तो छप गये होंगे।

श्री अध्यक्ष—

आपको क्या कहना है ।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, जो प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रतिवेदन, सभापति, प्रतिनिहित विधायन समिति ने प्रस्तुत किया है, अभी इसकी प्रतिलिपि हमें प्राप्त नहीं हुई है । अभी यह प्रकाशित भी नहीं हुई है । इसकी प्रतिलिपि जो टाइप हुई होंगी वे संबंधित विभाग के पास भेजी जा रही होंगी । वह अवश्य भेजेंगे, उसकी प्रक्रिया है ..... ।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह गलतबयानी हो गयी है । इसके पहले की सारी रिपोर्ट छपकर हम लोगों को मिल चुकी है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

कुछ रिपोर्टें अप्रकाशित स्थिति में है, सभी प्रकाशित नहीं हुई हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—
एक सिद्धान्त की बात तय कर दें ।

श्री अध्यक्ष—
पूरा उनको बोलने दीजिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—
पन्द्रहवें प्रतिवेदन की बात कही है.....

श्री बंशीधर पांडेय—
पन्द्रहवां छपा हुआ है तो पहले के और भी छपे होंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—
इनमें और भी प्रतिवेदनों का हवाला है जो कि वर्तमान सरकार से ही संबंधित नहीं है । समय-समय पर जो यहां कानून पास होते हैं उनपर जो नियम बने हैं उनपर प्रतिनिहित विधान समिति विचार करती रही है । सन् 56 से उन्होंने कहा है कि बहुत सी बातें नहीं हुई हैं । तो इन सब पर विचार किया जायगा और जो कार्यवाही है उससे अवगत कराया जायगा । जो उन्होंने सिफारिशें की हैं उनपर गम्भीरतापूर्वक विचार करके, न्याय विभाग भी विचार करेगा, कानून विभाग करेगा और हमारा जो कार्य होगा हम करेंगे और उस पर अवश्य कार्यवाही की जायगी ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—
हमको दो चीजें कहनी हैं । बड़े मीठे शब्दों में मंत्री जी ने कह दिया कि हम इसे विभाग को भेजेंगे और हम उस पर विचार करेंगे । हम एक दूसरी बात कहते हैं । मा० बंशीधर जी ने कहा और मैं कई बार कह चुका, मेरा तो सजेशन यह है कि अगर इन रिपोर्टों पर विचार इस सदन में नहीं होता तो इतना समय भी सदन का व्यर्थ न किया जाय कि वह यहां पेश हो, बल्कि उनको संबंधित मंत्री के पास भेज दिया करें, सदन में न पढ़ें । इन रिपोर्टों का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि उनको मंत्री जी के पास भेजा जायगा और विभाग के पास भेज दिया जायगा जो कि इनको देखते भी नहीं, बल्कि सरकार की जो लैप्सेज हैं उनके लिये वे रिपोर्टें कोड़े का काम करेंगी । सरकार पिछले कई वर्षों से चेती नहीं है, उसमें चेतना नहीं आयी है । तो यह परम आवश्यक है कि सरकार की लैप्सेज को सामने लाया जाय । तो वह अपने विभाग को खींचेंगी कि काम ठीक से करिये, गड़बड़ी करते हैं इसलिये हमारी बदनामी होती है, लेकिन कभी चर्चा का अवसर नहीं आता । अभी माननीय पांडेय जी ने 14–15 प्रतिवेदन कहे तो तिवारी जी बिल्कुल टेक्निकल हो गये कि अभी 14 तो हुआ नहीं है 15 कहां से छप गये । आप इस पर निर्णय देते नहीं हैं, ऐसे ही पड़ा रहता है और भाप बन कर उड़ जाता है ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—
मान्यवर, रिपोर्टों पर बहस करने की प्रक्रिया तो होती है और जब आप एजेंडे में रखेंगे तो बहस होगी । हम तो रोक नहीं रहे हैं । रह गयी बेशर्मी की बात, सरकार की, न तो जाने कितनी सरकारें आयीं, उनकी बेशर्मी देख चुके हैं ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—
मैं तो खुद कह चुका हूं कि मेरा मतलब सरकार से है चाहे वह कोई भी हो ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—
मेरा मतलब भी सरकार से ही है। आप इन रिपोर्टों को अब कभी एजेंडे में रखें तो उन पर बहस हो, कौन रोक रहा है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—
किसी सरकार ने थोड़े दिन बेशर्मी दिखायी तो किसी सरकार ने पचीसों वर्ष बेशर्मी दिखायी।

श्री अध्यक्ष—
यह कार्य मंत्रणा समिति के सामने रखा जाता है लेकिन वह टाल जाती है।

श्री बंशीधर पांडेय—
आपको अधिकार है, आप इसको क्यों नहीं तय कर देते कि इस पर डिस्कशन होगा। कार्यमंत्रणा समिति में डेट हम तय कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष—
यह तय हो चुका है और हमने रखा भी है सदन के सामने कि इस पर विचार हो। आपही का प्रस्ताव था। उसके ऊपर कार्य मंत्रणा समिति ने कहा कि यह ले लिये जायं।

श्री बंशीधर पांडेय—
तेइस दिन जोड़ कर मैंने बना रखे हैं लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी, सब के लिये।

श्री अध्यक्ष—
आप अगर समय न दें कार्यमंत्रणा समिति की तरफ से तो मैं क्या करूं ?

श्री बंशीधर पांडेय—
समय तो देते हैं फिर भी यहां बहस नहीं होती यही तो गड़बड़ी है।

प्राक्कलन समिति (1971–72) का उद्योग विभाग के कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक (परफारमेन्स बजट) से सम्बन्धित तेरहवां प्रतिवेदन†

*श्रीमती सिया दुलारी (जिला बांदा)—
अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, प्राक्कलन समिति की हैसियत से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1971–72) के त्रयोदश प्रतिवेदन, जो उद्योग विभाग के कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक से सम्बन्धित है, सदन के समक्ष प्रस्तुत करती हूं।

श्रीमन् प्राक्कलन समिति ने सिंचाई विभाग के साथ–साथ उद्योग विभाग के कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक का भी परीक्षण करने का निश्चय किया था। समिति उद्योग विभाग के कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक में सम्मिलित सभी मदों पर विचार कर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करना चाहती थी परन्तु आवश्यक सूचना विभाग से विलम्ब से प्राप्त होने के कारण तथा समयाभाव के कारण विवश हो कर समिति को यह निर्णय लेना पड़ा कि वह कार्य-पूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक में सम्मिलित केवल राजकीय सीमेंट फैक्टरी, चुर्क, उत्तर प्रदेश वित्त निगम तथा भूतत्व एवं खनिक कर्म निदेशालय के सम्बन्ध में ही अपने परिनिरीक्षण को सीमित रखे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापा नहीं गया।

[श्रीमती सिया दुलारी]

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट के आंकड़ों तथा विभाग के उच्च पदाधिकारियों के साक्ष्य के आधार पर समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि शासन द्वारा संचालित चुर्क फैक्टरी की कार्यपूर्ति संतोषजनक नहीं है। इस औद्योगिक संस्थान का संचालन उस प्रकार नहीं हो रहा है जिस प्रकार कि निजी क्षेत्र में एक उद्योगपति अपने उद्योग को संचालित करता है। समिति की सूचना में यह बात आई कि चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी को चलाने के लिये निदेशक एवं उप निदेशक के पद पर भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों (आई० ए० एस०) के संवर्ग से नियुक्तियां की जाती हैं किन्तु बहुत कम ऐसे निदेशक हैं जो इस पद पर 1–2 साल से अधिक रहे हों। समिति की ऐसी धारणा है कि इस पद पर जो व्यक्ति नियुक्त होता है उसके मस्तिष्क में कुछ इस प्रकार की बात रहती है कि उसे दंड स्वरूप चुर्क सीमेंट फैक्टरी भेज दिया गया है और इस कारण वह अपने कार्य में ज्यादा रुचि नहीं रखता और स्थानान्तरण के लिये प्रयास रत रहता है जिसमें वह सफल भी हो जाता है। इन सब का फल यह होता है कि फैक्टरी की कार्य क्षमता एवं उत्पादन क्षमता दिन प्रति दिन घटती जाती है। ऐसे व्यक्तियों का फैक्टरी की उत्पादन क्षमता और बढ़ोत्तरी में तारतम्य नहीं रह पाता। समिति यह समझती है कि इन पदों पर आसीन व्यक्तियों का भविष्य फैक्टरी की उत्पादन क्षमता, कार्यक्षमता और उसके लाभ-हानि से सम्बद्ध किया जाना चाहिये। उनको इसी स्थान पर भविष्य की उपलब्धियां तथा पदोन्नति दी जानी चाहिये जिससे उन्हें अपने कार्य में अभिरुचि रहे।

यद्यपि अब सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबन्ध हेतु काफी संख्या में राजकीय निगम बन चुके हैं किन्तु इन निगमों के जो संचालक नियुक्त किये जाते हैं उनमें अधिकांशतः सरकारी पदाधिकारी होते हैं जिन्हें उद्योग विशेष का कोई तकनीकी अनुभव नहीं होता। समिति का यह मत है कि जब कभी कोई निगम बनाया जाय तो उसके संचालक मंडल में उस उद्योग विशेष से सम्बन्धित तकनीकी अनुभव वाले व्यक्तियों का भी समावेश हो तथा शासन से स्वतंत्रत संचालक मंडल बनाया जाय जिससे सरकारी हस्तक्षेप कम से कम हो और उस उद्योग के सुचारुरूप से संचालन के लिये उन्हें अधिक से अधिक अधिकार दिये जाने चाहिये। इन निगमों के संस्थापन के अन्तर्गत यही नीति निहित थी कि शासन के नियंत्रण को अधिक से अधिक कम किया जाय ताकि लालफीते-शाही के कारण उनके कार्य में गति अवरोध न हो। औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश वित्त निगम को स्थापना की गयी है। ऋण वितरण में विलम्ब होने से प्रदेश को औद्योगिक प्रगति पर प्रभाव पड़ता है। समिति को बताया गया कि ऋण वितरण के सम्बन्ध में कानूनी औपचारिकताओं में कुछ ढील देने के संबंध में उत्तर प्रदेश वित्त निगम ने कुछ ठोस सुझाव अपने पत्र दिनांक 20–7–71 द्वारा उद्योग निदेशक को भेज रखे ह। 20–7–71 से अभी तक सम्बन्धित विषय अनिर्णित पड़ा है। इस प्रश्न का सीधा सम्बन्ध प्रदेश की औद्योगिक प्रगति से था और उस पर निर्णय लेने की शीघ्र आवश्यकता थी। उस समय यह बात और दुखद प्रतीत हुई जब समिति को यह ज्ञात हुआ कि उद्योग सचिव वित्त निगम के पदेन अध्यक्ष भी हैं।

जहां तक ऋणों तथा ब्याज की वसूली का प्रश्न है समिति को यह जानकर दुख हुआ कि लगभग 52 लाख रुपया अब भी बकाया पड़ा है। जनधन को हानि न हो इस लियेशासन को इस ओर भी विशेष ध्यान देन चाहिये। खनिज कर्म एवं भूतत्व निदेशालय की कार्यपूर्ति 1971–72 में सन्तोषजनक नही रही क्योंकि उस वर्ष किसी भी प्रयोजना के अन्तर्गत लक्ष्यों की पूर्ति 50 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ी। म आपके माध्यम से शासन से निवेदन करना चाहूंगी कि वह इस ओर भी ध्यान दें।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

इस रिपोट में मान्यवर, आपने देखा कि उद्योग विभाग की निन्दा की गयी है। इसमें ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाता है जो रुचि नहीं लेते। उद्योग धन्धों के विकास की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस रिपोर्ट पर यहां सदन में चर्चा करायी जाय।

'नवजीवन' समाचार पत्र द्वारा भूल सुधार की सूचना

श्री अध्यक्ष—

कल विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न जो माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने उठाया था। कि माननीय मुख्य मन्त्री के भाषण में यह बात कही गयी है तो आज नवजीवन पेपर में यह छपा है "भूल सुधार" जिसमें यह लिखा है "राज्य विधान सभा में होने वाले विवाद की रिपोर्ट में भ्रमवश यह प्रकाशित हो गया है कि मुख्य मन्त्री ने वाराणसी की अशांति में जन संघ का भी योगदान होने की बात कही। यह रिपोर्ट हमें नेशनल प्रेस समाचार समिति से प्राप्त हुई थी। इस समाचार समिति ने हमें सूचित किया है कि मुख्य मन्त्री ने ऐसा आरोप नहीं लगाया था और रिपोर्ट में इस गलती पर उसने खेद व्यक्त किया है।"

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

यह किसकी तरफ से खेद व्यक्त किया गया है?

श्री अध्यक्ष—

सम्पादक की ओर से है, नवजीवन में छपा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

उसमें यह लिखा है कि किस व्यक्ति ने गलत रिपोर्ट दी ?

श्री अध्यक्ष—

गलती किसी की वजह से भी हुई हो, मगर जब सम्पादक खुद कह रहा है कि वह गलत है और खेद भी व्यक्त कर दिया तो मान लेना चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह तो ठीक है कि खेद प्रकट किया, मगर कानून की दृष्टि में जिसने उसको बताया, वह चाहे कोई व्यक्ति हो, वह तथा जिसने उसे पब्लिश करवाया....

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास आए थे और कहा कि मुझे इस बात का ख्याल पड़ता है कि ऐसा रहा था, ऐसा कहा था तो मैंने कहा हम देख चुके हैं, ऐसा नहीं है, तो उसने कहा लाचारी है क्षमा चाहता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जिसके ख्याल में जो रहेगा, वह वही करेगा, वही सुने और देखेगा। उनके खयाल को हम क्या करें। लेकिन मैं समझता हूं कि जितने भी व्यक्ति इससे सम्बन्धित हैं सब को इसके लिये खेद प्रकट करना चाहिये। एडीटर, जिसने खबर दी और जिन्होंने छापा—वे सभी इसमें शामिल हैं।

श्री अध्यक्ष—

उसने तो खबर दी कि यह गलत है, यह मालूम हो गया, इसकी मैं क्षमा याचना करता हूं और सम्पादक ने लिख दिया यह गलती हो गई।

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मैं यह कहना चाहता हूं कि अब माधव जी को उदारता बरतनी चाहिये। जब सम्पादक स्वयं किसी बात के लिये कह देता है तो उसके बाद कोई बात रह नहीं जाती है मैं भी बहुत समय तक पत्रकार रहा हूं, सब चीज के लिये जिम्मेदार स्वयं सम्पादक होता है। जब इतने बड़े पत्र का सम्पादक कहता है कि यह बात गलत है तो मैं समझता हूं अब माननीय सदस्य कोई प्रश्न उठायेंगे नहीं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं केवल यही कहना चाहता था कि जिसने खबर दी और जिसने छापी है वे भी....

समितियों के चुनाव के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

लोक लेखा समिति के लिये 21 सदस्य, प्राक्कलन समिति के लिये 25 सदस्य और उत्तर-प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय समिति के लिये 4 सदस्यों का चुनाव 2 अगस्त, 1972 को, और 25 स्थायी समितियों के लिये चुनाव 3 अगस्त, 1972 को होगा। प्रत्येक दिन चुनाव 12 बजे दिन से अपराह्न 5 बजे तक होगा और दोनों दिन यह चुनाव तिलक हाल विधान भवन में होगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल के तारांकित प्रश्न संख्या ३ के सम्बन्धमें शोधन वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

गलती से यह प्रिंट नहीं हो पाया, इसलिये सायक्लोस्टाइल करके बांट दिया गया है।

सामुदायिक विकास उप मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा)—

पहले मैं मूल उत्तर पढ़े देता हूं।

प्रश्न—

* 3—क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बतायेंगे कि क्या जनवरी 72 में शासन को इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि सिंचाई यन्त्रों की खरीदवारी हेतु अपने खेतों को बन्धक रख कर भूमि विकास बैंक शाखा जौनपुर से किसानों द्वारा लिए ऋण का रुपया विकास खण्ड धर्मापुर बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० कम्पोस्ट, ग्राम सेवक सूर्यनाथ, कलकत्ता मशीनरी स्टोर जौनपुर के मालिक बाबूराम धोखा देकर निकाल लेते हैं? यदि हां तो शिकायतों के अलग-अलग विवरण क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर—

जी हां। शिकायत यह की गई थी कि विकास खण्ड धर्मापुर में सिंचाई यन्त्रों की सप्लाई में गड़बड़ी की गई है। शिकायती प्रार्थना-पत्रों की जांच सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई) से कराई गई। जांच रिपोर्ट से विदित हुआ कि कुछ ग्राम सेवकों ने, काश्तकारों के रूपपत्र 2 पर जिना फार्म से पम्पिंग सेट का सामान काश्तकारों को मिलें असत्य प्रमाण-पत्र दिया, जिसे सहायक विकास अधिकारी (कृषि) तथा (कम्पोस्ट) में प्रमाणित किया और खंड विकास अधिकारी ने प्रतिहस्ताक्षरित किया है। इस प्रमाण-पत्र के आधार पर मशीनरी स्टोर जौनपुर के मालिक बाबूराम ने भूमि विकास बैंक से काश्तकारों के ऋण की धनराशि प्राप्त की और फर्म ने मोटर तथा अन्य सामान बाद में काश्तकारों को सप्लाई किया है। इस प्रकार 5 ग्राम सेवकों, सहायक विकास अधिकारी, कृषि, सहायक विकास अधिकारी (कम्पोस्ट) एवं खंड

विकास अधिकारी द्वारा असत्य रूपपत्र 2 के प्रमाणित करने की बात सिद्ध हुई । सम्बन्धित ग्रामसेवकों तथा सहायक विकास अधिकारी को कड़ी चेतावनी दी गई है और इसका उल्लेख उनकी चरित्र पुस्तिका में किया गया है । खण्ड विकास अधिकारी को भी असत्य , रूपपत्र 2 के प्रमाणपत्र को प्रति हस्ताक्षरित करने के लिये चेतावनी दी गई है ।

2---उपरोक्त प्रश्न के अनुपूरक प्रश्नोत्तर काल में श्री अनन्तराम जायसवाल ने कहा कि यह बताया जाय कि कुल कितने मामले थे और उनमें कितनी धनराशि इन्वाल्व थी । इस प्रश्न के उत्तर में सदन को सूचित किया गया था कि कुल 16 किसानों के मामले थे और उनमें 5100 रु० इन्वाल्व था । इस सम्बन्ध में सही स्थिति यह है कि प्रसंगगत मामले कुल 16 किसानों के मामले तो थे किन्तु उनमें 5100 रु० नहीं बल्कि 69,000 रु० का मामला था। त्रुटिपूर्ण उत्तर के लिये खेद है ।

(श्री अनन्तराम जायसवाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

इस पर प्रश्न नहीं होते ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

प्रश्न न करने दें लेकिन दो मिनट के लिये मौका दे दें । यह जिस विकास खंड और जिस जिले के बारे में कहा गया है खाली वहीं तक सीमित नहीं है । प्रदेश भर में यही हो रहा है। होता यह है कि कुछ अच्छे इंजन होते हैं और कुछ बिलकुल खराब इंजन होते हैं । उन पर कमीशन चलता है, हजार बारह सौ, डेढ़ हजार लेकिन अच्छे इंजन केवल दो तीन सौ मिल पाता है । डीलर, ग्राम सेवक और बी० डी० ओ० तक किसान के पास जाते हैं और कहते हैं कि इंजन खरीद लिया जाय । बेचारे किसान अपनी जमीन गिरवी रख कर कर्ज लेते हैं बैंक से । रुपया चला जाता है डीलर को । फिर किसान बेचारा दौड़ता फिरता है, इंजन मिल नहीं पाता है । जितने मामले जानकारी में आये उन पर कार्यवाही की गयी । माननीय मन्त्री ने स्वत: कहा है कि 16 मामले ऐसे पकड़े गये और 69,000 रुपये इनवाल्व्ड थे । और कार्यवाही यह की गयी है कि चरित्र पंजिका में बैड एंट्री दे दी है । क्या इन पूरे मामलों को पुलिस के हवाले करने की कृपा करेंगे और जहां पर गड़बड़ी हो रही है इन तमाम अधिकारियों को वहां से हटायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

अब इस वक्त पूरक प्रश्न तो होंगे नहीं । माननीय मुख्य मन्त्री कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

माननीय मुख्य मन्त्री ने उत्तर सुना नहीं है । खाली इतना आश्वासन हो जाय कि पढ़ लेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

जरूर देख लूंगा । मैंने कुछ सुना । जो नहीं सुना उसमें क्या मामला था यह जायसवाल जी के सवाल से बिलकुल समझ गया । मुझे बात तो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है । समझ में आ गयी है । मैं अवश्य देखूंगा उसे और उस पर कार्यवाही भी करूंगा ।

मंत्रि परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---

अब यह जो अविश्वास का प्रस्ताव है उसके बारे में निर्णय हुआ है कि 2 और 3 को वह लिया जायगा और 12 बजे से 6 बजे तक होगा । 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्न होंगे । और कोई दूसरा काम, जितने नियम 51 के प्रश्न हैं वह बीच में नहीं आएंगे । 12 से 6 बजे तक होगा । कुछ थोड़ा सा और टाइम चाहें तो माननीय मुख्य मन्त्री ने कह दिया था कि वह सदन को बढ़ाने का अधिकार रहता ही है और वह रहेगा ही ।

श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)---

यह जो नियम 51 में वक्तव्य हुआ करते हैं.....

श्री अध्यक्ष---

वह कल परसों नहीं होंगे ।

श्री त्रिलोक चन्द्र---

4 को हो जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

4 को हो सकते हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

कार्यस्थगन प्रस्ताव छोड़ गये ।

श्री अध्यक्ष---

यह अस्वीकृत हो गये थे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

दस हरिजन जला दिये गये जिनमें पांच औरतें थीं और पांच बच्चे ।

साकेत डिग्री कालेज, फैजाबाद में बी० ए० की कक्षा में मिलिट्री साइंस एवं साइकोलोजी के विषयों की अनुमति न दिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---

यह फैजाबाद का केवल वक्तव्य होगा । फैजाबाद के साकेत डिग्री कालेज में बी० ए० की कक्षा में मिलेट्री साइंस एवं साइकालोजी के विषयों में छात्रों को अनुमति न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री विश्वनाथ कपूर, श्री वंशीधर पांडेय, श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री रामविलास पांडेय तथा श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी द्वारा दी गयी सूचना पर शिक्षा मन्त्री का केवल वक्तव्य ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब ज्ञानपुर डिग्री कालेज की बात आयी थी तो आपने व्यवस्था दी थी, उसमें राज्य मन्त्री श्री टंडन ने वक्तव्य दिया था आपने निर्णय दिया था कि सदस्यों का नाम वक्तव्य में भी होगा और कार्यसूची में भी होगा। यह जो वक्तव्य आया है आपके आदेशों के बावजूद इसमें सदस्यों के नाम नहीं हैं। क्या यह खुली अवहेलना आपके आदेशों की नहीं है?

श्री अध्यक्ष

एजेंडे में हमने नाम दे दिये हैं।

श्री विश्वनाथ कपूर—

आपने दोनों बातों के लिये आदेश दिये थे कि वक्तव्य की प्रति में तथा एजेंडे, दोनों में नाम दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

बाद में आ जायगा।

श्री विश्वनाथ कपूर—

आपके आदेशों की क्या अवहेलना नहीं है?

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री महोदय को इस बात का ख्याल रखना चाहिये था कि वक्तव्य में सदस्यों के नाम आ जाने चाहिये। एजेंडे में यह तरीका नहीं था लेकिन उसमें नाम दे दिये गये। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री को भी उनके नाम दे देने चाहिये थे जिनका प्रश्न है।

शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम दास टंडन)—

इस सत्र के आरम्भ में ही के० एस० साकेत डिग्री कालेज, फैजाबाद के प्रधानार्य ने अपने सहयोगियों की एक बैठक बुलाई जिसमें इस बात पर विचार किया गया कि टाइन टेबुल तथा वर्तमान विद्यालय भवन में कक्षों की उपलब्धता के आधार पर किस प्रकार के विषय संकलन (कम्बीनेशन आफ सब्जेक्ट्स) स्वीकृत किये जायें। प्राप्त सूचना के अनुसार इस बैठक में सर्व-सम्मत्ति से यह निश्चय किया गया कि कला संकाय के अन्तर्गत ऐसे 2 विषय लेने की विद्यार्थियों को छूट न दी जाय जिन में दोनों में ही प्रयोगात्मक कक्षायें चलती हों। इस निश्चय के अन्तर्गत मनोविज्ञान तथा सैन्य विज्ञान को एक साथ लेने पर स्वभावतः प्रतिबन्ध लग गया। महा-विद्यालय। 7 जुलाई, 1972 को खुला और प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट बता दिया गया था और बताया जाता रहा है कि इस वर्ष से कला संकाय के अन्तर्गत 2 प्रयोगात्मक कक्षाओं वाले विषय एक साथ नहीं लिये जा सकते और इसी घोषित एवं निर्धारित प्रवेश नीति के आधार पर नये प्रवेश किये जा रहे हैं।

गत वर्ष मनोविज्ञान के साथ सैन्य विज्ञान लेने के ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं रखा गया था। हय सर्वथा निर्मूल है कि इस कारण छात्रों में क्षोभ एवं उत्तेजना पैदा हुई है। यह भी सही नहीं है कि डिग्री कालेज पर पुलिस एवं पी० ए० सी० तैनात कर दी गई है। विश्वविद्यालय स्था-पित करने की मांग को लेकर ही इस कालेज में कभी-कभी प्रदर्शन होते रहे हैं। इस संदर्भ में कई मास पहले से वहां सुरक्षा हेतु पुलिस की व्यवस्था हुई थी जो अभी तक यथावत है।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मेरा निवेदन है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय ने साकेत डिग्री कालेज को मान्यता दी थी और विषयों की भी मान्यता दी थी। 17 जुलाई को ही प्रास्पेक्ट्स मने खरीदा, मुझे कुछ नहीं बताया गया। लड़कों को बांट दिया गया यह बात सही नहीं है। 2 रुपये दे कर मैंने प्रास्पेक्टस

[श्री विश्वनाथ कपूर]

खरीदा है और उनके कमरे में उसे दिया। माननीय मन्त्री कहते हैं कि वो विषय ऐसे नहीं दिये जायेंगे जिनके प्रेक्टिकल्स होते हैं। यह कहना नितान्त गलत है। फंडामेन्टल राइट्स के अन्तर्गत हम कोई भी विषय पढ़ सकते हैं। क्या विद्यालय का प्रधानाचार्य यह कह सकता है लड़कों से कि यह विषय हम तुमको नहीं देंगे जब कि वाइस चांसलर ने इजाजत दे दी है? तो क्या यह उनके आदेशों की अवहेलना नहीं है?

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

फंडामेन्टल राइट्स जो हैं यह कालेज के हैं वह कौन-कौन से कम्बिनेशंस अपने कालेज की तरक्की, डिसिप्लिन और जगह देख कर दें। अगर कालेज ने देखा कि दो प्रैक्टिकल्स के लिये उनके पास रूम्स नहीं हैं और यह देखा कि उससे उसका स्तर गिरेगा तो उन्होंने यह तय किया और इसके लिये वह बराबर बतलाते रहे हैं कि ये काम्बिनेशंस वह एलाऊ नहीं करेंगे।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण मैं भी चाहता हूं कि वह कौन सी परिस्थितियां और कठिनाइयां वहां के प्रधानाचार्य के ऊपर आ पड़ी हैं जिनसे वे कहते हैं कि सैन्य विज्ञान और मनोविज्ञान की क्लासेज एक साथ नहीं चल सकती हैं। कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ में तो ये विषय एक साथ पढ़ाये जाते हैं?

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

मान्यवर, मैं कह चुका हूं कि जगह की कमी के कारण उन्हें यह कठिनाई पड़ी है। इन विषयों के लिये प्रैक्टिकल क्लासेज हेतु कमरों की जरूरत पड़ती है। इसलिये उन्होंने यह काम्बिनेशन नहीं दिया है। सब्जेक्ट्स को एलाट करते समय इन सारी बातों को देखना पड़ता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी यही है कि जगह भर जाती है तो कम्बिनेशन एलाट नहीं करते हैं। इसलिये शासन शायद इसमें दखलन्दाजी नहीं कर सकता।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि विश्वविद्यालय की सुरक्षा हेतु वहां पर कई मास पहले पुलिस लगा दी गई थी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पुलिस की वहां पर संख्या कितनी है और कब से वह लगी हुई है?

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

मान्यवर, जब कहीं पर पीस को डिस्टर्ब होने का खतरा रहता है तो ऐसे मामलों में फैसला लेने का अधिकार वहां के कर्मचारियों और प्रिंसिपल पर रहता है। इसी सिलसिले में प्रिंसिपल ने एक दरख्वास्त दी थी कि यहां पर एजीटेशग हो गया इसलिये पुलिस की आवश्यकता होगी। अब वहां पर कितनी पुलिस लगी है इसकी मैंने गिनती नहीं करायी है।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये वहां हड़ताल अक्सर होती रहती है। साथ ही वक्तव्य से यह भी स्पष्ट हो गया कि इस डिग्री कालेज में स्थान की कमी है जिसकी वजह से विद्यार्थियों को कम्बिनेशन नहीं दिया जा रहा है। तो क्या सरकार इस विषय पर विचार करेगी कि फैजाबाद जो कि एक सबसे बड़ा डिवीजन है, उसकी यह दिक्कत दूर हो सके?

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

हम लोगों ने आज सुबह ही इस सम्बन्ध में काफी बात-चीत की है और कहा है कि फैजाबाद डिवीजन हमारे ध्यान में है और यह भी कहा है कि हमारे यहां ऐसे दो डिवीजन हैं एक बुन्देल खंड और दूसरा फजाबाद, जहां कि कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है। इस पर सरकार विचार कर रही है। अतः प्रश्न की आवश्यकता म नहीं समझता।

श्री रामगोपाल संड—

मान्यवर, रुहेलखंड में भी तो विश्वविद्यालय नहीं है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

पंतनगर यूनिवर्सिटी और रुहेलखंड में कोई ज्यादा फर्क नहीं है ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या माननीय मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मानकर कि कालेज के प्रधानाचार्य ने लड़कों से यह नहीं कहा कि उनको एक ही विषय में प्रवेश मिलेगा और यही कारण है कि लगभग 400 विद्यार्थियों ने दोनों विषयों में फार्म भरा है और जब एक सब्जेक्ट को काट दिया तब उनका फार्म लौटाया है । क्या माननीय मन्त्री जी मेरी इस सूचना को सही मानकर इन्क्वायरी करवायेंगे ?

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

मान्यवर, उनकी सूचना मिलने के पहले ही मैंने इस बात की जांच करवा ली थी । उसमें प्रिंसिपल ने कहा कि 400 विद्यार्थियों ने यह कम्बीनेशन नहीं मांगा था । मेरे पास तथ्य मौजूद हैं।

श्री रामगोपाल संड—

मान्यवर, मन्त्री जी ने कहा कि उनकी दृष्टि में फैजाबाद और झांसी डिवीजन भी है । मैं अपनी जानकारी से कहता हूं कि इस विश्वविद्यालय में केवल एक कमरे की जरूरत है जिसके हो जाने से सैन्य विज्ञान और मनोविज्ञान का श्रीगणेश हो जायगा । तो क्या शासन इसके लिये विश्वविद्यालय को अनुदान देगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, अनुदान मांग रहे हैं, वह दिया जायगा । यह अनुदान शिक्षा विभाग द्वारा मिलता है । इस सुझाव पर सरकार ध्यान देगी ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मन्त्री जी ने कहा कि शिक्षा विभाग अनुदान देता है और देगा । क्या मैं शिक्षा मन्त्री जी से अनुरोध कर सकता हूं और पूछ सकता हूं कि क्या प्रिंसिपल ने वाइस चांसलर से अनुमति ली या उन्होंने अपने ही लेबुल पर इस पर विचार कर दिया?

श्री बंशीधर पांडेय—

जब प्रिंसिपल ने वाइस चांसलर की अनुमति नहीं ली और अपने स्टेज पर इस बात को तय कर लिया तो क्या आप व्यक्तिगत रूप से इसमें दिलचस्पी लकर वहां क लड़कों को उस महाविद्यालय में साइकोलाजी और मिलेटरी साइंस सब्जेक्ट लेकर इस साल पढ़ने की सुविधा दिलाने का प्रयास करेंगे?

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

थोड़ा प्रयास तो कर ही चुका हूं । अब माननीय बंशीधर जी कहते हैं तो थोड़ा प्रयास और कर लूंगा ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास एक काम रोको प्रस्ताव की सूचना तीन माननीय सदस्यों की तरफ से आयी है । वे हैं सर्वश्री सुरेन्द्र विक्रम, बंशीधर पांडेय व राम विलास पांडेय जी । उनका कहना है कि विधायकों के लिये वेस्पा स्कूटरों के आवंटन में पक्षपात किया गया है । इसमें पक्षपात का आरोप लगाया गया है और यह तात्कालिक और अविलम्बनीय महत्व का नहीं है । कई महीने का सवाल है ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

इस हाउस में बतलाया गया है कि एम० एल० एज० का वेस्पा स्कूटर्स का कोटा आया है और वह उनको दिया गया है। अखबारों में भी यह बात छपी है कि विधायकों ने स्कूटर्स लिये हैं। पिछले ट्रांसपोर्ट मिस्टर ने भी इस पर चर्चा की थी तो इस हाउस में उस वक्त मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि एक कमेटी बन जायगी। अभी मुझे पता चला है कि 200 एम० एल० एज० के लिये वेस्पा स्कूटर का कोटा आया और अब पता नहीं 100 किसको दिया और बाकी 100 अपनी पार्टी के एम० एल० एज० को दे दिया है। इसका नियम बना था और पिछली बार मुख्य मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि कमेटी बनेगी उसके बावजूद भी पिछले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से ये और ज्यादा नम्बर चढ़ गये और उनसे और ज्यादा गलती कर दी। विधायकों के मार पर स्कूटर के आवंटन में इतना भ्रष्टाचार है कि इसके लिये कहीं बाहर जब यह कहा जाता है कि म एक-एक विधायक ने 2–2 और 3–3 स्कूटर ले लिया है तो हम लोगों को बड़ी शर्म मालूम होती है। तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि पिछली बार आश्वासन देकर आपने ठीक किया था कि कमेटी एप्वायंट करेंगे। सुनने में आया है, मुझे इधर और उधर के विधायकों ने कहा कि वेस्पा स्कूटर का 200 का कोटा आया है जिसमें से 100 का कोटा तो बंट गया लेकिन पता नहीं बाकी 100 किस को दिया गया?

श्री अध्यक्ष—

अभी हमारे पास आया है 34 सदस्यों के लिये।

श्री बंशीधर पांडेय—

आप इसकी जांच करा लें कि सन् 1969 से लेकर आज तक सदन के 425 सदस्यों में से किस किसने कितनी बार स्कूटर लिया और किसने नहीं लिया ईमानदारी की बात तो यह है कि जिसने आज तक नहीं लिया उसको एक एक स्कूटर या कार सरकार को मुफ्त में देनी चाहिये (हंसी) मेरे जैसे कुछ ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने आज तक लिया ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

यहां पर दान नहीं होता है।

श्री बंशीधर पांडेय—

लूट के माल की तरह से जिसके मन में आया उसने 4–4 बार और 8-8 बार लिया और जो ईमानदारी की पूंछ पकड़े रहे उन्होंने एक भी नहीं लिया। इसलिये मेरा चार्ज है ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर पर।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, केवल यह बात नहीं है कि 200 स्कूटर का कोटा पहले के मन्त्री ने विधायकों के लिय निश्चित किया था उसे उन्होंने 100 कर दिया बल्कि जो भी आदेश पहले के मन्त्री के थे, कैबिनेट स्तर के मन्त्री के आदेश को राज्य मन्त्री ने खत्म कर दिया, काट दिया। आजकल इस तरह के काम हो रहे हैं। नतीजा यह है कि बाबूलशफा में सहकारिता मन्त्री श्री लक्ष्मी शंकर यादव के यहां भीड़ लगी रहती है। जो ट्रांसफर का आर्डर था उसे राज्य मन्त्री ने कैंसिल कर दिया है। वैसे ही ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर की बात है कि पहले जो आदेश दिये गये थे उसको काट दिया गया है। तो मैं चाहता हूं कि इस बात को आप गम्भीरता के साथ देखें कि यह क्या बात है। एक एक विधायक को गई कई बार, चार-चार बार दिया गया है।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

मान्यवर, विधायकों के लिये 200 वेस्पा स्कूटर का कोटा आया था। उसमें से 100 विधायकों में बंट चुका है। जैसा कि पांडेय जी ने कहा कई को कई कई बार मिल चुका है। मेरा तो यह कहना है कि कई ऐसे विधायकों को स्कूटर मिला है जो कभी भी स्कूटर पर बैठेंगे नहीं

बिल्कुल बुजुर्ग 70–80 साल के हैं और ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल छोड़ दिया गया है। दूसरी बात यह है कि फियट, एम्बेसेडर्स और स्कूटरों का कोटा बढ़ गया है। 200 स्कूटर विधायकों को देने के लिये आये हैं जिसमें से केवल 100 दिये गये हैं। बाकी क्यों नहीं दिये जा रहे हैं?

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, यह बड़ा अहम मसला है। इस सम्बन्ध में सदन की एक कमेटी बिठा दी जाय। मैंने तीन साल से फियट के परमिट के लिये प्रार्थना-पत्र दे रखा है। मेरे बाद श्री रामलाल भाई को परमिट दे दिया गया। यह पक्षपात नहीं है तो क्या है? मेरी सिटी कांस्टीटुएंसी है। मुझे कोई गाड़ी नहीं मिली मेरे बाद वालों को दे दी गई। इससे ज्यादा पक्षपात क्या होगा। सदन की समिति इन सब बातों पर जांच करे।

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री देवकीनन्दन विभव)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा खयाल है कि माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उपस्थित किये हैं वे भ्रम के कारण किये हैं। मन्त्री न तो स्कूटर का आवंटन करता है और न कार का करता है। इसके लिये एक समिति उच्च अधिकारियों की बना दी गई है और उसने कुछ नियम बना रखे हैं। उनके आधार पर आवंटन किया जाता है। यह सही है कि जिन महानुभावों ने तीन साल के भीतर कोई गाड़ी ले ली है उनको न दी गई हो। बाकी सबको क्रमानुसार दी गई हो। उसके बाद 180 एप्लीकेशंस हमारे पास आई हुई हैं। इनमें से 6 को दी जा चुकी है। 100 का कोटा आने वाला है। मेरा खयाल यह है कि कोई भी आदमी जिसने प्रार्थना-पत्र दिया है सबको मिल जायगी। इसमें व्यक्तिगत पक्षपात के आधार पर कार्य नहीं किया जाता है।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, मैं इस बात को गम्भीरता से कहना चाहता हूं कि मन्त्री जी ने जो बात कही है वह तथ्य से परे है और उनका आश्वासन हवाई कोड़ा है। यह कभी नहीं दे सकते हैं। मैं इनको चुनौती देता हूं। कमेटी जरूर बैठी है लेकिन जिम्मेदारी तो इनकी है। इस पंचम विधान सभा के जो सदस्य हैं और परिषद् के सदस्य हैं उनमें से कतने लोगों ने कितनी बार कार या स्कूटर लिया और कितनों को एक बार भी नहीं मिला। यह सदस्यों के लिये अपमान की बात है। सवाल यह मामूली अधिकारियों के पास कोई भी विधायक अर्जी लेकर नहीं जायगा और कहेगा कि हमको परमिट दिया जाय। आप सदस्यों से पूछिये कि किसको कार या स्कूटर चाहिये। जिनका ना में जवाब आये उनके नाम काट दीजिये। यह क्या तमाशा है कि एक कमेटी जिसमें आई० ए० एस० अधिकारी हैं, की बिठा रखी है वे अपने चेले चापड़ों को ही देते हैं और मन्त्री जो हमारे अधिकारों के रक्षा के लिये है वह निस्सहाय और दीन बन कर बैठा है। मैं घोर विरोध करता हूं और मन्त्री जी कृपया यह बतायें कि कितने लोगों ने कई बार लिया है और कितनों ने बिलकुल नहीं लिया है....

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

यह बड़ी महत्वपूर्ण और आवश्यक बात है कि इस तरफ ध्यान दिया जाय कि माननीय विधायक क्या स्कूटर के लिये अधिकारियों की जाकर खुशामद करें, यह एक अजीब सी परिस्थिति होगी। हम लोग अधिकारियों के पास जायं जबकि आपकी एक कमेटी इसके लिये बनी है। मेरी प्रार्थना आपसे है कि आप इस पर मन्त्री जी का बयान दिलवायें और हम लोग किसी अधिकारी के पास स्कूटर के लिये नहीं जायेंगे, इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना होती है। मेरा निवेदन है कि उस कमेटी को रिआर्गनाइज किया जाय।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

हमें केन्द्रीय सरकार से श्री बलराम सिंह जी की कोशिश से 200 स्कूटर मिले। हम लोगों के लिये तो सरकार एक ही है लेकिन हो यह रहा है कि मन्त्रीजी श्री बलराम सिंह जी लिखते हैं लेकिन राज्य मन्त्री जी उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, यह आपस में उनके मतभेद

[श्री मोहम्मद असरार अहमद]

क्यों है ? अभी भी 100 स्कूटर का कोटा बाकी है और इसके अलावा रेगुलर कोटा अलग है तो यह विधायकों का कोटा ही क्यों रोका गया है । यह हमें बताया जाय कि हमारा कोटा न मिलने का कारण क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

आप मुख्य मन्त्री जी से कहिये ।

श्री बंशीधर पांडेय—

यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते तो कल इस पर यह बयान ही दे दें कि 69 से अब तक कितने लोगों को कितनी बार स्कूटर दिये गये और कितनों को नहीं दिये गये ।

श्री अध्यक्ष—

उनका वक्तव्य आप चाहते हैं तो वह मिल जायगा ।

एक यह दूसरी सूचना श्री नित्यानन्द स्वामी और श्री जगन्नाथ खन्ना की है । उनका कहना है कि मुरादाबाद की हसनपुर तहसील के मछरिया गांव में 10 हरिजनों को जिन्दा जलाया गया है, ऐसी खबर अखबार में छपी है। यह बताया गया है कि इसमें 5 महिलायें और 5 बच्चे थे और कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी को भी इस सम्बन्ध में बताया गया है लेकिन यह नहीं बताया गया कि यह घटना कब की है, इसलिये यह अविलम्बनीय नहीं है। इसके बारे में अगर वह जिक्र करना चाहें तो कल अविश्वास प्रस्ताव के समय कर दें ।

इसी तरह से एक तीसरी सूचना श्री शम्भूनाथ चौधरी, त्रिलोक चन्द्र, श्री जगवीर सिंह और रामकरन सिंह जी की है वाराणसी, गोरखपुर और फैजाबाद के जिलों में अकाल की स्थिति के बारे में । इसके लिये 4 अगस्त को 2 घन्टे की बहस का समय दे दिया गया है । इसलिये कामरोको प्रस्ताव की तरह यह नहीं लिया है ।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विधेयक, 1972– (क्रमागत)†

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि...

श्री राम बिलास पान्डेय (जिला आजमगढ़)—

मैं इस पर बोलने के लिये श्रीमन् कल दिन भर खड़ा होता रहा और बैठता रहा लेकिन हमें समय नहीं मिला....

श्री अध्यक्ष—

आपका नाम भी आयगा ।

श्री मोहनलाल कपूर—

अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रवर समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । इस प्रदेश में यह मांग अनेक वर्षों से उपस्थित होती रही है कि प्राइमरी शिक्षा को यहां पुनर्गठित किया जाय । जिला परिषदों के द्वारा अभी तक यह कार्य अत्यन्त बुरी तरह से और भ्रष्ट तरीके से चलाया जाता था, उनमें भवनों का, टाट पट्टी का और अध्यापकों का उचित प्रबन्ध नहीं था और इसी कारण से जिला परिषदों द्वारा संचालित

---

† 31 जुलाई, 1972 की कार्यवाही से ।

शिक्षा बहुत ही गिरी हुयी अवस्था में थी। और इसीलिये हमारे लोगों की विधान सभा में और विधान सभा के बाहर भी यह मांग रही है कि इस शिक्षा को जिला परिषद् से ले लिया जाय और सरकार अपने हांथों में चलाये।

अध्यक्ष महोदय, यह बिल जिस भावना से सदन में प्रस्तुत किया गया है उसका तो हम स्वागत करते हैं लेकिन जिस प्रकार से यह नियमन किया गया है उससे स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। आप किन स्कूलों को लेना चाहते हैं, किन को नहीं लेना चाहते हैं, इससे यह स्पष्ट नहीं है। इस बिल में जो "बेसिक शिक्षा" की परिभाषा की गई है वह इस प्रकार है, "इसका तात्पर्य हाई स्कूल या इन्टरमीडिएट कालजों से भिन्न स्कूलों में आठवीं कक्षा तक दी जाने वाली शिक्षा से है और पद " बेसिक स्कूल" का तदनुसार अर्थ लगाया जायगा।

(इस समय 12 बज कर 59 मिनट पर उपाध्यक्ष श्री वासुदेव पीठासीन हुए)

मानतीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो अध्यादेश जारी किया उसमें आपने यह कहा था कि हम केवल निकायों की शिक्षा को लेंगे अर्थात म्युनिसिपल बोर्ड और जिला परिषदों द्वारा संचालित शिक्षा को टेक ओवर करेंगे लेकिन इस परिभाषा से साफ हो जाता है कि आप उन स्कूलों को लेना चाहते हैं जो इन्टरमीडिएट और हाई स्कूल के अतिरिक्त दूसरे स्कूल्स हैं अर्थात जूनियर या प्राइमरी स्कूल्स हैं। आगे चल कर जो प्रबन्ध किया गया उससे ऐसा लगता है कि प्रादेशिक स्तर पर एक समिति बनेगी, जिला स्तर पर एक समिति बनेगी, और उन सब में निकायों के प्रतिनिधि तो होंगे लेकिन जनरल नहीं होंगे।

आज प्राइमरी शिक्षा और जूनियर शिक्षा 3 प्रकार की हैं। एक तो निकायों द्वारा संचालित होने वाली है, दूसरी निकायों के अतिरिक्त भी स्कूल्स हैं, जिस प्रकार से पब्लिक स्कूल्स, चाहे वे मिशनरी द्वारा चलाये जाते हों या विशेष मान्यता-प्राप्त मोन्टेसरी प्रकार के स्कूल्स हों और तीसरे वे स्कूल्स हैं जो हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट स्कूल्स के साथ अटैच्ड हों, चाहे लड़कों के और चाहे लड़कियों के स्कूलों के साथ हों, उनके साथ प्राइमरी शिक्षा या प्राइमरी स्तर के जूनियर स्कूल्स लगे होते हैं। इससे स्पष्ट नहीं होता है कि आप कौन से स्कूलों को लेना चाहते हैं और कौन सी को नहीं लेना चाहते हैं। आप केवल निकायों के स्कूलों का जिक्र कर रहे हैं लेकिन जो परिभाषा है उससे स्पष्ट होता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो निजी रूप से चलते हैं, उनको भी आप लेना चाहते हैं। आपको स्पष्ट करना चाहिये कि क्या आप शहरों में या गांवों में चलने वाली, निकायों के अतिरिक्त, जो पाठशालायें हैं चाहे प्राइमरी हों या जो हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट के साथ लगी हुयी हों, उनको भी लेने जा रहे हैं।

अभी तक यह बात स्पष्ट नहीं है। क्या आपने हाई स्कूल के साथ जो प्राइमरी शिक्षा है, उसका भी अवलोकन किया है? मैं समझता हूं कि प्राइमरी के शिक्षा मंत्री हैं, वे निश्चित रूप से अनुभव करते हैं अगर उन्हें अनुभव न हो तो मैं बताना चाहता हूं कि कितना भेद, कितनी विभिन्नता, किस प्रकार से विषमता हमारी प्राइमरी शिक्षा में है। जो स्कूल हाई स्कूल के साथ या इन्टरमीडिएट के स्कूलों के साथ मिलकर चल रहे हैं, उनके बच्चों की फीस को निःशुल्क कर दिया है और उसकी क्षतिपूर्ति देते हैं। कक्षा एक और दो के 12 आने, प्रति विद्यार्थी, कक्षा 3–4 की सवा रुपया और कक्षा 5 की 3 रुपया प्रति बच्चे के हिसाब से आप देते हैं और इस प्रकार से प्राप्त धन वितरित किया जाता है। यह भी आदेश हैं कि कोई महंगाई भत्ता वसूल न किया जाय। इनका कोई वेतन-क्रम भी नहीं है। दूसरे जो क्षतिपूर्ति का रुपया है वह बहुत कम है।

और मैं आपको ऐसे अनेक स्कूल बता सकता हूं अपने प्रदेश में जो शहरों में भी चलते हैं, गांवों में भी चलते हैं जिनके अध्यापकों को वेतन आज उसी स्कूल में रखे हुए चपरासी से कम

[मोहन लाल कपूर]

मिलता है। चपरासी 110 रुपये और 115 रुपय पाता है परन्तु इस अध्यापक को उतने रुपये भी नहीं मिलते हैं। चपरासी से भी कम रुपये मिलते हैं। यह दुर्भाग्य है अपने प्रदेश की शिक्षा का, इस प्रकार से अध्यापक उतना भी वेतन नहीं पा सकता है जितना कि चपरासी पाता है। पढ़ा लिखा मनुष्य जो कि अध्यापक होना चाहता है और अनपढ़ जो चपरासी हो जाता है उससे अगर पूछा जाय कि तुम शिक्षा क्यों नहीं प्राप्त करते हो वह कहता है कि मैं अनपढ़ रहकर भी ज्यादा वेतन प्राप्त कर लेता हूं। तो मैं क्यों पढ़ूं? तो मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो यह विधेयक आया है यह अधूरा है। इस विधेयक में आपने हाई स्कूल और इन्टर के साथ लगे हुये प्राइमरी स्कूल्स और जूनियर स्कूलों पर दृष्टिपात नहीं किया। इस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो निकायों से जो यह शिक्षा को लेने की बात की है वहां आपको इस बात को भी सोचना चाहिये। मैं तो यह समझता हूं कि सच्चे अर्थ में समाजवाद को कहना चाहते हैं तो मैं समानता मानता हूं। अगर इस तरह से समानता की बात है, समदृष्टि है तो आपको पब्लिक स्कूल्स और बाकी स्कूल्स को भी एक समान करना पड़ेगा।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप इन निकायों द्वारा कौन सा परिवर्तन ला देंगे? पहले वे निकायों के स्कूल कहलाते थे अब वे परिषदों के स्कूल कहलायेंगे। हम समझते हैं बस इतना ही परिवर्तन है। आप इतने परिवर्तन को बड़ा परिवर्तन समझते हैं। जो हमने शिक्षा को पुनर्गठित करने का मामला उठाया है यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर गहनता से विचार करने की आवश्यकता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप समदृष्टि से विचार करने के लिये कि इन पब्लिक स्कूलों के साथ क्या किया जाय, विशेष स्कूलों के साथ क्या-क्या किया जाय, कोई निश्चित कदम उठायें। अभी उस रोज की बात है हमारे एक विधायक लखनऊ में कई स्कूल चलाते हैं। उन्होंने इस तरह की बातें कीं जिससे यह लगता था कि वे प्रचार भी करना चाहते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के स्कूल चलायें और एक संयुक्त निदेशक श्री बाउन्ट्रा जैसे व्यक्ति जो रिटायर हों, उनको पांच सौ रुपये पर रखें। कितनी वे फीस लेते हैं। मैं समझता हूं कि केरल में जो झगड़ा है वह शुल्क का है.....

(लाल बत्ती होने पर)

उपाध्यक्ष महोदय, आप समय कम दे रहे हैं। मंत्रणा समिति में तय हो गया था कि जितना टाइम लगेगा उतना समय दिया जायेगा। आपको अधिक समय देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

एक को पन्द्रह मिनट देना चाहिये। पन्द्रह मिनट से ज्यादा नहीं देना चाहिये।

श्री मोहनलाल कपूर—

मान्यवर, कम से कम आधा घंटा तो दीजिये।

मान्यवर, तो मैं बता रहा था कि इस बिल में अधूरापन रखा है। हाई स्कूल और इन्टर के साथ लगे हुए जो प्राइमरी और जूनियर स्कूल्स हैं, उनको नहीं लिया। मैं समझता हूं कि मंत्री जी को इस तरफ ध्यान देना चाहिये। दूसरी तरफ जो पब्लिक स्कूल और विशेष स्कूल चलाते हैं और विशेष स्कूल्स चलाने के लिये इस तरह के बड़े-बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट टाइप के लोग हैं जो बड़े-बड़े अधिकारियों को नौकर रखकर स्कूल चलाते हैं यह शीयर एक्सप्लाइटेशन है। ऐसे शोषण को भी समाप्त करना चाहिये। दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके इस बिल के द्वारा अभी यह बात साफ नहीं हुई कि आप निकायों को क्या अधिकार देना चाहते हैं। क्या निकाय केवल भवन तथा साज सज्जा ही रखेगा या अध्यापकों को भी रख सकता है? अध्यापकों का स्थानान्तरण कर सकता है। अगर आपने को सत्ता के बीच में स्कूल चलाये, कुछ निकायों के दोष देखें, कुछ अधिकारियों के दोष देखें तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि शिक्षा क

सुधार नहीं होगा, शिक्षा का हित नहीं होगा, शिक्षा का विघटन हो जायेगा और आपका यह प्रयास विफल हो जायेगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा को अगर आपने निकायों से हटाया है, उनसे अध्यापकों की सेवायें ली हैं, तो आपको भवन भी लेना चाहिये, साज-सज्जा, बच्चों के बैठने की भी व्यवस्था भी आप लें और इस प्रकार से सम्पूर्ण शिक्षा आपके हाथ में आनी चाहिये। इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिये जिससे यह लगे कि कुछ काम तो निकाय करेंगे और कुछ काम आप करेंगे, बल्कि सम्पूर्ण शिक्षा का प्रबन्ध इस परिषद् के हाथ में आना चाहिये।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर जो समितियां बन रही हैं, उन समितियों में आपने अध्यापकों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया, आपने प्राइमरी शिक्षक संघ को भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया। इस सम्बन्ध में मुझे कहना यह है कि आप वह प्रतिनिधित्व दें। जो सबसे बड़ा दोष इसमें है वह यह है कि जितने भी प्रतिनिधि आप रखेंगे उन सबको निर्दिष्ट करेंगे, नामीनेट करेंगे, नामांकित करेंगे। इससे मेरा मतभेद है और मैं समझता हूं कि इस प्रकार के करने से सरकार एक दल को प्रश्रय देगी और यह सारी की सारी शिक्षा नई-कांग्रेस के लोग चलायेंगे। आपका इस प्र कार से एक दल के हाथ में शिक्षा का प्रबन्ध देना बच्चों के लिये भी, अध्यापकों के लिये भी तथा शिक्षा जगत के लिये भी अच्छा न होगा। अगर इस प्रकार से आप कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं कि उसमें प्रतिनिधित्व मिले तो विशेष रूप से विद्वत-मंडली को यह मिलना चाहिये, अध्यापकों को मिलना चाहिये।

आप गांव के स्तर पर गांव के प्रधान को वहां का अध्यक्ष बनाकर आप उसके हाथ में शिक्षा की सारी बागडोर देना चाहतें हैं, वह क्या करेगा ? वह अपनी भैंस चरवायेगा अध्यापकों से और शिक्षा का काम नहीं लेगा। गांव के प्रधान के हाथ में शिक्षा का प्रबन्ध देने से शिक्षा पर बलबन्दी का कुप्रभाव पड़ेगा और किसी प्रकार भी गांव की शिक्षा में सुधार न होगा। प्रधान अपने निजी कार्यों में अध्यापकों को लगायेगा, शिक्षा नहीं होगी। अतः इस ओर भी आप ध्यान दें।

आपने यह भी कहा कि परिषद् अपना बजट बनायेगी और उस बजट की देखभाल राज्य सरकार का प्रतिनिधि करेगा जिसे आप निर्दिष्ट करेंगे। इससे परिषद् की स्वायत्तता कहां रही? वह बजट बनवाये और व्यय भी करे, तो यह बात समझ में आती है, लेकिन सब चीजें सरकार के हाथ में रहें, इससे ऐसा लगता है कि आप इसका सरकारीकरण करने जा रहे हैं, समाजीकरण या अध्यापकीकरण नहीं करना चाहते हैं। हर स्तर पर सरकार का हस्तक्षेप रहने से केवल एक दल को ही प्रश्रय मिलेगा, और इस व्यवस्था से हमारा मतभेद है। इस ओर भी आप ध्यान दें। समितियों के गठन में आप कुछ प्रिंसिपलों को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं और कुछ और तरीके से प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, यह कोई उचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि कोई चुनाव का तरीका लावें और कुछ अध्यापकों को भी प्रतिनिधित्व दें, उनके शिक्षा संघ को भी प्रतिनिधित्व दें। मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्व की बात है और इसको केवल जल्दी जल्दी में, जैसा आपने मुझे 15 मिनट का समय दिया है, तो कौन सदस्य इतने समय में अपने विचार व्यक्त कर सकता है और केवल सदन में विचार-विमर्श करके जल्दी-जल्दी इसको पारित कर देना चाहता हैं, यह अन्याय होगा। अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा में वाकई सुधार हो, तो इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं श्री राम गोपाल जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मंत्रीजी से यह आशा रखता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस अपने विधेयक को प्रवर समिति में प्रस्तुत करें जिससे सम्पूर्ण विधेयक पर विचार हो करके सदन में आये जिससे वाकई शिक्षा में सुधार हो सके।

*श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो शिक्षा संबंधी विधेयक आया है, इससे मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने शिक्षा की तरफ ध्यान देना शुरू किया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, उधर के लोग बहुत बोलना चाहते हैं लेकिन बोलने ही नहीं उठ रहे हैं, क्या बात है ?

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, आपके साथ रियायत कर रहे हैं।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

नहीं माान्यवर, यह बात ठीक नहीं है। जब तक लड़ाई के मैदान में दोनों तरफ से लोग नही रहेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

अगर बोलने की पूरी छूट दे दी जाय विरोधी दल को, मैं उनके प्रति बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं, तो शिकायत होती है कि हमारी तरफ से लोग नहीं बोलते हैं। अगर हमारी तरफ से लोग बोलते हैं, तो कहते हैं कि वे ही लोग बोलते हैं और हमको मौका नहीं मिलता। खैर, श्रीमन्, बोल लेने दो इन लोगों को, हैं ही कितने आदमी बोलने को उधर।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, उन लोगों के विचार भी तो आने चाहिये।

श्री बलबीर सिंह—

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि सरकार ने इस बात को महसूस किया है कि शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो स्कूल चल रहे थे, उनमें ठीक इन्तजाम नहीं था, बच्चों की ठीक पढ़ाई नहीं होती थी। मैंने स्वयं कई दफा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों को देखा। समय से मास्टर नहीं आते, विद्यार्थी नहीं उपस्थित रहते और ठीक से पढ़ाई नहीं होती। तो सरकार ने उस तरफ ध्यान दिया, इस बात का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मान्यवर, इस बिल से जैसी मंसा मालूम देती है वह यह मालूम देती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपैल्टी की जो भी शिक्षा है, आठवीं कक्षा तक सही, सरकार उसके ऊपर इस तरह से काबू पाये, इस तरह से कन्ट्रोल करे कि सारे संघ और स्कूल समिति– जो भी उनके कर्मचारी हो सकते हैं, वे सब सरकार के नियन्त्रण में रहें और सरकार के हाथ में आयें। शायद सरकार की ऐसी मन्सा है कि वह इलेक्शन के दौरान इस मशीनरी का इस्तेमाल कर सके, इसलिये वह इस बिल को लाये हैं। जब मैं ऐसी मंसा इस बिल की देखता हूं तो मैं इस बिल का विरोध करता हूं और सरकार से बता देना चाहता हूं कि यदि शिक्षा संस्थाओं का इस तरह से सरकारीकरण होगा तो शिक्षा में सुधार आने वाला नहीं, शिक्षाप्रणाली को इससे नुक्सान होगा। शिक्षा के सुधार में सबसे बुनियादी जरूरत है समानता की।

लेकिन मान्यवर, हम इस सरकार से इस समानता की आशा कर ही नहीं सकते। यह दूसरी बात है कि ये कम्युनिस्टों से मिलकर या नेक्सलाइट्स से मिलकर ये सरकार बना लें। लेकिन समानता लाने की आशा इनसे नहीं की जा सकती। तो मान्यवर, शिक्षा के लिये सबसे जरूरी बात है कि उसमें समानता लाई जाय। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात पर ध्यान किया जाय कि शिक्षा के संबंध में कम से कम समान स्तर की बात मान लें ताकि सभी बाल्देन को अपने बच्चों को पढ़ाने का समान अवसर मिल सके। यह आज बुनियादी जरूरत है हमारे देश और प्रदेश में शिक्षा के संबंध में। लेकिन मान्यवर, सरकार का ध्यान उधर नहीं गया। अगर सरकार का ध्यान उधर गया होता तो सबसे पहले, चाहे बेसिक स्तर की शिक्षा हो, चाहे आठवें तक की शिक्षा हो, सरकार इस बात का प्रयत्न करती कि आठवीं क्लास तक जो स्कूल्स

हैं जिनमें बहुत ज्यादा खर्च होता है, जिनमें आम जनता के बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते, सबसे पहला कदम उठाना चाहिये था, चाहे पब्लिक स्कूल्स हो, चाहे मान्टेसरी स्कूल्स हों, उन स्कूलों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये था और उनकी जगह पर सारे प्रदेश में इस तरह से स्कूल खोले जायं जिसमें गरीबों के बच्चे जा सकें । मेरा ख्याल है हमारे प्रदेश में करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनकी दैनिक आमदनी साढ़े तीन आना या चार आना रोज होगी । उसमें वह खाना भी खायेंगे और दूसरी जरूरतें भी पूरी करेंगे। जो सबसे छोटी श्रेणी के सरकारी कर्मचारी हैं उसकी तनख्वाह भी तीन-चार रुपये रोज से ज्यादा नहीं बैठती है ।

जैसा कि मैंने कामरोकों प्रस्ताव के जरिये भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, कीमतें अन्धाधुन्ध बढ़ रही हैं । चार-पांच रुपये रोज कमाने वाला आदमी भी अपने बच्चों को छोटे स्कूल में भी नहीं भेज सकता । तो एक तरफ तो ये खर्चीले स्कूल बन्द किये जायं और दूसरी तरफ सरकार का यह फर्ज होना चाहिये कि आठवीं कक्षा तक बच्चों की शिक्षा केवल मुफ्त ही न हो बल्कि उनके खाने-नाश्ते का भी प्रबन्ध हो और उनके कपड़ों का भी प्रबन्ध सरकार करे । अगर समानता लानी है तो हर बच्चे को अवसर देना होगा । अगर यह नहीं होगा तो जो लोग ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं वही अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकेंगे । एक बच्चा जो रिक्शा चालक का, चपरासी का या मध्यम वर्ग के आदमी का होगा उसको वह सुविधायें नहीं मिलती हैं जो कि धनी आदमी के बच्चों ओ मिल सकती हैं, स्कूल की भी और ट्यूटर की भी। इसका नतीजा यह होता है कि दोनों बच्चे एक जैसा दिमाग रखते हुए भी, अलग-अलग निकलते हैं। गरीब का बच्चा धनी आदमी के बच्चे का मुकाबला नहीं कर पाता । धनी आदमी का बच्चा आगे निकल जाता है । अगर समाज में यही विषमता रहेगी तो फिर समाजवाद का ढोल पीटना कोई माने नहीं रखता। इसलिये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि छोटी-छोटी बातें दिखाने का जमाना चला गया ।

यह बिल तो केवल इसी तरह से है जैसे साल भर के बच्चे को एक खिलौना दिखाकर बहला देना । और बड़ा हुआ तो और खिलौने दिखा दिये । इस तरह से उत्तर प्रदेश के निवासियों को एक तरह से खिलौना मात्र दिखाकर ही बहलाया जा रहा है । तो मुख्य मंत्री जी इस पर ध्यान दें और अगर वह सच्चे समाजवादी हैं या साम्यवादी हैं, साम्यवादियों से मिलकर सरकार चलाना चाहते हैं, तो इतनी समानता अवश्य कर दें और यह कर देंगे तो प्रदेश के लिये बहुत बड़ी बात हो जायगी । और आज यह करना बड़ा आवश्यक है । अगर शिक्षा में समानता लाने के लिए वह कोई कदम नहीं उठायेंगे तो जो बढ़ती हुई विषमता है और जो बढ़ती हुई महंगाई है, इसकी वजह से एक तड़पन समाज में पैदा हो जायगी और फिर कोई क्रान्ति भी हो सकती है । इसलिये अगर विषमता को मिटाना है और सही माने में इस प्रदेश को शिक्षा देनी है तो इस तरह का कदम उठाना होगा ।

साथ ही साथ, इसबिल के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि जिस तरह से इस बिल को लाया गया है और इस बिल के जरिये से सरकार सारे प्रदेश की जनता को अपने काबू में करना चाहती है । बिल को बिना जनता को दिये बगैर आप एक ऐसा तरीका बनाना चाहते हैं जिससे कि सरकार गांव में रहने वाले या शहर में रहने वाले लोगों पर अपना कन्ट्रोल जमा सके । इसलिये मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल जल्दी में पास न किया जाय जो इसमें संशोधन रखा गया है कि इसको प्रवर समिति में सौंप दिया जाय मैं उसी के समर्थन में बोल रहा हूं। शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत सी बातें हैं तो बिल में भी बहुत सी बातें हैं जिन पर सदस्यों को तथा जनता को विचार करना पड़ेगी । एक तो नामिनेशन की बात कही गई है, प्रधान का नामिनेट करना, अन्य व्यक्तियों का नामिनेट करना तथा नामिनेट करने का तरीका जैसा कि इस सरकार का हो गया है, उस पर मुझको सख्त एतराज है ।

[श्री बलबीर सिंह]

ब्लाक बनायेंगे तो बी० डी० सी० में नामिनेट करेंगे, पंचायत बनायेंगे तो उसमें नामिनेट करेंगे और शिक्षा का पुनर्गठन कर रहे हैं तो जो बाडी बनेगी उसमें भी नामिनेट कर रहे हैं। आप नामिनेट करके उस पर कब्जा करना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर, ब्लाकों पर या और कमेटियों पर आप नामिनेशन के द्वारा कब्जा करना चाहते हैं। आप यह चाहते हैं कि अपना बहुमत रखें ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। जो कुछ इसमें कहा गया है मैं उसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी इसको समझेंगे। इसमें कोई नुक्सान होने वाला नहीं है। कई बिलों पर यह पहले ही कहा जा चुका है कि इसको प्रवर समिति में जाना चाहिये। इसमें सरकार का कुछ बने या बिगड़ेगा नहीं। न तो इसमें कोई नुक्सान ही है। आज इसको नाफिज न करें 6 महीने के बाद कर लें। क्या फर्क पड़ जायगा। लेकिन इससे आपको सही जनता की भावना का पता चल जायगा। इसमें जो मौलिक और बुनियादी बातें हैं उन पर वह ध्यान दे सकेगी और उसमें कुछ सुधार हो जायगा और सरकार का कोई नुक्सान नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस पर सहमत हो जायं और इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें।

*श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, बेसिक शिक्षा के नाम से जो विधेयक पेश हुआ है उसमें जो उसके उद्देश्य और कारण बताये गये हैं मैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करने के बाद अपनी बात कहूंगा। इस सरकार ने यह अनुभव किया कि शिक्षा का संचालन स्थानीय निकायों द्वारा संतोषप्रद ढंग से नहीं हो रहा था और दिनोदिन शिक्षा प्रणाली ह्रासोन्मुख होती जा रही थी। जनमत की यह आकांक्षा थी कि कि शासन इस स्तर की शिक्षा सुधारने की दिशा में तुरन्त कदम उठायें। अतः प्राथमिक शिक्षा के सुधार, विकास एवं व्यापक प्रसार हेतु यह आवश्यक हो गया कि शासन इसका नियंत्रण अपने हाथ में ले। श्रीमन्, जो बात इस उद्देश्य में कही गई है वह निश्चित रूप से आकर्षक है अच्छी है किन्तु जब इस बिल को हम देखते हैं तो उद्देश्य का कोई भी अंश इस बिल के अन्दर नहीं है, वह इसमें कहीं दिखाई नहीं देता है। शिक्षा का जो ह्रास हो गया है उसका विकास कैसे होगा, कौन सा ऐसा तरीका और ढंग होगा जिससे कि आमूल रूप से शिक्षा प्रणाली को आप बदल देंगे। ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं देता है। इसमें जो बात दिखाई देती है वह यह है कि आप ने यह कहा कि स्थानीय निकायों के हाथ में जो शिक्षा व्यवस्था थी, वह ठीक नहीं थी। इसका क्या अर्थ हुआ?

क्षमा करेंगे माननीय मुख्य मंत्री जी। वे भी जन-प्रतिनिधि हैं और इन स्थानीय निकायों में भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। अपने इस आसन पर बैठ कर जो इस प्रदेश की इकाइयां हैं जन-प्रतिनिधियों की उनके प्रति आप अविश्वास व्यक्त करते हैं, उनके प्रति लांछन लगाते हैं, यह जन-प्रतिनिधि होने के नाते आप को शोभा नहीं देता। यदि आप की आस्था जनतंत्र पर है तो इस प्रकार का लांछन लगा कर किसी चीज में परिवर्तन लाना कि चूंकि जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में शिक्षा व्यवस्था थी इसलिए इसमें गड़बड़ी थी, इसमें गिरावट आ गयी, पार्टीबाजी होती रही, राजनैतिक दबाव से ट्रांसफर होते रहे—ऐसी बातें सुनने को मिलीं। मेरी समझ में नहीं आया कि इस सदन में जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हुए हैं वहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की जो इकायी हैं उनके विरुद्ध इस प्रकार की बातें कही जायं। क्या आप इसको गवारा करेंगे कि आप के अधिकार आपसे लेकर किन्हीं कर्मचारियों के हाथ में सौंप दिये जायं? अगर नहीं, तो आप ने यह कैसे गवारा कर लिया, कैसे स्वीकार कर लिया, यह कदम कैसे उठाया गया कि चूंकि जनप्रतिनिधियों के हाथ में यह बागडोर थी इसलिये इस व्यवस्था में सारी गड़बड़ी थी, जैसा कि हमारे पहले के वक्ताओं ने भी कहा है। श्रीमन्, मेरा इससे घोर

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विरोध है, मैं ने मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि इस प्रदेश में यह परम्परा डाली जाय कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकारों को छीनकर आये दिन सरकारी कर्मचारियों के हाथ में दे दिया जाय।

इससे देश में प्रजातंत्र से विश्वास उठेगा, आस्था हटेगी और हम अधिनायकवाद की ओर बढ़ेंगे---उत्तरोत्तर आपके कदम इसके द्योतक हैं। क्या आप चाहते हैं कि सारी व्यवस्था जनतांत्रिक पद्धति से न होकर उस पद्धति से हो जैसा कि संसार के कुछ मुल्कों में हो रहा है? यदि यह सही है तो स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए सीधी घोषणा होनी चाहिए कि अब से काम-काज, चाहे शिक्षा या दूसरे काम सबका सरकारीकरण हो जायगा, यानी अफसरशाही, नौकर-शाही के हाथ में सौंप दिया जायगा, वह संचालन करेंगे। इसलिये हम माननीय शिक्षा मन्त्री जी से चाहेंगे कि वह इस बिल के सम्बन्ध में विचार करें कि आया क्या वह यह बिल अपने विरोध में पेश नहीं कर रहे हैं? जब आप स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के प्रति अविश्वास व्यक्त करते हैं तो क्या वह अविश्वास जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने ऊपर नहीं है? यदि है, तो निश्चित रूप से इस पर आप विचार करें और शिक्षा के उत्थान, प्रगति और विकास के लिये ऐसा व्यावहारिक कदम उठायें जिसमें इस प्रकार के लांछनों से आप बच सकें।

जहां हम यह कहते हैं कि आपका जनतंत्र में विश्वास नहीं रहा, वहां इस बिल में भी वह बात साफ दिखाई देती है। आप ने कहा कि हम तीन सार्वजनिक स्तरों पर प्रवेश, जिला और ग्रामीण स्तर पर समितियां गठित करेंगे और आपने लिखा है कि कमेटियों में सदस्यगण मनोनीत होंगे। यानी सरकार का विश्वास जनतंत्र पर नहीं रहा, मनोनयन पर रह गया। अपने मन, इच्छा और रुचि के अनुसार और क्षमा करें यदि हम यह कह दें कि अपने दल के लोगों को आप इन कमेटियों में मनोनयन करना चाहते हैं और इसीलिये यह धारा आपने रख छोड़ी है। वर्ना इस प्रकार का अधिकार आपको नहीं रखना चाहिए कि लोग सरकार के द्वारा मनोनीत किये जायंगे। इससे निश्चित रूप से जनतंत्र की भावनाओं को ठेस लगती है उस धारा से जिसका आपने समावेश किया है। यदि आप का जनतंत्र पर विश्वास है तो इस मनो-नयन की प्रथा को बन्द करके किसी दूसरे ढंग से ऐसे लोगों की कमेटियां बनायें जिनमें जन प्रतिनिधि हों, शिक्षा शास्त्री और शिक्षाविद् हों जो इनका कार्य संचालन अपने हाथ में लें। कौन कार्य संचालन करेगा? आपके आई० ए० एस० आफिसर जिनको चतुर्मुखी ज्ञान है? आप उनको सिंचाई विभाग में बिठाल दीजिये तो उसका काम करने लगेंगे, सहकारिता विभाग में बिठाल दीजिये तो उसका काम करने लगेंगे, शिक्षा विभाग में बिठाल दीजिये तो शिक्षा का काम करने लगेंगे। कहीं भी आप बिठाल दें, वे वही काम करने लगेंगे। ऐसे सरकारी कर्मचारियों पर आपका विश्वास है। उनके हाथों में आप शिक्षा को भी देने जा रहे हैं। शिक्षा जैसी चीज हर आदमी के वश की नहीं है। उसमें आमूल परिवर्तन लाना उस आदमी के वश में नहीं है जिसको आप बेसिक शिक्षा परिषद् का अध्यक्ष मनोनीत करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से आपको इन पदों पर ऐसे योग्य और अनुभव प्राप्त शिक्षा विशारदों को रखना चाहिये जिनको शिक्षा का मौलिक ज्ञान हो। इस देश में कैसी शिक्षा होनी चाहिए उस प्रकार की शिक्षा पद्धति को लागू करने की जिनके मन में आकांक्षा हो। यदि आप गैर-सरकारी क्षेत्र में विचार करके देखेंगे तो आपको ऐसे सैकड़ों योग्य और अनुभवी लोग मिलेंगे जिनके मन में एक तमन्ना है कि यहां की शिक्षा प्रणाली बदले और उस सम्बन्ध में वे व्यावहारिक सुझाव आपके सामने रख सकेंगे।

दूसरी बात इस बिल में यह कही गयी है कि अभी तक प्राथमिक शिक्षा थी। अब बेसिक शिक्षा हो जायगी। मैं नहीं समझ पाया कि जिस दिन से यह बिल पास होगा उस दिन से प्राथमिक शब्द हट करके सारे प्रदेश में बेसिक शिक्षा होगी। उस बेसिक शिक्षा का क्या रूप होगा कहीं तो वह बात दिखायी देती कि उसका यह रूप होगा? पढ़ने-लिखने के बाद आदमी नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ेगा या जो मजदूर बनने की फैक्टरी आप शिक्षा के द्वारा चला रहे हैं, वह बन्द

[श्री रामकुमार दीक्षित—]

होगी और मनुष्य का आध्यात्मिक, बौद्धिक और भौतिक विकास होगा। इस प्रकार की किसी चीज का समावेश आप करते। आपने प्राथमिक के स्थान पर बेसिक शब्द जरूर रख दिया किन्तु यदि नामकरण से ही बेसिक शिक्षा होने वाली होती तो इसके पहले डा० जाकिर हुसैन साहब ने इसका संकेत किया था। तब बड़ी तेजी से इस प्रदेश में बेसिक शिक्षा की लहर बढ़ी थी और उस समय की सरकार ने सारी जगह बेसिक शिक्षा के बारे में प्रशिक्षण आदि चालू किया था। लेकिन केवल 2–3 वर्षों तक ही उसका प्रशिक्षण और वह प्रणाली चली और कुछ टाट पट्टियों की रंगाई का काम भी हुआ लेकिन बाद में वह समाप्त हो गया। यदि उसी प्रकार की बेसिक शिक्षा चलाने का इरादा है जिसका प्रयोग पिछले 25 वर्षों में हो चुका है तो कोई लाभ नहीं होगा। यह सोचना पड़ेगा कि आज की परिस्थितियों में इस प्रदेश को किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। यदि बिना सोचे समझे केवल जनता को प्रभावित करने मात्र के लिये काम किया तो कोई लाभ नहीं होगा।

मेरा निश्चित मत है कि इस बिल के माध्यम से कोई सुधार होगा नहीं खाली इतना जरूर होगा कि अध्यापक जो अभी तक स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधियों का सहयोग अपने हितों के लिये लड़ झगड़ कर लेते थे, अब सरकारी कर्मचारियों के हाथों में बांध दिये जायेंगे और सरकारी कर्मचारियों की हालत क्या है मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करके कहना चाहता हूं। इन दो वर्षों में, जब से आप ने जिला परिषदों को भंग किया और सरकारी अफसरों को जिला परिषदों का संचालक बनाया, मुख्य मन्त्री जी के कार्यकाल में ही जिला परिषद् भंग हुये और यह कहा गया कि इनमें व्यापक गड़बड़ी है। इसलिये कलेक्टर को मालिक बना दिया तो क्या कृपा करके कोई कमेटी नियुक्त करके यह जांच करायेंगे कि इन दो वर्षों में उन जिला परिषदों की क्या गति हुई है? उसके बाद क्या हालत हुई अध्यापकों की, क्या हालत हुई दूसरे कामों की? जो हालत हुई वह उस जमाने से भी बदतर हुई जिस जमाने मे इनका काम जिला परिषदों तथा जनप्रतिनिधियों के हाथों में था। तो यह कहना कि प्रबन्ध ठीक नहीं था इसलिये जिला परिषदों को समाप्त करना पड़ा, ठीक नहीं है। शिक्षा के ही क्षेत्र में देख लीजिये, जिला परिषदों को भंग करने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षकों को जिलाधीश ने विद्यालयों का मालिक बना दिया। कानपुर जिले की मैं बात बता रहा हूं कि वहां पर खुले आम डिप्टी इन्सपेक्टर ने ट्रान्सफर के केस में रिश्वत ली, खुलेआम प्रोमोशन के केस में रिश्वत ली, खुले आम नियुक्ति के केस में रिश्वत ली। इस कदर रिश्वत चली है कि मैं कह नहीं सकता। अब जब कि सारी शिक्षा पद्धति को ही सरकारी नौकरों के हाथों में दे दिया जायेगा तो क्या हालत होगी? उसकी तो मान्यवर, कल्पना भी नहीं की जा सकती, मैं चाहता हूं कि यह विधेयक पास होने के पूर्व आपको भी मान्यवर, इस पर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये। इसका जो विभिन्न स्वरूप है, उस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। यदि जन प्रतिनिधियों के सुझाव आप नहीं लेंगे और इसे केवल अपने अधिकारियों पर ही छोड़ देंगे तो उससे न प्रदेश का भला होगा और न शिक्षा की ही प्रगति हो सकेगी।

यह बिल जो आया है यह मैं नहीं कह सकता कि यह मन्त्री जी के दिमाग की उपज है या सरकारी अधिकारियों के दिमाग की उपज है, लेकिन इसे अगर जल्दी-जल्दी में पास कराया गया तो बाद में बड़ा पश्चाताप करना पड़ेगा। यदि आप वास्तव में कुछ सुधार करना चाहते हैं तो आप को कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। आप ने कहा कि विद्यालयों में बच्चों को बैठने का स्थान नहीं है, शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, इमारतें ठीक नहीं हैं, तो यह सब इन्तजाम किसके करने का है? क्या जनप्रतिनिधि का काम यह है कि वह तो स्कूल में झाड़ू लगाये, इमारत आदि बनवाये और सारा शेष काम नियुक्ति का, ट्रांसफर का, पदोन्नति का, यह सब काम आप के अधिकारी करें? प्रजातांत्रिक पद्धति में यदि सरकारी नौकरों के द्वारा ही सारा काम करवाना है तो प्रजातंत्र के लिये वह बड़ा घातक है। इससे तो आप सरकारी नौकरों के ही हाथ मजबूत करेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय

यहां इसके पूरे स्वरूप पर भी गहराई से विचार किया जा सके और ऐसा विधेयक हमारे सामने आये जो व्यावहारिक हो और जिससे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार हो सके ।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

माान्यवर, मैंने इस बिल को बड़े ही ध्यान से पढ़ा है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस विधेयक से कोई भी मूल परिवर्तन के होने की सम्भावना नहीं है, केवल एक काम जरूर हो जायेगा, पंडित जी, इस समय नहीं हैं। यह यो जना परिवार खपाओ योजना के रूप में जरूर सफल होगी। चाहे परिवार खपाओ योजना कह लीजिये या बिरादरी खपाओ योजना कह लीजिये। राष्ट्रपति से लेकर रिक्शा चालक तक आज यही कहता है कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन की जरूरत है। बेश का दुर्भाग्य है कि आज आजादी के 25 वर्ष के बाद भी राष्ट्रपति यही कहते हैं कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन की जरूरत है। गांधी जी ने 1937 में जो बेसिक शिक्षा की कल्पना की थी वह क्या थी? क्या वह यही थी जो इस विधेयक में है? मैं तो समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी बेसिक शिक्षा का अर्थ ही नहीं समझते। अगर बेसिक शिक्षा का अर्थ मौजूदा शिक्षा से है तो यह सारा विधेयक बेकार है। गांधी जी ने जो बेसिक शिक्षा का अर्थ लिखा था वह यह नहीं था। सन् 1937 के बाद है, मैं उसे पढ़ देना चाहता हूं। बेसिक शिक्षा के बारे में मैं कह रहा हूं। मैं उनको यह बताना चाहता हूं वह बेसिक शिक्षा को नहीं जानेंगे तो उसकी परिषदें क्या बनाएंगे। यह मौलिक शिक्षा की मौलिक बात को समझें। यह मेरे पास गांधी जी का एक लेख है, जो 23 जुलाई, 1937 को 'हरिजन' में प्रकाशित हुआ था, उससे पढ़ना चाहता हूं—

As a nation we are so backward in education that we cannot hope to fulfil our obligation to the nation in this respect in a given time during this generation, if this progrmme is to depend on money. I have, therefore, made bold, even at the risk of losing reputation for constructive ability to suggest that education should be self—supporting. By education, I mean an all round drawing out of the best in child and manlady, mind and spirit",

इसका अभिप्राय यह है कि हमारे बालकों का शारीरिक, भौतिक और नैतिक विकास हो।

श्री उपाध्यक्ष—

बेसिक शिक्षा की सारी कल्पना व्यर्थ हो जाती है, जब आप अंग्रेजी के उद्धरण के जरिये से उस की पुनर्स्थापना करते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—(जिला देहरादून)

मैं इनसे कहना चाहता हूं कि इन्हें यह सब, गांधी जी की बात सरकार से कहने का लाभ ही क्या है जब वह गांधी जी की कोई बात मानते ही नहीं हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

बेसिक शिक्षा समिति बन रही है। बेसिक शिक्षा परिषद् बेसिक एजूकेशन क्या है, उसका क्या सम्बन्ध है जीवन के साथ इस ओर संकेत देकर मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। गांधी जी ने एक समिति बनाई थी, स्वर्गीय नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में, उसने अपनी रिपोर्ट दी, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार किया उसमें एक यह था कि यह शिक्षा शासन-युक्त हो या शासन-मुक्त हो। उसमें यह था कि शिक्षा शाब्दिक ज्ञान की हो या कार्य क्षेत्र, उद्योग धंधों के सम्बन्ध में हो, उसमें यह था कि यह शिक्षा स्वावलम्बी हो या सरकारावलम्बी हो। सन् 1937 का कांग्रेस का जो था, उसे सारे प्रदेश ने स्वीकार किया। उसमें सभी ने स्वीकार किया कि शिक्षा शासन मुक्त होनी चाहिये, शासन युक्त नहीं होनी चाहिये। और शिक्षा सरकारावलम्बी नहीं होनी चाहिए। श्रीमन्, याद होगा, उस समय हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, उस समय हम लोगों को रूई, तकली का काम सिखाया जाता था। कहा जाता था कि शिक्षा का सम्बन्ध उद्योग-धंधे और हस्तकला से होना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

मान्यवर, शिक्षा में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है, यह हम सब समझते हैं। इससे लोग यह न समझें कि हम इस शब्द का विरोध करते हैं। आज जो हम व्यवस्था कर रहे हैं और प्रबन्ध में व्यवस्था कर रहे हैं वह तीन प्रकार की है। एक तो परिषद् बना दें, जो राज्य में रहेगी। एक बेसिक शिक्षा समिति बना दें और एक आपने गांव के लिए बना दिया है। अब आप देखें, इन तीनों का गठन देखें तो मालूम पड़ता है कि लोकशक्ति का ह्रास हुआ है। लोक सत्ता का ह्रास होगा तो लोकराज्य बन नहीं सकता। सारी मनोनयन की चीजें हैं। एक भी उदाहरण नहीं है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। क्षेत्र समिति जिला परिषद् के सदस्यों में से तीन को नामजद करेंगे, फिर नगरपालिका और टाउन एरिया में नामजद करेंगे। सारी की सारी नामजदगी होगी। इसी प्रकार गांव समिति में अध्यक्ष होगा, जिला समिति में सारी की सारी नामजदगी होगी। सरकार नामजद करेगी तो सारी शिक्षा संस्थाओं पर एक बलपति का राज्य हो जायगा। सारी शिक्षा संस्थाएं सरकार के नियन्त्रण में आ जायंगी।

माननीय मन्त्री जी जब वोट मांगते हैं तो आप जिसको चाहेंगे नेता बनेगा और वह जीतेगा। माननीय मन्त्री जी नामजदगी की प्रथा कायम करके लोक राज को समाप्त कर रहे हैं। और राजसत्ता हावी हो जायगी। तीन निदेशालय बनाने जा रहे हैं। कहते हैं कि जिला परिषदों, नगरपालिकाओं और महापलिकाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों की वजह से काम नहीं हो रहा है, यह बात बिल्कुल गलत है। आज जिला परिषद्, नगरपालिकायें, और गांव सभाएं अगर शिक्षा का संचालन ठीक से नहीं कर रही हैं तो सबसे बड़ा कारण धन का अभाव है। आज सरकार शिक्षा संस्थाओं को चलाती है, उसको पैसा नहीं देती है जितनी जरूरत है। मैं कहता हूं कि तीन निदेशालय बनाकर जितना खर्च करेंगे यह पैसा जिला परिषदों को, नगरपालिकाओं को, महापालिकाओं को दें तो प्राथमिक शिक्षा का स्तर कितना अच्छा हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य उधर तो शोर कर रहे हैं। आप इतना शोर कर रहे हैं। दूसरे सुन ही नहीं रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स, इधर से शोर हुआ, उधर से शोर हुआ, तो लिख नहीं पाते हैं। उन्हें कठिनाई पड़ रही है, इसलिये उन्होंने कहा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं यह कह रहा था कि जन प्रतिनिधियों पर आप को शंका हो गयी है। मैं तो बार-बार कहता हूं कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री मिनिस्टरों के पैर पकड़ रही है। जिला परिषदों में केवल जन प्रतिनिधियों का नियन्त्रण नहीं होगा। आप की बालाहार योजना स्कूलों में चलती है, उसका जन प्रतिनिधियों से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैंने चैलेंज किया था सारे उत्तर प्रदेश में बालाहार योजना का पैसा अफसर खा जाते हैं, लड़कों के गले तक बालाहार जाता ही नहीं। मेरा कहना यह है कि सरकार से, बिलकुल आप का मंशा शिक्षा में परिवर्तन का है नहीं। आप केवल सारी मशीनरी का सरकारीकरण करके नौकरशाही के हाथ में दे रहे हैं। हमारे जैसे लोग जो जनतंत्र को जिन्दा रखना चाहते हैं उसे पनपाने की कोशिश करेंगे और जब तक ऐसा न होगा तब तक बराबरी अथवा समता आ नहीं सकती। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप जनमत संग्रह का जो संशोधन है उसे मान लें। इसमें कुछ शाब्दिक अशुद्धियां भी हैं उन को भी आप देख लें। धारा 9 में पृष्ठ 4 पर यह छपा है, "नियत दिनांक की ओर से केवल बेसिक स्कूलों के सम्बन्ध में।" यह दिनांक की ओर से क्या तात्पर्य है?

श्री उपाध्यक्ष—

यह ठीक है। अब आप समाप्त करें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं समाप्त कर रहा हूं। इस विधेयक को वेलें। मास्टर नहीं रहेंगे जब कि आप सरकारीकरण कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

संशोधन ले आइये अध्यापकों का पद परिवर्तन हो जाय।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मौलिक परिवर्तन होने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

मौलिक परिवर्तन के लिये यह विधेयक नहीं है। प्रबन्ध के लिये है।

*श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, जो संशोधन श्री त्रिलोक चन्द्र जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसी के सम्बन्ध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक जिस इरादे से लाया गया है मैं उस पर कोई आपत्ति नहीं करना चाहता। लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह जल्दबाजी में उठाया गया एक कदम है। इसके अन्दर सरकार ने अपनी नीतियों को स्पष्ट नहीं किया और वह जल्दी से कुछ न कुछ कर देना चाहती है ताकि लोगों के सामने एक चीज आ जाय। हमने जो स्कूल अपने हाथ में ले लिये और समाजवाद की तरफ एक कदम उठा दिया इसलिये यह बिल सरकार लाना चाहती है वर्ना आप देखेंगे कि इस विधेयक के अन्दर ऐसी संस्थाओं को छोड़ा गया है जो प्राइवेट स्कूल हैं। इन स्कूलों के अध्यापकों की, पढ़ाई की, विद्यार्थियों की हालत बड़ी दयनीय है और वह किसी से छिपी नहीं है। जो नगरपालिका तथा जिला परिषद् के स्कूल हैं, वहां के अध्यापक अच्छी स्थिति में हैं लेकिन प्राइवेट स्कूल के अध्यापक बड़ी दयनीय दशा में हैं। न उनका वेतन मान है, न सेवा नियम हैं, न वे सुविधायें उनको प्राप्त हैं जो अन्य स्कूलों में अध्यापकों को प्राप्त हैं। हम इस पक्ष में नहीं हैं कि सरकार का कब्जा हर चीज पर हो जाय। सरकार एक सीमित ढंग से चीजों को अपने हाथ में ले लेकिन अगर वह हर काम अपने हाथ में ले लेगी तो जो विकास शिक्षाविदों का होना चाहिये वह विकास उनका नहीं हो पायेगा। और इसीलिये हम लोगों ने सुझाव भी दिया था। इससे क्या लाभ होगा? ये लोग तो कान में शीशा लगाकर बैठे हुये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री काफी सुलझे हुये व्यक्ति हैं और वे हम लोगों की बातों को सुनते भी हैं।

इस विधेयक को पढ़कर ऐसा लगता है कि आपने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। हर कदम के ऊपर आप नामिनेशन की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि अगर नामिनेशन अध्यापकों में से होना है, शिक्षाविदों में से होना है, नगरपालिका के प्रतिनिधियों में से होना है तो फिर बोर्ड कैसे बनेगा? वह ऐसे बनेगा कि जिसके अन्दर सरकार के द्वारा नामिनेटेड व्यक्ति होंगे और वे उसमें काम करेंगे तो फिर वही होगा जो कि सरकार चाहेगी। श्रीमन्, शिक्षा एक ऐसा विषय है जो कि एक शुगर मिल तो है। नहीं जिसका आप राष्ट्रीयकरण कर दें। जिनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिये उनका तो आप करते नहीं हैं। यह विभाग तो केवल शिक्षाविदों के हाथों में जाना चाहिये था और उनके हाथों में जाना चाहिये जो कि इस विषय को अच्छी तरह से जानते हों। आप कहते हैं कि आप शिक्षाविदों की नियुक्ति कर लेंगे। मैं कहता हूं कि आप अपनी उन विभिन्न समितियों को देखें और उनमें जो नियुक्तियां होती हैं उनको देखें। क्या आप नियुक्ति करते समय उनके गुण और दोषों को दृष्टि में रखते हुये उन्हें नियुक्त करते हैं? आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, आप यह राजनीतिक कारणों से करते हैं। मान लीजिये पांडेय जी आज मंत्री नहीं बने तो कल उन्हें कल बड़ा अधिकारी बना देंगे। अभी हमारे चतुर्भुज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

शर्मा बैठे थे। उनको आपने किसी सिंचाई समिति का चेयरमैन बना दिया। जिनको आप रिहेबिलिटेट नहीं कर पाते हैं उन्हें दूसरी जगह पर नियुक्त कर देते हैं और दूसरे क्षेत्र में उन्हें ले लेते हैं। किसी सीमा तक तो हम मान भी सकते हैं किन्तु पग-पग में आप यदि ऐसा करेंगे तो यह ठीक नहीं है। खास तौर से यदि शिक्षा के अन्दर आपका इतना अधिक दखल हो जायेगा तो यह चीज नहीं होनी चाहिये।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको भी आप इसमें जोड़ दें। अन्यथा जो प्राइवेट स्कूलों के अध्यापक हैं और सरकारी स्कूलों के अध्यापक हैं, उनके बीच इतनी बड़ी खाईं हो जायेगी कि वह मामला फिर सुधरने वाला नहीं है। प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों की हालत खराब हो जायेगी और इन अध्यापकों की स्थिति अच्छी हो जायेगी। आखिर उनमें भी तो सुधार की आवश्यकता है। तो मेरा कहना यह है कि आप कृपा करके इनकी ओर भी ध्यान दें और विचार करें।

तीसरी बात यह है कि आपने इस विधेयक में कहीं पर भी अध्यापकों के वेतन, उनके मंहगाई-भत्ते तथा सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में जिक्र नहीं किया है। यह एक बहुत बड़ा विषय है। 1971 में आप इन्टरमीडिएट के अध्यापकों के वेतन और भत्ते आदि के लिये एक ऐक्ट लाये थे। इन अध्यापकों के बारे में भी आपको प्राविजन करना चाहिये ताकि उन्हें समय पर पूरी तनख्वाह मिले और समान महंगाई भत्ता मिले जैसे कि सरकारी अध्यापकों को मिलता है। यदि आप ऐसा प्राविधान कर देंगे तो लाभ होगा।

आपने एक बात और कर दी कि गांव स्तर के प्रधानों को सभापति बना दिया। मैं आपको बताता हूं कि गांव का प्रधान आज इतना बड़ा राजनीतिज्ञ हो गया है कि हम और आप उतनी राजनीति नहीं जानते हैं जितनी यह जानता है। यह प्रधान बहुत होशियार होता है। यदि प्रधान को आपने सभापति बना दिया तो अध्यापक लोग इसके घर बरतन मांजते हुये मिलेंगे और न मालूम क्या-क्या काम इनसे लिया जायेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्रधानों के हाथों में इन स्कूलों को न दें। क्योंकि इस बात की सम्भावना है, हजार में एक प्रधान को छोड़ सकते हैं, हजार में 10–20 प्रधान छोड़े जा सकते हैं कि वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करें लेकिन आमतौर पर जो प्रधान हैं और आज की जो स्थिति है, उसको देख कर हम समझते हैं कि यह अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकता है इसलिये कृपा कर के आप इस को हटा दीजिये। इसलिये, श्रीमन्, मैं यह आपसे कहना चाहता हूं कि जो मैंने एक संशोधन रखा है इसको जनता की राय जानने के लिये परिचालित कर दीजिये। इतनी जल्दी की बात नहीं है कि आप सोचें कि इसके आगे क्या होगा। 10–15 दिन या एक महीना, जितना समय चाहें आप जनता की राय के लिये जाने दीजिये। यह ऐसा प्रश्न नहीं है जिसको 4 लोग मिल कर आपस में तय कर लें। इस प्रश्न पर आम जनता, शिक्षाविदों, अध्यापकों और विद्यार्थियों की राय आने दीजिये। उनकी राय आने के बाद जो विधेयक आपका बनेगा वह अच्छा विधेयक होगा और हम भी उसका समर्थन करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि सरकार द्वारा हमारी बातों को मान लिया जाय।

*श्री रामविलास पांडेय—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि इस विधेयक पर आखिर मुझे भी बोलने का अवसर आपने दिया। यह विधेयक ऐसा है कि जिसने प्रजातंत्र का विश्वास खो दिया है और यही नहीं, जो 8 अध्यादेश जारी किये गये थे उनमें से एक यह भी अध्यादेश हुआ। इस विधेयक को देख कर मुझे तो तरस आती है इस सरकार की बुद्धि पर कि इसमें कौन सा ऐसा क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिया गया है जिसके लिये सरकार को अध्यादेश जारी करने की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आवश्यकता महसूस हुई। इसमें कोई नया परिवर्तन नहीं हुआ है। इस पर कल से आज तक दो दिनों से सदन में चर्चा हो रही है। लेकिन इसमें सिवा इसके कुछ और नहीं मिला कि अब शिक्षा परिषद् का डाइरेक्टर होगा और डाइरेक्टर ही चेयरमैन है। एक यह कि जिला अधिकारी उसका अध्यक्ष होगा और गवर्नमेंट नामिनेट करेगी। यह हो गया कि गांव सभा का अध्यक्ष रहेगा और अब वहां गवर्नमेंट नामिनेट करेगी, और कोई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिये सरकार ने कोई नयी बात सोची हो, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं सोचा गया है। इन्तजाम कौन करे, किसके आदेश से ट्रांसफर होता रहे, कौन तनख्वाह बांटे, सिवा ट्रासफर रोकने और करने के, सिवा वेतन देने के और कोई चीज सोचने को नहीं रह गयी। क्या यह कोई क्रान्तिकारी चीज थी ? शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने वाली कोई चीज इसमें नहीं की गयी है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये। इनका यह भी सुझाव हो सकता था कि हायर सेकेंडरी स्कूल्स जितने भी हैं, और 3–4 मील की दूरी पर पड़ते हैं, होना तो यह चाहिये था कि प्रारम्भिक स्कूल के बच्चे जो उन्हीं के हायर सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं, वहां जाने के बाद वे कोई इतनी अच्छी योग्यता लेकर नहीं जाते हैं कि आगे के क्लास में बहुत अच्छे डिवीजन से उत्तीर्ण हो सकें, वे किन्हीं कारणों से पास कर दिये जाते हैं। ऐसी हालत में होना यह चाहिये था कि हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य को परीक्षा लेने का हक मिलना चाहिये था ताकि 8–10, 15–20 जितनी पाठशालायें वहां पर हैं, उन की परीक्षा लेते तो वह उस विद्यालय से अच्छा रिजल्ट लेने के लिये प्रयास करता। प्रारम्भिक विद्यालय से अच्छे बच्चे निकलें, यह प्रयास भी इसमें आगे नहीं किया गया है। यह प्रयास भी इस सरकार ने नहीं किया कि इसाईयों द्वारा जो स्कूल चल रहे हैं, प्राइवेट लोगों द्वारा जो स्कूल चल रहे हैं, वे सरकार के नियन्त्रण में आवें। उनको अलग रखा गया है। कुछ स्कूल जिला परिषदों के प्रबन्ध में भी चल रहे हैं। प्रजातंत्र का एक तरीका था, जनता के चुने हुये नुमायंदे थे और वहां कुछ झलक प्रजातंत्र की मिलती थी। लेकिन यह शिक्षा परिषद् का अध्यक्ष डायरेक्टर को बना रहे हैं। वह कोई नान आफीशियल नहीं होगा। सरकारी कर्मचारी इसका अध्यक्ष होगा और जिले के स्तर पर सरकारी आदमी ही होगा। सरकार ने थोड़ी भूल कर दी और गांव सभा के प्रधान के स्थान पर पंचायत मंत्री को अध्यक्ष बनाना चाहिये था या फिर लेखपाल को बनाना चाहिये था। यह है इसका डेमोक्रेटिक स्वरूप, यह है राष्ट्रीयकरण। यह देश की जनता को भुलावा देकर देश पर हुकूमत करना चाहते हैं। वास्तविकता इसके परे हैं। यह सरकारीकरण है, अधिकारीकरण है, यह सरकारी कर्मचारियों के हाथ में शिक्षा को देना चाहते हैं।

इस विधेयक पर सुझाव देने का अवसर नहीं दिया गया है। आपने कहा कि और बातों पर आप बोल नहीं सकते हैं। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिये क्या तरीका अपनाया जाये, इसके लिये इस विधेयक में कहीं जगह नहीं रखी गई है कि हम सुझाव दे सकें। अब इसका इंतजाम शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष जो एक डायरेक्टर हैं उनके हाथ में होगा और वही सारा इंतजाम करेंगे। इस प्रजातंत्र में आज उनकी सरकार है, कल हमारी हो सकती है। पिछले दिनों जिला परिषद् कांग्रेस संगठन के हाथ में रहे। जिला परिषद् के अध्यक्ष को कौन नामजद करेगा। इसको प्रदेश सरकार नामजद करेगी। यह आपके प्रजातंत्र का तरीका है। आप जो अपने दल की एक चयन कमेटी बना रहे हैं, क्या उसके इशारे पर काम नहीं होगा ? मैं समझता हूं कि इससे शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं हो सकेगा।

मैं इस विधेयक पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में कुछ नहीं रखा गया है सिवाय इसके कि शराब की बोतल बदल दी गई है। प्रजातंत्र में ऐसा विधेयक लाकर जनता को गुमराह करके शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठाया जा सकता है। इसका स्तर ऊंचा उठाया जा सकता है प्राइवेट स्कूलों को ले लें और मिशनरियों के स्कूलों को भी ले लिया जाय और सब का स्तर एक सा कर दिया जाय और

[श्री रामविलास पांडेय---]
सारे के सारे नियंत्रण में रहें और हम सोचें कि हमारे लड़के कैसे अच्छे निकल सकेंगे। जो कुछ मैंने कहा है माननीय शिक्षा मंत्री जी इधर ध्यान देंगे। आपके जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्रधानाचार्य के मातहत कर दें कि वह इनकी परीक्षा ले और बच्चों को योग्यता के अनुसार पास करता रहे, तब कहीं शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ सकता है। इस तरह से मैं विधेयक का विरोध करता हूं

*श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक पर माननीय सदस्यों ने सदन में अपने विचार व्यक्त किये और इधर के बैठने वाले तथा उधर के बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों ने मूलत : यह कहा कि यह विधेयक जनता के बीच राय के लिये जाना चाहिये। कारण इसका यह है कि इस विधेयक में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया गया है जिसकी कि आज आवश्यकता थी। कुछ चीजों को अपने हाथ में लेने के बाद या कुछ संचालन बदलने से प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा प्रणाली में कोई मूलभूत अन्तर नहीं आयेगा और इस बात को इधर के और उधर के बैठने वाले सभी साथियों ने स्वीकारा है। और सब को अहसास है कि यह विधेयक जो लाया गया है वह जल्दबाजी में लाया गया है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को और अधिक उपयोगी बनाने के लिये और शिक्षा प्रणाली में अमूलचूल परिवर्तन करने के लिये यह आवश्यक है कि इस पर और अधिक विचार करने के लिये और जनता की राय जानने के लिये कि जनता अपने प्रतिनिधियों द्वारा शिक्षा को संचालित कराना चाहती है या सरकारों द्वारा, अगर किसी की सरकार है आप की या हमारी, उसके द्वारा मनोनीत व्यक्तियों द्वारा वह शिक्षा प्रणाली को चलवाना चाहती है या शिक्षा का संचालन कराना चाहती है। तो हर बात का समर्थन आम जनता से हो जाय, बिना यह सब जाने सरकार यह सब चीजें अपने हाथ में कैसे लेने जा रही है, यह हमारी समझ में नहीं आता है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इसमें कोई जल्दी नहीं है, बेसिक चीजें हैं और यह बेसिक शिक्षा की बात है अगर प्रदेश की यह आरम्भ की शिक्षा ही ठीक न होगी तो कोई गाड़ी भी आगे नहीं चलेगी।

जब अंग्रेज भारत में आये थे तो सबसे पहले उन्होंने शिक्षा को हाथ में लिया था लेकिन आजादी के बाद भी आज तक हमने उस मानसिक गुलामी को नहीं छोड़ा। न अंग्रेजी का मोह छूटा है और न अंग्रेजियत की भावना ही हटी है। आज 25 साल के बाद भी हमारा खाना, कपड़ा और रहन-सहन वही अंग्रेजी ढंग का चला आता है। आज हमारे देश में और प्रदेश में राष्ट्रीयता और नैतिकता उत्पन्न करने वाली शिक्षा की जरूरत है और उस तरफ ही हमारा सबसे अधिक ध्यान जाना चाहिये और जल्दबाजी में हमें यह नहीं करना चाहिये। शासन किसी का भी रहे लेकिन सब चीजों को हथियाने की कोशिश जो की जाती है और सब चीजों को अपने हाथ में एक राजनैतिक गेम खेलने की जो कोशिश की जाती है वह नहीं होना चाहिये। इसके अलावा और बहुत सी संस्थायें हैं कि जहां आपमनोनयन करते हैं और कर सकते हैं लेकिन शिक्षा संस्थाओं में भी आप ऐसे बाडी बना दें और आप ही उन में मनोनयन करें इससे जनतंत्र का गला घुटेगा और कोई लाभ इससे नहीं होने वाला है। बहुत से दोस्तों ने स्थानीय निकायों के संचालन की बात कही लेकिन आप जानते हैं कि अभी तक अधिकतर ये शासक दल के ही हाथ में रहे हैं, कभी दस पांच साल के लिये जनसंघ के हाथ में 2–4 जगह वे रहे हों तो रहे हों या किसी अन्य दल के हाथ में रहे हों तो हमें मालूम नहीं। सभी जगह अधिकतर स्थानीय निकाय और जिला परिषद् कांग्रेस दल के ही हाथ में रहे हैं। माननीय पांडेय जी ने संगठन कांग्रेस की बात कही लेकिन यह तो अभी 2–3 साल की बात है, पहले तो सब कांग्रेस एक ही थी और उन पर बराबर उन्हीं का कंट्रोल था और इस सारी धांधलेबाजी और भ्रष्टाचार के लिये जो इन शिक्षा संस्थाओं में व्याप्त है, उसका दोष आप पर ही है।

आपने यह जितनी परिषदें और जिला शिक्षा समितियां बनायी हैं उनका रूप तो वैसे का वैसा ही है जैसा कि पहले से था। मैं निवेदन करूंगा कि यदि आप वास्तव में देश के बच्चों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के शिक्षा स्तर को सुधारना चाहते हैं, उनमें राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत करना है, उनमें आप को नैतिकता भरना है तो उपयोगी शिक्षा देने की जरूरत है और उसके लिये अच्छा हो कि इसे विस्तार से विचार के लिये जनता की राय जानने के लिये प्रसारित करें और कोई एडवाइजरी बाडी बना कर इसे जनमत संग्रह के लिये भेज दें और इस संशोधन को स्वीकार करें और इसके लिये माननीय मंत्री जी राजी हो जायं।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैंने कई मौलिक प्रश्न उठाये थे और इधर के और उधर के बैठने वाले सभी लोगों ने मेरी बातों का समर्थन किया है। मैं संक्षेप में 1–2 बातों को दुहराऊंगा और उनका उत्तर देते हुए मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे मेरे संशोधन को मान कर इसे प्रवर समिति में भेजना स्वीकार कर लें। श्रीमन्, जितनी भी समितियां बनती हैं, उनमें प्रदेश के चुने हुए व्यक्तियों का, चाहे ये विधान सभा के और चाहे ये विधान परिषद् के सदस्य हों, प्रतिनिधित्व होना चाहिये। मैं समझता हूं ऐसा न करना एक भूल है। श्री भोला सिंह और श्री रणजीत सिंह जी ने भी बड़ा आन्दोलन किया था कि 2 लाख 86 हजार अध्यापकों का प्रतिनिधित्व जब इस प्रकार का कोई विधेयक आये, उसमें होना चाहिये। उनका विचार था कि प्राथमिक विद्यालयों के चुने हुए व्यक्तियों में से कम से कम 2 प्रतिनिधि प्रान्तीय स्तर पर बनी समिति में हों और 4 जिला स्तर की समितियों में हों। विधान सभा के चुने हुये एम० एल० एज० और विधान परिषद् के सदस्यों का भी इसमें कोई प्राविधान नहीं किया गया है। साथ ही साथ कल मैंने यह भी प्रश्न उठाया था कि एक ओर तो म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारी होंगे, उसके इंजीनियर ओवरसीयर होंगे दूसरी ओर जिला परिषद के भी होंगे। तो यह दुहरा शासन नहीं चलेगा। जितनी सम्पत्ति है नगर महापालिका की या जिला परिषद की, उसके बारे में इस विधेयक में होना चाहिये था कि वह हस्तांतरित कर दी जायगी। इस बेसिक शिक्षा के श्री निवास साहब निदेशक बनाये जायेंगे, बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ये इसे प्रवर समिति में ले जाने की बात स्वीकार कर लें।

महात्मा गांधी जी ने 1939 में बेसिक शिक्षा के बारे में कहा था कि यह स्वावलम्बी होनी चाहिये। इसमें लड़के अपने हाथों से काम करेंगे, खुद कातेंगे, बुनेंगे, और खेती करेंगे और जो उत्पादन होगा, उससे अध्यापक का वेतन दिया जायगा और मैंने नजीर दी थी रूस की, अमेरिका की, और जापान की जहां पर विद्यालयों में 260 और 275 वैकल्पिक विषय पढ़ाये जाते हैं। उस सम्बन्ध में इस बिल में कोई इशारा नहीं किया गया है। सबसे बड़ी खराब बात जो इसके अन्दर पायी गयी है वह यह है कि इलाहाबाद में और लखनऊ में चलने वाले मिशन के कर्माशियल स्कूल या अन्य स्कूल्स जिन्हें इस सरकार को ले लेना चाहिये था उनके बारे में भी इसमें कोई संकेत नहीं किया गया है। इसलिये मैं शिक्षक होने के नाते माननीय मंत्री जी से पुनः प्रार्थना करूंगा कि ये इसे प्रवर समिति में भेजने की मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लें ताकि वहां पर इन सब बातों पर विचार हो जाय। आपने यह एक अच्छा कदम उठाया है कि जिला परिषदों के प्राथमिक शिक्षकों को राजनीति के चंगुल से मुक्त कराया है।

*शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राज बिहारी सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बहस में भाग लेने वाले तमाम माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव इस विधेयक के बारे में दिये हैं। यहां पर 1–2 मौलिक प्रश्न उठाये गये हैं, उन पर जरूरी अपनी राय देना चाहता हूं। माननीय राम गोपाल संड जी ने कहा कि गांधी ने यह कहा था कि बेसिक शिक्षा स्वावलम्बी होनी चाहिये। मैं ऐसा समझता हूं कि शायद गांधी जी के साहित्य और उनके लेखों को अगर माननीय संड जी फिर से पढ़ लें तो इस निष्कर्ष पर आयेंगे कि दुनिया का कोई भी शिक्षा शास्त्री यह बात कभी कह नहीं सकता है कि बेसिक शिक्षा स्वावलम्बी हो। बेसिक शिक्षा पर तो राष्ट्र को अधिकाधिक खर्च, जितना वह कर सकता है, करना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम गोपाल सण्ड–

मैं टोकना नहीं चाहता। गांधी जी के मन्तव्य दो थे। वे देखते थे कि अंग्रेजों का शासन है––बच्चे दस बीस रुपये कमा लेंगे। दूसरे उनका स्वावलम्बी से तात्पर्य था कि वे इतने स्वाभिमानी बनेंगे कि कपिल, शंकराचार्य और जैमिनी जैसे साक्षर बनकर अंग्रेजों को निकालेंगे।

श्री राजबिहारी सिंह––

मैं इससे सहमत हूं। अगर यह विश्लेषण आपने पहले कर दिया होता तो आपको यह कहने की आवश्यकता न पड़ती। दुनिया के तमाम शिक्षा-शास्त्रियों का मत है कि दुनिया की कोई भी शिक्षा खासतौर से–प्राइमरी एजूकेशन से किसी देश को स्वावलम्बी नहीं बनाया जा सकता है बल्कि बच्चों के ज्ञान–वर्धन के लिये सरकारें अपने साधन जुटाकर उन पर अधिक से अधिक पैसा खर्च करें और अधिक से अधिक योग्य अनुभवी और अध्यापक मुकर्रर करें। मान्यवर, यह मूल सिद्धान्त है। दूसरा सवाल यह उठाया गया था बहस के दौरान कि यहां पर बहुत से स्कूल नहीं हैं, भवन नहीं हैं, बच्चे पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ते हैं, कोई साधन नहीं हैं। मान्यवर, यह सोलहों आने सत्य है। इसमें दो बहस नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य को थोड़ा सा मैं पहले की ओर ले जाना चाहता हूं। सेन्ट्रल असेम्बली में एक बिल पेश हुआ था जिसमें महात्मा गोखले ने एक प्रस्ताव रक्खा था कि इस देश में प्राइमरी एजूकेशन को अनिवार्य कर दिया जाय। उस समय ब्रिटिश सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई थी कि इस देश में प्राइमरी एजूकेशन को अनिवार्य इसलिये नहीं किया जा सकता क्योंकि यह बहुत बड़ा देश है और प्राइमरी शिक्षा के देने में बहुत पैसा खर्चा होता है। उस पर गोखले ने उत्तर दिया था वह जितना सही उस समय था उतना सही वह आज भी है।

मान्यवर, उन्होंने कहा कि हमारे देश में प्राइमरी एजूकेशन को कम्पलसरी कर दिया जाय। हम लोग अपने बच्चों को पेड़ के नीचे मिट्टी में अंगुली पकड़कर पढ़ना लिखना सिखा देंगे। मान्यवर, यह सिद्धान्त था। इस देश में इतनी शिक्षा पिछड़ी हुई थी और मान्यवर, जितने भी अविकसित देश होते हैं, वहां दोनों तरह की प्रणाली चलती हैं। एक देश दूसरे देश से मुकाबिला करता है। हम हवाई जहाज से सफर करें पर आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि हम बैल गाड़ी पर भी सफर कर सकें, उसको बैलगाड़ी, साइकिल, इक्का और रिक्शा की रचना करनी चाहिये परन्तु साथ ही साथ वह हवाई जहाज भी बना सकता है। यह तो ठीक है। यहां पर इतने भवन नहीं हैं। पहले हमारे देश में बच्चों को प्राइमरी शिक्षा के लिये चार-चार पांच-पांच मील तक पैदल जाना पड़ता था। मैंने खुद प्राइमरी शिक्षा, चार मील अपने घर से पड़ता था–पेड़ के नीचे ली। लेकिन आज गांव के प्राइमरी स्कूल जो पेड़ के नीचे हैं, उनकी तरफ भी सरकार का ध्यान है। हमें विधेयक को इसलिये लाना पड़ा कि जो प्राइमरी एजूकेशन है, उसको अच्छे ढंग से ले जाया जाय। यह भी सवाल उठाया गया कि जो मान्टेसरी स्कूल्स हैं या इस देश में अन्य मिशनरी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जाता।

मान्यवर, इस विधान सभा में इसका प्रस्ताव भी आ चुका है उस पर बहस भी हो चुकी है। हमारे संविधान में कई तरह की गारंटी दी हुई है। जैसे अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको अपने ढंग का स्कूल चलाने का, अपनी भाषा में स्कूल चलाने का अधिकार है। हम जब तक उन अधिकारों को छीन नहीं लेते उनकी पद्धति के अनुसार चल रहे स्कूलों पर हम कब्जा नहीं कर सकते। हमारा प्रयास उस तरफ है, हम चाहते हैं कि देश में समानता का स्थान हो। देश में जो विभेद हैं उसको दूर करने के लिये इस प्रदेश में पहला कदम उठाया गया है। पहले हम अपने स्कूलों को ठीक कर लें तब दूसरा कदम उठाएं, इसलिये यह बिल लाया गया है। जो जिला परिषद् के स्कूल हैं, जो म्युनिसिपल बोर्ड के स्कूल हैं या जो टाउन एरिया के स्कूल हैं, पहले उन पर कब्जा कर लिया जाय और उनकी व्यवस्था ठीक की जाय। जो प्राइमरी एजूकेशन के व्यवस्थापक थे, यह मैं नहीं कहता कि सभी खराब काम करते थे, लेकिन यह देखा गया कि

प्रबन्ध ठीक नहीं रहा । बहुत सी जिला परिषदें ऐसी अवश्य रही होंगी जो अच्छी व्यवस्था करती रही हों । लेकिन हर गांव में इसकी चर्चा रहती थी कि जो प्राइमरी एजूकेशन है, उसकी व्यवस्था ठीक और अच्छी नहीं है । अध्यापक काम नहीं करते हैं, एस० डी० आई० मुआइना नहीं करता है । एक स्कूल में बैठकर मुआइना करता है और 15–15 स्कूलों को बुला लेता है । यह सारी बातें कही जाती थीं । इसकी चर्चा कई सालों से होती रही है । पिछले विधान सभा के बजट सत्र में भी यह सवाल उठा था, और हमारे वित्त मंत्री जी ने इसकी घोषणा भी की थी कि अगले सेशन में प्राइमरी एजूकेशन को अपने हाथ में ले लेंगे । उस समय सारे सदन में स्वागत किया गया था । तो यह कहना कि हम जल्दी जल्दी में यह सब चीजें लाये हैं, उचित न होगा । हम खूब सोच-समझकर यह बिल लायें हैं ।

मान्यवर, एक शंका यह व्यक्त की गई कि इसका उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे इरादे पर सुबहा है । मान्यवर, हर चीज की दवा हो सकती है लेकिन सुबहा की कोई दवा नहीं कर सकता । हम तो गांधी जी के शागिर्द हैं । जब हमारा उद्देश्य अच्छा है तो साधन भी अच्छे होंगे । ऐसे भी देश हैं जो अच्छे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये कोई भी खराब साधन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन देशों की मान्यता अलग है, उनके उद्देश्य अलग हैं ।

श्री त्रिलोक चन्द्र–

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं और वह कि मान्टेसरी और पब्लिक स्कूल की बात जाने दीजिये यह जो एडेड स्कूल हैं, उनको लेने में क्या आपत्ति है ?

श्री राजबिहारी सिंह––

मैं धीरे-धीरे उस पर भी आ रहा हूं । मान्यवर, मैं कह रहा था कि इस देश की मान्यताएं दूसरे तरीके की हैं । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य भी अच्छा है और हमारा साधन भी अच्छा रहेगा । आप इसे अच्छी दृष्टि से देखें तो सभी अच्छा दिखाई पड़ेगा । यह जो मान्टेसरी और दूसरे तरीके के एडेड स्कूल हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान अभी नहीं गया है । अभी हमने वेतन आदि की सुविधाएं दी हैं, और जब ऐसी कोई बात की जरूरत आ पड़ी तो सारी शिक्षा भी राज्य सरकार द्वारा ले ली जायेगी ।

दूसरी चीज यह कि जो स्कूल, जैसे हमारे भाई गांधी जी चलाते हैं, उसकी चर्चा हुई । यह जो प्री-प्राइमरी एजूकेशन है उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है । संविधान में जो प्राविधान है उसके अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध प्रान्तीय सरकार को करना चाहिये । 6 वर्ष से नीचे के बच्चों की शिक्षा को प्री-प्राइमरी एजूकेशन कहते हैं । इस तरफ अभी सरकार का ध्यान नहीं है । हमारे जिले और प्रदेश में बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो बहुत ऊंची फीस लेकर पढ़ाती हैं और शिक्षा भी अच्छी देती हैं । कोई यह भी कहता है कि व्यापार करती हैं किसी माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया कि वह ऐसे कौन से साधन हैं जिनसे रिटायर्ड शिक्षा के डाइरेक्टर को 500 रु० देकर रखा गया है । मान्यवर, हम लोग इस तरफ भी प्रयास कर रहे हैं । हमारे केन्द्र के जो शिक्षा मंत्री जी हैं, शायद आपने उनका वक्तव्य पढ़ा होगा, तो उन्होंने कहा है कि हमें हर जिले में ऐसे माडल स्कूल खोलने चाहिये जहां पर जो गरीब छात्र हैं, जिनको स्थान कहीं नहीं मिलता है, उनको अच्छो से अच्छो सुविधा दी जा सके । तो श्रीमन्, अगर हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी हो जाय कि हम ऐसे खर्चीले स्कूलों को खोलने की व्यवस्था कर सकें, तो इसमें दो राय नहीं है कि सरकार उन संस्थाओं को अपने हाथ में ले ले ।

मान्यवर, जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, तब तक शिक्षा के क्षेत्र में हम किसी को इन खर्चीली संस्थाओं में शिक्षा देने से रोक नहीं सकते हैं । शिक्षा का क्षेत्र ही नहीं, आप अन्य क्षेत्रों को ले लें । रेलगाड़ी चलती है उसमें थर्ड क्लास होता है, सेकेन्ड क्लास होता है और फर्स्ट क्लास भी होता है । किसी किसी में तो एयर-कन्डीशन्ड क्लास भी होता है । तो हम किसी

[श्री राज बिहारी सिंह]
को रोक नहीं सकते कि वह फलां क्लास में चले । इसीलिये मान्यवर, अविकसित देशों में हर तरह की प्रणाली चलती है । हमारे देश की शिक्षा की नीति, हमारे देश का उद्देश्य क्या है ? मान्यवर, यहां बहुत कहा जाता है कि हमारे समाजवाद का नारा धोखा है । जो समाजवाद के माने जानते नहीं, वे इसकी आलोचना करते हैं । हमारे एक बलिया के भाई हैं, वे जब बोलेंगे तो समाजवाद और जातिवाद के ऊपर बोलना शुरू कर देंगे । तो मान्यर, सरकार खूब अच्छी तरह से समाजवाद के माने जानती है । हम समाजवाद की शिक्षा समझते हैं । यह बिल, मान्यवर, खूब सोच-समझकर लाया गया है । इसमें जितने संशोधन पेश किये गये हैं, बहुत सोच-समझ कर किये गये हैं ।

श्री राम गोपाल सण्ड—
मान्यवर, इसमें अध्यापकों के रिप्रेजेन्टेशन के बारे में विचार नहीं किया गया।

श्री राज बिहारी सिंह—
मान्यवर, यह मांग आई है कि बेसिक शिक्षा संघ के अध्यापकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये । यह सवाल आज चारों तरफ है । यह, मान्यवर, आज राष्ट्रीय सवाल है । कारखाने के मजदूर, अध्यापक और यहां तक कि नार्मल कालेज में जो लड़के पढ़ते हैं, वे भी मांग कर रहे हैं कि उनको भी कालेज की जो प्रबन्ध समिति है, उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाय। तो मान्यवर, यह एक बड़ा व्यापक सवाल है । इस पर जब निर्णय होगा तो सारे देश में निर्णय होगा ।

एक चीज मान्यवर और है । हमारे भाई कृष्ण स्वरूप वैश्य जी चले गये । उन्होंने कहा था कि हमारे शिशु सदन को चलकर देख लें । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि मैं शिशु सदन देख चुका हूं । कई घण्टे बैठ चुका हूं । हमारी जो प्राइमरी की संस्थाएं आज काम कर रही हैं, उनको हमारा निमन्त्रण है कि जो भी वे अच्छे से अच्छे सुझाव भेजना चाहें, भेजें। जो शिक्षा बोर्ड बनाया गया है, वह इसीलिये बनाया गया है कि इस प्रदेश में शिक्षा की नीति में कौन से आमूल परिवर्तन किये जाएं जिनको जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जा सके । इसीलिये उसका गठन किया गया है । लेकिन यह कोई लक्ष्मण की रेखा तो नहीं है कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता । जब हम देखेंगे कि यह बोर्ड गलत है या ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आपके सुझावों पर विचार होगा उनको देखा जायगा । इसलिये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को पास करें ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—
मान्यवर, जब तक पूंजीपति और मंत्री जी जैसे लोग इस सरकार में हैं, समाजवाद नहीं आ सकता । समाजवाद तो तभी आयेगा, जब हम लोगों जैसे कर्मठ, क्रान्तिकारी और गरीबों की समस्याओं की जानकारी रखने वाले लोग शासन में होंगे ।

श्री मोहनलाल कपूर—
मान्यवर, एक स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है । आपने जो परिभाषा दी है, उसमें लिखा है कि हाई स्कूल और इन्टर के अतिरिक्त जो बेकिस स्कूल हैं, वे इसमें आयेंगे । तो जो निकाय के स्कूल हैं वे ही लिये हैं या और भी लिये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—
यह तो उन्होंने अपने भाषण में साफ कर दिया है ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विधेयक, 1972 को जनता की राय जानने हेतु तीन माह तक परिचालित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विधेयक, 1972 को सदन की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय, जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो । वह अपना प्रतिवेदन तीन माह में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2

परिभाषायें

2—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में—

(क) "नियत दिनांक" का तात्पर्य उस दिनांक से है जब परिषद् स्थापित की जाय;

(ख) "बेसिक शिक्षा" का तात्पर्य हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कालेजों से भिन्न स्कूलों में आठवीं कक्षा तक दी जाने वाली शिक्षा से है और पद "बेसिक स्कूल" का तदनुसार अर्थ लगाया जायगा;

(ग) "परिषद्" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन संघटित उत्तर प्रदेश बैसिक शिक्षा परिषद् से है;

(घ) "निदेशक" तथा "जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों" का तात्पर्य क्रमशः बेसिक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों से है;

(ङ) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य जिला परिषद्, अंतरिम जिला परिषद्, नगरमहापालिका, नगरपालिका बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी या नोटिफाइड एरिया कमेटी, जैसी भी दशा हो, से है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 3

परिषद् का संगठन

3—(1) ऐसे दिनांक से, जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के नाम से एक परिषद् स्थापित की जायगी ।

(2) परिषद् शास्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाली एक निगमित निकाय होगी तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, उसे सम्पत्ति का अर्जन और धारण करने की शक्ति होगी और अपने नाम से वह वाद प्रस्तुत कर सकेगी और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

(3) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) निदेशक, पदेन, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) दो व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 17 के

आधीन स्थापित जिला परिषदों के अध्यक्षों में से, यदि कोई हों, नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ग) एक व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित महापालिकाओं के नगर प्रमुखों में से, यदि कोई हो, नाम-निर्दिष्ट किया जायगा;

(घ) एक व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका बोर्डों के प्रेसीडेन्टों में से, यदि कोई हो, नाम-निर्दिष्ट किया जायगा;

(ङ) सचिव, राज्य सरकार, वित्त विभाग, पदेन;

(च) प्रिंसिपल, राज्य शिक्षा संस्थान, पदेन;

(छ) दो शिक्षाविद्, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे ;

(ज) एक अधिकारी जिसका पद उप निदेशक, शिक्षा के पद से कम न हो, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा, और जो सदस्य-सचिव होगा ।

(4) उपधारा (3) के खंड (ङ) में अभिदिष्ट अधिकारी परिषद् की बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय, अपने विभाग के किसी अधिकारी को जिसका पद राज्य सरकार के उप सचिव के पद से कम न हो, बैठक में उपस्थित होने के लिये प्रतिनियुक्त कर सकता है । इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को बैठक में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा तथा उसे मत देने का भी अधिकार होगा ।

(5) पदेन सदस्यों से भिन्न परिषद् के सदस्यगण सामान्यतया नियुक्ति-आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिये पद धारण करने के हकदार होंगे, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति पहले ही समाप्त न कर दी जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, किसी समय राज्य सरकार को सम्बोधित लिखित नोटिस देकर अपना पद त्याग सकता है ।

(6) परिषद् की सदस्यता में किसी रिक्ति के दौरान बने रहे सदस्य कार्य कर सकते हैं मानों कोई रिक्ति न हुई हो ।

(7) परिषद् के संगठन में केवल किसी रिक्ति या किसी दोष होने के कारण परिषद् को कोई कार्य अथवा कार्यवाही विधि अमान्य न समझी जायगी ।

श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 के उपखंड (3) के भाग (क) में शब्द 'निदेशक' के स्थान पर शब्द "शिक्षा मंत्री" रखा जाय ।

खंड 3 के उपखंड (3) के भाग (ख) में शब्द "कोई" और "हो" के बीच में शब्द "शिक्षा सम्बन्धी विशषज्ञ" रख दिये जायं।

खंड 3 के उपखंड (3) के भाग (ग) की पंक्ति 2 में शब्द "कोई" और "हो" के मध्य शब्द "शिक्षा संबंधी विशेषज्ञ" रख दिये जायं।

खंड 3 के उपखंड (3) के भाग (च) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:
"प्रिंसिपल, राज्य शिक्षा संस्थान, यदि वह शिक्षा क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो।"

खंड 3 के उपखंड (3) के भाग (ज) में शब्द "एक" और "अधिकारी" के मध्य शब्द "ज्येष्ठतम" बढ़ा दिया जाय।

खंड 3 के उपखंड (3) में निम्नलिखित भाग (झ) जोड़ दिया जाय:

"(झ) विधान सभा द्वारा निर्वाचित 7 व्यक्ति और विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित 3 व्यक्ति।"

मान्यवर, इस संबंध में मैं दो-तीन तर्क देना चाहता हूं। प्राइमरी शिक्षा का जो अब तक प्रबन्ध था, वह नगरपालिका या जिला परिषद् के हाथ में था, जो चुनी हुई संस्थायें हैं। चुनी हुयी संस्थायें जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। उनके हाथ से यह प्रबन्ध लेकर अब आप नौकरशाही के नियंत्रण में दे रहे हैं। जो निदेशक है वह सबसे बड़ा नौकरशाह है। जो राज्य शिक्षा परिषद् बनायी जा रही है उसका अध्यक्ष निदेशक न रखकर अगर शिक्षा मंत्री रहते हैं तो इससे जनप्रतिनिधियों का सम्मान होगा। वह विधान सभा के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। इसी प्रकार से जिला परिषद् से और नगरपालिका से नामजद प्रतिनिधि आयेंगे। हमारा सुझाव है कि विधान सभा से कम से कम सात और विधान परिषद् से तीन सदस्य निर्वाचित किये जायं। विधान सभा और विधान परिषद् जनता की चुनी हुयी संस्थायें हैं। राज्य स्तर पर जो परिषद् का संगठन किया जायेगा उसमें ये लोग रहेंगे और अध्यक्ष शिक्षा मंत्री जी रहेंगे तो इससे जन प्रतिनिधियों का सम्मान होगा, नौकरशाही को बढ़ावा कम मिलेगा। मेरा निवेदन है कि मंत्री जी इन संशोधनों को स्वीकार कर लें।

श्री राजबिहारी सिंह---

श्रीमन्, मैं इन तमाम संशोधनों का विरोध करता हूं क्योंकि इस समय जो काम करना है उसमें बाधा पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 3 के उपखंड (3) के भाग (क) में शब्द "निदेशक" के स्थान पर शब्द "शिक्षा मंत्री" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड (3) के उपखंड (3) के भाग (ख) में शब्द "कोई" और "हो" के बीच में शब्द "शिक्षा संबंधी विशेषज्ञ" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड (3) के उपखंड (3) के भाग (ग) की पंक्ति 2 में शब्द "कोई" और "हो" के मध्य शब्द "शिक्षा संबंधी विशेषज्ञ" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 के उपखंड (3) के भाग (च) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"प्रिंसिपल, राज्य शिक्षा संस्थान, यदि वह शिक्षा क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो" ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड (3) के उपखंड (3) भाग (ज) में शब्द "एक" और "अधिकारी" के मध्य शब्द "ज्येष्ठतम" बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड (3) के उपखंड (3) में निम्नलिखित भाग (झ) जोड़ दिया जाय :

"(झ) विधान सभा द्वारा निर्वाचित 7 व्यक्ति और विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित 3 व्यक्ति ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से खंड 3 के उपखंड 3 (ज) के अन्त में निम्नलिखित भाग (झ) जोड़ दिया जाय :

"(झ) उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के दो प्रतिनिधि जिनका मनोनयन, संघ करेगा ।"

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, मैंने अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया था कि प्राइमरी अध्यापक संघ के अध्यापक को रखने की बात बाद में विचाराधीन होगी । इस समय मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं इस पर वोटिंग नहीं करवाना चाहता हूं, अतः इसको वापस लेता हूं । मुझको अपनी बात तो कहने दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बाद में बोलियेगा ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

मैं यह नहीं चाहता कि सरकार में रहकर मैं अपने संशोधन पर वोटिंग करवाऊं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको समय दूंगा । अब जब कि शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

मैं वोट नहीं करवाना चाहता हूं ।

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूलों की संख्या बड़ी भारी है और यह करीब 30से32 हजार है। इतनी बड़ी संख्या माध्यमिक स्कूलों की नहीं हैं। इतनी बड़ी संस्था का प्रतिनिधितत्व होना चाहिये । यह बराबर कहा जा रहा है कि राष्ट्रीयकरण किया जाय । अभी परसों ही गोस्वामी जी ने कहा था कि हम राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। अब डायरेक्टर उसका अध्यक्ष हो, डिप्टी डायरेक्टर उसका सचिव हो । यह क्या स्वरूप बन रहा है ? यह बेसिक शिक्षा विधेयक है । प्रश्न बड़ा मौलिक है । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस पर विचार करें। खेर कमेटी सन् 1952 में बैठी और उसने तय किया कि शिक्षा बजट का 60 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा में लगाया जाय । क्या यह इस समय हो रहा है ?

हम सब लोगों ने मांग की थी 1957 से कि प्राथमिक शिक्षा का हमारे संविधान के अनुसार शासन का दायित्व है और उनके दायित्वों में है । मुझे अफसोस है कि शिक्षा मंत्री जी के जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं । अगर आगे चल करके सुधार कर लेंगे तो पहले से इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं । मैं संसदीय अध्ययन समिति का सदस्य हूं । संसदीय अध्ययन समिति का मत है कि आर्डिनेन्स के द्वारा कोई विधेयक रखना श्रेयष्कर नहीं है। आपने उद्देश्य और कारण में अन्त में, क्या कहा है, क्यों ले रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा को तो उसका सरकारीकरण का स्वरूप बना दिया है । सारे शासन के लोग, डायरेक्टर लोग वह रहेंगे, तो मैं तो सरकारीकरण करने का विरोध कर रहा हूं, राष्ट्रीयकरण होना चाहिये था । अगर जनता के लोगों को देना चाहते हैं तो उनको तो कहीं स्थान नहीं दिया । विधान सभा और विधान परिषद् के लोगों को भी नहीं रखा, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है । हमने यही देखा है कि पश्चिम के देश जब 50 वर्ष आगे चले जाते हैं तब हम चलना शुरू करते हैं, "फ़ायड" अमरीकी विद्वान ने लिखा है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए । जब लड़का ढ़ाई, तीन साल का हो तभी उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है और आप उसको पांच वर्ष के ऊपर लेना चाहते हैं ।

श्रीमन्, आप तो शिक्षक रहे हैं, आखिर शिक्षा है क्या ? "हैरेडिटी और इनवायरनमेंट" । माता पिता के द्वारा जो संस्कार मिलते हैं वही हैरेडिटी है और इनवायरनमेंट, स्कूल देते हैं। उधर आपका ध्यान गया ही नहीं । प्री-प्रायमरी एजूकेशन में जो यह भेदभाव है उसको नहीं रोकेंगे तो समानता कैसे आयेगी। उधर जगदीश गांधी जी के स्कूल चलेंगे और उधर कंवेंट में बच्चों को लोग पढ़ायेगें और जनता के लोग आपके स्कूलों में भेजेगें तो समानता कैसे आयेगी । वह नहीं आ सकती । इसलिये यह बिल लाने के पहले उसकी भी लेना चाहिये थी। इसीलिये कहना चाहता हूं कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये अगर आप आश्वासन देते हैं, भविष्य के लिए, तो मैं प्रेस नही करता ।

एक सदस्य—

मां-बाप के आचरण देखकर भी आ जाते हैं ।

श्री रामगोपाल संड—

यह बडा अमूल्य संशोधन है, इसको वापस न करें ।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

मेरा नाम आया है, मुझे अवसर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें । प्रश्न यह है कि खंड 3 के उपखंड (3) (ज) के अन्त में निम्नांकित भाग (झ) जोड़ दिया जाय—

[श्री उपाध्यक्ष]

"(झ) उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के दो प्रतिनिधि जिनका मनोनयन संघ करेगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री जयराम यादव—

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 के उपखंड (3) में निम्नलिखित भाग (ञ) जोड़ दिया जाय —

"(ञ) निदेशक पदेन सचिव होगा ।"

राज्य स्तर पर जब संगठन किया जा रहा है, मंत्री जी डायरेक्टर को अध्यक्ष बना रहे हैं, इस पर पुनः विचार कर लें । डायरेक्टर को हम केवल सचिव बनाने के पक्ष में हैं और मंत्री उसके अध्यक्ष रहते हैं । इसलिये जो सारी आपत्तियां की गयी हैं कि सरकारीकरण किया जा रहा है उससे ये अपने आप खत्म हो जाती हैं ।

श्री राजबिहारी सिंह—

यह संशोधन कि मंत्री को अध्यक्ष बनाया जाय, वह तो गिर गया । अब यह कि निदेशक को सचिव बनायेंगे यह ठीक नहीं होगा । इसलिये मैं विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 के उपखंड (3) में निम्नलिखित भाग (ञ) जोड़ दिया जाय—

"(ञ) निदेशक पदेन सचिव होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 (3) में निम्नलिखित एक नया भाग (ञ) जोड़ दिया जाय—

(ञ) 'प्राचार्य, बेसिक ट्रेनिग कालेज, प्राचार्य, कन्स्ट्रक्टिव ट्रेनिग कालेज एवं विधान मंडल के तीन सदस्य जो विधान सभा से 2 एवं विधान परिषद् से एक चुने हुए हों, सदस्य होंगे ।"

अगर गैर सरकारी आदमी इसमें नहीं होंगे और केवल मनोनयन वाले होंगे तो जैसा उद्देश्य और कारण में मंत्रीजी ने लिखा है कि बहुत दिनों से इस विधान सभा में मांग होती रही है कि प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाय तो विधान सभा और विधान परिषद् की भावनाओं को वहां कहने वाला कौन होगा । 1921 में इंटरमीडिएट ऐक्ट बना था । सन् 1957 में बड़ी मेहनत के बाद उसमें थोड़ा संशोधन हुआ । शिक्षा मंत्री, माननीय कमलापती जो थे जो आज मुख्य मंत्री हैं । उन्होंने कहा था कि बोर्ड में बहुत गड़बड़ियां हैं इसका आमूल परिवर्तन करेंगे । वही भूल इसमें भी हो रही है । वहां भी डायरेक्टर आफ एजूकेशन अध्यक्ष हैं । ईस्ट इंडिया कम्पनी जब थी तो मिस्टर वुड इ-चार्ज थे, । सन् 1853 ई० में सारे भारतवर्ष में शिक्षा के । वुड्स डिस्पैच नामकी एक किताब है । उसमें लिखा है कि भारतवर्ष में शिक्षा का एक स्वरूप होना चाहिये और प्राथमिक शिक्षा को सरकार स्वयं चलाये । सन् 1857 में विद्रोह हो गया । सन् 1897 ई० में पहला डायरेक्टर आफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कायम हुआ और तभी से शिक्षा का विकास होने लगा और अंग्रेज उस शिक्षा द्वारा क्लर्क बनाने लगे । तो गांधी जी ने 1932, 33, 34 में बेसिक एजूकेशन की बात कही । बेसिक है क्या ? जहां हमारा बेस है वही बेसिक है । तब क्लर्कों के लिये बुकिश एजूकेशन हो रहा था । इसलिये बुकिश को हटा कर बेसिक किया । अगर कृषक का बेटा है तो कृषि के माध्यम से शिक्षा दी जायगी, लोहार का बेटा है तो लोहारी के माध्यम से शिक्षा दी जायगी । यह महात्मा जी की भावना थी । इसलिये विधान सभा और विधान परिषद् की भावना को स्पष्ट करने के लिये तीन सदस्य होने चाहिये ।

श्री राज बिहारी सिह—

त्रिपाठी जी के ज्ञान का मैं कायल हूं मगर इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

उपध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 (3) में निम्नलिखित एक नया भाग (ञ) जोड़ दिया जाय—

(ञ) प्राचार्य बेसिक ट्रेनिंग कालेज, प्राचार्य कन्स्ट्रक्टिव ट्रेनिग कालेज एवं विधान के तीन सदस्य जो विधान सभा से 2 एवं विधान परिषद् से एक चुने हुए हों, सदस्य होंगे"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 4, 5, 6 व 7

परिषद् कृत्य

4—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् का कृत्य राज्य में बेसिक शिक्षा तथा उसके लिए अध्यापक-प्रशिक्षण दिये जाने को संगठित करना, उसका समन्वय करना, तथा उस पर नियंत्रण करना और उसके स्तर को ऊंचा उठाना और उसे राज्य की सम्पूर्ण शिक्षा-प्रणाली से परस्पर संबद्ध करना, होगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् की, विशेषतया, निम्नलिखित शक्तियां होंगी:—

(क) बेसिक शिक्षा और उस हेतु अध्यापक-प्रशिक्षण के लिये संशिक्षण-क्रम तथा पुस्तकें विहित करना ;

(ख) जूनियर हाई स्कूल तथा बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र परीक्षा तथा ऐसे अन्य परीक्षाओं का संचालन करना जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर उसे सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अभ्यर्पित करे और ऐसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण परिक्षार्थियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करना;

(ग) शिक्षण देने तथा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में प्रवेश पाने के लिये परीक्षार्थियों को तैयार कराने के प्रयोजन से, संस्थाओं को ऐसी शर्तों के अधीन जो वह लगाना उचित समझे, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापस लेना या निलम्बित करना और ऐसी संस्थाओं का निरीक्षण करना तथा उन पर अधीक्षण रखना;

(घ) बेसिक स्कूलों, नार्मलस्कूलों, बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र इकाइयों तथा राज्य शिक्षा संस्था का पर्यवेक्षण करना और उन पर नियंत्रण रखना;

(ङ) किसी जिले में अथवा उसके किसी भाग में बेसिक शिक्षा के विकास, प्रसार तथा सुधार एवं उसमें अनुसंधान हेतु योजनाएं तैयार करना;

(च) किसी जंगम या स्थावर संपति का अर्जन करना, धारण करना, या निस्तारण करना और विशेषतया किसी बेसिक स्कूल या नार्मल स्कूल के लिएं किसी भवन अथवा उपस्कर का दान ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे ,स्वीकार करना;

(छ) राज्य सरकार से अनुदान, आर्थिक सहायता और ऋण प्राप्त करना ;

(ज) ऐसे सभी कार्य करना जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या आरोपित किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कृत्य का सम्पादन अथवा कर्तव्य का पालन करने के लिये आवश्यक या सुविधाजनक अथवा आनुषंगिक हो ।

[श्री उपाध्यक्ष]

परिषद् का कार्य-संचालन

5—(1) परिषद् और धारा 10 में अभिदिष्ट प्रत्येक जिला बेसिक शिक्षा समिति तथा धारा 11 में अभिदिष्ट गांव शिक्षा समिति का कार्य ऐसे विनियमों के अनुसार संचालित किया जायगा, जिन्हें परिषद् राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से तदर्थ बनाये ।

(2) विशेषतया, और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) परिषद् अथवा उपधारा (1) में अभिदिष्ट किसी समिति की बैठकें बुलाना और करना, ऐसी बैठकों का कार्य-संचालन और ऐसी बैठक में गणपूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या;

(ख) परिषद् के अध्यक्ष और सचिव तथा अन्य अधिकारियों की शक्ति और कर्तव्य ;

(ग) परिषद् के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;

(घ) इस अधिनियम के अधीन परिषद् या किसी समिति के कृत्यों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया;

(ङ) परिषद् द्वारा धृत अथवा उसके नियंत्रणाधीन स्कूलों और अन्य संस्थाओं का प्रबन्ध ।

(3) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन परिषद् द्वारा कोई विनियम न बनाया जाय, कोई विनियम जो उक्त उपधारा के अधीन बनाया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकता है, और इस प्रकार बनाये गये विनियम में परिषद् उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके, परिवर्तन कर सकती है अथवा उसे विखंडित कर सकती है ।

परिषद् के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी

6—(1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षता से सम्पादन करने के प्रयोजनार्थ, परिषद् उतने अधिकारी, अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी, जिन्हें राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से वह उचित समझे, नियुक्त कर सकती है ।

(2) ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये व्यक्तियों की भर्त्तों और सेवा की शर्तें राज्य सरकार द्वारा तदर्थ बनाये गये नियमों द्वारा विनियमित होंगी।

(3) किसी स्थानीय निकाय के बेसिक स्कूलों के अध्यापकों की भर्ती के नियमों में, ऐसी चयन समिति संघटित की जाने की व्यवस्था होगी जिसमें अध्यक्ष के रूप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा संबद्ध स्थानीय निकाय का एक प्रतिनिधि और निदेशक द्वारा नाम-निर्दिष्ट किसी राजकीय इंटरमीडिएट कालेज का प्रिंसिपल अन्य सदस्य होंगे और निदेशक के अधीक्षण के अधीन रहते हुए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उन पर आनुशासनिक नियंत्रण रखने की भी व्यवस्था होगी ।

परिषद् की निधि

7—(1) परिषद् की अपनी निधि होगी और परिषद् को प्राप्त सभी धनराशियां उसमें जमा की जायंगी और परिषद् के सभी भुगतान उसी से किये जायेंगे ।

(2) राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, परिषद् को, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों पर अथवा प्रयोजनों के लिये ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे, व्यय करने की शक्ति होगी ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 4(2)(क) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"(क) एवं एक पाठ्य पुस्तक अधिकारी, नियुक्त करना तथा पाठ्य-क्रम का नियोजन करना ।"

खंड 4(2)(घ) की प्रथम पंक्ति में "नार्मल स्कूलों" एवं "बेसिक प्रशिक्षण" के बीच शब्द "बेसिक प्रशिक्षण संस्थायें तथा बेसिक एल० टी० कालेज, लखनऊ एवं वाराणसी" जोड़ दिये जायं ।

खंड 4(2)(च) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(च) स्थानीय निकायों की जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अर्जन करना, धारण करना या निस्तारण करना एवं सम्पूर्ण सम्पत्ति एवं सज्जा का दायित्व स्वीकार करना ।"

श्री उपाध्यक्ष—

आपने पेश कर दिये, अब भाषण नहीं दीजिये . . .

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

मुझे स्पष्ट तो कर लेने दीजिये ।

श्री राम गोपाल संड—

श्रीमन्, बोल लेने दीजिये . . . . . (व्यवधान) . . .

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वे मेरे संशोधनों पर वोट कराते हैं, यह ठीक नहीं है । उनको कहना यह चाहिये कि मैं वापस ले लूं । मैं वोट नहीं चाहता हूं, मैं तो केवल सुझाव देना चाहता हूं । मुझे इसका बड़ा दुख है कि उन्होंने एक बार भी यह नहीं कहा कि मैं वापस ले लूं . . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

यह मैं नही जानता, यह बात आप अपने दल में उठा सकते हैं । . . . (व्यवधान) . . .

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

यह पहला अवसर है जब सरकारी पक्ष के संशोधन का मंत्री जी विरोध कर रहे हैं । इन्हें बोल लेने दीजिये ।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

त्रिपाठी जी को योग्यता का भाषण हो जाने दीजिये ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

मैं तो केवल सुझाव देना चाहता हूं । बाद में मैं अपने संशोधन वापस ले लूंगा . . . (व्यवधान) . . . जो मैंने 3—4 संशोधन रखे हैं व बेसिक शिक्षा और जो 5 अधिकारी पुस्तकों

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

के सम्बन्ध में रखे गये हैं उनसे सम्बन्धित हैं। यह अधिकारी ही सिलेबस (पाठ्य-क्रम) आदि भी तैयार करेंगे । जो स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि होंगे वे भवनों के निर्माण तथा साज-सज्जा आदि का इन्तजाम करेंगे । शिक्षा का प्रबन्ध शासन करेगा । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वे लोग कभी भवन आदि बनवायेंगे नहीं। इसलिये माननीय मंत्री जी इसको भी ध्यान में रखें · · · (व्यवधान) · · · और जहां जरूरी तरमीम समझें वह करा दें । इन शब्दों के साथ मैं संशोधन वापस लेता हूं । (श्री राजबिहारी सिंह के खड़े होने पर) मैं तो वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुये ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 4, 5, 6 व 7 इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 8 तथा 9

लेखा तथा लेखा परीक्षा

8—(1) परिषद् उचित लेखा तथा अन्य संगत अभिलेख रखेगी और ऐसे प्रपत्र में जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, वार्षिक लेखा विवरण-पत्र तैयार करेगी ।

(2) परिषद् एक वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र (बजट) तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी ।

(3) परिषद् के लेखों की परीक्षा ऐसे अधिकारी द्वारा की जायगी, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे ।

(4) लेखा परीक्षा प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित परिषद् के लेखे और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जायेंगे ।

कर्मचारियों का स्थानान्तरण

9—(1) नियत दिनांक को और से केवल बेसिक स्कूलों के संबन्ध में किसी स्थानीय निकाय के अधीन उक्त दिनांक के तत्काल पूर्व कार्यरत प्रत्येक अध्यापक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी (जिसके अन्तर्गत कोई पर्यवेक्षी या निरीक्षण कर्मचारीवर्ग भी है) परिषद् को स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे और वे परिषद् के अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो जायेंगे और वे उसी अवधि के लिये, उसी पारिश्रमिक तथा सेवा के उन्हीं अन्य निर्बन्धनों एवं शर्तों पर पद धारण करेंगे जिन पर वे धारण करते यदि परिषद् संघटित न की गयी होती और वे तब तक इस प्रकार बने रहेंगे जब तक कि परिषद् द्वारा ऐसी अवधि, पारिश्रमिक तथा सेवा के अन्य निर्बन्धनों एवं शर्तों में यथाविधि परिवर्तन न कर दिया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि नियत दिनांक के पूर्व किसी ऐसे अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा स्थानीय निकाय के अधीन को गयी कोई सेवा परिषद् के अधीन की गयी सेवा समझी जायगी :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् इस अधिनियम के अधीन ऐसे कृत्यों का संपादन करने के लिये जिन्हें वह उचित समझे, किसी ऐसे अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी से कार्य ले सकती है और प्रत्येक ऐसा अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी उन कृत्यों का तद्नुसार सम्पादन करेगा ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी पर लागू न होगी जो नियत दिनांक से दो महीने की अवधि के भीतर

राज्य सरकार को तदर्थ लिखित नोटिस द्वारा परिषद् का कर्मचारी न होने के लिये अपना विकल्प सूचित कर दे, और यदि कर्मचारी ऐसी नोटिस देता है तो स्थानीय निकाय के अधीन उसकी सेवा नियत दिनांक से समाप्त हो जायगी और वह स्थानीय निकाय से प्रतिकर का हकदार होगा जो निम्नलिखित होगा:—

(क) स्थायी कर्मचारी की दशा में, उस के तीन माह की अवधि या उसकी सेवा की शेष अवधि, जो भी कम हो, के लिये वेतन (जिसके अन्तर्गत सभी भत्ते भी हैं) के बराबर धनराशि ।

(ख) अस्थायी कर्मचारी की दशा में, उस के एक माह की अवधि या उसकी सेवा की शेष अवधि, जो भी कम हो, के लिये वेतन (जिसके अन्तर्गत सभी भत्ते भी हैं) के बराबर धनराशि ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, उसमें अभिदिष्ट कोई ऐसा व्यक्ति, जो परिषद् का कर्मचारी हो जाय, ऐसे स्कूल अथवा स्थानीय क्षेत्र से जिसमें वह नियत दिनांक के तत्काल पूर्व सेवायोजित था, परिषद् के किसी अन्य स्कूल या संस्था अथवा यथास्थिति, किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र को, उसी पारिश्रमिक तथा सेवा के उन्हीं अन्य निबंधनों एवं शर्तों पर जिनसे वह ऐसे स्थानांतरण के तत्काल पूर्व नियंत्रित होता था, स्थानान्तरित किया जा सकेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी स्थानीय निकाय के बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक को किसी अन्य स्थानीय निकाय के बेसिक स्कूल में स्थानान्तरण, सिवाय उसकी सहमति के नहीं किया जायगा ।

(4) यदि इसके सम्बन्ध में कि किसी व्यक्ति की सेवा उपधारा (1) के अधीन परिषद् को स्थानान्तरित हुई या नहीं अथवा नियत दिनांक के तत्काल पूर्व ऐसे कर्मचारी के पारिश्रमिक तथा सेवा के अन्य निर्बन्धनों एवं शर्तों के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठे तो उस पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय दिया जायगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा ।

(5) उपधारा (1) में अभिष्टि कर्मचारियों के लिये किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित कोई भविष्य-निधि, ऐसे कर्मचारियों तथा स्थानीय निकाय के भी सम्पूर्ण अंशदान सहित जिसे नियत दिनांक के पूर्व जमा किया जाना चाहिये था किन्तु जमा न किया गया हो, स्थानीय निकाय द्वारा परिषद् को अन्तरित की जायगी जिसे वह ऐसी निधि को नियंत्रित करने वाले निर्बन्धनों तथा शर्तों के अनुसार सम्बद्ध कर्मचारियों के लिये न्यास के रूप में रखेगी ।

(6) उपधारा (1) के अधीन किसी कर्मचारी की सेवाओं को परिषद् में स्थानान्तरित किये जाने से ऐसा कर्मचारी किसी प्रतिकर का हकदार न होगा और किसी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्राधिकरण द्वारा कोई ऐसा दावा ग्रहण नहीं किया जायगा ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 8 (1) की द्वितीय पंक्ति में "अनुमोदनार्थ" को हटा कर "सूचनार्थ" रख दिया जाय ।

मैं यह कहना चाहता हूं···

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

यह जब हर बार वापिस ही ले लेते हैं तो यह सदन का समय यों ही क्यों बरबाद कर रहे हैं। यह एक दम से सब वापस ही ले लें ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

मैं सुझाव देना चाहता हूं ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

माननीय सदस्य, देवरिया का शिक्षा से घनिष्ठ सम्बन्ध है, इनका इस क्षेत्र में काफी अनुभव है । आप इनको सुझाव देने दीजिये और उनके संशोधन को सरकार मान ले ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह अधिकार उनको है, उनको रखने दीजिये ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

मान्यवर, इससे यह होगा कि शिक्षा का बेसिक शिक्षा का सारा बजट यहां आयेगा तो दोहरा खर्च होगा और समय भी काफी लगेगा । यह जो प्रदेश है, इसका सारा बजट शासन में आयेगा तो मालूम होगा कि 6–6 महीने तक अध्यापकों को तनख्वाह ही नहीं मिल पायी । बड़ी देर और धांधली होगी । परिषद् का रूप इन्होंने अटोनामस बाडी की तरह का बनाया है ....

श्री उपाध्यक्ष—

समय कम है, अब हमारी इजाजत नहीं है ।

श्री राज विहारी सिंह—

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपने इस संशोधन को भी कृपया वापस ले लें ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

मैं इसे वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 8 और 9 इस विधेयक के अंग माने जाएं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 10

जला बेसिक शिक्षा समितियां

10—(1) प्रत्येक जिले के लिये एक समिति स्थापित की जायगी जो जिला बेसिक शिक्षा समिति कहलायेगी और जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो अध्यक्ष होगा ;

(ख) तीन व्यक्ति जो जिला परिषद् या अन्तरिम जिला परिषद् के, यदि कोई हों, सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ग) तीन व्यक्ति जो जिले में स्थित नगरमहापालिकाओं, नगरपालिका बोर्डों, नोटिफाइट एरिया कमेटियों तथा टाउन एरिया कमेटियों के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(घ) एक व्यक्ति जो निदेशक द्वारा जिले में, निम्नांकित में प्रत्येक से, अर्थात्:—

(1) लड़कों के इंटरमीडिएट कालेजों के प्रिंसिपलों में से,

(2) लड़कियों के इंटरमीडिएट कालेजों के प्रिंसिपलों में से;

(3) लड़कों के राजकीय नार्मल स्कूलों के, प्रधानाध्यापकों में से; और

(4) लड़कियों के राजकीय नार्मल स्कूलों की, प्रधानाध्यापिकाओं में से; नाम-निर्दिष्ट किया जायगा ;

(ङ) तीन से अनधिक अन्य शिक्षाविद् जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे ;

(च) विद्यालय उप निरीक्षक, जो समिति का सदस्य-सचिव होगा ।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न समिति के सदस्यगण ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर पद धारण करेंगे जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे ।

(3) परिषद् समिति से ऐसे विषयों पर परामर्श करेगी जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, और उससे किसी अन्य विषयों पर भी परामर्श कर सकती है ।

श्री जयराम यादव—

माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 10 के उपखंड (1) के भाग (क) में शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "सचिव" रखा जाय ।

खंड 10 के उपखण्ड (1) के भाग (घ) की पंक्ति एक में शब्द "निदेशक" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, राज्य परिषद" रखा जाय ।

खण्ड 10 के उप खंड (1) के भाग (च) में शब्द सदस्य "सचिव" के स्थान पर शब्द "उप सचिव" रख दिया जाय ।

खंड 10 के उप खंड (1) में निम्नलिखित भाग (छ) जोड़ दिया जाय:—

"(छ) जिले के विधान सभा, विधान परिषद् और संसद के सदस्य, जो अपने में से जिला बेसिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे ।"

माननीय, यह बड़ी विडम्बना की बात है राज्य स्तर अथवा जिला स्तर पर परिषद् अथवा जिला बेसिक शिक्षा समिति का संगठन किया जा रहा है । उनमें जनप्रतिनिधियों की भारी उपेक्षा की जा रही है । जिले के जितने विधायक हैं, विधान परिषद् के सदस्य हैं और जो लोक सभा के सदस्य हैं वे शिक्षा के सुधार के बारे में अच्छे-अच्छे सुझाव दे सकते हैं । वह बता सकते हैं कि उसके स्तर में किस प्रकार सुधार किया जाय, अध्यापक किस तरह से अच्छा काम करें, आदि-आदि । इसके बारे में अमूल्य सुझाव देने के लिये जो जनता ह वह अपने प्रतिनिधि

[श्री जयराम यादव]

चुनती है। उनको भी जिला स्तर पर रखने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। मैं चाहता हूं कि जनप्रतिनिधियों के साथ इतना अन्याय न किया जाय, उनकी इतनी उपेक्षा सरकार न करे। कम से कम मेरे सुझाव को जो विधान परिषद के, विधान सभा के और लोक सभा के सदस्यों के बारे में संशोधन दिया है उसको स्वीकार कर लें।

श्री राजबिहारी सिंह—

मैं माननीय जयराम यादव जी के सुझाव की बहुत इज्जत करता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य रखे जायं। लेकिन अफसोस है कि माननीय सदन के सदस्यों ने बार-बार इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जिस समिति में सरकारी अधिकारी हो उसमें उनको नाम जद न किया जाय। उनकी आज्ञा के अनुसार ऐसा नहीं किया है। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मंत्री जी अधिकार रूप से ऐसा कहे हैं तो कल घोषणा हो जाय कि किसी भी ऐसी कमेटी में जिसमें अध्यक्ष सरकारी अधिकारी हो, कोई फिर मेम्बर नहीं हो सकता है। मेरा खयाल है कि सरकार अपनी जबान रखेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 10 के उप खंड (1) के भाग (क) में शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "सचिव" रखा जाय।

खंड 10 के उप खंड (1) के भाग (घ) की पंक्ति एक में शब्द "निदेशक" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, राज्य परिषद्" रखा जाय।

खंड 10 के उप खंड (1) के भाग (च) में शब्द सदस्य "सचिव" के स्थान पर शब्द "उप-सचिव" रख दिया जाय।

खंड 10 के उप खंड (1) में निम्नलिखित भाग (छ) जोड़ दिया जाय:—

"(छ) जिले के विधान सभा, विधान परिषद् और संसद के सदस्य, जो अपने में से जिला बेसिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 10 के उप खंड (1) में निम्नांकित भाग (छ) जोड़ दिया जाय—

"(छ) उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का जिले का अध्यक्ष पदेन सदस्य होगा।"

मैंने पहले ही कहा कि प्राथमिक शिक्षक संघ बड़ी बलिष्ट संस्था है। जिला स्तर पर उसको नहीं रख रहे हैं। उसे उसमें डालना चाहिये। शिक्षा मंत्री अगर मुनासिब समझते हों तो मानें। नहीं, कहें तो वापस ले लूं।

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, मैंने गवर्नमेंट की नीति स्पष्टतया कह दी। इस समय विचाराधीन नहीं है। आगे माननीय सदस्य जसा चाहें वैसा करें।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

मैं संशोधन वापस ले रहा हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 10 विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 11 से 20 तक, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

गांव शिक्षा समितियां

11—(1) प्रत्येक गांव या गांव समूह के निमित्त, जिसके लिए यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट, 1947 के अधीन गांव सभा स्थापित हो, एक समिति स्थापित की जायगी जो गांव शिक्षा समिति कहलायेगी और जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) गांव सभा का प्रधान जो अध्यक्ष होगा;

(ख) बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिनमें से एक संरक्षक महिला होगी) जो विद्यालय अवर उप निरीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे ;

(ग) उस गांव या गांव समूह में बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि एक से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से ज्येष्ठतम,जो उसका सदस्य सचिव होगा ।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, समिति—

(क) बेसिक स्कूल के भवनों और उनके उपस्करों में सुधार करने के लिए यथास्थिति, जिला परिषद् अथवा अन्तरिम जिला परिषद् को सुझाव देगी; और

(ख) ऐसे स्कूलों का निरीक्षण करेगी और अध्यापकों द्वारा समय पालन किये जाने तथा उसकी उपस्थिति के बारे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट देगी ।

बेसिक स्कूलों पर नियंत्रण

12—(1) निदेशक किसी बेसिक स्कूल (चाहे वह किसी स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति अथवा निकाय का हो) और बेसिक शिक्षा के संबंध में स्थानीय निकाय के कृत्यों का सम्पादन करने वाली अथवा उससे सम्बद्ध स्थानीय निकाय के अभिलेखों और उसकी कार्यवाहियों का भी समय-समय पर निरीक्षण कर सकता है अथवा निरीक्षण करा सकता है ।

(2) निदेशक—

(क) किसी बेसिक स्कूल के प्रबन्धाधिकरण को (जिसके अन्तर्गत कोई स्थानीय निकाय भी है) निरीक्षण करने पर अथवा अन्य प्रकार से पाये गये किसी दोष या कमी को दूर करने का, या

(ख) किसी स्थानीय निकाय को बेसिक शिक्षा से संबंधित अपने कृत्यों का सम्पादन करने के सम्बन्ध में निरीक्षण करने पर अथवा अन्य प्रकार से पाये गये किसी दोष या कमी को दूर करने का, निर्देश दे सकता है ।

(3) यदि किसी बेसिक स्कूल का प्रबन्धाधिकरण उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन दिये गये किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो नि देशक प्रबन्धाधिकरण द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्—

(क) किसी ऐसे बेसिक स्कूल की दशा में जो स्थानीय निकाय का न हो, ऐसे स्कूल की मान्यता वापस लेने के लिए मामला परिषद् को अभिदिष्ट कर सकता है; या

(ख) किसी ऐसे बेसिक स्कूल की दशा में, जो स्थानीय निकाय का हो, रिषद् की उपधारा (5) के अधीन कार्यवाही करने की सिफारिश कर सकता है ।

(4) किसी बेसिक स्कूल के सम्बन्ध में उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर परिषद् उस स्कूल की मान्यता वापस ले सकती है ।

(5) यदि किसी बेसिक स्कूल के सम्बन्ध में उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर परिषद् का यह समाधान हो जाय कि स्कूल के कार्यकलापों का ठीक प्रबन्ध नहीं हो रहा है अथवा उस स्थानीय निकाय ने जिसका स्कूल हो उसके सम्बन्ध में अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में जान-बूझ कर अथवा निरन्तर चूक की है, तो परिषद् आदेश द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पांच वर्ष से ऐसी अनधिक अवधि के लिए जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, स्थानीय निकाय को अपवर्जित करके, स्कूल का प्रबन्ध, जिसके अन्तर्गत स्कूल की भूमि, भवन, निधियां तथा अन्य परिसम्पत्तियां भी हैं, अपने हाथ में लेने का निदेश दे सकती है, और तदुपरान्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को, केवल ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये जो परिषद् द्वारा आरोपित किये जायं, स्कूल के प्रबन्ध के सम्बन्ध में ऐसी सभी शक्तियां तथा प्राधिकार उपलब्ध होंगे जो स्थानीय निकाय को उपलब्ध होते, यदि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश न दिया गया होता।

(6) यदि स्थानीय निकाय उप धारा (2) के खन्ड (घ) के अधीन दिये गये किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो निदेशक उसके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् मामला परिषद् को उपधारा (7) के अधीन कार्यवाही करने के लिए अभिदिष्ट कर सकता है।

(7) यदि उपधारा (6) के अधीन कोई सिफारिश प्राप्त होने पर परिषद् का यह समाधान हो जाय कि स्थानीय निकाय ने बेसिक शिक्षा के संबंध में अपने कर्तव्यों का पालन करने में जानबूझ कर अथवा निरन्तर चूक की है अथवा बेसिक शिक्षा के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार से प्राप्त किसी अनुदान का दुरुपयोग किया है अथवा उसे व्यावर्तित किया है, तो परिषद् मामला राज्य सरकार को उपधारा (8) के अधीन कार्यवाही के लिये अभिदिष्ट कर सकती है ।

(8) राज्य सरकार उप धारा (7) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर गजट में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि पांच वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाय, बेसिक शिक्षा के संबंध में स्थानीय निकाय की शक्ति तथा कृत्य, ऐसे दिनांक से जो निर्दिष्ट किया जाय, परिषद् को अन्तरित हो जायगा ।

(9) उपधारा (8) के अधीन किसी अधिसूचना में, उसके प्रवर्तन की अवधि में, ऐसी विधि के जिससे स्थानीय निकाय संघटित हों, अनुकूलन के लिये ऐसे उपबन्ध हो सकते हैं जो उपधारा (8) में अभिविष्ट निदेश को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हो और उसमें ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक तथा पारिणामिक उपबन्ध भी हो सकते हैं जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे ।

राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण

13—(1) परिषद् ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करेगी जो उसे इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें ।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा अपनी किन्हीं शक्तियों के प्रयोग में या प्रयोग किये जाने के संबंध में और अपने किन्हीं कृत्यों के संपादन में अथवा संपादित किये जाने के संबंध में परिषद् और राज्य सरकार के बीच अथवा परिषद् और किसी स्थानीय निकाय के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो तो ऐसे विवाद पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम तथा, यथास्थिति, परिषद् या स्थानीय निकाय पर बंधनकारी होगा ।

(3) परिषद् या कोई स्थानीय निकाय राज्य सरकार को ऐसे प्रतिवेदन, विवरणियां तथा अन्य सूचना प्रस्तुत करेगी जिसकी राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ समय-समय पर अपेक्षा करे ।

प्रत्यायोजन की शक्ति

14—(1)) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपनी कोई शक्ति ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, जो निर्दिष्ट की जाय, निदेशक अथवा अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकती है ।

(2) परिषद् सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि विनियमों को बनाने की शक्ति के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति का प्रयोग अध्यक्ष या ऐसी समिति अथवा अधिकारी द्वारा भी ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए जो उसमें निर्दिष्ट की जाय, किया जा सकता है ।

सद्भावना से किये गये कार्यों का संरक्षण

15—राज्य सरकार या परिषद् अथवा उसकी किसी समिति या परिषद् के अथवा किसी समिति के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत दिये गये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक

16—इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके परिषद् अथवा उसकी किसी समिति द्वारा दिये गये किसी आदेश या निर्णय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

17—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में अथवा इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अवसरानुकूल गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे आनुषंगिक या पारिणामिक उपबन्ध जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अथवा किसी ऐसी अधिनियमिति के जिसके द्वारा अथवा अधीन कोई स्थानीय निकाय संघटित हो, किसी उपबन्ध का अनुकूलन या परिष्कार करने का भी उपबन्ध है, जिनसे तत्व पर प्रभाव न पड़ता हो, और जिन्हें वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक या इष्टकर समझे, बना सकती है ।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

स्थानीय निकायों से संबंधित अधिनियमों का संशोधन

18—(1) नियत दिनांक से, उपधारा (2) और (3) में उल्लिखित अधिनियमितियां उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट रूप में संशोधित हो जायेंगी।

(2) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 में, धारा 43 में, उपधारा (2) में, शब्द "अध्यापकों के तथा" निकाल दिये जायें और उपधारा (3) में खण्ड (क) निकाल दिया जाये और उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "यथास्थिति, शिक्षा चुनाव समिति या चुनाव समिति" के स्थान पर शब्द "चुनाव समिति" रख दिये जायें।

(3) यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में—

(क) धारा 68 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(1) बोर्ड, विशेष संकल्प द्वारा अपने प्राविधिक विभागों के के मुख्य अधिकारी जैसे सिविल अभियन्ता, सहायक सिविल अभियन्ता, विद्युत् अभियन्ता, सहायक विद्युत् अभियन्ता, जलकल अभियन्ता, सहायक जलकल अभियन्ता, विद्युत् एवं जलकल अभियन्ता, सहायक विद्युत् एवं जलकल अभियन्ता या ओवरसियर तथा जहां पहले से कोई कार्यपालक अधिकारी हो, सचिव की नियुक्ति कर सकता है और राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर करेगा;"

(ख) धारा 73 निकाल दी जाय;

(ग) अनुसूची 1 में, स्तम्भ 2 में, धारा 68 से सम्बन्धित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविशिष्ट रख दी जाय, अर्थात्—

"सिविल अभियन्ता, सहायक सिविल अभियन्ता, विद्युत् अभियन्ता, सहायक विद्युत् अभियन्ता, जलकल अभियन्ता, सहायक जलकल अभियन्ता, विद्युत् एवं जलकल अभियन्ता, सहायक विद्युत् एवं जलकल अभियन्ता, अर्हता प्राप्त ओवरसियर या सब-ओवरसियर अथवा सचिव नियुक्त करना।"

नियम बनाने की शक्ति

19—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, और विशेषतया, किसी स्थानीय निकाय के बेसिक स्कूलों के अध्यापकों के रूप में नियुक्ति व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त, जो एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो सकता है, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया

जाय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन तद्धीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

20—उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यादेश, 1972, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14, 1972 का निरसन

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विधेयक, 1972

बेसिक शिक्षा परिषद् की स्थापना करने और तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 कहलायेगा । संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

श्री जयराम यादव—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 11 के उपखंड (1) के भाग (ख) की दूसरी पंक्ति के शब्द "जो विद्यालय अवर उपनिरीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे" के स्थान पर शब्द "जो गांव सभा द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे" रख दिये जायं ।

खंड 11 के भाग (ख) में बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिनमें एक संरक्षक महिला होगी) जो विद्यालय अवर उपनिरीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे । उसके स्थान पर मैं चाहता हूं कि गांव सभा द्वारा नामिनेशन किया जाय । इसमें मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । गांव सभा के द्वारा निर्वाचित करके भेज दिया जायगा । गांव के लोग समझते हैं कि कौन शिक्षा से रुचि रखता है । जिला विद्यालय निरीक्षक या उपनिरीक्षक को क्या जानकारी होगी । उनके द्वारा नामिनेशन का मैं विरोध करता हूं । गांव सभा द्वारा नामिनेशन किया जाय । वही रखा जाय ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 11 के उप खंड (2) के भाग (ख) की पंक्ति 2 में शब्द "जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट देगी" के स्थान पर "रिपोर्ट समिति के बहुमत द्वारा दी जायगी" रखे जायं ।

इस खंड में यह स्पष्ट नहीं है कि जो रिपोर्ट दी जायगी वह गांव की जो स्कूल समिति है वह आपस में तर्क-वितर्क करके रिपोर्ट देगी । प्रधान साजिश करके रिपोर्ट दे सकता है। इसलिये इस संशोधन के द्वारा मैं यह प्रतिबन्ध लगाना चाहता हूं कि रिपोर्ट समिति के बहुमत द्वारा दी जाय ।

श्री राजबिहारी सिंह—

यह स्वीकार करना ठीक न होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 11 के उप खंड (1) के भाग (ख) की दूसरी पंक्ति के शब्द "जो विद्यालय अवर उप निरीक्षक द्वारा नाम-निर्दिट किये जायंगे" के स्थान पर शब्द "जो गांव सभा द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 11 के उप खंड (2) के भाग (ख) की पंक्ति 2 में शब्द "जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट देगी" के स्थान पर "रिपोर्ट समिति के बहुमत द्वारा दी जायगी" रखे जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजबिहारी सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विधेयक, 1972 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विधेयक, 1972 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन विधेयक, 1972†

न्याय मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, दीवानी न्याय प्रणाली के बारे में आमतौर से यह शिकायत रही है कि यहां पर न्याय बहुत विलम्ब से मिलता है। ऐसे-ऐसे मामले देखे गये हैं कि जिनमें प्रारम्भिक न्याय से लेकर अन्तिम अपिलेट कोर्ट तक 10 से 15 वर्ष तक लग गये हैं। अन्तिम निर्णय तक समय तो लगता ही है लेकिन बीच में जो इंटर प्रोसीडिंग्स होती है उसमें बहुत से प्राविजन्स निगरानी और अपील के होते हैं जिससे दीवानी न्याय प्रणाली में बहुत विलम्ब होता है। प्रिवी कौंसिल ने एक केस के बारे में कहा था कि सबसे बड़ी मुसीबत तो लिटीगेंट की उस समय होती है जब कि वह डिक्री एक्जिक्यूट करा लेता है और डिक्री के एक्जिक्यूशन के बाद उसकी सही आफत शुरू होती है।

मान्यवर, डिक्री एक्जिक्यूशन के बाद भी न्याय प्रणाली में बड़ा विलम्ब होता है इस लिये जो यह संशोधन विधेयक है, इसके जरिये से एक छोटा सा कदम उठाया जा रहा है। मान्यवर, सिविल न्यायालय की श्रेणियां इस प्रकार हैं कि 5 हजार रुपये मूल्य तक वाले वादों का निर्णय मुन्सिफ के यहां होता है, 5 हजार से ऊपर वाले वादों का निर्णय सिविल जज के यहां होता है और 20 हजार रुपये मूल्य तक वाले वादों का निर्णय जिला जज के यहां होता है तथा 20 हजार से ऊपर के वादों का निर्णय हाई कोर्ट में होता है। अभी एक संशोधन दो साल पहले लाया गया था। उसमें धारा 115 में जाब्ता दीवानी में निगरानी की भी व्यवस्था है उसमें हाई कोर्ट को अधिकार दिया गया था किन्तु दो साल पहले जो संशोधन लाया गया था उसके द्वारा जिला जज को भी 20 हजार रुपये तक के वादों को सुनने का अधिकार दिया गया है। मान्यवर, जितनी खफीफा अदालतें प्रदेश में है उनको 2 हजार रुपये तक के मुकदमे सुनने का अधिकार है और जो छोटे जिले हैं उनमें 1 हजार रुपये तक के मामले सुनने का अधिकार है।

---

†25 जुलाई, 1972 की कार्यवाही में छपा है।

माननीय, मुन्सिफ जो खफीफा जज की हैसियत से बैठता है उसको 5 हजार रुपये तक के वाद सुनने का अधिकार है। इन न्यायालयों में सरल और साधारण किस्म के केसेज दायर और निर्णीत होते हैं। अगर कोई मामला किसी टाइटिल से संबंधित होता है तो उसको सिविल जज या मुन्सिफ जहां आवश्यकता होती है, के यहां भेज दिया जाता है। टाइटिल की अपीलों का निर्णय ये नहीं करते हैं।

(इस समय 3 बज कर 18 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राम सिंह पीठासीन हुए।)

माननीय, जो बिल लाया गया है उसमें यह भी व्यवस्था की जा रही है कि बेदखली के जितने मामले होंगे, उनमें खफीफा अदालतों के निर्णय हो जाने के बाद सिविल जज के द्वारा भी सुने जायेंगे तथा उनकी निगरानी जिला जज के यहां होगी, 5 हजार रुपये से ऊपर वाले वाद जिला जज द्वारा सुने जायेंगे और उनकी निगरानी हाईकोर्ट द्वारा होगी। एक छोटा सा संशोधन इसमें यह भी है कि जो रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट है उसमें ऐसा था कि जो 10 वर्ष पहले तक के बने हुये मकान हैं उनको इसकी परिधि में ले लिया गया था लेकिन इसके द्वारा 10 वर्ष के भीतर तक के जितने मकान बने हैं वे भी इसकी परिधि में ले लिये गये हैं। इस संशोधन विधेयक में यह भी व्यवस्था की गई है कि किरायेदार जो अदालत के अन्दर यह स्वीकार कर ले कि उसे एक पर्टिकुलर एमाउन्ट देनी है.....

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

10 साल तक के मकान रेन्ट कन्ट्रोल की परिधि में ले लिये वे और इससे 10 साल के भीतर वाले मकानात लिये जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

उन्हें कहने दें।

श्री बलराम सिंह यादव—

किरायेदार द्वारा जितना एमाउन्ट अदालत में स्वीकर कर लिया जाता है उसे वह जमा कर दे और उसके बाद हर महीने किराये की स्वीकृत धनराशि जमा करता रहे। माननीय, 20 हजार रुपये के बाद निगरानी के लिये जिलाधीश के यहां तथा हाईकोर्ट में जाते थे, यह सन्तोषजनक नहीं है। उनको मौका रहता है कि वे डिस्ट्रिक्ट जज के यहां जा सकते हैं और हाईकोर्ट में भी जा सकते हैं। अब उसको खत्म किया जा रहा है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज के निर्णय के खिलाफ अगर जाना चाहें तो हाईकोर्ट में जा सकते हैं। यह डबल प्रोसीडिंग की आवश्यकता नहीं है। ये मुख्य संशोधन हैं और तो फार्मल संशोधन हैं। अन्त में अधिक न कहकर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक कहावत है—"दीवानी में जाकर आदमी दीवाना हो जाता है।" माननीय, निश्चित रूप से दीवानी के अन्दर जो मुकदमा होता है उसमें बहुत विलम्ब होता है तो मैं समझता हूं कि धीरे-धीरे हम लोग चलेंगे। कुछ संशोधन इस सत्र में आये हैं, कुछ संशोधन हम आगे के सत्र में लायेंगे। मुझे आशा है कि इससे न्याय मिलने में आसानी होगी और उस तरफ हम एक कदम उठा सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सभी माननीय सदस्य हमारा समर्थन करेंगे।

*श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं—"उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन विधेयक, 1972 को जनमत जानने हेतु 3 माह के लिए परिचालित किया जाय।"

माननीय, दीवानी अदालत में जाकर कोई दीवाना हो या न हो लेकिन माननीय मंत्री जी की बात सुन कर मैं दीवाना जरूर हो गया। एक तो यह बात उन्होंने कह दी कि जो नया उत्तर प्रदेश शहरी सम्पति बेदखली अधिनियम आया था उसके लिये भी उसमें व्यवस्था की गयी है। उसमें तो वह व्यवस्था थी कि 10 साल पिछले मकान इसकी परिधि में आ जायेंगे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं दिया।

[श्री निरंजानन्द स्वामी]

लेकिन अब मंत्री जी ने सदन में कह दिया कि उसके बाद के मकान भी उसकी परिधि में आ जायेंगे। ऐसा कोई संशोधन इस विधेयक में नहीं आया है लेकिन उसको कुछ गलतफहमी है। मैं स्पष्ट कर दूं कि यह जो विधेयक लाया गया है इसके अन्दर यह व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है कि अब तक जो खफीफा अदालतें थीं उनको केवल रुपये के मामले में फैसला करने हक था। जब यह उत्तर प्रदेश रेंट कन्ट्रोल एक्ट आया था तो उस ऐक्ट के अन्दर एक व्यवस्था यह थी कि बेदखली किराये के मामले खफीफा अदालतों में जाकर फैसले हो जायं और इसलिये उन्होंने एक संशोधन स्मालकाज कोर्ट ऐक्ट के अन्दर किया था और संशोधन के अन्दर यह था उस ऐक्ट के शिड्यूल (2) के आर्टिकिल 4 के अन्दर यह व्यवस्था थी कि वह ऐसे मुकदमों की सुनवाई केवल जायदाद पर कब्जे के सम्बन्ध में विचार करे। उसको वह पंक्ति में पढ़े देता हूं, उससे स्पष्ट हो जायेगा:--

["(4) a suit for the possession of immoveeble property or for the necessary of an interest in such property."

यह इसमें बार है जो सेक्शन 15 के अनुसार इसमें कहा जा रहा है। वह प्रोविशियल स्माल काजेज कोर्ट है। मंत्री जी भी देख लें। यह स्माल काज कोर्ट ऐक्ट है।

"A court of small causes shall not take cognizance of the suit specified in the second schedule as suits excepted from the cognizance of a cout of small causcs."

सेक्शन 15 का तात्पर्य यह है कि सैकिंड शिड्यूल की लिस्ट में जितने विषय दिये हुये हैं उन पर मुकदमा नहीं सुनेगी। हमारी सरकार अक्लमंदों की सरकार है। मंत्री जी बड़े बुजुर्ग हैं लेकिन कुछ अक्लमन्द ऐसे इकट्ठे हो गये, जब शहरी सम्पत्ति विधेयक बना तो जो प्रापरटी के कब्जे का डिस्प्यूट था उसका फैसला स्माल काजेज कोर्ट से कराना था इसलिये चौथे आर्टिकल को डिलीट कर दिया और जोड़ दिया कि जो रेंट कंट्रोल ऐक्ट है, उसके मामले इसकी परिधि के बाहर होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इन कोर्ट्स में इन पर विचार हो सकेगा। यह संशोधन हुये अभी कुछ ही दिन हुये थे और इसकी स्याही भी नहीं सूखी थी कि वह भी गायब कर दिया गया। नया विधेयक ले आये और वह ऐसा आया कि उसको मैं हम्बक कहूंगा। हम्बक इसलिये कहता हूं कि एक जूलोजी के प्रोफेसर थे, उन्होंने एक छोटा सा जानवर लिया उसमें किसी का सिर, किसी का पैर और किसी के हाथ लगाकर स्टूडेंट्स से पूछा कि यह क्या जानवर है। स्टूडेंट्स ने जवाब दिया कि यह हम्बक है। इसका सिर पैर कहां है। इस पर गौर कीजिये। ऐसा न हो कि आप और हम दुनिया की निगाह में हंसी के शिकार बन जायें।

पहली बात यह कही गई कि स्माल काजेज कोर्ट्स के हम अधिकार बढ़ा रहे हैं। यह सैद्धांतिक विषय है। मैं कहना चाहूंगा कि इस बात को उद्देश्य में भी माना है कि जो यह खफीफा अदालतें हैं, यह सरसरी तौर पर सुनवाई करती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कोई बाकायदा गवाह या बहस नहीं होती है कि हर पक्ष को पूरा अवसर मिले कि वह अपनी बात कह सके और आप इस कोर्ट के जरिये जिसको सरसरी सुनवाई का हक था

और जिसमें मामूली मुकदमें जाते थे । जैसे एक आदमी ने सौदा खरीदा और उसके रुपये नहीं दिये । दुकानदार अपनी बही लेकर अदालत में आ गया और दोनों की बात सुन ली और मुंसिफ ने मामले का फैसला कर दिया । इस किस्म के मुकदमें खफीफा अदालत में होते हैं । अब यह कर रहे हैं कि मकानों के कब्जे और बेदखली के मामले भी इसको दे रहे हैं । इसका मतलब यह हुआ कि इसकी जो प्रक्रिया है उससे यह चाहते हैं कि वह इनकी सुनवाई करे। आपने केवल बिलम्ब का कारण बताया न्याय मिलने में । मैं जानना चाहता हूं कि बिलम्ब अच्छा है या न्याय अच्छा है। अगर कत्ल करने से जल्दी हो तो अच्छा है। न्याय के लिये अधिकार दे रहे हैं कि यह इतने बड़े मुकदमें सुनें और मजा यह कि इसकी कोई अपील नहीं होगी । तो एक तो वैसे ही सरसरी प्रक्रिया है और उसमें एक व्यक्ति को कुछ कहने का मौका भी नहीं होता । यह बिल्कुल अन्याय है और यह ला इक्विटी और जस्टिस के सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध है । यहां पर जितने भी माननीय सदस्य एडवोकेट्स हैं और जिनका अदालतों से वास्ता पड़ता है वह इसको क्या समझेंगे कि एक आदमी के दिमाग में और इससे ज्यादा परेशानी नहीं होती कि वह अदालत में जाय और वहां उसकी बात ही न सुनी जाय या सरसरी तौर पर सुनने के बाद कह दिया जाय कि जाओ यह तुम्हारा फैसला हो गया । इसलिये सैद्धांतिक रूप से भी यह न्याय के विरुद्ध है । साथ ही आप देखें इसकी अपील भी नहीं है । आप जानते हैं कि अपील और निगरानी या रिवीजन में फर्क है । अपील में जितनी बुनियादी बातें हैं या जो फैक्ट्स हैं उन पर भी बहस हो सकती है और वहां यह कहा जा सकता है कि फला डाकुमेंट गलत था, फलां गवाही सही नहीं थी या किन्हीं में यह कमी है । यानी तथ्यों का जो निष्कर्ष है या फैक्ट फाइण्डिंग पर कोर्ट में बहस हो सकती है और आदमी को संतोष हो सकता है कि मेरे साथ जो अन्याय हो गया है ।

अपील में मेरा वकील जज के सामने जा कर कहेगा और उस की सुनवाई हो जायगी । लेकिन यहां आप ने अपील खत्म करके केवल रिवीजन या निगरानी ही रखी है और वह केवल ला प्वाइंट्स पर ही होती है, कोई कानूनी प्वाइंट रह गया तो उसको देखा जायगा। आप इसको समझें और देखें कि हजारों में से कोई ऐसे 2–4 या 10 मामले होंगे जिनमें ला-प्वाइंट होता हो तब बाकी सब मामले फैक्ट फाइन्डिंग के ही होते हैं और उन्हीं को चैलेंज करना होता है और वही दरवाजा आप उन का बन्द कर रहे हैं । किसी को बेदखल किया जा रहा है, वह 20 साल से एक मकान में रह रहा था और एक सरसरी आदेश हो गया कि निकल जाओ, सरसरी सुनवाई हुई और कोई विशेष स्पष्ट सुनवाई भी नहीं हुई और बेदखली हो गई और उस के बाद वह गरीब यह भी नहीं कर सकता कि फैक्ट्स ऊपर कुछ रोना-पीटना कर सके खाली वह जज के पास जाकर रिवीजन दाखिल कर सकता है । यह आपने भारी अन्याय किया है । इतिहास कहेगा और यह आप के लिये कलंक होगा । जितने वकील मुफस्सिल के, लोअर कोर्ट्स के या हाई कोर्ट्स के प्रदेश में बैठे हैं उन सबसे जरा पूछिये तो हमारी मजबूरी तो सबसे बड़ी यह है कि इस विधान सभा का या पार्लियामेंट का जो गठन होता है उसके गठन में केवल जोनल रिप्रेजेंटेशन ही होता है और उसमें हम सब तरह के लोग यहां आ जाते हैं । अगर कोई इंजीनियरिंग के बारे में बहस करना चाहे तो हम मुंह घुमाकर बैठ जाते हैं, हमें कोई डिटेल्स का पता नहीं रहता और ऐसे विषयों पर हमें कोई एक्सपर्ट राय नहीं मिल पाती । हम चाहते हैं कि ला एक्सपर्ट्स को, वकीलों की इस विषय पर एक्सपर्ट राय ली जाय और जल्दबाजी में ऐसे संशोधन आप न लायें कि जो विधेयक आप पारित कर चुके हैं, उसके वलाजेज को ही आप निकाल दें ।

दूसरा एक अन्याय आप यह भी कर रहे हैं कि उनको 5,000 तक के केसेज का खफीफा का अधिकार दे रहे हैं । इसका मतलब यह हुआ कि उन की परिधि और बढ़ गई,

[श्री नित्यानन्द स्वामी--]
एक तो करेला और फिर नीम चढ़ा । एक गलती तो वैसे ही कर रहे थे और दूसरी यह गलती और आप ने कर दी ।

तीसरे आपने उनका अधिकार क्षेत्र भी बढ़ा दिया । इसका अर्थ यह हुआ कि कोई बिरला ही मुकदमा होगा जो छूट कर रेगुलर मुकदमा बने और ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे सरसरी मुकदमें ही बनेंगे । एक व्यक्ति इंसाफ के लिये क्या करेगा । आपने समझा कि हमने जल्दी न्याय दे दिया, इतनी जल्दी तो न कीजिये कि गला ही उसका घुट जाय । यह 5,000 तक की परिधि बढ़ाना भी अन्याय है और अनुचित है। इस प्रकार से जो आम जनता के मूल अधिकार थे , उन पर यह कुठाराघात है ।

एक चीज यह भी कही गई और जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा था कि यह हाचपाच है। एक तो यह किया कि इस बात का अधिकार कर दिया कि जितनी स्माल काजेज कोर्ट्स हैं, जिस प्रकार से बंगाल, आगरा और आसाम कोर्ट्स का जो विधेयक है, उसी प्रकार व्यवस्था कर दी कि जो सम्पत्ति के कब्जे के मुकदमें हैं उनको सुन सकेगी। रेंट कंट्रोल ऐक्ट में व्यवस्था की गयी थी सेक्शन 20(3) में कि जिस आदमी को बेदखल किन्हीं कारणों से किया गया है वह आदमी पिछला और अगला किराया जमा कर दे तो बेदखली रुक सकती है । तो इससे आगे के 10 साल के मुकदमें भी ले लिये हैं । रेंट कंट्रोल के अन्दर जो मुकदमें आते हैं, उनमें जो 20(घ) में पैसा जमा करने की व्यवस्था थी, वह आपने बाकी और सब मुकदमों के लिये कर दी, सिर्फ इतने काम के लिये।

इस विधेयक के अन्दर सबसे बड़ा जो अन्याय हुआ वह हुआ कि जो रेंट कंट्रोल ऐक्ट है, उसमें संशोधन लाने का समय नहीं था क्योंकि कल तो उसे पास किया और आज ही उसमें संशोधन ले आयें । तो एक तो संशोधन यह कह दिया कि इसमें धारा 18(4) धारा 39 में उसका स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय तथा सदैव से निकाला हुआ समझा जावे । धारा 39 के स्पष्टीकरण में यह दिया हुआ है कि "इस धारा व धारा 40 में, पद" इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक का तात्पर्य, किसी भवन के संबंध में, उस दिनांक से है जब यह अधिनियम उस भवन पर लागू होता है ।

यह स्पष्टीकरण बिल्कुल ठीक था । ये सेक्शन 39 और 40 किस के लिये हैं ? ये इसलिये हैं कि रेंट कंट्रोल ऐक्ट के अन्दर ये मुकदमें जिन पर रेंट कंट्रोल ऐक्ट लागू नहीं होता था या और अदालत के अन्दर पड़े थे, और जिस दिन ऐक्ट लागू होगा, उनको संरक्षण मिलेगा । इसलिये स्पष्टीकरण जिस दिन से ऐक्ट लागू हुआ है, उस दिन से माना जाय । तो जो मूल भावना थी, उसके विरुद्ध काम किया गया है । मैं चाहता हूं कि इसे आप वापस कर लें । धारा 5 के अन्तर्गत खंड (च) में संशोधन किया गया है।

अब मैं सेक्शन 3 की कार्यवाही के बारे में निवेदन करूंगा । जो बेदखली के मुकदमें थे, जो 7(एफ) में पड़े हैं सरकार के यहां, और जो यहां पर सेक्शन 7 के मुकदमें शासन के विचाराधीन हैं, कोई तो जिला जज के यहां वापस फिर दुबारा विचारार्थ जायेंगे और उन मामलों में उनका अंतिम निर्णय माना जायगा । इन 2–3 संशोधनों का यही अर्थ है । यह 7(एफ) सरकार के लिये बड़ा कलंक है । मैंने यहां पर सरकार की एक फाइल देखी कि 15 मई की पड़ी हुयी है लेकिन उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुयी । फाइल श्री रमेश गोयल बनाम कृष्णा देवी की है । फाइल पर कोई कार्यवाही नहीं है लेकिन 16 मई को दूसरी पार्टी आती है, यहां पर रुपया चढ़ाती है और रुपया चढ़ाने के बाद जिस पार्टी ने कृष्णा देवी वाली ने चढ़ाया उसमें रमेश गोयल के खिलाफ फसला हो गया और इतना गलत फैसला हुआ है कि अगर आंखों पर पट्टी बांध कर भी देखा जाय तो यह मालूम हो जायगा कि रुपया खा कर यह फैसला हुआ है । अब यह क्या कर रहे हैं ।

इस संशोधन से जितने मुकदमें राज्य सरकार के पास पड़ते हैं सेक्शन 3 के, सेक्शन 7-ए के और सेक्शन-7 के वे सारे के सारे यही फैसला करेंगे और उनका निर्णय अंतिम होगा । श्रीमन्, इनके हाथ में आप वह अधिकार देने जा रहे हैं जिससे जो सैकड़ों मुकदमें पड़े हैं उनमें वे हजारों और लाखों रुपये बना लें । मैं इसका विरोध करता हूं । जो मूल धारा 1972 के ऐक्ट की है जिनको परिवर्तित कर दिया था, जिनको जिला जज और कमिश्नर के यहां पुनरीक्षण के लिये भेज दिया जाता था, उन सब मुकदमों को आप इन हत्यारों के हाथ में देना चाहते हैं । मैं इनको हत्यारा कहना चाहता हूं जो अन्याय कर रहे हैं । मैं इसलिये प्रार्थना करूंगा कि आप इनको वापिस ले लें और जिस भावना से विधेयक रक्खा है इससे बड़ा कन्फ्यूजन हुआ है और अन्याय होगा । इन शब्दों के साथ मैं इस सरकार के बहरे कानों में कहना चाहता हूं कि इसको परिचालित कर दें । परिचालित करने में बिगड़ता नहीं है । कम से कम कुछ समझ में आ जायेगा । इन शब्दों के साथ मैं यह संशोधन रख रहा हूं ।

*श्री त्रिलोकचन्द (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन, विधेयक, 1972 को सदन की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय, जो अपना प्रतिवेदन तीन माह में दे दें और उसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार प्राप्त हो ।

मान्यवर, जो मौजूदा विधेयक मंत्री जी लाये हैं यह विधेयक ऐसा है कि जो अभी हमारे साथी स्वामी जी कह रहे थे कि यह बहुत घातक सिद्ध होगा और इसमें यदि संशोधन किया गया जो कि मंत्री जी ने बताया है सुलभ न्याय और सस्ता न्याय मिले क्योंकि बहुत देर अदालतों में होती है जजमेंट देने में और उस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये मंत्री जी इस संशोधन को लाये हैं और यही वह कहते हैं बड़ी आसानी से न्याय मिल सकेगा तो मेरा कहना यह है कि जहां तक सस्ते न्याय की बात है या जल्दी न्याय की बात है, उसका अभिप्राय यह कभी नहीं है कि जो प्रोसीजर है ला का उसको काट दिया जाय बल्कि उसके प्रोसीजर को, जहां उसमें दिक्कतें हों, सरल किया जाय । परन्तु यह न हो कि जो जनसाधारण के अधिकार ला के द्वारा या प्रोसीजर के द्वारा दिये गये हैं, उनको बिल्कुल समाप्त कर दिया जाय और कह दिया जाय कि जल्दी न्याय मिलेगा । न्याय को जल्दी दिलवाने के लिये तो आप जजों की संख्या बढ़ाइये जिस से वे काम जल्दी निपटा दें और इसके अलावा जो सस्ते न्याय की बात थी, आप लघुवादकोर्ट के लिये जो संशोधन ला रहे हैं, उनकी अगर फीस दे दीखिये जो रेगुलर प्रासेस में केसेज हैं उनके मुताबिक फीस लगाते उनको कम कर दिया होता तो बात ज्यादा उचित होती । केवल इतना कह देने से, ला में संशोधन कर देने से और उसमें जनसाधारण के अधिकारों में कटौती करना, और यह कह देना कि हमारी जल्दी न्याय देने की इच्छा है इसलिये ला रहे हैं, मैं यह समझूंगा कि यह जनसाधारण के अधिकारों पर कुठाराघात होगा । मान्यवर, आप जो यह संशोधन लाये है और आपने जो ये उद्देश्य और कारण दिये हैं, उनके पढ़ने से बड़ा दुख होता है । आपने तो कानून का गला ही घोंट दिया । आपने इसमें कहा है "हाल के एक संशोधन द्वारा, जो उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियम न) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1972) की धारा 20(6) में दिया है, किरायेदार की किरायादारी के समाप्ति के बाद उसकी बेदखली के लिये किये जाने वाले वाद इस अपवाद की परिधि से निकाल लिये गये हैं। और लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय कर दिये गये हैं । ऐसा इसलिये किया गया है क्योंकि इस प्रकार के वादों में साधारणतया विवाद के सरल बिन्दु होते हैं जहां इन वादों में अधिकार (टाइटिल) का प्रश्न विवाद-स्पद हो तो लघुवाद न्यायालयों को यह यह शक्ति है कि वे विवाद-पत्र को नियमित न्यायालय में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री त्रिलोकचन्द्र—]
प्रस्तुत करने के लिये वापस कर दें । अब यह प्रस्ताव है कि उपयुक्त संशोधन को उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1972 में से निकाल दिया जाय और उसके बजाय, सीधे, प्राविंशियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 में अधिक विस्तृत संशोधन समाविष्ट कर दिया जाय जिससे न केवल यह भवन जो उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1972 द्वारा शासित होते हैं बल्कि सभी भवन उसकी परिधि में आ जायें ।

मान्यवर, यह जो कहा गया है कि जो टाइटिल वाले केस हैं वह भी ट्रांसफर हो जायेंगे, इससे ऐसा मालूम होता है कि लघुवाद न्यायालय ही उनको डिसाइड करेंगे । उनकी बेदखली टाइटिल हो, चाहें किरायेदारी की हो, उसमें कोई फर्क नहीं किया गया है और लघुवाद न्यायालय को यह अधिकार दे दिया गया है वही इसका निर्णय दे । अगर ऐसा है, जैसा कि इससे स्पष्ट होता है तो यह जो टाइटिल के केस हैं उनको बड़ी हानि होगी क्योंकि लघुवाद न्यायालय के जो जज हैं, वह उसको समरिली देख लेते हैं और उसके बाद अपना निर्णय देते हैं जिनकी अपील नही होती है, उनकी निगरानी होती है । तो इससे मैं यह समझता हूं कि जनसाधारण को जो अधिकार दिये गये हैं, उसको आप खत्म करने जा रहे हैं, ऐसा मैं महसूस करता हूं ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—
इसमें थोड़ी सी गलतफहमी है माननीय सदस्य को । अगर स्माल काज कोर्ट में किसी का केस चल रहा है बेदखली का और पार्टी यह कहती है कि यह बेदखली का नहीं है, हम टाइटिल होल्डर्स हैं, तो तुरन्त स्माल काज कोर्ट उसको सिविल कोर्ट को रेफर कर देगी 145 में । इसके अलावा जो अन्य भवन है जो रेंट कंट्रोल ऐक्ट के अलावा है, जैसे 10 साल वह आते जाते हैं, वह स्माल काज कोर्ट में होने चाहिये ।

श्री त्रिलोक चन्द—
यह जो 10 साल के पुराने मकान आते जायेंगे, वह तो उस ऐक्ट में साफ लिखा हुआ है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है । हो सकता है कि माननीय सदस्य की बात ठीक हो, उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है । दूसरी बात यह है कि जो 1,000 और 2,000 का अधिकार था उसको आपने 5,000 कर दिया और जिला जजों को यह अधिकार 20,000 तक दे दिया और उसके बाद हाई कोर्ट में जायेंगे । मैं समझता हूं कि यह अधिकार देना इतने रुपये का, उससे भी कोई अच्छा न्याय मिल सकेगा, ऐसा मैं नहीं समझता । आपने बड़े केसेज के लिये 20 हजार में आरबीट्रेरिली यह निर्णय दिया तो कोई अच्छी बात नहीं है, भले ही आप सुलभ न्याय और जल्दी न्याय की संज्ञा देकर यह कहें कि हम अच्छा कर रहे हैं । अतः मेरा यह निवेदन है कि हम इस होच पोच विधेयक को इसका सुचारु रूप देने के लिये यह अच्छा होगा कि आप इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें । जिससे जो माननीय सदस्य हैं, चाहे वे इधर के हों या उधर के हों, उसमें विस्तार से विचार कर सकें और जो शीघ्र न्याय की बात की गयी है, उसके लिये भी कुछ और सुझाव देकर ऐसा कोई विधेयक लायें जिससे जन-साधारण को लाभ हो । बस, श्रीमन्, मैं इतना ही निवेदन करूंगा ।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)—
माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन इस सदन में आया है, वह मान्यवर, बहुत ही सीधा-सादा है । रह गयी खफीफा अदालतों की बात कि इनके अधिकार क्षेत्र को कुछ बढ़ा दिया गया है तो मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह एतराज की बात नहीं है । आज मान्यवर, न्याय पंचायतों तक 500 रुपये तक के सिविल सूट देख सकेंगे । तो जो खफीफा अदालतें हैं, जिनमें मुंसिफ और सिविल जज होते हैं, जिनकी काफी दिनों की सर्विस होती है और जो काफी एक्सपीरियन्सड होते हैं, अगर उन्हें अधिकार दिया जाता है तो उनको यह कहा जाय कि वे समरिली देखेंगे और रिजेक्ट कर देंगे, तो यह कोर्ट बात नहीं है । हमारे माननीय नित्यानन्द स्वामी तो हैं नहीं, लेकिन हमारे माननीय सदस्य भी

एक वकील हैं । मान्यवर, बड़े-बड़े शहरों में जो मैजिस्ट्रेट हैं, 6 महीने की सजा और एक हजार का जुरमाना करने का अधिकार है जिसकी कोई भी अपील नहीं है । तो मान्यवर, अगर इन खफीफा अदालतों के पावर्स कुछ बहुत बढ़ा दिये गये हैं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि कोई बड़ा अन्याय हुआ हो । मान्यवर, वादों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जहां तक टाइटिल की बात की गयी, तो मान्यवर, खफीफा अदालतों में ज्यों ही टाइटिल इनवाल्व होगा, त्यों ही रेगुलर शूट में चला जायेगा । उसमें अगर वैलुयेशन को थोड़ा बढ़ा दिया गया है तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो बड़ी अनुचित हो । मान्यवर, आज रुपये की मालियत को देखते हुये 500 रुपये और एक हजार रुपये की बात मामूली बात है । रुपये की कीमत 10 गुना तक गिर गयी है । तो 500 रुपये और एक हजार को अगर बढ़ाकर पांच हजार कर दिया गया है तो कोई बड़ा अन्याय नहीं हुआ ।

(इस समय 3 बजकर 55 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

दूसरी चीज अपील और रिवीजन की है । मान्यवर, इसमें खफीफा अदालतों के काफी अनुभवी लोग ही इन वादों को सुनते थे । जब दो पक्ष अदालत में खड़े होते थे, तो कोई जरूरी नहीं था कि सारे गवाहों को लें और तभी फैसला दें, बल्कि वे समझ सकते थे कि दो वादी और प्रतिवादी में किस की बात ठीक है और किस के वाद को मंजूर किया जाय और किसके वाद को खारिज कर देना चाहिये, तो उस अनुभव का फायदा समाज को मिला है और आज तक यह शिकायत नहीं की गयी कि खफीफा की अदालत से जो निर्णय मिला वह अनुचित रहा हो या कायदे-कानून के खिलाफ रहा हो या बेईमानी की बात हुई हो ।

मान्यवर, कहा जाता है कि एक्जीक्यूटिव करप्ट है, लेकिन अभी तक न्यायपालिका पर विश्वास है । इस न्यायपालिका में मुंसिफ, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज और हाईकोर्ट आते हैं । आज भी इनकी निष्पक्षता के बारे में खास कमेंट नहीं किया जाता है । जब हम मानते हैं कि न्यायपालिका निष्पक्ष है और उन्होंने अपने अनुभव के बल पर जो निर्णय दिये हैं वह बहुत कम चैलेंज हुए हैं और बहुत कम अपील और रिवीजन मंजूर हुए हैं तो अगर हमने उनके अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया तो क्या अनुचित है, क्या समाज के साथ विश्वासघात किया, क्या न्याय पद्धति के साथ विश्वासघात किया ? यह एक सीधा-साधा विधेयक है, इसको पास होना चाहिये।

*श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, यह जो विधेयक पेश किया गया है, इसके संबंध में मुझे एक अनुरोध करना है । आप थे नहीं । माननीय मंत्री जी ने कहा था कि दीवानी दीवाना कर देती है। मेरा कहना है कि वह खुद दीवाने हैं तो दूसरे को कैसे रोक लेंगे ।....

श्री उपाध्यक्ष--

कैसे ?

श्री विश्वनाथ कपूर--

मंत्री जी ने कहा कि हम विधेयक इसलिये लाये हैं कि जल्दी से मुकदमों का निस्तारण हो जाय ताकि दीवानी में दीवाने न हों । श्रीमन्, इस विधेयक की अगर आप देखें, मैं तो यह कहूंगा कि सरकार के अक्ल ही नहीं है, दीवालिया हो गयी है । दिमाग की कमी है श्रीमन्, इस विधेयक में चार-चार कानूनों का संशोधन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बहुत छोटा सा विधेयक है । श्रीमन, आपको याद होगा, 15 जुलाई से रेंट कंट्रोल ऐक्ट हमने लागू किया और 20 जुलाई को इस सदन में यह संशोधन विधेयक आ गया । कौन सी समस्या आ गयी ? श्रीमन्, ये सत्ता में चूर हैं । चाहते हैं कि न्यायपालिका के सारे अधिकार खत्म हो जायं और यह निरंकुश होकर शासन करें । रेंट कंट्रोल बिल में यह था कि सेविंग एफ० के सारे केसेज डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे । लेकिन उसको बदल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विश्वनाथ कपूर]
यह कर दिया कि मंत्री जी स्वयं करेंगे । पिछले सत्र में यह बात आयी थी, बेनी सिंह जी खाद्य मंत्री थे, उन्होंने स्वीकार किया था कि इसका निर्णय मैं करता हूं, सेक्रेटरी नहीं करता है । इसलिये मैं कहता हूं कि इस वजह से यह विधेयक लाया गया है ताकि वह कुछ कर सकें । जो जजेज होंगे वह मंत्री जी के मुकाबले में इंफीरियर हैं ? मंत्री जी चुनकर आ गये, चाहें उनको कानून का ज्ञान न हो, लेकिन वह राजनैतिक निर्णय देंगे । यह इस विधेयक की मंशा है ।

प्रॉविंशियल स्माल काजेज कोर्ट्स का संशोधन इसके जरिये कर रहे हैं । बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट का संशोधन कर रहे हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता का संशोधन कर रहे हैं । मान्यवर, मैं आपके सामने सी०पी०सी० की बात रखना चाहता हूं जब दावा किया जाता है तो सम्मन अदालत से जारी होता है । पांच-छः महीने और साल साल भर तक तामील नहीं होता । चपरासी लिख देता है कि मिले नहीं, बाहर गये हैं फिर तीन महीने की तारीख बढ़ गई । फिर लिख दिया कि कहीं बाहर गये हैं । चस्पा कर दिया फिर सब्सीच्यूट सर्विस कार्रवाई और डाकिया ने लिख दिया कि मिले नहीं फिर जाकर गजट हुआ । इस प्रोसीड्योर को कट शार्ट करने के लिये आपने क्या किया । दीवानी के देर को दूर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे जब कि खुद ही दीवाने हैं। फिर दूसरों की दीवानगी को कैसे दूर कर सकेंगे । होना यह चाहिये कि सम्मन के साथ ही साथ रजिस्ट्री भी जाती । एक साथ ही दोनों जाते ।अगर रजिस्ट्री तामील हो गई तो सम्मन की जरूरत नहीं पड़ो । लेकिन एक नहीं मिला तो दूसरे के 6 महीने या साल भर बीत गया । फिर आपको नकल दाखिल करनी है ।नकल को लेने के लिये 6, 6 महीने लग जाते हैं । कोई रिट दाखिल करें, बयानहल्फी काफी होती है ।नकल के खर्चे को देखें कि कितना भ्रष्टाचार होता है । इससे वह समाप्त हो जायेगी। इसका कोई समाधान नहीं है । अगर कोई मर जाये तो वारिस के लिये कम से कम 90 दिन के अन्दर दाखिल करना चाहिये ।

श्री राज मंगल पांडेय---

खफीफा का जो प्रोसीड्यूर है उसमें सिम्प्लीफिकेशन हो गया है । उसका इंटायर जजमेंट भी हो सकता है । रेगुलर सूट में प्लेन्टिपज को टाइम मिलेगा । रेगुलर सूट में में और खफीफा सूट में काफी बचत हो गई इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ।

श्री विश्वनाथ कपूर---

पांडेय जो हमारी बात को नहीं समझ सके शायद उन्होंने काफी दिन हुये वकालत छोड़ दी है । मैं तो जाब्ता दीवानी की बात कर रहा था खफीफा कहां से आ गई । जैसा कि मंत्री जी सिविल प्रोसीजर कोड में तरमीम कर रहे हैं । मैं तो यह कह रहा था कि जब कोई मर जाये तो उसमें 90 दिन की दरख्वास्त पड़ती है । तीन महीने मुकदमा पड़ा रहा । उसने सम्मन और नोटिस नहीं ली । फिर सम्मन आये और गजट हो । दो साल तो सम्मन, नोटिस और रजिस्ट्री में लग गये । जब कि आपने जाब्ता दीवानी में संशोधन किया था ये सभी चीजें भी ले जाये । उस समय तो आप लाये नहीं । अगर कोई इंटरिम आदेश सिविल कोर्ट में पास कर दिया हमें अधिकार है कि हम हाई कोर्ट में रिवीजन करने के लिये चले जायं । 4, 6 महीने तो रिवीजन के एडमीशन और नकल लेने में लग गये । चार साल के बाद निगरानी हाई कोर्ट में आती है । इंटरिम आदेश की कोई निगरानी नहीं होगी जब अपील करेंगे तब देख लिया जायगा आप इसको कट कर सकते थे । जब लोअर कोर्ट से फैसला हो जायगा फिर अपील करने के लिये जायेंगे । जब आपको जजमेंट की नकल मिल जायगी तब अपील करेंगे । अगर जनता के हित में कुछ करना चाहते हैं तो जिस दिन फैसला हो नीचे की अदालत का दूसरे फरीक के वकील को

बतादें। डेट लगाकर भेज दें। नकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कुछ करना चाहिये वह तो आया नहीं। यह जो कहावत है कि दीवानी दीवाना बना देती है। दीवानी के दीवानों को क्या ठीक करेंगे, आप तो खुद दीवाने हो रहे हैं। आपको समझ ही नहीं है क्या करेंगे। दूसरी तरफ देखें। शहरी भूमि विधेयक जो रेंट कंट्रोल ऐक्ट का है उस पर सिलेक्ट कमेटी ने यूनानिमस रिपोर्ट दी थी और इस सदन ने आपको याद होगा इसे पिछले सत्र में पास किया था और यह 15 जुलाई से एनफोर्स हुआ। तो उसमें क्यों यह सब रख रहे हैं उसके लिये भी इसमें छिपाया गया है। जो उद्देश्य दिये हैं वह मैं आपके समक्ष रख रहा हूं।

"उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1972 की धारा 20(3) में यह व्यवस्था की गयी कि बेदखली के वादों में किरायेदार प्रथम सुनवाई पर उसके द्वारा स्वीकृत संपूर्ण किराये की धनराशि जमा करदे और उसके बाद जब तक वाद लंबित रहे न्यायालय में हर महीने किराये को स्वीकृत धनराशि जमा करता रहे। अब यह प्रस्ताव है कि उस अधिनियम में से यह प्राविधान निकाल दिया जाय और उसके बजाय ऐसा ही प्राविधान सिविल प्रक्रिया संहिता की द्वितीय अनुसूची के आदेश 15 में समाविष्ट कर दिया जाय जिससे उसकी परिधि में न केवल वह भवन जो उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1972 द्वारा शासित होते हैं बल्कि सभी भवन आ जायें।"

इसके आगे देखने की बात है "इस अवसर का लाभ उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1972 में कुछ अन्य औपचारिक तथा प्रक्रिया संबंधी संशोधन करने के लिये भी लिया जा रहा है।"

शब्द क्या है कि इसका लाभ उठा करके अन्य औपचारिक संशोधन किये हैं। यह भी देख लें कि औपचारिक क्या किये हैं। यह है कि (खंड (त) में शब्द जिला जज की अन्तरित हो जायेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा" के स्थान पर शब्द "का निस्तारण राज्य सरकार द्वारा किया जायगा और उसका निर्णय अंतिम होगा" रख दिये जायं और सदैव के लिये रखे गये समझे जायं।" यह उनका औपचारिक संशोधन है। मैं तो बहुत नहीं जानता क्योंकि हाईकोर्ट में वकील नहीं रहा लेकिन अगर उद्देश्य के जरिये से इसको चैलेंज किया गया तो यह सिद्ध हो जायगा कि यह औपचारिक संशोधन नहीं है शायद यह अल्ट्रा-वायरस कर दिया जायगा। आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अभी गिरि साहब ने परसों कहा है कि चरित्र निर्माण के लिये कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिये लेकिन यहां बहुत अन्तर कर दिया है। तो जब प्रेसिडेंट साहब ने ही यह कहा है कि तो क्या माननीय मंत्री जी उस तरफ भी ध्यान देंगे ?

अन्त में एक निवेदन और करना चाहता था। एक बड़ी सीधी सी बात है कि न्याय लेने के लिये मुंसिफ और जजेज के यहां जायेंगे। लेकिन जो 20 साल पहले हाईकोर्ट के जजेज को तनख्वाह थी वही आज है। मुंसिफ की तीन साढ़े तीन सौ है। सिविल जज की 600 रुपया है और ए०डी०एम० (जे०) जो सेशन जज के नीचे हैं, उसकी 900 रुपया है। डिप्टी कलेक्टर तीन साढ़े तीन सौ रुपये पाते हैं। तो इसमें दो राय नहीं है कि जो डिप्टी कलेक्टर हैं या एग्जिक्यूटिव है, उनकी शान-शौकत और रख रखाव क्या है, और मुंसिफ और सेशन जज के क्या है। मेरी एक मुंसिफ से बात हुई नाम नहीं बताऊंगा। उनके सामने एक डिप्टी कलेक्टर रहते थे। उनकी बीबी के हाथ में 10-15 तोले सोने का सामान था। तो मुंसिफ की बीबी ने मुंसिफ साहब से कहा कि हमारे यहां क्यों नहीं आता ? उन्होंने कहा कि हमको तो गिने गिनाये पैसे मिलते हैं। फिर उनकी बीबी ने कहा कि डिप्टी साहब की बीबी के पास तो इतनी बड़ी-बड़ी साड़िया हैं तो उन्होंने कहा कि वह खाते पीते हैं। इस पर उनकी बीबी ने कहा कि अगर वह घूस लेते हैं तो आप क्यों नहीं करते, मेरा खर्चा तो आपको चलाना ही होगा चाहे कैसे चलाइये। तो यह लाजिमी है कि जब एक अधिकारी देखता है कि उसके साथ वाला अधिकारी पैसे ले रहा है तो क्या वह अछूता रहेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--
खुशहाली है फैजाबाद में।

श्री विश्वनाथ कपूर--
तो मंत्री जी को उनके वेतन-स्तर के बारे में भी सोचना चाहिये मगर वह नहीं सोचा।

मैं ज्यादा न कह कर यह कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार अब मुंसिफ और डिस्ट्रिक्ट जजेज के कोर्ट्स की तरफ भी पहुंच गया है। मंत्री जी अगर इसको नहीं रोकेंगे तो न्यायपालिका में जो आज लोगों का विश्वास है वह समाप्त हो जायगा। इसका सिर्फ यही तरीका है कि उनके वेतन में बढ़ोत्तरी करें। हाई कोर्ट का जज आज 25 सौ रुपय पाता है इंकम टैक्स वगैरह काटने के बाद इससे ज्यादा उसके पास नहीं बचता। आज कल के जमाने में इतने रुपयों से वह क्या करेगा। उसके पास मोटर भी होनी चाहिये, फ्रिज भी होना चाहिये। उधर मंत्री जी के लिये 50 हजार रुपये का फर्नीचर पहुंचा दिया जाता है।

दूसरे, आप अदालतों को देख लें। कहीं बैठने का कोई स्थान नहीं। आप लखनऊ की अदालत को देख लें। यहां बार असोसियेशन ने हड़ताल की। उन्होंने कहा कि हम अदालत में नहीं जायेंगे, यह बिल्डिंग गिर जायगी। तो इस तरफ आपका ध्यान नहीं जाता और छोटी-छोटी बातों की तरफ आप ध्यान देते हैं। इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर मंत्री जी वाकई कुछ करना चाहते हैं तो इस विधेयक को वापस ले लें और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये एक बड़ा विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत करें तब उस पर विचार हो। अगर यह नहीं करते तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि न्यायपालिका में जो लोगों का विश्वास है, वह घटता चला जायगा।

इन शब्दों के साथ मैं संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)--
उधर श्री राजमंगल पांडेय के अलावा और कोई बोलने वाला नहीं है।

*श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)
उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से जो संशोधन भाई नित्यानन्द जी ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। अभी राजमंगल जी पांडेय कह रहे थे कि पुराने जमाने में एक रुपये की कीमत क्या थी और अब क्या है? घट गयी है कीमत। इसे जरा उलट कर देखें। पुराने जमाने के जजमेंट्स उठा कर देखें तो मालूम पड़ेगा कि मास्टर पीस थे और अब कूड़ा कबाड़ा भरा पड़ा है। पुराने जमाने को देखते हैं और अब देखते हैं तो मालूम होता है सबसत्यानाश कर डालेंगे। इसलिये पुरानी चीज का मुकाबला नहीं करना चाहिये।

दूसरे, स्मालकाजेज कोर्ट कैसे और किसलिये बने और आज हो क्या रहा है? हमारे प्रदेश की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। उसी हिसाब से हमको कोर्ट्स भी बढ़ाने चाहिय। कोर्ट्स तो हम बढ़ाते नहीं हैं और कहते हैं कि कीमत घट गयी रुपये की लिहाजा ये सब मुकदमे वहां जायं। कितना वर्कलोड हम किस पर डाल रहे हैं, यह नहीं सोचते। इसी तरह पुलिस के थाने क्यों बने थे, कितनी आबादी पर बने थे, आज जनसंख्या कितनी बढ़ गयी है, जुर्म करने के तरीके कितने बदल गये हैं, उन्नत हथियार पुलिस के पास हैं या नहीं, इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। कहते हैं कि मुकदमे बढ़ गये, इनके अधिकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बढ़ाओ । आज दिखाई पड़ता है कि समरी प्रोसीडिंग्स की ओर हमें ले जा रहे हैं । ए० सी०, सी० ओ० को देखिये । टाइटिल का अधिकार कहां से कहां पहुंचा दिया । वहां पर भी समरी प्रोसीडिंग्स । आज समरी प्रोसीडिंग्स की इतनी होड़ लग गयी है कि कोई हिसाब नहीं । आज अपने देश और प्रदेश का न्याय का ढांचा था उसको हम समरी प्रोसीडिंग्स के द्वारा खत्म करते जा रहे हैं । इसलिये यह कह देना कि हम जस्टिस देने के लिये यह कर रहे हैं गलत है, इससे उल्टा अनजस्टिस होगा । अभी माननीय कपूर साहब ने बताया कि किस तरह से भ्रष्टाचार अदालतों में भी फैल गया है । नं० 2 का पैसा इतना बढ़ रहा है कि वह आखिर कहां खपेगा ? सिविल कोर्ट्स भी पहले इससे अछूती नहीं रही है । यह जो आप विधेयक लायें हैं, इसको लाकर तो आप जनता के अधिकारों पर एक तरह से कुठाराघात कर रहे हैं । मंत्री जी ने अभी कहा कि काफी सोच-बिचार कर यह सब काम किया है । अगर सोच-बिचार कर माननीय मंत्री जी इस विधेयक को लाये होते तो यह विधेयक इस शक्ल में नहीं होता । इस विधेयक का प्रवर समिति में अवश्य जाना चाहिये ताकि वहां अच्छी तरह से विचार हो सके और एक सही विधेयक यहां सदन के समक्ष लाया जा सके । आज सरकार किसी बात को मानती नहीं है । आज रेगुलर सूट में जितना खर्च पड़ता है उतना ही इसमें भी पड़ता है । आज गांव का आदमी भी मुकदमेंबाज बन गया है । उसके पास बहुत से किस्म के हथियार भी रहते हैं । आज मुकदमेंबाजी बहुत बढ़ गयी है । इसलिये आज प्रश्न स्माल काज कोर्ट का इतना नहीं है, प्रश्न है अदालतों को बढ़ाने का, जजों की तन्ख्वाह को बढ़ाने का । जब आप यह करेंगे तभी प्रदेश के लोगों का कल्याण हो सकेगा और उन्हें न्याय मिल सकेगा । जैसा माननीय नित्यानन्द स्वामी जी ने कहा, हम हर चीज के तो जानने वाले हैं नहीं, न हर चीज के मास्टर हीं हैं, पर यहां पर तो जो भी मसला आता है हमें बोलना पड़ता है । सही राय तो विषय के एक्सपर्ट ही दे सकते हैं । अगर एक्पर्ट्स की राय आप चाहते हैं तो इसे उनके पास जाना चाहिये । उनकी राय आपको जाननी चाहिये । अतः माननीय मंत्री जी या तो इस विधेयक को वापस लें या इसे जनता की राय जानने के लिये परिचालित करें ।

श्री राज मंगल पांडेय--

खफीफा आदलतें टाइटिल का सूट देख सकेगी यह कहां है ?

श्री हिम्मत सिंह--

मैंने यह नहीं कहा है ।

***श्री कृष्णानन्द राय--**

मान्यवर, यह बिधेयक जो वहां पर प्रस्तुत हुआ है । उस पर माननीय माधव प्रसाद जी बड़ी गम्भीरता से विवाद को सुन रहे हैं । मेरी इच्छा थी कि वे इस विधेयक पर कुछ प्रकाश डालते क्योंकि वे सिविल के अच्छे वकील हैं । हमें आशा है कि उनके दिमाग पर भी इस विधेयक का प्रभाव पड़ा होगा । वे स्वयं उलझन में हैं कि यह विधेयक कैसा है । एक चीज और मैं आपकी माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं । एक तरफ तो केवल यह एक औपचारिक विधेयक बन जाता है, क्योंकि यह शहरी भवन अधिनियम, 1972 का संशोधन करने के लिये है । यह पहले से संशोधन कर दिया गया है कि जो बेदखली वगैरह के मुकदमें, किराये वगैरह के मुकदमें हैं, उन पर स्माल काज कोर्ट्स की तरफ से सुनवाई ट्रीट की जा सकती है । यह पहले हीं हो चुका था, विधान सभा इसे स्वीकार कर चुकी है । तो शहरी भवन वगैरह में तो उन्होंने संशोधन कर दिया है । लेकिन स्माल काज कोर्ट्स का जो ऐक्ट सन् 1887 का है, उसमें इस तरह का कोई अमेन्डमेंन्ट नहीं है, इसके जरिये उसी को इन्कारपोरेट कर रहे हैं स्माल काज कोर्ट्स में और उसकी पावर बढ़ा रहे हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्णानन्द राय]---

एक हमारे आदरणीय दोस्त त्रिलोक चन्द्र जी बोल रहे थे कि स्माल काज कोर्ट्स को टाइटिल के स्यूट्स देखने का अधिकार दिया जा रहा है । तो हमको उस समय समझ में नहीं आया जहां तक इसका सम्बन्ध है, उसमें स्पष्ट है शहरी सम्पति-भवन में जब भी आए और स्माल काज कोर्ट स देखे कि इसमें टाइटिल का डिस्प्यूट इन्वाल्ड होगा तो वह उस केस को रेगुलर सिविल कोर्ट स में रिफर कर देगा । जहां तक किराये का प्रश्न है वह स्माल काज कोर्टस के सम्मुख जाएगा और जैसे ही कोई आदमी जवाबदेही करेगा कि हम इस मकान के मालिक हैं, तुरन्त ही स्माल काज जज का जूरिस्डेक्शन समाप्त हो जाएगा और उसे सिविल कोर्ट को रेफर कर देना पड़ेगा । अब मैं स्वामी जी को बताना चाहता हूं कि किसी भी ला को आप देख लीजिये, जहां पजेशन का स्यूट है, जितनी भी शहरी सम्पत्ति है, उसमें अगर पजेशन स्यूट होता है तो एक मैजिस्ट्रेट 145 में पूरा जजमेंट दे सकता है कि वह किसका पजेशन है । 145 में नहीं होता है तो वह फिर 146 में हो जाता है और उसमें वह निर्णय देता है कि वह पजेशन का या टाइटिल का सवाल है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

145 में जज यह फैसला देता है कि फिलहाल 2 महीने इनका कब्जा रहेगा, जब तक सिविल कोर्ट से यह अपना टाइटिल डिक्लेयर करा लें । लेकिन इसमें अब वह फाइनल हो जाएगा, फिलहाल नहीं रहेगा ।

श्री कृष्णानन्द राय---

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहां पर केवल पजे शन का झगड़ा होता है वह एक मैजिस्ट्रेट के जूरिस्डेक्शन में 145 में आता था और वह समरी ट्राय ल के रूप में था और जब यह कहा जाता है कि पजेशन का सवाल नहीं है, टाइटिल का है तो वह उसे सिविल स्यूट की तरह से रेफर कर देता था । अभी तक हमारे प्रदेश में स्माल काज कोर्ट स को इमूवेबिल प्रापर्टी के बारे में कोई अधिकार नहीं था । जो हजार-पांच सौ की लेन देन के, सरखत वगैरह के केसेज होते थे वे ही वहां हुआ करते थे । लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात आदि में स्माल काज कोर्ट स को इमूवेबल प्रापर्टी के बारे में भी जूरिस्डेक्शन दिया हुआ था । वही चीज हमारे प्रदेश में भी इस अमेन्डमेंट के द्वारा इनकार-पोरेट की जा रही है । स्माल काज कोर्ट स को जो इमूववेबल प्रापर्टी के डिस्प्यूट्स देखने का अधिकार नहीं था, उसका अधिकार दिया जा रहा है ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि इम्मूवेबिल प्रापर्टी, जो छोटी सी मालियत की चीज है, किसी भी पार्टी के लिये हितकर नहीं है कि सिविल सूट में जाय । सिविल सूट का इतना लांग प्रासेस होता है । तीन चार साल मुंसिफ की कोर्ट में लग जाते हैं । जवाब होता है, इश्यूज बनते हैं गवाही होती है । उसके बाद अपील होती है । उसके बाद हाई कोर्ट में अपील होती है । सेकंड अपील होती है । दस बारह साल तक भी उन मुकदमों को लड़ा सकते हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

स्माल काज कोर्ट का भी बहुत दिनों तक चल सकता है अगर हम आप कायम रहें ।

श्री कृष्णानन्द राय---

लेकिन त्रिपाठी जी स्वीकार करेंगे कि स्माल काज कोर्ट में गुंजाइश कम रहती है । जिस दिन तारीख होगी, गवाहों को लेकर पेश करना ही पड़ेगा । किसी के किराये का मामला है, मकान की बेदखली का मामला है, सिविल कोर्ट में लांग प्रासेस है दस-बारह साल में फैसला हो, किरायेदार और किराया लेने वाले दोनों परेशान हो जांय । अगर आप चाहते हैं कि इस चीज का फैसला जल्दी हो सके तो स्माल काज कोर्ट में जल्दी फैसला हो जायगा और उसके बाद सिर्फ निगरानी की जा सकती है । इस दृष्टि से मैं इस विधेयक को बिलकुल औपचारिक विधेयक मानता हूं । इस पर आदरणीय सदस्य पुनः विचार करेंगे ।

श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नित्यानन्द जी ने जो इस विधेयक में संशोधन रखा है, उसके समर्थन में मैं खडा हुआ हूं । अभी राय साहब ने कहा कि 145 सी० आर० पी० सी० का केस रेफर हो कर सिविल कोर्ट में जाता है टाइटिल का केस । जिस मैजिस्ट्रेट के यहां 145 का केस रहता है । जज यह डेसिजन नहीं दे सकता, या किसी निष्कर्ष पर नहीं पंहुच सकता कि तीन महीने पहले कौन पजेशन में था तो वह सिविल कोर्ट में भेज देता है । मुंसिफ दोनों पार्टीज का एविडेंस लेकर कौन सी पार्टी पजेशन में है यह निर्णय दे कर वापस भेज देता है । उसके बारे में फैसला होता है । रिवीजन डिस्ट्रिक्ट जज के यहां होता है । यह स्माल काज कोर्ट्स अभी तक शहरों में एक हजार रुपये के केसेज कर सकती थीं । लेकिन इस अमेन्डमेंट के द्वारा उनको टाइटिल केसेज का भी अधिकार दे दिया गया है । अब आप विचार करें । वह अपने केसेज को समरिली करते हैं । जो एविडेंस आती है, उनका पूरा रेकार्ड रखना उनके लिये आवश्यक नहीं है । जो भी आवश्यक समझते हैं नोट कर लेते हैं । और जजमेंट हो जाता है । अब टाइटिल का भी अधिकार दे दिया गया । जब टाइटिल का निर्णय स्माल काज कोर्ट से ही हो जायगा तो उसकी अपील भी नहीं हो सकती । रिवीजन होगा । अपील में फैक्ट्स और ला प्वाइन्टस दोनों पर हो सकती है । रिवीजन में केवल ला प्वाइन्ट देखा जाता है । रिवीजन में ला प्वाइन्ट न मिलने के कारण उन व्यक्तियों के साथ अन्याय हो जायगा जब स्माल काज कोर्ट में मनी के अलावा टाइटिल के केसेज भी दिये जायेंगे तो रेगुलर सूट खत्म हो जायेंगे ।

और आपका यह कहना समय बहुत कम लगेगा कुछ जंचता नहीं । समरी केसेज रेलवे के, जुए के, शराब वगैरह के भी होते हैं । वे बड़े पक्के तथा अनुभवी लोग होते हैं । ये उन सारी चीजों को ग्रास्प किये हुए होते हैं । लेकिन यहां यकायक मुंसिफ को सारे अधिकार दे देने से जो न्याय मिलना चाहिये, वह नहीं मिल सकेगा । जहां तक खर्चे की बात है न्याय कोई बिजनेस नहीं है । इसमें सरकार को घाटा हो सकता है ।

सरकार को इसमें जो आमदनी होती है उससे भी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा तो उसे करना चाहिये । स्वास्थ्य के लिये इतने अस्पताल खोले जाते हैं, दवाई का इन्तजाम होता है । उसमें कोई प्राफिट नहीं होता । उसी प्रकार से न्याय दिलाने के लिये अगर सरकार को और अदालतें खोलनी पड़े और खर्चा अधिक ही तो सरकार को करना चाहिये । इसके अलावा सेक्शन 7 एफ के केसेज की बात आती है । इसके जरिये से जो केसेज बनेंगे उनमें डिस्ट्रिक्ट जज को करने का अधिकार हो । उनको अब सरकार ने ले लिया है । और मंत्री महोदय को देखरेख में उन केसेज के फैसले कैसे होते हैं, कैसे जिले के सोसेंज लगाये जाते हैं, सिफारिशें पंहुचाई जाती है और किस तरह से अच्छे से अच्छे केसेज यहां आने के बाद उलट दिये जाते हैं और उनमें खिलाफ निर्णय दिये जाते हैं इस बात को सभी जानते हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि इसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय । वह हर दृष्टि से उस पर विचार कर ले तो ज्यादा उपयोगी होगा । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

*श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य, गाजीपुर ने कहा कि यह औपचारिक विधेयक है तो मैं उसे ऐसा नहीं समझता । इस विधेयक के द्वारा चार विधेयक में संशोधन किया जा रहा है । पहला है प्रांविसियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, 1887, दूसरा है बंगाल आगरा एन्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, 1987, तीसरा है सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और चौथा है उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, 1972। जैसा हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि जो लघु वाद न्यायालय होते हैं उनमें सरसरी तौर पर निर्णय करने की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी---]

प्रक्रिया है। लिहाजा उनको अधिकार कम से कम मिलना चाहिये। लेकिन जो अधिकार इस विधेयक के द्वारा हम देने जा रहे हैं, वह इस विधेयक की धारा 15(क) के अन्तर्गत 2 हजार से बढ़ाकर 5 हजार का अधिकार हम उनको देने जा रहे हैं इसके अन्तर्गत 1972 का शहरी भवन का जो अधिनियम है, वही इसके दायरे में नहीं आता बल्कि अन्य भवन जो हैं जिन पर बेदखली की प्रक्रिया आप चलाना चाहते हैं, ये भी आ जाते हैं। इसके जरिये आप 2 हजार तक नहीं बल्कि 5 हजार तक की मालियात के केसेज स्माल काज कोर्ट्स को सरसरी तौर पर निर्णय करने के लिये देने जा रहे हैं और जहां सरसरी प्रक्रिया होती है वहां आप स्वयं सोच सकते हैं क्या निर्णय होगा ? मान लीजिये आप उस कुर्सी पर पोकर दीवाने बने बैठे हों और सरसरी तौर पर निर्णय दे देते हैं। यह एक बड़ा षडयंत्र है। जिस समय शहरी भवन वाला बिल इस सदन में पास हुआ था उस समय किरायेदारों के ऊपर बड़ा तुषारापात हुआ था। किरायेदारों का कहना है कि उनके हकों की रक्षा नहीं हो रही है। जो मकान मालिक हैं ये किसी तरह से सरकार के पास पंहुचे और कहा कि बेदखली की प्रक्रिया इतनी आसान बना दी जाय ताकि हम उन्हें जल्दी से जल्दी बेदखली करा दें।

माननीय मंत्री जी के लिये तो यह नया विभाग है। ये केवल मकान मालिकों को अधिकार देने के लिये और लोगों को बेदखल कराने के लिये तथा स्माल काज कोर्ट को अधिक अधिकार देने के लिये यह बिल लाये हैं। यह सभी जानते हैं कि हमारे न्यायालयों की क्या हालत है। किस हद तक इनमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है। दूसरा अधिकार इनको यह दिया गया है जो निर्णय ये कोर्ट कर लेते हैं, उनकी अपील नहीं होती है। ये सरसरी तौर पर निर्णय करते हैं और केवल निगरानी ही हो सकती है। निगरानी की जो प्रक्रिया है वह फैक्ट्स पर नहीं होती है। लिहाजा जनता को न्याय नहीं मिल पाता है। न्यायाधीश जो होते हैं कहते हैं कि हमको फैक्ट्स नहीं देखने हैं। जो अपीलेट कोर्ट होते हैं ये एक ही उत्तर देते हैं कि सब बात जो आखों देखी है वह ठीक है और हम अपील सुनने के लिये नहीं बैठे हैं, निगरानी सुनने के लिये बैठे हैं। और उसमें केवल कानूनी प्वाइन्ट पर ही मंजूरी नहीं कर सकते हैं। तो मान्यवर, जहां कानूनी प्वाइन्ट न रहे, फैक्ट्स में गड़बड़ी रहे तो लोगों को न्याय कैसे मिल सकता है ? जैसे हमारे माननीय राज मंगल पांडेय जी ने कह दिया, ये एक अच्छे वकील हैं मैं उनकी कद्र करता हूं, उन्होंने कहा कि जो छोटे-छोटे वादों के कोर्ट हैं वहां पर बेदखली के वाद भी होंगे तो...

श्री उपाध्यक्ष---

आप समय का भी ध्यान दें। दूसरा संकल्प भी है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

वह तो मान्यवर, दूसरे दिन लिया जायेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, 10/15 मिनट में कोई नया कार्य प्रारम्भ नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष---

दो व्यक्ति प्रस्तुतकर्ता हैं यदि ये 5/5 मिनट का समय ले और 10 मिनट मंत्री जी ले लो हो सकता है..

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

मान्यवर, मैं जल्दी खत्म करता हूं। दूसरी बात यह है कि जब शहरी भवन बेदखली कानून पास हुआ था तो उस तरफ से बड़ी तालियां पीटी गयी थीं। उस समय सरकार के जो मंत्री जी थे, अब तो दूसरे मंत्री हो गये हैं, तो उस समय के मंत्री जी ने कहा कि सरकार के जो अधिकार हैं वे सारे हमने ले लिये। जो अस्थायी

व्यवस्था थी और न्याय सरकार के हाथ में था, सरकार जो चाहे निर्णय कर सकती है लेकिन अब उस अधिकार को हमने ले लिया है। माननीय मंत्री जी के उस दिन का बयान देखें, उन्होंने कहा कि जो सरकार का अधिकार था उसको जजों के हाथ में दे दिया गया है और उनसे जनता को न्याय मिलेगा। अभी 15 जुलाई से ही तो मंत्री जी आये हैं और इसी महीने के बीतते-बीतते यह क्या हो गया कि सारे वे अधिकार जो जजों के हाथ में थे जिनसे न्याय मिलता था, फिर उसको आप सरकार के हाथों में निहित कर रहे हैं। सरकार के पास न्याय करने की शक्ति नहीं होनी चाहिये। प्रजातंत्र में न्यायपालिका की एक खास अहमियत होती है और अगर आप सरकार के हाथ में अधिकार देते हैं तो उचित न्याय नहीं हो पायेगा। इस विधेयक के द्वारा जो साधारण न्याय की आशा की गयी थी, जब सारे अधिकार मंत्री जी अपने पास ले रहे हैं तो जनता को न्याय मिल नहीं सकेगा इसलिये वे इस विधेयक को वपास ले लें।

*श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे यह आशा थी कि जिन विषयों को उठाया गया है उनके ऊपर सरकारी पक्ष की ओर से कोई जवाब होगा। लेकिन माननीय राजमंगल पांडेय जी और माननीय कृष्णानन्द राय जी, दो माननीय सदस्यों ने उधर से भाषण किया। मुख्य बात मैंने यह देखी —जैसा अक्सर होता है कि जब कोई डिबेट होता है तो केन्द्र बिन्दु को छोड़कर दूसरी बातें करने लगते हैं, इसलिये बड़ी होशियारी के साथ माननीय राय साहब न यादव जी की वकालत करन की कोशिश की। एक बात म बीच में ही कह दूं कि जब रेंट कंट्रोल ऐक्ट पास हुआ था तो स्माल काजेज कोर्ट को बेदखली-मकानों की सुनवाई का अधिकार दिया गया था। लेकिन स्माल काजेज कोर्ट ऐक्ट में क्योंकि कोई संशोधन नहीं किया गया था। इसलिये अब यह संशोधन किया जा रहा है। माननीय सदस्य का यह कहना गलत बयानी है। जब रेंट कंट्रोल ऐक्ट लाया गया था तो सेक्शन 20 (3) के अन्दर सुनवाई का अधिकार स्माल काजेज कोर्ट को दिया गया था। आज उस ऐक्ट में भी संशोधन किया गया है कि वह इम्मूवेबिल प्रापर्टी के बारे में भी विचार करके निर्णय कर सकता है। यह संशोधन इसलिय लाया गया है कि न केवल रेंट कंट्रोल के मुकदमें बल्कि जो मकान रेंट कंट्रोल ऐक्ट में नहीं आते हैं, उन पर भी यह लागू होता है और वह भी उनकी परिधि में आ जाय। मैं यह नहीं कहता कि आप संशोधन करें या न करें। लेकिन यह जो खफीफा अदालतें हैं, जिनको सरसरी तौर से मुकदमा देखने का अधिकार है, इससे जनता के अधिकारों का हनन हो जायेगा क्योंकि सरसरी तौर पर जो निर्णय होते हैं उसका रेकार्ड भी वे नहीं रखते। मुंसिफ जितना चाहें नोट करें, जितना चाहें न नोट करें। और वह श्रीमन्, रिकार्ड किसी अपीलेट कोर्ट में नहीं देखा जायेगा क्योंकि इसकी अपील होगी नहीं इसलिये वह रिवीजन कोर्ट है और वहां हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां न कोई रिकार्ड है और न अपील ही है। रिवीजन केवल ला प्वाइंट पर होता है। मैंने यह प्वाइंट रखा था। इसका जो अधिकार क्षेत्र दो हजार रुपये तक था उसको बढ़ा कर 5 हजार तक कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि पांच हजार तक के मुकदमें इस कोर्ट में आयेंगे जिनमें इम्मूवेबिल प्रापर्टी के डिसप्यूट्स भी आवेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो रेगुलर सूट्स हैं उनमें मुकदमें बहुत कम होंगे क्योंकि 5 हजार से ऊपर के मुकदमें बहुत कम होते हैं। बाकी रहे पजेशन के मुकदमें वे भी यहीं आयेंगे। इसलिये हमारा कहना यह है कि आप इस संशोधन को न लाइये। यह न्याय संगत नहीं है। इससे जनता के साथ अन्याय होता है।

दूसरी बात मैंने कही थी कि जो रेंट कंट्रोल ऐक्ट इन्होंने पास किया है। जो पुराने ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमें यहां पर पड़े थे। गवर्नमेंट के विचाराधीन थे जिन में सेक्शन 3 के मुकदमे थे और जिनमें परमीशन लेकर बेदखली होती थी और सेक्शन 7 के मुकदमों का भी निर्णय यहीं किया जायेगा। अब यह कर दिया गया है कि इनका निर्णय यहीं होगा और वह भी अंतिम होगा। यहां पर सुनवाई नहीं होती है और एक तरफा फैसला हो जाता है। जैसा कि कैसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

देहरादून के केस का हवाला दिया कि खुले आम रुपया लाकर फैसला किया गया। 15 मई तक कुछ नहीं हुआ था। 16 मई को फैसला हो गया। इस तरह से फैसले होते हैं। सेक्शन 7 के मुकदमें जिला जज को भेजने चाहिये थे। उनको दुबारा यहीं रख दिया गया है कि तुम कत्ले आम करो और खूब पैसा कमाओ। इसी तरह से सेक्शन 3 के मुकदमे जिनमें परमीशन मिल गई है, दुबारा आज्ञा लेनी पड़ेगी। क्योंकि परिस्थिति बदल गयी लेकिन अब यह कर दिया है कि जो पुरानी परमीशन है वही काम करेगी। हमारा कहना यह है कि जो संशोधन इसमें आये हैं, वह इसमें नहीं आ सकता है। आप का विधेयक स्माल काजेज कोर्ट्स का है। यह अलग ले आना चाहते थे क्योंकि अभी इसको पारित किया है। इसलिये इसके अन्दर ले आये हैं। यह मेरी आपत्ति थी। मैंने जो बातें कही हैं उनका सब लोगों ने समर्थन किया है और पांडेय जी तथा राय साहब की वकालत कामयाब नहीं हो पाई। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसको मन्त्री जी जनता की राय जानने के लिये प्रचालित कर दें जिससे लोगों की राय आ जाये और सही विधेयक बन सके।

श्री त्रिलोकचन्द—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन रखा है प्रवर समिति में इस विधेयक को भिजवाने के लिये, मैं निवेदन करूंगा कि इसको जरूर भिजवाइये। इसके अतिरिक्त एक दो बात और कहना चाहता हूं। जब माननीय पांडेय जी बोल रहे थे तो उन्होंने और कुछ नहीं कहा केवल कहा कि केवल जुडीशियरी में आप का विश्वास नहीं है। इसमें विश्वास और अविश्वास की कोई बात नहीं है। यहां तो कानून के बनने और बिगड़ने की बात थी। वह इस तरह सिद्ध करना चाहते हैं कि जुडिशियरी में हमारा विश्वास नहीं रहा है, यह हो सकता है कि उधर वालों का न रहा हो। लेकिन हम लोगों का तो हमेशा रहा है अलावा इसके हम लोगों के साथ मजबूरी है कि विश्वास न रहे तब भी रखना होगा। यह तो सरकार की तरफ से लोगों की बात है। कि उनका विश्वास है या नहीं। यह विधेयक बहुत छोटा सा बताया जाता है और मंत्री जी ने भाषण भी बहुत छोटा सा ही दिया लेकिन इस में चार-चार ऐक्टों को एक साथ तरमीम कर के जनसाधारण के साथ खिलवाड़ की जा रही है। अचल सम्पत्ति के केस जो अभी तक इसमें नहीं आते थे उनको भी आप ले आये, यह पहले स्माल काज कोर्ट्स के द्वारा नहीं होते थे। आप ने मालियत को और उनके परव्यू को बढ़ाकर 500 से 5,000 और 2,000 से 20,000 तक कर दिया। यदि यह गरीब के लाभ की बात होती तो 20 हजार की प्रापर्टी का सवाल नहीं था। उन के मामले तो हजार दो हजार के होते हैं। लेकिन यह संशोधन तो उन लोगों की वजह से ले आया गया है जिन की बड़ी बड़ी जायदादें हैं।

जिन को आप न्याय देने की बात कहते हैं उन के मामले तो केवल 2–4 हजार के ही जाते हैं और यह उनका सवाल नहीं है। यह लिमिट बढ़ाना और इस तरह से स्माल काज कोर्ट की तरफ से निर्णय दिलाना उचित नहीं है कि वहां केवल निगरानी हो। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह इतना पेचीदा बिल है और इसमें जिन ऐक्टों का संशोधन आप ला रहे हैं, चार-चार एक्टों का संशोधन है उसका न जल्दी में अध्ययन हो सकता है और न उस पर निश्चित राय ही कायम हो सकती है। इस से बहुत जनसधारण का नुकसान हो सकता है और कोई लाभ न होगा बल्कि इस से और नुक्सान की ही सम्भावना है।

इसलिये मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि यह जो विधेयक बनाया गया है इस में आप के ला सेक्रेटरी या विधि विभाग का मत होगा। अच्छा यही है कि इस को अभी एक प्रवर वे समिति में भेजा जाय और विधिवेत्ताओं के साथ वे ला के जानने वालों के साथ विचार विनिमय कर के उचित संशोधन इसमें लाये जांय और इन ऐक्टस में संशोधन करने हेतु एक काम्प्रिहेंसिव विधेयक लाया जाय जिस से जनता का लाभ हो। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें।

श्री बलराम सिंह यादव—
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा हर्ष है.....

श्री नित्यानन्द स्वामी—
श्रीमन्, इन का नाम अन्याय मंत्री रख दिया जाय....

श्री उपाध्यक्ष—
आप प्रस्ताव लाइये।

श्री बलराम सिंह यादव—
यह हमारे बड़े भाई हैं जो चाहे कहें। मैं यह कह रहा था कि इस बिल के सम्बन्ध में इस सदन के माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने ने इस विवाद में भाग लिया, बड़े हर्ष की बात है कि दोनों पक्षों की ओर से इस बिल के मूल मन्तव्य का स्वागत किया गया है। जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया था कि हमारी नीति है और हमारी सरकार ने यह फैसला लिया है कि हमारी न्याय प्रणाली में जो जटिलता है, जो दुरुहता है उसको दूर करने का प्रयत्न किया जाय। यह तो हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि इस संशोधन मात्र से इस प्रणाली में कोई बड़ा परिवर्तन आ जायगा लेकिन इतना अवश्य है कि इससे कुछ बल मिलेगा और यह एक कदम होगा शीघ्रता से न्याय दिलाने के लिय।

अभी हमारे कुछ साथियों ने एक दो बातें कहीं हैं। एक यह कि यह जो खफीफा अदालतें हैं उन के अनलिमिटेड मालियत के मुकदमें फैसले करने का अधिकार दिया गया है, वह गलत है। लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। ऐसा ही महाराष्ट्र में है और वहां ऐसा प्राविधान सन् 1947 से चला आ रहा है। अब चूंकि समय नहीं है मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो हमारे माननीय त्रिपाठी जी ने और माननीय त्रिलोक चन्द्र जी ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं, कि इसको प्रवर समिति में या जनमत जानने के लिये 3 माह के लिये परिचालित कर दिया जाय, इनका विरोध करता हूं और उम्मीद करता हूं और आग्रह करता हूं इन दोनों भाइयों से कि वे अपने-अपने संशोधन को वपास ले लें।

श्री उपाध्यक्ष—
प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सिविल विधि विधेयक, 1972 को जनमत जानने हेतु 3 माह के लिये परिचालित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—
प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सिविल संशोधन विधेयक, 1972 को सदन की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह में दे दें और उसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार प्राप्त हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—
प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सिविल संशोधन विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2–9 खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन विधेयक, 1972

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में प्रांविंशियल स्मालकाज कोर्टस ऐक्ट, 1887, बंगाल, आगरा ऐण्ड आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, 1887 और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 तथा उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम प्रसार तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

ऐक्ट संख्या 9, 1887 की धारा 15 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित प्रांविंशियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, 1887, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 15 में उपधारा (3) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि पट्टाकर्ता द्वारा पट्टेदार के पट्टे की समाप्ति के पश्चात् किसी भवन से उसकी बेदखली के लिये, अथवा पट्टा चालू रहने के दौरान उसके अध्यासन की अवधि के संबंध में किराये की, अथवा पट्टे की समाप्ति के पश्चात् उसके प्रयोग तथा अध्यासन के लिये उससे प्रतिकर की वसूली के निमित्त वादों के संबंध में, इस उपधारा में दो हजार रुपये के अभिदेश को पांच हजार रुपये के अभिदेश के अर्थ में समझा जायगा।

स्पष्टीकरण

इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, पद "भवन" का वही अर्थ है जैसे कि द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद (4) में दिया गया है।"

ऐक्ट संख्या 9, 1887 की धारा 25 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 25 में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि लघुवाद न्यायाधीश की अधिकारिता का प्रयोग करके किसी जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश द्वारा निर्णीत किसी मामले में, इस धारा के अधीन पुनरीक्षण की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित होगी।"

ऐक्ट संख्या 9, 1887 की द्वितीय अनुसूची का संशोधन

4—मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में, अनुच्छेद (4) के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(4) स्थावर संपत्ति पर कब्जा करने के लिये अथवा ऐसी सम्पत्ति में हित की पुनप्राप्ति के लिये कोई वाद, किन्तु जिसके अन्तर्गत पट्टाकर्ता द्वारा पट्टेदार के पट्टे की समाप्ति के पश्चात् किसी भवन से उसकी बेदखली के लिये, तथा पट्टे की समाप्ति के पश्चात् उस भवन के प्रयोग तथा अध्यासन के लिए उससे प्रतिकर की वसूली के निमित्त, वाद नहीं है।

स्पष्टीकरण–इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, पद "भवन" का तात्पर्य किसी आवासिक या अनावासिक छादित संरचना से है, और इसके अन्तर्गत ऐसे भवन से सम्बद्ध कोई भूमि (जिसमें कोई बगीचा भी सम्मिलित है), गैराज और उपभवन भी है, और ऐसे भवन में उसके और अधिक लाभकारी उपयोग के लिये लगाये गये उपस्कर तथा फिक्सचर भी सम्मिलित हैं।"

ऐक्ट संख्या 12, 1887 की धारा 25 का संशोधन

5––उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, 1887 की धारा 25 की संख्या बदल कर उसे उसकी उपधारा (1) कर दिया जाय, और––

(1) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में उसके वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रख दिया जाय, अर्थात्:––

"प्रतिबन्ध यह है कि उक्त ऐक्ट की धारा 15 की उपधारा (3) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट प्रकार के वादों के संबंध में, इस उपधारा में एक हजार रुपये और पांच सौ रुपये के अभिदेश का अर्थ क्रमशः पांच हजार रुपये और एक हजार रुपये लगाया जायगा।"

(2) यथा पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:––

"(2) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, पट्टाकर्ता द्वारा पट्टेदार के पट्टे की समाप्ति के पश्चात् किसी भवन से उसकी बेदखली के लिये, अथवा पट्टा चालू रहने के दौरान उसके अध्यासन की अवधि के संबंध में किराये की, अथवा पट्टे की ऐसी समाप्ति के पश्चात् उसके प्रयोग तथा अध्यासन के लिये उससे प्रतिकर की वसूली के निमित्त सभी वादों के (चाहे उनका वादमूल्य कुछ भी हो) परीक्षण के लिये किसी जिला न्यायाधीश अथवा अपर जिला न्यायाधीश को प्रांविंशियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 के अधीन लघुवाद न्यायालय (कोर्ट आफ स्माल काज) के न्यायाधीश का अधिक्षेत्र प्रदत्त कर सकती है और इस प्रकार प्रदत्त अधिक्षेत्र को वापस ले सकती है।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, पद 'भवन' का वही अर्थ है जैसा उक्त ऐक्ट की द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद (4) में दिया गया है।

(3) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस धारा के अधीन अपनी शक्तियां उच्च न्यायालय को प्रतिनिहित कर सकती है।"

ऐक्ट संख्या 5, 1908 की धारा 115 का संशोधन

6––उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, जिसे एतद्पश्चात् उच्च संहिता कहा गया है, की धारा 115 में––

(1) शब्द "उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय", जहां वे पहली बार आये हों, के स्थान पर शब्द "बीस हजार रुपये और उससे अधिक मूल्य के मूल वादों से उद्भूत मामलों में उच्च न्यायालय और अन्य मामलों में जिला न्यायालय" रख दिये जायें और शब्द "उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय", जहां वे दूसरी बार आये हों, के पूर्व शब्द तथा कामा, "यथा-स्थिति," रख दिये जायें,

(2) उसका प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय।

अधिनियम संख्या 5, 1908 की अनुसूची 1, के आदेश 15 में नये नियम का बढ़ाया जाना

7—उक्त संहिता की प्रथम अनुसूची में, आदेश 15 में नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

स्वीकृत किराया आदि न जमा करने की दशा में प्रतिवाद का अपास्त किया जाना।

"5(1)—पट्टेदार की पट्टे की समाप्ति के पश्चात् किसी स्थावर सम्पत्ति से उसका बेदखली के लिये, या पट्टा चालू रहने के दौरान उसके अध्यासन की अवधि के संबंध में उससे किराये की, या उसके प्रयोग या अध्यासन के निमित्त प्रतिकर की, वसूली के लिये पट्टाकर्ता द्वारा किसी वाद में, चाहे वह उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा उसके पश्चात् संस्थित किया गया हो, प्रतिवादी वाद की प्रथम सुनवाई के समय अथवा उसके पूर्व (या उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व संस्थित किसी वाद की दशा में, इस प्रकार के प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम सुनवाई पर) किराये, अथवा प्रयोग तथा अध्यासन के लिये प्रतिकर, की सम्पूर्ण धनराशि जिसका देय होना उसे स्वीकृत हो जमा करेगा, और तत्पश्चात् वाद जारी रहने के दौरान अपने द्वारा स्वीकृत दर पर देय मासिक किराये, अथवा प्रयोग तथा अध्यासन के लिये प्रतिकर, की धन-राशि नियमित रूप से जमा करता रहेगा, और इस संबंध में किसी चूक की दशा में, न्यायालय, जब तक कि उसके द्वारा तदर्थ दिये गये किसी अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् उतनी ही धनराशि की प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त समय की अनुज्ञा न दे दे, यथास्थिति कोई प्रतिवाद ग्रहण करने से इंकार कर सकता है, या उसके प्रतिवाद को अपास्त कर सकता है।

(2) इस नियम के उपबन्ध आदेश 39 के नियम 10 में अन्तर्विष्ट किसी बात के अतिरिक्त हैं, न कि उसके अल्पीकरण में।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1972 का संशोधन

8—उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 में—

(1) धारा 3 में, खंड (क) में, शब्द "उसके वारिसों से है" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात्:—

"(1) किसी आवासिक भवन की दशा में, उसके केवल ऐसे वारिसों से है जो उसकी मृत्यु के समय भवन में उसके साथ सामान्यतया रहते थे,

(2) किसी अनावासिक भवन की दशा में, उसके वारिसों से है",

(2) धारा 20 में—

(क) उपधारा (1) में शब्द, अक्षर, कोष्टक तथा अंक "या धारा 43 की उपधारा (2) के खंड (द) में" निकाल दिये जायें,

(ख) उपधारा (3) और (6) निकाल दी जाय,

(3) धारा 34 में, उपधारा, (8) में, शब्द "ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे जो नियत की जाय" के स्थान पर शब्द "ऐसी प्रक्रिया, सबूत के सिद्धांत, परिसीमा के नियम तथा पथ-प्रदर्शक सिद्धांतों का अनुसरण करेंगे जो नियत किये जायं" रख दिये जायं तथा सदैव से रखे गये समझे जायं,

(4) धारा 39 में, उसका स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय और सदैव से निकाला गया समझा जाय,

(5) धारा 43 में, उपधारा (2) में,—

(क) खंड (घ) में, अन्त में, शब्द "और तद्धीन रहते हुए, ऐसी कार्यवाहियां जारी रखी और समापित की जायंगी मानो यह अधिनियम पारित न किया गया हो," बढ़ा दिये जायं, और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायं,

(ख) खण्ड (ग) में, अन्त में, "शब्द और उसका निर्णय अंतिम होगा" बढ़ा दिया जाए और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायं,

(ग) खण्ड (त) में, शब्द "जिला जज को अन्तरित हो जायेगा, और उसका निर्णय अंतिम होगा" के स्थान पर शब्द "का निस्तारण राज्य सरकार द्वारा किया जायगा और उसका निर्णय अंतिम होगा" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायं,

(घ) खंड (द) में, शब्द "और इसी प्रकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् खंड (झ), खंड (ठ), खंड (ड) या खंड (ग) में अभिदिष्ट अनुज्ञा से बेदखली के लिये कोई वाद संस्थित किया जा सकता है" निकाल दिये जायं,

(ङ) खंड (द) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(द्द) यदि पुराने अधिनियम की धारा 3 में अभिदिष्ट कोई अनुज्ञा चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, अथवा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात्, इस उपधारा के उपबन्धों के अनुसार धारा 21 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में उल्लिखित किसी कारण से, प्राप्त कर ली गयी हो और वह अंतिम हो गयी हो, और किरायेदार की बेदखली के लिये कोई वाद संस्थित न किया गया हो, तो मकानदार धारा 21 के अधीन उसकी बेदखली के लिए नियत प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है, और तदुपरान्त निबत प्राधिकारी किरायेदारी के अन्तर्गत भवन

से किरायदार को बदखली करने का आदेश देगा, और नियत प्राधिकारी को उक्त कारणों के विद्यमान होने के सम्बन्ध में अपना पुनः समाधान करना आवश्यक न होगा और ऐसा आदेश अंतिम होगा तथा उसके विरुद्ध धारा 22 के अधीन अपील न हो सकेगी,"

संक्रमणकालीन उपबन्ध

9—बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 की धारा 25 की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खंड तथा उपधारा (2) में (चाहे वाद का मूल्य दो हजार रुपये, या, जैसी भी दशा हो, एक हजार रुपये से अधिक हो या नहीं), या प्रांविंशियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 की धारा 15 की उपधारा (3) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट प्रकार का कोई वाद जो लघु-वाद न्यायालय अथवा लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकारिता का प्रयोग करने वाले सिविल न्यायाधीश या मुंसिफ के न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थित किया गया हो, और उक्त दिनांक के तत्काल पूर्व उस न्यायालय में विचाराधीन हो, किन्तु वह ऐसा वाद न हो जिसमें उक्त दिनांक के पूर्व किसी पक्ष की ओर से दिये जाने वाले मौखिक साक्ष्य का अभिलेखन प्रारम्भ किया गया हो अथवा समाप्त हो गया हो, उक्त उपबन्धों के अधीन, सिविल न्यायाधीश, मुंसिफ, जिला न्यायाधीश अथवा अपर जिला न्यायाधीश अथवा लघुवाद न्यायालय पर अधिकारिता अथवा वर्धित धनीय अधिकारिता प्रदत्त किये जाने पर ऐसे न्यायालय को अन्तरित हो जायगा और उस न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तथा खंड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन विधेयक, 1972 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन विधेयक, 1972 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। 4, 8 व 3 पहले से स्वीकृत हैं। समय का अभाव है। अब मैं एक को पढ़े देता हूं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, हैजे के बारे में मेरी एक सूचना थी। श्रीमन्, हजारों आदमी मर गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं एक-एक सूचना पढ़े देता हूं। जब आप की सूचना आये तब आप संक्षेप में बता दीजिये। अगर अस्वीकार किये गये हैं तो ये नहीं आयेंगे ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—
श्रीमन्, हैजे वाले को ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—
एक सर्वश्री वंशीधर पान्डेय,सुरेन्द्र विक्रम,रामविलास पान्डेय, विश्वनाथ कपूर, चन्द्रमोहन सिंह नेगी का जिला मुरादाबाद के ग्राम मच्छराव थाना व तहसील हसनपुर में दस हरिजनों को जिन्दा जलाये जाने के सम्बन्ध में है। यह एक माह पूर्व की घटना है और इतने विलम्ब से दी है। इसको अस्वीकार किया गया है।

(बिजली के फेल हो जाने से माइक की ध्वनि बन्द हो गई।)

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—
मान्यवर, मैं यह कह रहा हूं कि बिजली फेल हो गई है। शेष प्रश्नों को और इस प्रश्न को भी जब अविश्वास का प्रश्न लिया जायेगा तब ही उनमें ये सरकार का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—
अब समय नहीं है किन्तु आपका आग्रह है तो मैं केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं।

श्री सुखपाल पान्डेय (जिला बस्ती)—
मान्यवर, बस्ती जिले में एक हजार आदमी हैजे के प्रकोप से मर गये हैं। अस्पतालों में दवा तक नहीं है।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—
मान्यवर, मेरे क्षेत्र में ही कालरा से 17 मौतें हो चुकी हैं। वहां कोई चिकित्सा का प्रबन्ध नहीं है। न ही टीके लगाये गये हैं। यह रोग भयानक रूप से फैलता जा रहा है। मैं चाहूंगा कि आप स्वास्थ्य मंत्री जी से चार तारीख को इस पर वक्तव्य दिलवा दें .....

श्री उपाध्यक्ष—
सुनाई नहीं दिया।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)—
मान्यवर, जहां-जहां इस प्रकार के रोग का आक्रमण हुआ है वहां पूरी व्यवस्था इसके रोकथाम की की गई है .....

(माननीय सदस्यों की ओर से—आवाज नहीं आ रही है।)

मान्यवर, निरन्तर इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि कुओं की सफाई हो और लोगों को टीके लगाये जायं। हजारों की संख्या में कुओं की सफाई हुई है और हो रही है एवम् उनमें दवा डाली जा रही है। हजारों की संख्या में टीके लग चुके हैं और लगाये जा रहे हैं। जहां कहीं हमें मालूम है तथा आप जानकारी देंगे, हम पूरी व्यवस्था इस संक्रामक रोग को रोकने के लिये करवायेंगे। शासन की ओर से यह आदेश दिये जा चुके हैं और जिले के सारे अधिकारी इस प्रयास में निरन्तर लगे हुये हैं। यहां के अधिकारियों को भी आदेश दिये जा चुके हैं। कि वे जिला स्तर पर जायं और वहां जो आवश्यकता हो उसकी पूर्ति करें—दवा कम हो, भेजें, आदमी कम हो, भेजें। हमको यह विश्वास है कि इस पर हम शीघ्रातिशीघ्र काबू कर लेंगे। यह दविक आपत्ति है। और माननीय सदस्य हमारी सहायता करें। जब से हमने इस ओर ध्यान दिया है, पिछले महीने से यह रोग बढ़ा नहीं है। और आशा है, शीघ्र ही इस संक्रामक रोग पर काबू कर लेंगे।

(सुनाई नहीं दिया)

श्री उपाध्यक्ष—

सबसे पहले तो मैं बिजली मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि यह बिजली जल्दी जल्दी चली जाती है...

(आगे सुनाई नहीं दिया)

श्रीवंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

बिजली मंत्री को मुअत्तिल कर दिया जाय ?

श्री सुखपाल पांडेय—

हमारे जिले में हैजे से हजारों मौतें हो चुकी हैं—6 तहसीलें हैं, लेकिन वहां अभी तक कोई दवा की व्यवस्था नहीं की गई है.....

श्री उपाध्यक्ष—

.....

(बिजली फेल हो जाने के कारण सुनाई नहीं दिया)

श्री आर० एल० विधौलिया, डिप्टी कलेक्टर को लखनऊ में तैनाती के समय दिये गये मकान के किराये के विषय में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर श्री विधौलिया, डिप्टी कलेक्टर, लखनऊ में तैनात हुये थे उन्होंने 8 दिसम्बर, 1962 को 55 रु० माहवार पर गोलागंज में एक मकान किराये पर लिया और तब से लेकर आज तक उन्होंने किराया नहीं दिया—सन् 1962 से 1971 तक। यह विजिलेंस डिपार्टमेंट में यहां अफसर रह चुके हैं। यही नहीं मान्यवर, उन्होंने जुडिशल आफीसर श्री बर्मा को उस मकान में सब टेनेन्ट रख लिया और वह 3 साल तक रहे और उसी मकान से रिटायर हुये। श्री विधौलिया का 69 में कानपुर ट्रान्सफर हो गया। मान्यवर, इसमें तीन प्वाइन्ट इन्वाल्व हैं। झगड़ा हुआ सन् 1966 में। किराया 1962–66 का नहीं दिया गया। बाद में 1969 में मि० विधौलिया चले गये। मान्यवर, वह कागज में लाया हूं जिसमें दावा किया गया था। मान्यवर, इसमें शासन सारी चीजों को छिपा रहा है और कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते। मैं मान्यवर, आप के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि सरकार सदन को बताये कि मि० विधौलिया के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कपूर साहब ने अभी बताया कि मकान एलाट हुआ था डिप्टी कलेक्टर मि० विधौलिया के लिये। ये कई साल तक इस मकान में रहे और किराया नहीं दिया। मैं उनको सूचनार्थ बताना चाहता हूं कि यह मकान मि० विधौलिया को एलाट हुआ था और जो इस मकान के मालिक थे, श्री विशेश्वर नाथ श्रीवास्तव, सेवा-निवृत्त न्यायाधीश, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और मृत्यु होने के बाद इसके कई उत्तराधिकारी हो गये और उत्तराधिकार का झगड़ा पैदा हो गया। अब प्रश्न हुआ कि किराया किसको दिया जाय।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, यह झगड़ा सन् 1966 में पैदा हुआ। लेकिन 1962 से 1966 तक का किराया क्यों नहीं दिया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

यह तो सूचना नहीं है कि झगड़ा कब से शुरू हुआ। यह मालूम है कि मकान-मालिक मर चुके थे और इस सम्बन्ध में जो पत्रावली है, उसके अनुसार यह झगड़ा पैदा हुआ कि किराया किसको दिया जाय। यह तय नहीं हो पाया और यह केस कोर्ट में विचाराधीन है जो सब-जुडिस है।

श्री उपाध्यक्ष—
कोर्ट में है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—
जी हां। इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हुं कि अगर कोई रिसपांसिबिलटी मि० बौलिया पर ठहरायी जायगी, चाहे जो भी उनके खिलाफ चार्जेज हैं, उसमें जो भी कोर्ट का निर्णय होगा, उसमें अगर मि० बिधौलिया उत्तरदायी ठहराये जायेंगे तो उनके ऊपर कार्यवाही की जायेगी।

श्री विश्वनाथ कपूर—
मान्यवर, मंत्री जी को इस केस के बारे में कुछ भी पता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—
वह कह तो रहे हैं कि यह मामला कोर्ट में है।

श्री विश्वनाथ कपूर—
मामला सन् 1966 से चल रहा है। मि० विधौलिया के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। वे दोषी कैसे ठहराये जायेंगे? और फिर उन्होंने 1962–66 तक का किराया क्यों नहीं दिया ?

श्री उपाध्यक्ष—
1962 से 1966 तक का, यह तो बहुत पुराना वाद है। यह एक/दो साल का तो है नहीं?

श्री विश्वनाथ कपूर—
मान्यवर, 8 दिसम्बर, 1962 को एलाट किया गया था और आज तक किराया नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष—
अब तो यह कोर्ट के अन्दर की चीज है।

श्री विश्वनाथ कपूर—
सन् 1969 में ट्रांसफर हो गया तो मकान क्यों नहीं खाली किया? क्यों उस को सब-लेट कर दिया एक जुडिशियल अफसर को?

श्री उपाध्यक्ष—
यह ला का सवाल है। अगर मामला न्यायालय में न होता तो आप कह सकते थे कि सरकार ने कार्यवाही नहीं की। लेकिन यह सब-जुडिस केस है।

श्री विश्वनाथ कपूर—
मान्यवर, जरा सुन तो लें....

श्री उपाध्यक्ष—
अब हम उठते हैं कल 11 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 17 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः
1 अगस्त, 1972।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए नियम 38 (2) के ता. प्र. सं. ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ 645 पर)

जनपद बलिया

ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत ली गई परियोजनायें तथा उनके कार्य प्रारम्भ होने की तिथि।

क्रमांक	नाम परियोजना	कार्य प्रारम्भ की तिथि
	सड़क	
1	गड़वार–पियरिया	2–10–1971
2	बडागांव कैनाल सर्विस रोड	29–10–1971
3	मनिकापुर रिगवन	25–10–1971
4	मधुबनी–दयाछपरा	11–10–1971
5	बघुड़ी–माल्दा	18–11–1971
6	हनुमानगंज–बसंतपुर	22–11–1971
7	रानीगंज–करनछपरा	11–11–1971
8	रेवती—चौबे छपरा	18–11–1971
9	रेवती—दतहा	27–11–1971
10	सुखपुरा—करम्मर	16–11–1971
11	रतसड़—खेजुरी	23–1–1972
12	रतनपुरा—ठेंचा	2–2–1972
13	मलप—बिलौझा	11–2–1972
14	कुन्डैल—नियामत अली	13–3–1972
15	चिलकहर—चोगड़ा	7–2–1972
16	हनुमानगंज—शंकरपुर	8–2–1972
17	नरही—फिरोजपुर	5–12–1971
18	टोला सिवनराय—रामेश्वर राय	26–12–1971
	बांध	
19	पिरुई—हथौज	12–12–1971
20	कौटवां—सुल्तानपुर	13–11–1971
21	भागीपुर—अजनैरा	5–12–1971
22	सिसौटार—रिंगबांध	18–11–1971
23	खोनबरसा—मठिया	3–12–1971
24	कठौडा बांध	18–12–1971
25	बिहरा बांध	20–1–1972

नत्थी 'ख'

(देखिये तां० प्र० सं० 26 का उत्तर पीछे पृष्ठ 660 पर।)

जिला बदायूं व उन्नाव में सुव्यवस्थित पशु चिकित्सालयों/स्टाकमैन केन्द्र (पशुसेवा केन्द्रों) की संख्या

पशु चिकित्सालय का नाम	किस दर्जे का है	दवाइयों आदि के लिये प्रतिवर्ष दी जाने वाली धनराशि	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र/उपकेन्द्र	बकरा केन्द्र	कुक्कुट फार्म चूजा पालन केन्द्र
1	2	3	4	5	6
1—बदायूं (सदर)	.. ए क्लास	2,660.00	कृ० ग० केन्द्र है	बकरा केन्द्र है	
2—उसावां	.. सी ,,	1,400.00	,,	..	
3—वजीरगंज	.. ,, ,,	1,400.00	,,	बकरा केन्द्र है	
4—गुन्नौर	.. ,, ,,	1,400.00	,,	..	
5—आसफपुर	.. ,, ,,	1,400.00	,,	..	कुक्कुट फार्म
6—उझयानी	.. ,, ,,	1,400.00	,,	बकरा केन्द्र है	
7—राजापुर	.. ,, ,,	1,400.00	,,	..	
8—जगत	.. ,, ,,	1,400.00	,,	..	
9—अमवियापुर	.. ,, ,,	1,400.00	,,	..	
10—इसलाम नगर	.. ,, ,,	1,400.00	कृ० ग० केन्द्र	..	
11—देहगवां	.. ,, ,,	1,400.00	,,	..	

पशु चिकित्सालय का नाम	किस दर्जे का है	दवाइयों आदि के लिये प्रतिवर्ष दी जाने वाली धनराशि	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र/उप केन्द्र	बकरा केन्द्र	कुक्कुट फार्म चूजा पालन केन्द्र
1	2	3	4	5	6
12—बिनावर	सी क्लास	1,400.00	कृ० ग० उपकेन्द्र	..	
13—असरासी	,, ,,	1,400.00	,,	..	
14—मियाऊ	,, ,,	1,400.00	..	..	
15—समरेर	,, ,,	1,400.00	..	..	
16—जूनामई	,, ,,	1,400.00	कृ० ग० उपकेन्द्र	..	
17—दातागंज	,, ,,	500.00	कृ० ग० केन्द्र	बकरा केन्द्र	
(जिला परिषद् द्वारा चालित) यह धनराशि शासन द्वारा 1969–70 से दी जा रही है।					
18—सहसवां	उपरोक्तानुसार	500.00	कृ० ग० केन्द्र	बकरा केन्द्र	
19—विसौली	,,	500.00	,,	,,	
डी० क्लास डिसपेन्सरी का नाम					
1—मलगवां	डी० क्लास	700.00	कृ० ग० उपकेन्द्र	..	
2—गवां	,,	700.00	—	..	
पशु सेवा (स्टाक मैन केन्द्र के नाम)					
1—कसिमपुर		400.00	कृ० ग० उपकेन्द्र	..	
2—रसूलपुर		400.00	,,	..	
3—विसौलीगंज		400.00	,,	..	
4—बगरैन		400.00	,,	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा अधिनियम

5—सुपरैरा	..	..	..	400.00	कृ० ग० उपकेन्द्र	..
6—मन्नूनगर	.	..	..	400.00	,,	..
7—लक्ष्मीपुर	.	..	..	400.00	,,	..
8—उसेत	..	..	..	400.00	कृ० ग० उपकेन्द्र	..
9—हरजतपुर	..	..	..	400.00	,,	..
10—जहानाबाद	..	..	..	400.00	..	..
11—सुन्दर नगर	..	..	..	400.00	..	..
12—भिरावटी	..	..	..	400.00	..	..
13—कठला	..	..	..	400.00	..	..
14—बरममहखड़ा	..	..	..	400.00	कृ० ग० उपकेन्द्र	..
15—ककोड़ा	..	..	..	400.00	..	..
16—लुमरी	..	..	..	400.00	कृ० ग० उपकेन्द्र	..
17—सराय वरोलया		..	..	400.00	..	..
18—मुंडिया	..	..	..	400.00	..	..
19—वालपुर	..	..	..	400.00	..	..
20—रुदायन	..	..	..	400.00	कृ० ग० उपकेन्द्र	..
21—रिघोनाई	..	..	..	400.00	..	..
22—कोहलाई	..	..	..	400.00	..	..
23—नदाइल	..	..	..	400.00	..	..
24—सलीलपुर	..	..	..	400.00	..	..
25—पथरिया	..	..	..	400.00	..	..
26—बकसैना	..	..	..	400.00	..	..
27—सेरपुर	..	..	..	400.00	..	..
28—दोथरिया	..	..	..	400.00	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
1—उन्नाव (सदर) ..	.. .. ए क्लास	2,660.00	कृ० ग० केन्द्र	बकरा केन्द्र	..
2—सफीपुर ..	.. .. बी ,,	2,000.00	,,	,,	चूजा पालन केन्द्र
3—हसनगंज ..	.. .. सी ,,	1,400.00	,,	,,	
4—नवाबगंज ..	.. .. ,, ,,	1,400.00	,,	,,	
5—सुमेरपुर ..	.. .. ,, ,,	1,400.00	,,	,,	
6—बिछिया ..	.. .. ,, ,,	1,400.00	,,	,,	
7—असौहा ..	.. .. ,, ,,	1,400.00	,,	बकरा केन्द्र	
8—फतेहपुर चौरासी ..	.. .. ,, ,,	1,400.00	,,	,,	
9—मियागंज ..	.. .. ,, ,,	1,400.00	,,	,,	
10—हिलौली ..	.. .. ,, ,,	1,400.00	,,	,,	
11—बीघापुर ..	.. .. ,, ,,	1,400.00	कृ० ग० उपकेन्द्र	बकरा केन्द्र	
12—औरास ..	.. .. ,, ,,	1,400.00	कृ० ग० केन्द्र	..	
13—सिकन्दरपुर सिरौसी ..	.. .. ,, ,,	1,400.00	कृ० ग० केन्द्र	..	
14—बागरमऊ ..	.. .. ,, ,,	1,400.00	,,	..	
15—गंज मुरादाबाद ..	.. .. ,, ,,	1,400.00	..	..	
16—अचलगंज ..	.. .. ,, ,,	1,400.00	कृ० ग० उपकेन्द्र	..	
17—पुरवा (जिला परिषद् द्वारा चालित) ..	..	500.00			

(यह धनराशि 1969–70 से दी जाती है)

डी क्लास डिस्पेंसरी के नाम

1—गंगा घाट ..	.. .. डी० क्लास	700.00	कृ० ग० उपकेन्द्र	..	
2—निहाली खेड़ा ..	.. .. ,, ,,	700.00	,,	..	
3—मौरावां ..	.. .. डी० क्लास	700.00	कृ० ग० उपकेन्द्र	..	
4—लालपुर ..	.. .. ,, ,,	700.00	,,	..	
5—रामपुर गढ़ी ..	.. .. डी० क्लास	700.00	कृ० ग० उपकेन्द्र	..	

पशुसेवा (स्टाकमैन केन्द्र) का नाम					
1—रउ करना ..	..	..	कोई श्रेणी नहीं है	400.00	कृ० ग० उपकेन्द्र ..
2—बंधर ..	..	..	,, ,,	400.00	,, ..
3—अकबरपुर ..	..	..	,, ,,	400.00	,, ..
4—सौनिक ..	..	..	,, ,,	400.00	,, ..
5—खलील नगर ..	..	..	,, ,,	400.00	,, ..
6—मुण्डा ..	..	..	,, ,,	400.00	,, ..
7—तकिया निहोही ..	..	..	,, ,,	400.00	.. ..
8—झूलूमऊ ..	..	..	,, ,,	400.00	.. ..
9—शेरपुर कला ..	..	..	,, ,,	400.00	.. ..
10—जगत नगर ..	..	..	,, ,,	400.00	.. ..
11—खुम्हौला ..	..	..	,, ,,	400.00	.. ..
12—सीथरपुर ..	..	..	,, ,,	400.00	.. ..
13—हसनापुर ..	..	..	,, ,,	400.00	.. ..
14—पुथियावा ..	..	..	,, ,,	400.00	.. ..
15—असीवन ..	..	..	,, ,,	400.00	.. ..
16—माखी ..	..	..	,, ,,	400.00	कृ० ग० उपकेन्द्र ..
17—वालेमऊ ..	..	..	,, ,,	400.00	.. ..
18—सिजनी सोहरामऊ	..	..	,, ,,	400.00	.. ..
19—मवई ..	..	..	,, ,,	400.00	.. ..
20—भगवन्त नगर ..	..	..	,, ,,	400.00	कृ० ग० उपकेन्द्र ..
21—दोरापुर ..	..	..	,, ,,	400.00	.. ..
22—कांथा ..	..	..	,, ,,	400.00	कृ० ग० उपकेन्द्र ..
23—जबरैला ..	..	..	,, ,,	400.00	.. ..
24—हरौनी ..	..	..	,, ,,	400.00	.. ..

उत्तर प्रदेश राजपत्र असाधारण

नत्थी 'ग'

(देखिये ता० प्र० सं० 27 का उत्तर पीछे पृष्ठ 660 पर ।)

नगरपालिका सहारनपुर के आय-व्यय के आंकड़े

क्रम-सं०	वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	आय	कुल उपलब्धियां (प्रारम्भिक अवशेष तथा आय का योग)	व्यय	अन्तिम अवशेष
1	2	3	4	5	6	7
1	1965-66	6,90,153	46,21,259	53,11,402	50,57,900	2,53,502
2	1966-67	2,53,502	41,69,792	44,23,294	43,17,705	1,05,589
3	1967-68	1,05,589	51,88,367	52,93,956	50,61,222	2,32,734
4	1968-69	2,32,734	51,74,788	54,07,522	49,14,744	4,92,778
5	1969-70	4,92,778	55,13,475	60,06,253	57,81,530	2,24,723
6	1970-71	2,24,723	81,97,583	84,22,306	79,64,259	4,58,047
7	1971-72	4,58,047	63,15,955	67,74,002	61,71,111	6,02,891

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्र० सं० 29 का उत्तर पीछे पृष्ठ 661 पर ।)

सुपरसीडेड नगरपालिकाओं की सूची

क्रम-संख्या	नगरपालिका का नाम	अवक्रमण की तिथि
1	मुरादाबाद	20-9-1957
2	अलीगढ़	14-12-1962
3	एटा	6-12-1968
4	गोरखपुर	11-2-1969
5	बुलन्दशहर	20-2-1969
6	सिकन्दरा राव (अलीगढ़)	15-5-1969
7	चन्दौसी (मुरादाबाद)	7-8-1969
8	पौड़ी	1-6-1970
9	मेरठ	15-6-1970
10	कासगंज (एटा)	18-5-1970
11	बिजनौर	14-8-1970
12	मुगलसरायं (वाराणसी)	21-9-1970
13	ककराला (बदायूं)	25-1-1971
14	हरदोई	1-2-1971
15	सीतापुर	23-6-1972

सुपरसीडेड टाउन एरियाओं की सूची

1	डनकौर (बुलन्दशहर)	27-12-1969
2	बांगरमऊ (उन्नाव)	24-10-1969
3	एरिच (झांसी)	8-4-1970
4	बहादुरगंज (गाजीपुर)	11-6-1970

नत्थी 'ङ'

(देखिये ता० प्र० सं० 34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 662 पर।)

ग्राम सेवकों की मांगों और सुझाव तथा कृत कार्यवाही का विवरण

मांग/सुझाव	कृत कार्यवाही
1—सामुदायिक विकास निदेशालय की स्थापना की जाय।	ग्राम सेवकों की ओर से इस सुझाव के बारे में कोई स्पष्ट प्रस्ताव नहीं किया गया है कि सामुदायिक विकास निदेशालय से उनका क्या तात्पर्य है या उसकी क्या आवश्यकता है इससे ग्राम सेवकों को क्या-क्या लाभ होंगे। अतः इस बारे में किसी अग्रेतर कार्यवाही की जरूरत नहीं है।
2—15-6-61 के शासनादेश को वापिस लिया जाय।	प्रसंगगत शासनादेश में तो ग्राम सेवकों के लाभ के लिए विकास अधिकारी के पदों पर पदोन्नति का प्राविधान है। इसके कार्यान्वयन में जो कठिनाई हो रही है उसे दूर करने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है।
3—सहायक विकास अधिकारी के पदों पर ग्राम सेवकों को पदोन्नत किया जाय।	जैसा ऊपर कहा जा चुका है, ग्राम सेवकों को सहायक विकास अधिकारी के पदों पर पदोन्नति करने का प्राविधान पहले से ही है और पदोन्नतियां भी होती हैं, जो कठिनाई सामने आ रही है उसे दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है।
4—ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्रों पर वर्ग 1 व 2 के पदों पर ग्राम सेवकों को पदोन्नत किया जाय।	इस प्रस्ताव पर कृषि उत्पादन आयुक्त से विधिवत् प्रस्ताव मांगा जा रहा है।
5—सेवा नियमावली में संशोधन किया जाय।	ग्राम सेवक संघ उक्त नियमावली में क्या-क्या संशोधन किन-किन कारणों से चाहते हैं यह स्पष्ट नहीं किया गया है।
6—20 प्रतिशत ग्राम सेवकों को विशेष वेतनमान दिया जाय।	यह प्रश्न अब वेतन आयोग की परिधि में है।
7—ग्राम सेवक के पूर्व सेवा कालीन प्रशिक्षण तथा उच्च प्रशिक्षण को क्रमशः कृषि डिप्लोमा तथा कृषि स्नातक की मान्यता प्रदान की जाय।	उचित कार्यवाही हेतु प्रस्ताव कृषि उत्पादन आयुक्त ने कृषि विभाग को भेज दिया है।

मांग/सुझाव	कृत कार्यवाही
8—परिवार नियोजन आदि विभागों के कामों पर ग्राम सेवकों को सेवा मुक्त या दंडित न किया जाय ।	इस बारे में कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय से उचित निर्देश जारी किये जा चुके हैं ।
9—साइकिल मानदेय 10 रु० प्रतिमास से बढ़कर 20 रु० प्रतिमास किया जाय ।	इस प्रस्ताव पर विस्तार से विचार हुआ परन्तु वित्त विभाग सहमत नहीं हुए हैं। लेकिन मामले को फिर देखा जा रहा है ।
10—स्टोर एलाउन्स दिया जाय	विस्तृत विचारोपरान्त, प्रस्ताव वित्त विभाग ने अस्वीकृत कर दिया है । संभवतः वेतन आयोग इस बारे में कोई निर्णय लें ।
11—ग्राम सेवक की निम्नतम योग्यता स्नातक रखी जाय ।	संघ ने योग्यता के बढ़ाने के लिये कोई तर्क या कारण नहीं बताये ।
12—सामूहिक रूप से सेवा से पृथक किये ग्राम सेवकों को पुनः सेवा में लिया जाय ।	ग्राम सेवकों के नियुक्ति प्राधिकारी अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन)/जिला नियोजन अधिकारी होते हैं जो ग्राम सेवकों के सेवा संबंधी मामलों में समस्त निर्णय लेने में सक्षम होते हैं । संघ ने कोई स्पष्ट उदाहरण नहीं दिये है ।

नत्थी 'च'

(देखिये ता० प्र० सं० 38 का उत्तर पीछे पृष्ठ 663 पर ।)

माननीय श्री कमलापति जी त्रिपाठी,
मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।

73 बी, विधान भवन,
लखनऊ
22-1-72

महोदय,

मैं आपका ध्यान एक अन्यायपूर्ण कार्यवाही की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं :—

राज्य के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के दो अधिकारी श्री लोकनाथ तिवारी व श्री जे०पी० दुबे, लोक सेवा आयोग के समक्ष साक्षात्कार के लिए बुलाए गए। आयोग ने दोनों को पदोन्नति के पद पर स्वीकृत नहीं किया। श्री तिवारी विभाग के शुरू होते समय से ही हैं तथा उनकी विशेष योग्यता और अनुभव के कारण लोक सेवा आयोग ने ऊंचे वेतन पर उनकी नियुक्ति की थी। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि कई अधिकारी उन पदों पर कार्य करते रहे हैं जिन पर कि वे अनेकों बार लोक सेवा आयोग से नहीं चुने जा सके हैं। लोक सेवा आयोग की सहमति बाद में प्राप्त की गई है । श्री तिवारी एक वरिष्ठ अधिकारी हैं तथा श्री जे० पी० दुबे उनसे बहुत जूनियर हैं। श्री तिवारी जिस पद के लिये लोक सेवा आयोग से नहीं चुने गये उस पद पर लगभग 3 वर्ष से आफिसियेट कर रहे थे। इन सब तथ्यों के बावजूद क्या कारण है कि सरकार श्री दुबे के प्रति इतनी उदार हो गई कि श्री तिवारी का अधिकार छीनकर उस पद पर श्री दुबे को फिलहाल के लिये कर दिया गया है और श्री तिवारी को प्रत्यावर्तित भी कर दिया ।

मेरी राय में यह नियमों के विपरीत कार्यवाही है और श्री तिवारी के साथ अन्याय भी है। इनका प्रतिवेदन लगभग 2 साल से शासन के विचाराधीन है।

अतः आपसे निवेदन है कि इस मामले में विशेष ध्यान देकर अविलम्ब उचित कार्यवाही करने की कृपा करें और श्री तिवारी के साथ न्याय करने का कष्ट करे ।

भवदीय,
रूपनाथ सिंह यादव,
[सोशलिस्ट पार्टी, विधान मण्डल,
विधान भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

नत्थी 'छ'

(देखिये ता० प्र० सं० 40 का उत्तर पीछे पृष्ठ 664 पर)

अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की सूची

1—सर्वश्री राम बिलास
2— ,, प्रमोद
3— ,, मुद्रिका प्रसाद
4— ,, रामभुज राम
5— ,, रामजीत राम
6— ,, राम विशुन
7— ,, सुनहरी लाल
8— ,, राम कृष्ण
9— ,, श्याम चरन सेंगर
10— ,, रमाकान्त प्रसाद
11— ,, रामचन्द्र
12— ,, करमचन्द्र
13— ,, शिवनाथ
14— ,, राम दास
15— ,, गुल्लू राम
16— ,, राम देव
17— ,, दूधनाथ राम
18— ,, रामवचन
19— ,, राम चरन
20— ,, राम सूरत राम
21— ,, गंगासागर
22— ,, मोहन राम
23— ,, राम नारायन वर्मा
24— ,, शंकर लाल
25— ,, राम सिंह उमेश
26— ,, नथूनी प्रसाद
27— ,, मानिक लाल
28— ,, सूर्यदीन
29— ,, होसिला

नत्थी 'ज'

(देखिये ता० प्र० सं० 56 का उत्तर पीछे पृष्ठ 667 पर।)

रूहेलखण्ड डिवीजन

जिले का नाम	मत्स्य बीज प्रक्षेत्र का नाम और स्थिति	विभागीय जलाशय का नाम और स्थिति
1—बरेली	1—फरीदपुर ब्लाक, फरीदपुर 2—नवाबगंज ब्लाक, नवाबगंज	1—जल्लापुर क्यारा डबरी, ब्लाक क्यारा । 2—क्यारा डब्वार, ब्लाक क्यारा 3—पदारथपुर ताल, ब्लाक बिथरी चेनपुर । 4—शिवपुरी ताल, ब्लाक फरीदपुर । 5—करैली कुडा, ब्लाक क्यारा ।
2—शाहजहांपुर ..	1—कबैंग ब्लाक, भावल खेडा ..	1—अन्धी डबरी, ब्लाक भावल खेडा । 2—कनैंग ताल, ब्लाक भावल खेड़ा । 3—रटा डबरी, ब्लाक तिलहर 4—नौगवां ताल, ब्लाक भावल खेड़ा । 5—अल्हागंज नसूरी, ग्राम भावल खेड़ा । 6—भावल खेड़ा नसूरी, ग्राम भावल खेड़ा ।
3—मुरादाबाद ..	1—हरियाना, ब्लाक कुन्दरकी 2—नरौदा, ग्राम नरौदा	1—देवरियावास ताल
4—बदायूं ..	1—सैदपुर, ग्राम सैदपुर .	
5—बिजनौर ..	1—पीली मत्स्य प्रक्षेत्र ..	1—गंगा की छुड़ान 2—शाहपुर घमेडी झील 3—रोहानिया तालाब 4—मुबारकपुर ताल 5—पिलाना ताल 6—पीली वृहद जलाशय
6—पीलीभीत	..	1—शारदासागर वृहद जलाशय
7—रामपुर	..	..
8 (आठ)		19

मेरठ डिवीजन

1	2		3
1—सहारनपुर ..	1—रामपुर मनिहारन, ब्लाक रामपुर मनिहारन ।		..
	2—तितरों, ब्लाक तितरों		
2—मुजफ्फरनगर	1—बनत, ब्लाक शामली	..	1—मामोर मावी झील
			2—जगनपुर ताल
3—मेरठ ..	1—मुरादनगर	..	1—हसनपुर ताल ब्लाक धौलाना।
	2—सरूरपुर, ब्लाक वागपत	..	2—मसूरी, ब्लाक धौलाना
	3—बावली, ब्लाक बड़ौत	..	3—बैठ ताल, ब्लाक सिम्बवली
	4—कैली, ब्लाक हापुड़	..	4—धौलाना ताल (प्रथम)
	5—मीतली, ब्लाक बागपत	..	5—धौलाना ताल (द्वितीय)
5—देहरादून	..		..
	9		7
3—बुलन्दशहर ..	1—सियाना, ब्लाक सियाना	..	
4—मेरठ ..	1—मुरावनगर	..	1—हसनपुर ताल, ब्लाक धौलाना
	2—सरूरपुर ब्लाक बागपत	..	2—मसूरी, ब्लाक धौलाना
	3—बावली, ब्लाक बड़ौत	..	3—बैठ ताल, ब्लाक सिम्बवली
	4—कैली, ब्लाक हापुड़	..	4—धौलाना ताल (प्रथम) ।
	5—भीतली, ब्लाक बागपत	..	5—धौलाना ताल (द्वितीय)
5—देहरादून	..		..
	9		7

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्र० सं० 86 का उत्तर पीछे पृष्ठ 675 पर ।)

अर्द्ध शासकीय पत्रांक, 1768-78-71-72

रामेश्वर दयाल भटनागर

जिला विद्यालय निरीक्षक,
झांसी
2 फरवरी, 1972 ।

प्रिय श्री मिश्र,

उप शिक्षा निदेशक, झांसी मण्डल ने अपने अर्द्ध-शासकीय पत्र संख्या 6559-63, दिनांक 25-1-72 द्वारा दिया गया है कि यदि आप अपने विद्यालयों के लिये चन्द्रा प्रिंटिंग प्रेस झांसी द्वारा प्रकाशित चार्टों को क्रय कराने की व्यवस्था करें जो छात्रों के हित में होगा। चार्ट नैतिक शिक्षा से सम्बन्धित है तथा छात्रोपयोगी है ।

आप कृपया इन्हें अपने अधीनस्थ विद्यालयों में क्रय कराने की व्यवस्था करें ।

भवदीय,
रामेश्वर दयाल भटनागर,

श्री हरिशचन्द्र मिश्र,
उप विद्यालय निरीक्षक,
झांसी ।

पृष्ठांकन संख्या । /71-72 उसी तिथि को

1-प्रतिलिपि उपशिक्षा निदेशक झांसी मण्डल, झांसी को उनके अर्द्ध-शासकीय पत्र संख्या 6559-63, दिनांक 25-1-72 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

2--प्रतिलिपि चन्द्रा प्रिंटिंग प्रेस, झांसी को सूचनार्थ प्रेषित ।

रामेश्वर दयाल भटनागर,
जिला विद्यालय निरीक्षक,
झांसी ।

प्रमाणित
ह० लाल जी श्रीवास्तव,
उप विद्यालय निरीक्षक,
झांसी ।

सत्य प्रतिलिपि

शिविर कार्यालय शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश (पाठ्य पुस्तक अनुभाग) 6, माल एवेन्यू, लखनऊ

प्रकाशकों को सूचना

पत्रांक बी०/5224/अट्ठारह–82 (5) 71–72, दिनांक 11–7–1971 ई०

क्रमांक	लेखन तथा लेखक का नाम	प्रकाशन	मूल्य	किस हेतु स्वीकृति प्रदान की
1	राम चरित मानस चित्रावली 7, चार्ट का सेट ।	तुलसी प्रकाशन संस्थान, 27-ए, निरालानगर, लखनऊ ।	प्रति सेट 42 रु०	प्राइमरी स्कूलों के पुस्तकालयों के प्रयोग के लिये ।
2	गो० तुलसीदास जी का प्रामाणिक चित्र ।	,,	6 रु०	उपर्युक्त

जनार्दन जोशी,
पाठ्य पुस्तक अधिकारी,
कृते शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

पृष्ठांक संख्या बी० 5225/5518–उसी तिथि को 14–7–71

उपर्युक्त पत्र की प्रतिलिपि मेसर्स तुलसी प्रकाशन संस्थान, 27-ए, निरालानगर, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 18–6–71 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

जनार्दन जोशी,
पाठ्य पुस्तक अधिकारी,
कृते शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

पृष्ठांकन संख्या बी० 5525/5518– उसी तिथि को 14–7–71

उपर्युक्त पत्र की एक-एक प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1––समस्त मंडलीय उप शिक्षा निदेशक तथा मंडलीय निरीक्षिकायें, बालिका विद्यालय, उत्तर प्रदेश ।

2––समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

3––समस्त उप जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

4––प्राचार्य समस्त दीक्षा विद्यालय एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश ।

5––वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश शिविर कार्यालय, लखनऊ तथा शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश शिक्षा सामान्य (1) विभाग, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद ।

6––अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उत्तर प्रदेशीय गजट भाग-4 में प्रकाशन हेतु ।

जनार्दन जोशी,
पाठ्य पुस्तक अधिकारी,
कृते शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

प्रमाणित
(ह०) लालजी श्रीवास्तव 3/7,
उप विद्यालय निरीक्षक,
झांसी ।

नत्थी 'ञ'

(देखिये अता० प्रश्न सं० 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 683 पर)

तालिका

विवरण कार्य प्रगति त्वरित योजना गोरखपुर 2-10-71 से 31-3-72 तक

क्रम सं०	ब्लाक	सड़क अथवा बांध का नाम	लम्बाई कि० मी० में	71-72 में परियोजनाओं पर किया गया व्यय
				रु० पै०
1	जंगल कोडिया	पीपीगंज सिसई	7	1,25,958.36
2	सरदार नगर	डमरी-चौरा	6	92,302.50
3	पनियरा	पनियरा-महुअवा	5	56,309.00
4	,,	डोमरा बांध	5	41,792.00
5	सिसवा	चिऊटहा-परैना	7	1,02,547.37
6	लक्ष्मीपुर	पैसिया बाबू-नईकोट	2	15,070.00
7	बड़हलगंज	टाडा फेरवाड	2	18,062.00
8	सहजनवां	सजनवां-नेवास	5	85,325.78
9	कौडी राम	सियर भिटहा	1	8,260.34
10	,,	कौडीराम गौला	5	90,231.49
11	बांसगांव	खजनी माल्हनपुर	6	54,842.00
12	,,	हरनही-बेलूडीही	5	—
13	महराजगंज	शिकारपुर-सेंदूरिया	5	1,03,509.00
14	बेलघाट	सिकरी गंज-बेलघाट	5	55,828.00
15	नौतनवां	महदेइया भगवानपुर	4	36,395.00
16	फरेन्दा	खजुरिया मछलीगांवा	4	46,070.00
17	खोराबार	झगहां-राजधानी	3	27,703.00
18	धानी	रिंगौली-भरवलिया बांध	2	37,290.00
		सड़क सामग्री भवन ह्यूमपाइप कि० मी० स्टोन आदि		24,602.20
		वेतन भत्ता तथा अन्य प्रासंगिक व्यय		10,820.15
	योग ..		72 सड़क 7 बांध	10,32,919.19

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 143 एल० ए०—1973—835 (मैग०)